मंगलवार 2 अप्रैल 1985

12 चैत्र 1987

(68)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 2 अप्रैल, 1985/12 चैत्र, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 5, "श्री एस0 जयपाल सिंह" के स्थान पर "श्री एस0जयपाल रेड्डी" पढ़िये।

विषय-सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति नीचे से 3 तथा पृष्ठ 275, पंक्ति नीचे से 1 "डा0 गोलम याजदानी" के स्थान पर "डा0 गुलाम याज़दानी" पढ़िये।

पृष्ठ 13, पंक्ति 12 के नीचे लाई ओर "(अनुवाद)" पढ़िये।

पृष्ठ 36, पंक्ति नीचे से 2, "रमाबेदन" के स्थान पर "रमातेन" पढ़िये।

पृष्ठ 50, पंक्ति 2, "जावनल अवेदिने" के स्थान पर "श्री जारनल अवेदिन" पढ़िये।

पृष्ठ 58, पंक्ति 6, "श्री एस0एन0गुरडूडो" के स्थान पर "श्री एस0एम0गुरडूडी" पढ़िये।

पृष्ठ 73, पंक्ति नीचे से 7, "अदिपोडो" के स्थान पर "अदिसोडो" पढ़िये।

पृष्ठ 81, पंक्ति 24, पृष्ठ 82, पंक्ति 8, पृष्ठ 83, पंक्ति 14 तथा पृष्ठ 110 पंक्ति 26, "पाराशर" के स्थान पर "पराशर" पढ़िये।

पृष्ठ 166, अंतिम पंक्ति, अ0प्र0संख्या "180" के स्थान पर "1830" पढ़िये

पृष्ठ 177, पंक्ति 18, "एल0टी0630/85" के स्थान पर "एल0टी0631/85" पढ़िये।

पृष्ठ 181, पंक्ति 15, "अध्यक्ष महोदय" के ऊपर लाई ओर "(अनुवाद)" पढ़िये।

पृष्ठ 182, पंक्ति 5, "श्री वी0एस0अय्यर" के स्थान पर "श्री वी0एस0कृष्ण अय्यर" पढ़िये।

पृष्ठ 185, पंक्ति 3, 7, 10, पृष्ठ 188, पंक्ति 4, "कृष्णा" के स्थान पर "कृष्ण" पढ़िये तथा पृष्ठ 189, पंक्ति नीचे से 2, "अय्यार" के स्थान पर "अय्यर" पढ़िये ।

पृष्ठ 187, पंक्ति नीचे से 6, "डाउट" के स्थान पर ड्राउट" पढ़िये ।

पृष्ठ 212, पंक्ति 25, "{करवा}" के स्थान पर "{कटवा}" पढ़िये ।

पृष्ठ 231, पंक्ति 9 तथा 21, "श्री एस०जसपाल रेड्डी" के स्थान पर "श्री एस०जयपाल रेड्डी" पढ़िये ।

पृष्ठ 247, पंक्ति 23, "श्री डूमर लाल बैठा" के नाम के ऊपर बाईं ओर "{हिन्दी}" पढ़िये ।

पृष्ठ 250, पंक्ति 17, "श्री ई०अम्मापु रेड्डी" के स्थान पर "श्री ई०अय्यप्पु रेड्डी" पढ़िये ।

पृष्ठ 264, पंक्ति 19, "{शेसेरा}" के स्थान पर "{रोशेरा}" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 3, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 17, मंगलवार, 2 अप्रैल, 1985/12 चैत्र, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
बैनबुएला के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 284, 287, 289 से 291, 293 और 295	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19—176
तारांकित प्रश्न संख्या : 283, 285, 286, 288, 292, 294 और 296 से 302	19 - 27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1707 से 1846	27—176
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	177—183
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	183—204
अनावृष्टि के कारण देश के विभिन्न भागों में व्याप्त अकाल और सूखे की स्थिति के समाचार	
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	183
श्री बूटा सिंह	183
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	190
डा० वी० वेंकटेश	196
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	200
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	204 —206
सदस्य नियुक्त करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश	
कार्य मन्त्रणा समिति	206—207
चौथा प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	207—212
(एक) उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता श्री जैनुल बशर	207
(दो) सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होने के कारण फसलों के नष्ट हो जाने के लिए किसानों को मुआवजा देने की आवश्यकता तथा राजस्थान नहर में और अधिक पानी छोड़ने की मांग श्री बीरबल	207
(तीन) राजस्थान नहर की सागर मल गोपा सम्पर्क परियोजना को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता श्री बुद्धि चन्द्र जैन	208
(चार) काजीपेट में इन्टीग्रल रेल कोच फैक्टरी स्थापित करने की आवश्यकता श्री सी० जंगा रेड्डी	208
(पांच) ईरान और इराक के विभिन्न नगरों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सहायता देने में भारतीय दूतावासों की असफलता श्री अब्दुल रसीद काबुली	209
(छः) अलवर से भिवंडी तक और अलवर से दिल्ली तक सड़कों का निर्माण करने की तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना निधि से वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता श्री राम सिंह यादव	210
(सात) उड़ीसा के अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए राज्य को विशेष अनुदान देने की मांग श्री सोमनाथ रथ	210
(आठ) उड़ीसा के फूलबनी जिले में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की मांग श्री राधाकान्त डिगाल	211
(नौ) भारतीय खाद्य निगम के गोरखपुर स्थित उर्वरक संयंत्र का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता श्री मदन पाण्डे	211
(दस) पक्षियों के टकराने से होने वाली बढ़ती हुई विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	212
(ग्यारह) अयाज सामू को, जिसे पाकिस्तान सरकार ने मृत्यु दण्ड दिया था, बचाने के बारे में भारतीय लोगों की भावनाओं को पाकिस्तान सरकार तक पहुंचाने की मांग श्री सैफुद्दीन चौधरी	212

विषय	पृष्ठ
बजट (सामान्य)—अनुदानों की मांगें, 1985-86	213-292
गृह मन्त्रालय	
श्री के० प्रधानी	213
श्री सोडे रमैया	216
श्री चिंगवांग कोनयक	219
श्री मूल चन्द डागा	221
श्री एन० टोम्बी सिंह	224
श्री एस० जयपाल सिंह	227
श्री राम रतन राम	234
श्री बृजमोहन महन्ती	236
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	238
श्री एल० बलरामन	241
श्री फ्रैंक एन्थनी	244
श्री डूमर लाल बैठा	247
श्री० ई० अय्यापु रेड्डी	250
श्री राम प्रकाश	253
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	256
श्री मतिलाल हंसदा	258
श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर	260
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	263
श्री गिरधारी लाल डोगरा	264
श्री सी० जंगा रेड्डी	267
श्री भरत सिंह	270
श्री बालकवि बैरागी	271
श्री राम भगत पासवान	273
डा० गोलम याजदानी	275
श्री दिलीप सिंह भूरिया	277
श्री एस० बी० चह्वाण	278

लोक सभा

मंगलवार, 2 अप्रैल, 1985/12 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वैनजुएला के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से मुझे वैनजुएला के चैम्बर आफ डेपुटीज के प्रेजिडेंट महामहिम डा० लियोनार्डो फेरेर और माननीय श्री कारलोस कनाचे माटा, संसद सदस्य तथा मैडम माटा का, जो हमारे सम्मानीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आये हैं, स्वागत करने में अपार हर्ष हो रहा है।

वे कल शाम को यहां पहुंचे थे। वे इस समय विशेष कक्ष में बैठे हुए हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश की यात्रा उनके लिए सुखद तथा लाभदायक हो। उनके माध्यम से हम अपनी शुभकामनाएं तथा अभिवादन वैनजुएला की संसद, सरकार तथा वहां की मित्र जनता तक पहुंचाते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, एक भारतीय सांसद बाक्स में बैठे हैं। क्या वह विदेश में रहने लगे हैं ? क्या वह बाहर गये हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह अभी तक वहां हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी नजर बहुत तेज है, प्रोफेसर !

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मारुति उद्योग का सुजुकी के साथ ठेका

[अनुवाद]

*284. श्री हन्नान मोल्लाह† :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि सुजुकी और मारुति उद्योग के साथ ठेका जापानी येन के आधार पर हुआ होता तो मारुति कार का मूल्य इस समय कम से कम 5,000 रुपये कम होता;

(ख) यदि हां, तो डालर के आधार पर ठेका करने के क्या कारण थे;

(ग) क्या इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई टेंडर आमंत्रित किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। सहयोगी के रूप में सुजुकी का चयन अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनेक कार निर्माताओं को भेजी गयी पूछताओं के उत्तर में प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के आधार पर किया गया था। इसमें भारतीय बाजार के लिए प्रस्तावित कार के माडलों की उपयुक्तता का निर्धारण, इक्विटी सहभागिता की इच्छा, आयातित हिस्से-पुर्जों की लागत को ध्यान में रखते हुए निर्यात-अधिकारों और कार का अनुमानित अन्तिम मूल्य सहित सहयोग की शर्तों का तुलनात्मक विश्लेषण शामिल था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) ऐसे विदेशी सहयोग के समझौतों को टेंडरों के बजाय सामान्यतः बातचीत के जरिये अन्तिम रूप दिया जाता है।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, उत्तर का लागत वाला भाग विशेषतः दो दिन पहले मारुति कार तथा वैन के हाल में मूल्यों में की गई वृद्धि के संदर्भ में बिल्कुल अस्पष्ट है। हमें ठीक जवाब चाहिए न कि ऐसा अस्पष्ट उत्तर।

कम्पनी के अध्यक्ष, श्री कृष्णामूर्ति ने मूल्यों में वृद्धि की घोषणा करते हुए कहा कि डालर का मूल्य बढ़ने से आदान लागत बढ़ गई है। इसका अर्थ यह है कि खरीदारों के लिए भविष्य बहुत ही निराशाजनक होगा क्योंकि निकट भविष्य में सम्भावना है कि येन के मुकाबले में डालर बढ़ता रहेगा और कम्पनी इस घाटे को खरीदारों पर डालती जायेगी। अतः इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं—वरन् अपने प्रश्न के उत्तर के लिए आग्रह करता हूं—क्या सरकार येन मुद्रा में ही ठेका नहीं कर सकती है, जब आप जापान से अन्य वस्तुएं आयात करते हैं तो क्या जापान के साथ इस प्रकार का ठेका करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनानी होती है। अगर आप अन्य वस्तुओं को आयात करते समय येन ठेका प्रणाली का पालन करते हैं तो आप इस मामले में इस प्रणाली पर आग्रह क्यों नहीं करते। डालरों में ठेका, जो हमारे खरीदने वालों के लिए बहुत महंगा है, पर हस्ताक्षर करने की हमें किसने सलाह दी ?

अगर यह गलत है तो क्या सरकार इसको स्वीकार करेगी और क्या पार्टी से फिर से बातचीत की जाने की कोई संभावना है ताकि हम येन मुद्रा में ठेके के आधार पर समझौता कर सकें ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, यह सच है कि डालर महंगा हो गया है। लेकिन अगर आप डालर और येन में हुई बढ़ोतरी की तुलना करें तो मैं कह सकता हूं कि येन, डालर की अपेक्षा अधिक महंगा हुआ है। मैं आंकड़े दे सकता हूं। जब सितम्बर, 1982 में यह ठेका किया गया था (व्यवधान) एक रुपया 27.86 येन के बराबर

था और 100 अमरीकी डालर 969.50 रुपये के बराबर थे। अब फरवरी, 1985 के अन्त में एक रुपया 19.80 येन के बराबर है, जो 27.86 था जब ठेका किया गया था। अब, 100 अमरीकी डालर 1307.62 रुपये के बराबर हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि येन अधिक महंगा हुआ है। ठेका करते समय कम्पनी ने इस प्रश्न पर कि ठेका डालर में किया जाये या येन में, विचार किया था और चूंकि ठेका डालर में है अतः कम्पनी को इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं कह सकता हूं कि येन 5.726 लाख का ठेका मूल्य फरवरी, 1985 की विनिमय दर पर 28,920 रुपये हो जाता। दूसरी ओर अमरीकी 2120 डालर का ठेका मूल्य फरवरी, 1985 में 27,722 रुपये के बराबर है। इससे यह पता लग सकता है कि 'सी० के० डी० पैक' में रुपये का मूल्य लगभग 1200 रुपये कम है क्योंकि ठेका डालर में किया गया था। यही कारण है कि कम्पनी लगभग 1200 रुपये प्रति 'सी० के० डी० पैक' की बचत कर पायी है।

श्री हम्मान मोल्लाह : महोदय, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि डालर महंगा होता जायेगा और इससे कार का मूल्य बढ़ता जायेगा। इस संदर्भ में, हमारे स्वदेशीकरण की क्या स्थिति है? पुर्जों का स्वदेशीकरण करने में कितनी सफलता हमें प्राप्त हुई है ताकि हम आयात को कम करके अपने देश के खरीदारों को अधिक राहत दे सकें?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक स्वदेशीकरण कार्यक्रम का सम्बन्ध है वह भी परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय निश्चित किया गया था। 1984-85 में स्वदेशीकरण के 23% के संशोधित लक्ष्य की तुलना में कम्पनी ने 21% लक्ष्य प्राप्त किया है। 1985-86 के लिए संशोधित लक्ष्य 35% है और कम्पनी इस लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा करती है। कम्पनी पुर्जे उत्पादकों से सम्पर्क बनाए हुए है और यह आशा करती है कि कुछ समय में पुर्जे उत्पादक जो भी पुर्जे कम्पनी को चाहिए उनका उत्पादन तथा पूर्ति करने की स्थिति में हो जायेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार ने हाल ही में इस्पात और पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादित पदार्थों के मूल्य में 15 प्रतिशत वृद्धि की है। क्या इस मूल्य वृद्धि में उत्पादन लागत नहीं बढ़ेगी और अन्ततः मारुति कार का मूल्य नहीं बढ़ेगा अथवा, क्या परसों घोषित की गई मारुति कार की नई कीमत इस्पात आदि की मूल्य वृद्धि के बावजूद वही रहेगी?

पहले वर्ष के अन्त में मारुति पुर्जों का स्वदेशीकरण 24 प्रतिशत था। 1985-86 के दौरान, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा, इसको 45 प्रतिशत तक बढ़ाना है और 1988-89 तक इसे 95 प्रतिशत करना है। लेकिन श्री शीनोहारा जैसे बड़े व्यक्ति, जो मारुति उद्योग लिमिटेड के एक निदेशक हैं, द्वारा एक शंका व्यक्त की गई है कि भारत में सहायक उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचा बहुत ही कमजोर है और सहायक विक्रेताओं ने भी अच्छी किस्म के पुर्जे उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इस स्थिति में स्वदेशीकरण का लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य कार तथा वैन का मूल्य बढ़ाने वाले कारणों को जानना चाहते थे। मुख्यतः इसके दो कारण हैं। एक इस्पात मूल्य में बढ़ोतरी है तथा दूसरा डालर का मूल्य बढ़ना है। माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते थे कि हाल में की गई वृद्धि कब तक मान्य रहेगी। मैंने कम्पनी के प्रभारी अफसर से विचार-विमर्श किया है। वे आशा करते हैं कि हाल की वृद्धि एक वर्ष के लिए मान्य हो सकती है। लेकिन अगर फिर से डालर महंगा होता है और अगर निर्माण सामग्री के मूल्यों में बढ़ोतरी होती है तथा अन्य ऐसी चीजें होती हैं तो कम्पनी को और

बढ़ोतरी पर विचार करना पड़ सकता है। वे यह आशा करते हैं कि यह मूल्य एक वर्ष के लिए मान्य होंगे।

पुर्जों के बारे में कम्पनी बहुत उत्सुक है कि पुर्जों का जो भी स्वदेशीकरण कार्यक्रम है उसे पूरा किया जाये। वे पुर्जों के निर्माताओं से निरन्तर वार्ता कर रहे हैं। वह पहले ही एक बैठक कर चुके हैं और दूसरी बैठक कल मद्रास में करने जा रहे हैं। वे हरसंभव तकनीकी तथा अन्य सहायता देकर यह कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पुर्जे चाहिएं उनका निर्माण हो और स्वदेशीकरण कार्यक्रम को पूरा किया जाये।

[हिन्दी]

श्री अगदीश अवस्थी : क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात है कि मारुति कार के जो दाम है उससे कहीं अधिक में मारुति कार ब्लैक में बिक रही है ? यदि हां, तो वह इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मारुति कार ब्लैक में बिक रही है यह कहना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कि मारुति कार पर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल नहीं है और प्राइस कंट्रोल नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बात का पता लगा रही है कि ब्लैक मनी से मारुति कार की बिक्री और फरोख्त किस तरह से हो रही है। मैंने सुना है और मुझे जानकारी है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसके बारे में कुछ कार्यवाही हो रही है।

उर्वरकों का उत्पादन

[अनुवाद]

*287. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कितने एकक उर्वरकों का उत्पादन कर रहे हैं; और

(ख) वर्ष 1984 के दौरान इन एककों में उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) इस समय 38 प्रमुख उर्वरक एकक विभिन्न श्रेणियों के नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन कर रहे हैं। इनमें से 24 एकक सार्वजनिक क्षेत्र में, 11 निजी क्षेत्र में और 3 सहकारी क्षेत्र में हैं। इसके अलावा, 40 से भी अधिक लघु एकक सिंगल सुपर फास्फेट का उत्पादन कर रहे हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 1984-85 (अप्रैल, 1984-मार्च, 1985) के दौरान, 11 महीनों के वास्तविक उत्पादन और एक माह के अनुमानित उत्पादन के आधार पर उर्वरकों के कुल उत्पादन का अन्तिम अनुमान 39.32 लाख टन नाइट्रोजन (लगभग) और 12.62 लाख टन पी2 ओ5 (लगभग) है। क्षेत्रवार उत्पादन निम्न प्रकार होगा :—

(उत्पादन लाख टनों में)

	नाइट्रोजन	पी2 ओ5
सरकारी क्षेत्र	18.52	3.47
निजी क्षेत्र	15 58	5.65
सहकारी क्षेत्र	5.22	3.50
योग	39.32	12.62

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : आज देश में उर्वरक का जो उत्पादन हो रहा है उससे जो मांग है वह पूरी हो नहीं रही है, तो क्या मन्त्री महोदय नये उर्वरक कारखाने शुरू करने जा रहे हैं और क्या उसके लिए गुजरात सरकार ने कोई दरख्वास्त भेजी है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हमारे पास जो भी फर्टिलाइजर प्रोड्यूस हो रहा है, डिमांड उससे ज्यादा है। प्रोडक्शन उतना नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं—1984-85 के लिए कन्जम्पशन का जो अन्दाजा लगाया गया है वह 56.60 लाख है और प्रोडक्शन 39.32 लाख है। शार्टफाल 17.28 लाख है। जितना भी शार्टफाल है उसको इम्पोर्ट के जरिए मंगा कर यहां पर फार्मर्स के बीच में तकसीम किया जा रहा है।

श्री अमर सिंह राठवा : देश में पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र बहुत हैं। वहां भी उर्वरक का उपयोग लोग करने लगे हैं। लेकिन वहां यह नहीं मिलते हैं। क्या मन्त्री जी के पास किसी पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में उनकी डिमाण्ड को पूरा करने के लिए उर्वरक कारखाना शुरू करने के लिए दरख्वास्त आई है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : नये कारखाने शुरू करने के लिए सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में जो प्रोग्राम था उसके तहत कार्यवाही जारी है। चार कारखाने हाल में खुलने वाले हैं, प्रोडक्शन में जाने वाले हैं—दो थाल में और दो हजीरा में, यह गैस-बेस्ड फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं। 6 और गैस-बेस्ड फर्टिलाइजर के कारखाने हैं जिन पर काम शुरू होने जा रहा है और उसके लिए जो कार्यवाही होने वाली है वह कर रहे हैं। लेकिन माननीय सदस्य का यह कहना है कि जहां पर डिमाण्ड है, वहीं पर एक कारखाना खोला जाए तो उस तरह से नहीं होगा क्योंकि जो गैस है उसकी पाइप-लाइन जहां जाती है वहीं पर कारखाना खोलना पड़ता है। अगर नाफथा या फ्यूएल बेस्ड कारखाना हो, तब भी जब तक कहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सहूलियतें न हों, तब तक हर जगह वह कारखाना भी नहीं खोला जा सकता है क्योंकि इसके लिए सरकार की बहुत जरूरत होती है। अब जो नये फर्टिलाइजर प्लान्ट आ रहे हैं उन पर तकरीबन 600 और 650 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। इसलिए हर जगह जहां डिमाण्ड है वहीं पर कारखाना खोला जाए—इस तरह की डिमाण्ड को पूरा नहीं किया जा सकता है।

श्रीमती छाया साही : मन्त्री महोदय को जानकारी होगी कि बेगूसराय और बरौनी में उर्वरक कारखाने हैं लेकिन उनकी जो उत्पादन क्षमता है वह हर वर्ष कम होती जा रही है। मैं मन्त्री

महोदय से जानना चाहूंगी कि बरौनी और बेगूसराय उर्वरक कारखानों की उत्पादन क्षमता, जो हर वर्ष कम होती जा रही है, उसको रोकने की दिशा में सरकार कौन-सी कार्यवाही कर रही है ? जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि नये कारखाने खोलने के लिए बहुत धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो पुराने कारखाने हैं जो कि वर्षों से चल रहे हैं जिनकी उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है तो उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आप कौन से उपाय कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जो पुराने कारखाने हैं वह पुरानी टेक्नालाजी पर शुरू हुए कारखाने हैं। जब तक हम उनको माडर्नाइज नहीं करेंगे तब तक वहां पर सरप्लस भी नहीं होगा और प्राफिट भी नहीं होगा। इसलिए जो पुराने कारखाने हैं, जहां पर माडर्नाइजेशन के लिए स्कोप है, वहां पर माडर्नाइजेशन के लिए सोच रहे हैं। लेकिन बरौनी के सम्बन्ध में यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न करें तो मैं पूरी तफसीलात दे सकता हूं।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि जितनी खाद की कमी पड़ती है उसको वे बाहर के देशों से मंगाते हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन देशों से कितनी-कितनी खाद मंगाई जाती है और उनके साथ हमारी अनुबन्ध शर्तें क्या हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरे पास उसकी तफसीलात नहीं हैं क्योंकि हमारे मन्त्रालय का काम प्रोडक्शन करना है, इम्पोर्ट करके डिस्ट्रिब्यूशन का काम दूसरे मन्त्रालय का है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो दूसरे मन्त्रालय से इंफार्मेशन लेकर मैं उनके पास भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री अजय विश्वास : माननीय मन्त्री ने पहले ही उर्वरकों के सम्बन्ध में कुछ कहा है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने उर्वरक कारखाने खोले जाएंगे। त्रिपुरा में हमारे पास काफी गैस है। मैं जानना चाहता हूं क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिपुरा में एक उर्वरक कारखाना खोला जायेगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप देना है। मैं यह सूचना केवल सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह सातवीं योजना का प्रश्न है !

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : राजस्थान में सवाई माधोपुर में एक गैस-बेस्ड फर्टिलाइजर प्लान्ट बिड़ला जी को दिया गया है लेकिन अभी तक उस पर कोई विशेष काम नहीं हुआ है। जैसा कि मन्त्री जी ने कहा है कि वे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की जल्दी व्यवस्था करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो आप गैस-बेस्ड फर्टिलाइजर प्लान्ट देते हैं उनके सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं जिससे कि वहां पर जल्दी प्रोडक्शन होकर फर्टिलाइजर उपलब्ध हो सके ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जिन-जिन पार्टीज को गैस-बेस्ड फर्टिलाइजर प्लान्ट एलाट किए हैं उनको साफ तौर पर बता दिया गया है कि जीरो डेट यह होनी चाहिए। सारा प्रोग्राम उनको बताया है। अगर कोई पार्टी उस प्रोग्राम के मुताबिक नहीं चलती है और काम शुरू नहीं होता है तो फिर हम उनको नोटिस दे देंगे और उसके बाद किसी दूसरी पार्टी को दे देंगे। लेकिन मैं यह भी

बतलाना चाहता हूं—गैस-बेस्ड फर्टिलाइजर फैक्टरी के लिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी कम्पनी की ओर से ऐसा यूनिट लगाना चाहते हैं। इसलिए लगाने वालों का कोई अभाव नहीं है। जिस पार्टी को हमने दिया है अगर वह कार्यवाही नहीं करेगी तो हम सोचेंगे कि उस पार्टी को रखें या किसी और पार्टी को दे दें।

अध्यक्ष महोदय : उस पार्टी को जीरो करने का इरादा है या नहीं ?

प्रो० मधु दण्डवते : कांग्रेस पार्टी को मत दीजिये।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : जैसा मन्त्री महोदय ने कहा है कि जहां से पाइप-लाइन निकलेगी, वहां ही कारखाना डालना सम्भव होगा। मेरे यहां गुना से जो पाइप-लाइन जा रही है वह टीकमगढ़ होकर निकलती है। टीकमगढ़ जिला औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ जिला है तथा फर्टिलाइजर की कमी को देखते हुए क्या मन्त्री महोदय वहां पर कोई कारखाना डालने का विचार रखते हैं ताकि वहां के लोगों को काम मिले तथा देश की जरूरत पूरी हो ?

अध्यक्ष महोदय : इसलिए कि पाइप-लाइन गुजर रही है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : इन्होंने कहा है कि जहां से पाइप लाइन निकलेगी वहां कारखाना दे सकते हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा "एंकर एवं सप्लाई पोतों" की खरीद

[अनुवाद]

*289. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग दक्षिण कोरिया की एक कम्पनी से आठ आधुनिकतम एंकर-एवं-सप्लाई पोत खरीदने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या और मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने मैसर्स सैमसूंग, कोरिया को 8 अपतटीय आपूर्ति पोतों के निर्माण के लिए आर्डर दिये हैं जिनमें प्रत्येक का मूल्य 4,979 मि० यू० एस० डालर है।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : पिछले कुछ वर्षों से रिगों तथा आधुनिकतम एंकर-एवं-सप्लाई पोतों आदि की खरीद के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग दुनिया भर से निविदाएं मंगवा रहा है और ऐसा लगता है कि सभी आर्डर सिर्फ इसी एक विशिष्ट देश को दिये जा रहे हैं। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से अन्य विश्व निविदाओं का ब्यौरा जान सकता हूं, और क्या इन विश्व निविदाओं को सभी जगह भेजा गया था, यदि हां, तो वे कौन-कौन-सी अन्य पार्टियां हैं जिन्होंने इन एंकर-एवं-आपूर्ति पोतों के लिए निविदाएं भेजी थीं ?

श्री नवल किशोर शर्मा : यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अपनी आवश्यकता अनुसार उपकरणों हेतु विश्व-निविदायें आमन्त्रित करता है। जहां तक इन पोतों का सम्बन्ध है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने विश्व-निविदाएं आमन्त्रित कीं और 44 पार्टियों ने इस विश्व-निविदाओं के उत्तर में अपनी निविदाएं भेजीं। इनमें से 37 पार्टियों ने कम मदों के लिए निविदाएं भेजीं और इन 37 पार्टियों में से, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अनुरोध पर 24 पार्टियों ने पुनरीक्षित निविदाएं

अन्तिम तिथि 23-5-1983 को प्रस्तुत कीं। इन 24 पार्टियों में से बाद में 12 पार्टियां ही उपयुक्त पायी गयीं। जहां तक उनके नामों का सम्बन्ध है मैं उनके नाम बता रहा हूं। इन बारह पार्टियों के नाम हैं: प्रोमेट, सिंगापुर; सामसुंग, कोरिया; मोडेक, जापान; दाईंबू, कोरिया; गुल इंजीनियरिंग, सिंगापुर; एशिया; पैसिफिक, सिंगापुर.....

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय सदस्य नाम जानना चाहते हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : कृपया यह जानकारी सभा-पटल पर रख दें। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि बहुत-सी ऐसी कम्पनियां हैं जो अन्य देशों में माल सप्लाई कर रही हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को, कोरिया ही तकनीकी तौर पर तथा वित्तीय समर्थता के अनुसार सबसे अच्छा क्यों लगा, अगर आप विस्तार में जानकारी एकत्र करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी और भी बहुत-सी कम्पनियां मिलेंगी जिनका माल ज्यादा अच्छा है और ज्यादा अच्छा कार्य कर रही हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा क्या वे योग्यताओं के आधार पर अन्य विश्व निविदाओं पर भी विचार करेंगे और इनके विस्तार में जाएंगे तथा इनकी जांच करेंगे अथवा वे इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग पर ही छोड़ देंगे ?

श्री नवल किशोर शर्मा : जब विश्व निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं तो सभी कम्पनियों को अधिकार है कि वे अपनी निविदाएं भेजें। कोरिया की पार्टी का चयन करने का कारण उनकी निविदाओं की दर का निम्नतम होना था, निम्नतम दरें होने के कारण उसका चयन करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था।

प्रो० मधु दण्डवते : निम्नतम किस्म में ?

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : तकनीकी स्तर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नवल किशोर शर्मा : गुणवत्ता का जहां तक सवाल है उस दृष्टि से यह स्वीकार्य है और मूल्यों की दृष्टि से भी निम्नतम हैं। जब कभी भी निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं, तो उसके सभी तकनीकी पहलुओं की जांच की जाती है और जब इसे स्वीकृति मिल जाती है तो तकनीकी तौर पर उसे सही माना जाता है, तभी हम उस पार्टी से सम्पर्क करते हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मन्त्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को प्रत्येक वर्ष उपर्युक्त मशीनरी के अलावा बहुत से अन्य उपकरणों जैसे कि पम्प, ड्रीलिंग मशीनों आदि की भी जरूरत होती है तथा क्या यह भी सच है कि सन् 1982 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने भारतीय उद्योग से अपील की थी कि वे देश में ही इन उपकरणों का निर्माण करें ताकि हम आयात को कम कर सकें और आत्म-निर्भर बन सकें ? यदि ऐसे उपकरण देश में उपलब्ध हैं तो, क्या माननीय मन्त्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि इन उपकरणों के आयात के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यों हेतु देशी उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : हम स्वदेशी माल को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और हमारा प्रयास इसी दिशा की ओर है। जितने भी उपकरणों की हमें आवश्यकता है हम उनकी पूर्ति स्वदेशी संसाधनों के माध्यम से पूरा करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आश्वासन का कोई प्रश्न नहीं है बल्कि यह तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की नीति है। अगर मेरे मित्र को इस बारे में कोई प्रश्न पूछना है या कोई सन्देह है तो वह निश्चित रूप में मुझे लिख सकते हैं।

वाणिज्यिक उपयोग के लिए फाइबर आपटिक्स शुरू करना

*290. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रेषण कार्य (ट्रांसमिशिन) में या अन्य किसी प्रयोजन के लिए 'फाइबर आप्टिक्स' के उपयोग पर कोई परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार ने कोई समय-सीमा निर्धारित की है जिसके भीतर 'फाइबर आपटिक्स' का वाणिज्यिक उपयोग शुरू किया जा सकेगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। दूरसंचार संचारण से संबंधित कुछ परीक्षण किए गए हैं।

(ख) परीक्षण के परिणामों से पता चला है कि यह प्रौद्योगिकी भारतीय दूरसंचार परिपथ जाल (नेटवर्क) में डिजिटल संचारण के लिए अनुकूल है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में वाणिज्यिक उपयोग के लिए दूरसंचार परिपथ जाल के कुछ मार्गों में फाइबर आप्टिक केबिल प्रणाली शुरू करने की व्यवस्था है।

श्री जी० जी० स्वैल : मुझे लगता है कि मुझे यह कहना चाहिए, कि मंत्री महोदय प्रश्न की उपेक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया है कि ये परीक्षण कहां किए गए हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं। क्या इन फाइबर आपटिक्स का देश में उत्पादन किया जा रहा है या क्या आप उनमें से कुछ का आयात कर रहे हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फाइबर आपटिक्स 21वीं शताब्दी की एक नई किस्म है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें आज से 21वीं शताब्दी के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी जानते हैं कि फाइबर आपटिक्स की क्या क्षमता होती है। ये 'हेयर-थिन ग्लास फाइबर' होते हैं जिन्हें एक कोने में लगाया जा सकता है। उनमें इस प्रकार की शक्ति होती है कि वे फाइबर आपटिक्स के द्वारा लेसर बीम को भी संचारित कर सकते हैं? 'हेयर थिन फाइबर आपटिक्स', तांबे की तारों के मुकाबले में जो केवल 24 संदेश भेजती हैं, 1000 संदेश भेज सकते हैं तथा उन लोगों की फोटो भी दिखा सकते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूरसंचार का प्रयोग कर रहे हों। यह इस प्रकार का साधन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये परीक्षण कहां किए गए, क्या अपने देश में फाइबर आपटिक्स के निर्माण के लिए कदम उठाए गए हैं और आप क्या तैयारियां कर रहे हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि फाइबर आपटिक्स संदेश भेजने का अत्याधुनिक तरीका है। दूरसंचार में इसके प्रयोग से बहुत लाभ है। डिजिटल व्यवस्था के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर दूरसंचार सिगनल का संचारण करने के आपटिक्स फाइबर के तारों का प्रयोग आधुनिक प्रौद्योगिकी है जिसमें इस समय प्रयोग किये जाने वाले धातु के प्रवाहकों के स्थान पर हेयर थिन ग्लास जैसे संचारण साधन का उपयोग किया जाता है। इसके और भी अनेक लाभ हैं। उदाहरण के लिए इसको चुराना मुश्किल है। हम देखते हैं कि कई स्थानों पर तांबे की तारों को चुरा लिया जाता है। पानी का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसके और भी अन्य उपयोग है। हम पूना में 1979 से कुछ स्थानों पर परीक्षण कर रहे हैं कि इसका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है और एक विशेष स्थिति में इसके सामने क्या कठिनाइयां आती हैं। हमारा दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र इन परीक्षणों को कर रहा है और हम परिणाम की प्रतीक्षा में हैं। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानों पर

भी हम इस प्रकार के परीक्षण करना चाहते हैं ताकि हम इस बात का मूल्यांकन कर सकें कि हम अपनी स्थापनाओं में इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। यह कम दूरी के लिए है। अहमदाबाद से बड़ौदा की लम्बी दूरी के बारे में हम 120 कि०मी० फाइबर आपटिक्स की तारों को बिछाने की योजना इसलिए बना रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि यह कम और लम्बी दोनों दूरियों के लिए किस प्रकार से कार्य करता है। इस देश में इसके उत्पादन की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। यह निर्णय किया गया है कि 'हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड' को व्यवस्थित ढंग से इसके उत्पादन के लिए मन्जूरी दी जानी चाहिए और हम आशा करते हैं कि इसका उत्पादन जल्दी शुरू हो जाएगा। हमें आशा है कि सातवीं योजना में नवीनतम प्रौद्योगिकी के निर्माण हेतु देश में कई सुविधायें प्रदान हो जायेंगी। इस तरह इस प्रणाली के इतने अधिक लाभप्रद होने की न हमें केवल जानकारी है बल्कि विभिन्न परिस्थितियों और स्थितियों में इस बारे में परीक्षण करने और इसके देश में उत्पादन के लिए भी हमने कदम उठाए हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : मुझे माननीय मन्त्री के उत्तर से खुशी हुई है कि वे देश में इसके निर्माण के लिए कदम उठा रहे हैं और सातवीं योजना में इसके लिए व्यवस्था करने के लिए सोच रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास इस नई प्रौद्योगिकी के अनुसन्धान और विकास के लिए राशि के आवंटन के आंकड़े उपलब्ध हैं और क्या उन्होंने कोई समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार किया है कि कब तक पुराने तांबे के तारों को, जो देश में कई तरह की कठिनाइयां पैदा करते हैं, फाइबर आपटिक्स के तारों से बदला जा सकेगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा : सातवीं योजना में हमने इसके लिए समय-सीमा निर्धारित की है। लम्बी दूरी के 'नेटवर्क' में 11,000 किलोमीटर तक यह कार्य किए जाने का प्रस्ताव है लेकिन यह साधनों पर निर्भर करता है जो हम सातवीं योजना में मुहैया किए जाएंगे। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इस पर कितना खर्च किया जा रहा है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूं कि अहमदाबाद से बड़ौदा तक के 120 कि० मी० के लिए प्रस्तावित परीक्षण पर हमने शुरू में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

मोटर गाड़ियों के टायरों के मूल्य में वृद्धि

*291. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह† :**

श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 7 मार्च, 1985 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार टायर निर्माताओं ने हाल ही में मोटर गाड़ियों के टायरों के मूल्य में 5.5 से 9.6 प्रतिशत तक की वृद्धि की है;

(ख) क्या टायरों के मूल्य पर कोई नियंत्रण है;

(ग) क्या सरकार इस मूल्य वृद्धि को उचित मानती है; और

(घ) यदि नहीं तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) टायरों के मूल्य अलग-अलग एकक में भिन्न-भिन्न होते हैं, जो प्रत्येक एकक द्वारा बनाए जाने वाले टायरों की किस्म और बाजार में उनकी लोकप्रियता पर निर्भर करते हैं । यद्यपि उद्योग द्वारा फरवरी तथा मार्च, 1985 में टायरों के मूल्य बढ़ा दिए गए हैं, किन्तु यह बताना सम्भव नहीं है कि उद्योग ने जिसमें 14 एकक सम्मिलित हैं, प्रत्येक एकक अनेक प्रकार के टायर बना रहा है। यह बताना सम्भव नहीं है कि उसने मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि की है । किन्तु आटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (ए० टी० एम० ए०) के अनुसार टायर उद्योग द्वारा फरवरी/मार्च, 1985 में मूल्यों में की गई समग्र वृद्धि 4 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

(ख) से (घ) : इस समय टायरों के मूल्यों पर कोई भी कानूनी नियन्त्रण नहीं है । कच्चे माल के मूल्यों और परिवर्तन लागतों पर नियन्त्रण न होने के कारण तथा बाजार में विद्यमान प्रतियोगात्मक स्थिति में प्रशासनिक हस्तक्षेप की अपेक्षा बाजार के मांग और पूर्ति बल द्वारा उचित मूल्यों का निर्धारण बेहतर ढंग से होता है । फिर भी, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से टायरों के लागत सम्बन्धी ढांचे की समीक्षा करने के लिए कहा गया है और उनके निष्कर्षों से उत्पादकों द्वारा निविष्ट लागत बढ़ जाने के आधार पर की गई मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए आधार मिलेगा । साथ ही, सरकार कच्चे माल और निविष्टियों के मूल्य तथा अप्रत्यक्ष करों के दायित्व को स्थिर करने के लिए अपेक्षित उपायों की निरन्तर समीक्षा करती है ताकि टायर उद्योग टायर के मूल्यों को बनाए रखने में समर्थ बन सकें ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : महोदय, प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है कि सरकार के लिए यह बताना सम्भव नहीं है कि उद्योग ने, जिसमें 14 एकक सम्मिलित हैं और उनमें से प्रत्येक एकक विभिन्न प्रकार के टायर बना रहा है, मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि की है । वे 'आटो-मोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन' द्वारा दी जाने वाली जानकारी पर निर्भर करते हैं। महोदय, हमने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि मोटर गाड़ियों के टायरों के मूल्यों में 5.5' से 9.6 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है । टायर एसोसिएशन द्वारा समाचार पत्रों को यह सूचना दी गई थी ! सरकार द्वारा जिस ढंग से इसका उत्तर दिया गया है उससे मुझे वास्तव में हैरानी हुई है, दूसरे उन्होंने कहा कि कीमतों में नियन्त्रण नहीं किया गया है । टायर उपयोगकर्त्ता तो बाजार में मांग और सप्लाई के कारण निर्धारित कीमतों पर ही निर्भर करते हैं । उनका उत्तर निश्चय ही हताश करने वाला है । प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के बारे में यह कहा गया है कि उन्होंने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) से टायरों के लागत सम्बन्धी ढांचे की समीक्षा करने के लिए कहा है और उनके निष्कर्षों के आधार पर ही मूल्य वृद्धि के बारे में अनुमान लगाया जा सकेगा । क्या मैं यह जान सकता हूं कि उन्हें टायरों के लागत सम्बन्धी ढांचे की समीक्षा के लिए कब कहा गया था और उनके निष्कर्षों के कब तक मिलने की आशा है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक टायर उत्पादन का सम्बन्ध है पर्याप्त क्षमता की व्यवस्था की गई है। पर्याप्त टायरों का निर्माण किया जा रहा है । माननीय सदस्य को यह तथ्य मालूम है कि टायरों की कीमत और वितरण पर नियन्त्रण नहीं है क्योंकि प्रतिवर्ष इसका उत्पादन बढ़ रहा है । 1981 में यह 83.21 लाख था, 1984 में 106.5 लाख है । हमें औद्योगिक लागत तथा मूल्य

ब्यूरो ने बताया है कि टायर बाजार खरीददारों का बाजार है, टायर निर्माता बहुत से हैं। यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार है। मूल्य नियन्त्रण और वितरण पर नियन्त्रण का कोई लाभ नहीं होगा। इस किस्म के नियन्त्रण से निर्माताओं को फिर से मदद मिलेगी। यदि कीमतों को कम कर दिया जाता है तो वे कृत्रिम कमी पैदा कर देंगे और वे इसे काला बाजार में बेचने की कोशिश करेंगे तथा इस प्रकार पैसा बनाएंगे। यदि औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सलाह पर निर्धारित कीमत अधिक है तो वे बहुत पैसा कमाएंगे। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सलाह पर हमने सोचा कि हमें इसे बाजार की शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। यदि मांग अधिक है और निर्माता अनुचित लाभ लेते हैं तो हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के अध्ययन के बाद हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। स्थिति से निपटने के लिए सरकार इस बात के लिए तैयार होगी कि वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं की पूर्ति के लिए टायरों का आयात किया जाए। मैं निजी रूप से महसूस करता हूं कि टायरों के आयात द्वारा हम मूल्य नियन्त्रण या वितरण नियन्त्रण की स्थिति से बच सकते हैं क्योंकि इससे तो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह निर्माताओं को लाभ होगा।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो में टायरों के लागत सम्बन्धी ढांचे की जानकारी देता है, उन्हें लागत सम्बन्धी ढांचे की पुनरीक्षा के लिए कहा गया है। प्रश्न यह है कि क्या निर्माताओं द्वारा आदान के मूल्यों में हुई वृद्धि को आधार बना कर टायरों के मूल्यों में वृद्धि उचित है अथवा अनुचित ! मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए आपने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को कब कहा था। आप उनसे उनकी रिपोर्ट की कब तक आशा करते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : पहले भी निर्माताओं द्वारा निर्धारित मूल्यों का मामला औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को सौंपा गया था और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तथा हाल ही में 1984 में यह प्रश्न औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को फिर से सौंपा गया था। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी है और हम औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को केवल लागत अध्ययन करने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि वे पता लगाएं कि क्या निर्माता अनुचित लाभ उठा रहे हैं या नहीं, और कितना कमाया जा रहा है आदि। यदि वे लाभ कमा रहे हैं तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम यह देखेंगे कि वे अनुचित लाभ न कमा सकें। यदि आवश्यक हुआ तो हम टायरों का आयात करेंगे और वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं को उपलब्ध कराएंगे। जहां तक औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के अध्ययन का सम्बन्ध है मेरी यह जानकारी है कि उन्होंने अभी तक सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा है कि इस बारे में सरकार कुछ उपाय करने की सोच रही है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कौन से उपाय हैं जो उनके ध्यान में हैं तथा मूल्यों को नियन्त्रित करने और उनमें स्थिरता लाने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने तो इस बारे में यही कहा है कि हाल में मूल्यों के बढ़ने के बाद हमारे अधिकारियों ने निर्माताओं को बुलाया और इस बात पर उनके साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई कि क्या मूल्यों को बढ़ाना उचित है। उन्होंने मूल्यों को क्यों बढ़ाया, इस बारे में उनके अपने विचार थे। उन्होंने यह भी बताया कि कच्चे माल की कीमत कहां तक बढ़ी है और वे किस स्तर तक ऊपर आ

सकते हैं आदि। तब हमने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को अध्ययन के लिए कहा। जब हम औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे तब हमें पता चल सकेगा कि क्या मूल्यों को बढ़ाना उचित था और यदि इनका औचित्य नहीं है तो आवश्यक होने पर हम टायरों का आयात करके भी मांग को पूरा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने बताया कि टायर का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। जब किसी वस्तु का उत्पादन अधिक होता है तो मूल्यों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। यह जो मूल्य में वृद्धि हुई है, इस पर सरकार नियन्त्रण करेगी या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अभी कहा कि हम लोग कंट्रोल के खिलाफ हैं। हम लोग कंट्रोल करेंगे तो इसका फायदा मैन्युफैक्चरर को होगा। जो उपयोग करने वाले हैं, उनको इसका फायदा नहीं होगा। ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रयत्न करेंगे तो उसका किस तरह से मुकाबला करना चाहिए, यह मैंने सदन को समझा दिया है।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय मन्त्री कहते हैं कि जब मांग से अधिक सप्लाई बढ़ जाती है तो कीमतों पर नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं है। कीमत केवल तभी बढ़ेगी जबकि उत्पादकों में कीमत बढ़ाने के बारे में गठ-बन्धन हो जाएगा। यदि बात ऐसी है तथा केवल उसी स्थिति में हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या इसके बारे में कोई सबूत है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यदि वे गठ-बन्धन कर लेते हैं तथा कीमतों के बारे में समझौता करके वे कीमतें बढ़ा देते हैं तो हम यह करते हैं कि वे यहां आएं तथा यह स्पष्ट करें कि उन्होंने कीमतें क्यों बढ़ाई हैं तथा इस वृद्धि के लिए क्या औचित्य है। जैसा मैंने अभी कहा है कि हाल ही में हमारे मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने उन सभी को आमन्त्रित किया था तथा उनके साथ विस्तार से बात-चीत की थी। वह यह जानना चाहते थे कि इस वृद्धि का क्या कारण था। उन्होंने विस्तार से यह बताया था कि आदानों की कीमतों में कितनी वृद्धि हो गई थी, किस सीमा तक यह वृद्धि हुई थी, अर्थात् कार्बन में, नायलोन में, रबर इत्यादि में वृद्धि हो गई थी। अब यदि उन सबका गठ-बन्धन हो जाता है तथा वे षड़यन्त्र करके कीमतों में वृद्धि कर देते हैं तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए ? इसीलिए, जैसा मैंने कहा है कि, जब भी वे कीमतों में वृद्धि करते हैं, हम बी० आई० सी० पी० से पूछते हैं कि वह यह पता करें कि क्या यह वृद्धि न्याय-संगत है तथा यदि वे यह कहते हैं कि यह न्याय-संगत नहीं है, तब स्थिति का सामना करने के लिए हम उस वस्तु का आयात करके उसे उपभोक्ताओं को सप्लाई कर देते हैं।

श्री ललितेश्वर शाही : माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि टायर बनाने वाले एककों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा किस सीमा तक इसका उपयोग करके उत्पादन किया जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह वृद्धि 83 लाख से 106 लाख हो गई है, जैसा मन्त्री जी ने बताया ही है, परन्तु इन आंकड़ों तथा अधिष्ठापित क्षमता के बीच क्या सम्बन्ध है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका उपयोग हो रहा है या नहीं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उत्पादकों का गठ-बन्धन हो जाता है और वे इसका उत्पादन एक सीमा तक करके कृत्रिम कमी उत्पन्न कर देते हैं। जिस समय तक बी० आई० सी० पी० स्थिति का विश्लेषण कर पाता है, छः महीने बीत चुके होते हैं। परन्तु उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से बी० आई० सी० पी० के जांच शुरू करने से लेकर प्रतिवेदन देने तक काफी समय लग जाता है।

इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि एककों की अधिष्ठापित क्षमता क्या है तथा टायर उत्पादन में उसका किस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे खेद है कि मेरे पास अधिष्ठापित क्षमता के बारे में आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मेरे पास उत्पादन के तथा इसमें हो रही वृद्धि के बारे में आंकड़े हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक टायर उद्योग का सम्बन्ध है इसमें काफी गुंजाइश है तथा यदि और कम्पनियां इस क्षेत्र में आना चाहें तो हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। हमारे पास कुछ आवेदन पहले ही आ चुके हैं। हम उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक एकक लगें तथा अधिक से अधिक टायरों का उत्पादन हो। आज, उत्पादक केवल देश की ही मांग की पूर्ति नहीं कर रहे बल्कि वे निर्यात करने की स्थिति में भी हैं तथा वे विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं।

अभी-अभी मुझे अधिष्ठापित क्षमता के बारे में सूचना मिली है। यह 152 लाख टायर है तथा वास्तविक उत्पादन 105 लाख टायर है। यह अधिष्ठापित क्षमता का 80 प्रतिशत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन आंकड़ों का कोई खास महत्व नहीं है, इनका विश्लेषण करना पड़ेगा कि ये सामान्य आटोमोबाइल टायर हैं या ट्रक टायर हैं या साईकिल टायर हैं आदि। इनके बारे में अलग-अलग बताना चाहिए।

इन टायर उत्पादकों का एक संगठन है, टायर उत्पादक संगठन ऐसा नहीं है कि सभी टायर उत्पादक अलग-अलग ढंग से उत्पादन कर रहे हैं तथा एक दूसरे में अत्यन्त कड़ी प्रतिस्पर्धा है, वे इतने अच्छे लोग नहीं हैं। मंत्री जी द्वारा विस्तार से बताये गये उत्तर से ऐसा लगता है कि वे जब चाहें अपनी कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं, उन्हें खुली छूट है। तदुपरान्त बी० आई० सी० पी० उनके हिसाब-किताब तथा आंकड़ों की जांच करता है। कीमतों में पहले से ही वृद्धि हो चुकी होती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह जांच-पड़ताल इससे पहले नहीं हो जाती ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि बी० आई० सी० पी० यह कहती है कि उनका कीमतों में वृद्धि करना न्यायसंगत नहीं है तो सरकार को तदुपरान्त कठोर तरीका अपनाना पड़ता है जैसे बाहर से टायरों का आयात करना। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि बी० आई० सी० पी० से यह अनुमति पहले ही प्राप्त की जाये। निर्माता बी० आई० सी० पी० के पास आकर बतायें कि "निम्नलिखित कारणों की वजह से कीमतों में यह वृद्धि की गई है जो हमारे विचार से आवश्यक है।" बी० आई० सी० पी० उसका अनुमोदन करे तथा बिना उस अनुमोदन के वे अपने आप कीमतों में वृद्धि नहीं कर सकते। स्थिति क्या है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जो तरीका माननीय सदस्य सुझा रहे हैं वह केवल तभी अपनाया जा सकता है यदि कीमतों तथा वितरण पर नियन्त्रण हो। जहां तक टायरों का सम्बन्ध है, मैंने यह स्पष्ट किया था कि न तो कीमतों पर तथा न ही वितरण पर कोई नियन्त्रण है। हम इस मामले को बी० आई० सी० पी० को केवल यह पता लगाने के लिए भेज रहे हैं कि क्या वे अनुचित मुनाफा कमा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह बात न्यायसंगत है कि जब हम उनको बाद में यह कह सकते हैं तो पहले क्यों नहीं कह सकते ? यह तार्किक है तथा मेरे विचार से आप इस पर गौर कर सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यदि हम यह चाहते हैं कि बी० आई० सी० पी० उनके कीमत वृद्धि करने से पहले जांच करे तो इसका मतलब है कि कीमतों में वृद्धि करने से पहले उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। यह तब ही सफल हो सकता है जब कीमतों तथा वितरण पर नियन्त्रण हो। यदि कीमतों तथा वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है तो हम उन्हें कैसे कह सकते हैं ?

इसके साथ मैं एक बात और जोड़ देता हूं कि यदि ये उत्पादक अनुचित व्यवहार करते हैं तो हम इन निर्माताओं के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए यह पता लगाने के लिए कि क्या ये अनुचित व्यवहार कर रहे हैं हम बी० आई० सी० पी० को इसका अध्ययन करने तथा हमें सूचित करने के लिए कह रहे हैं।

हाल ही में हुए चुनावों के सम्बन्ध में चुनाव आयोग को प्राप्त हुई शिकायतें

[हिन्दी]

*293. **श्री सी० गंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल† :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुनाव आयोग को प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) क्या आचार संहिता के उल्लंघन को कानूनन दण्डनीय बनाने का विचार है ?

[अनुवाद]

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) और (ख) : संसद और विधान-मण्डलों के सभी निर्वाचनों को कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचनों के दौरान प्राप्त शिकायतों के बारे में कार्रवाई भी निर्वाचन विधि और प्रक्रिया के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि शिकायतों और उसके सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी संकलित की जा रही है। आयोग से जानकारी प्राप्त होने पर, वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) निर्वाचन आयोग ने पहले भी यह सिफारिश की थी कि संहिता के उल्लंघन को निर्वाचन अपराध बना दिया जाना चाहिए। आयोग की यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है। इसी बीच, आयोग ने सूचित किया है कि वह हाल ही में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन और विधान सभाओं के निर्वाचनों के दौरान प्राप्त अनुभव का, यह अवधारण करने की दृष्टि से, जायजा लिया जा रहा है कि क्या निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों से सम्बन्धित पहले भेजे गए प्रस्ताव समूह के पुनरीक्षण या उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। आयोग शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण से सरकार को अवगत कराएगा। आदर्श आचार संहिता का पालन करने के प्रयोजन के लिए उसमें कोई कानूनी उपबन्ध बनाए जाने के प्रश्न पर, आयोग का दृष्टिकोण प्राप्त होने, उसकी जांच करने तथा इस प्रस्ताव पर सभी सम्बद्ध लोगों से परामर्श करने और इस पर कोई अन्तिम विनिश्चय किए जाने के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है।

डा० ए० के० पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने भाग (क) तथा (ख) का उत्तर दे दिया है। मैं अपने राज्य गुजरात का उदाहरण देता हूं, विशेषकर मेहसाना जिले का, जहां पर प्रचार के लिए मेरे उम्मीदवार गांवों में नहीं घुस सके तथा वे कुछ पोलिंग स्टेशनों में कोई भी प्रतिनिधि नियुक्त नहीं कर पाये। कुछ उम्मीदवारों ने पहले से ही कुछ स्थानों पर संरक्षण दिए जाने के लिए आवेदन दे दिए थे। परन्तु कुछ भी नहीं किया गया। मेरे पास आवेदन की एक प्रतिलिपि है जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यह इसलिए है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि इस चुनाव में राज्य के चुनाव आयोग कार्यालय द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

श्री ए० के० सेन : मैं अभी (ग) प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं परन्तु उससे पहले ही माननीय सदस्य खड़े हो गए। माननीय सदस्य खड़े हो गए थे इसीलिए मैं बैठ गया। मेरा विश्वास है कि दोनों सदस्यों को खड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं बैठ गया था। क्या अब मैं अपने उत्तर को पूरा कर सकता हूं तथा तत्पश्चात् पूरक प्रश्नों का भी उत्तर दे दूं।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप जब तक पूरा न कर लें बैठिए नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसके बारे में एक नियम होना चाहिए कि क्या वह उत्तर पूरा करने से पहले बैठ सकते हैं।

श्री ए० के० सेन : इसके बारे में एक नियम होना चाहिए कि क्या मन्त्री के उत्तर पूरा करने से पहले कोई खड़ा हो सकता है? यदि कोई खड़ा हो जाता है तो मैं बैठना उचित समझता हूं। शिष्टाचार के नाते मैं कई बार झुक भी जाता हूं। महोदय अब मुझे (ग) भाग का उत्तर देने दीजिए। चुनाव आयोग ने पहले सिफारिश की थी कि संहिता के उल्लंघन को चुनाव सम्बन्धी अपराध माना जाए। आयोग की यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है। इसी दौरान, हाल ही में आयोग ने सूचित किया है कि हाल ही के लोकसभा के लिए आम चुनाव तथा राज्य विधान सभा के लिए चुनावों में उन्हें जो अनुभव हुए हैं वे उसका जायजा ले रहे हैं ताकि यह निर्णय ले सकें कि चुनावों में सुधार लाने के लिए जो पहले बहुत से सुझाव दिए गए हैं क्या उनमें पुनरीक्षण या किसी संशोधन की आवश्यकता है तथा वे शीघ्र ही अपनी राय सरकार को भेजेंगे। आदर्श आचार संहिता का पालन करने के प्रयोजनार्थ कोई सांविधिक उपबन्ध बनाने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब आयोग की राय प्राप्त हो जाये और उसकी जांच के बाद सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ सलाह करके इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

क्या अब मैं अनुपूरक प्रश्नों का जवाब दे सकता हूं? किसी विशेष स्थान के बारे में जो माननीय सदस्य ने बताया था कि कुछ अशान्ति तथा गड़बड़ी की घटनायें हुई थीं, आयोग द्वारा सूचना तथा साथ ही सिफारिशें भेजी जाने पर, हम निश्चित रूप से उन्हें सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी हम कोई सूचना नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है।

डा० ए० के० पटेल : मेरे चुनाव क्षेत्र से 25 फरवरी को एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था जिसे स्वयं उम्मीदवार ने चुनाव अधिकारी को दिया था लेकिन चुनाव के समय उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मतगणना के दौरान मतपेटियों से अधपन्ना सहित मतपत्रों के ढेरों पुलिंदे मिले थे। यह सब विजयपुर चुनाव क्षेत्र के मेहसाना जिले में हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

डा० ए० के० सेन : यदि माननीय मंत्री किसी विशेष स्थान के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछें तो तो मैं जरूर उत्तर दूंगा। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि यदि चुनाव कराने वाले प्रभारी

अधिकारी से कोई चूक हुई है और उसकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई है तो मेरे विचार से इस सम्बन्ध में हमारे से पूछताछ करने से पहले चुनाव आयोग से पूछताछ की जानी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : कानून का बहुत ज्ञान रखने वाले माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहूंगा कि विश्व के किसी भी भाग में क्या उन्हें ऐसा उदाहरण देखने को मिला है जहां एक ही चुनाव क्षेत्र में चुनाव अधिकारी ने दो उम्मीदवारों को इस आशय के प्रमाण-पत्र जारी किए हों कि वे चुनाव में विजयी घोषित किए गए हैं। क्या वे इस तथ्य से वाकिफ हैं कि इस तरह की असाधारण घटना उनके दल के शासन के दौरान बिहार के इस्लामपुर निर्वाचन क्षेत्र में घटी है। वहां निर्वाचन अधिकारी ने एक उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया था कि वे चुनाव में विजयी घोषित किए जा चुके हैं। वह व्यक्ति वहां से गायब हो गया, जी हां, वह केवल घटनास्थल से ही गायब हुआ था। उसके बाद दूसरे उम्मीदवार को बुलाया गया। स्पष्ट है कि वह कांग्रेस का ही उम्मीदवार है और उसे भी चुनाव में विजयी घोषित होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र दिया गया। महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि उस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए इन दो सदस्यों की कानूनी दृष्टि से क्या स्थिति है? क्या बिहार विधान सभा में वे दोनों सह सदस्य हैं या इसका कोई हल निकाला जा रहा है। मैं कानूनी राय जानना चाहूंगा।

श्री ए० के० सेन : मेरे विचार से किसी और प्रश्न के दौरान पहले भी मुझसे यह प्रश्न पूछा गया था और जिन माननीय सदस्य ने मुझसे यह प्रश्न पूछा था उनसे मैंने अनुरोध किया था कि वे उस विशिष्ट मुद्दे पर विशिष्ट प्रश्न पूछें क्योंकि यह अपने तरह का अलग ही मामला है।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा प्रश्न विशिष्ट है।

श्री ए० के० सेन : यही तो मैं कह रहा हूं। जब यह प्रश्न पूछा गया है तो मैं सूचना एकत्र करूंगा। हैरानी की बात है कि एक साथ दो उम्मीदवारों को विजयी घोषित किया गया। मैं इस पर सूचना चाहूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : श्री सेन आपके शासन में बड़ी अद्भुत घटनायें घट रही हैं। कृपया उन पर ध्यान दें।

श्री ए० के० सेन : धरती और आकाश पर बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते।

अध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के लिए मैं बता सकता हूं कि एक महिला मतदाता ने अपने मत-पत्र को फाड़कर उसके 5 टुकड़े कर दिए और हर चुनाव पेटी में एक-एक टुकड़ा डाल दिया। वह किसी भी उम्मीदवार को नाराज नहीं करना चाहती थी।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे एक और अनुभव हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जब एक महिला मतदाता से 'हाथ' पर मोहर लगाने के लिए कहा गया तो अन्दर जाकर उसने खाली मत-पत्र चुनाव पेटी में डाल दिया और बाहर आकर उसने कांग्रेस के एजेन्टों को बताया कि "मैंने अपने हाथ पर मोहर लगा ली है। इसलिए मैंने कांग्रेस को वोट दिया है।" ऐसा भी होता है।

श्री ए० के० सेन : मैं मानता हूं कि प्रो० दंडवते को ऐसा अनुभव हुआ होगा।

एक माननीय सदस्य : भारतीय दंड संहिता में निर्वाचन अपराधों के सम्बन्ध में एक अलग है

अध्याय है। लेकिन दुर्भाग्य से दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों से संबंधित किसी भी शिकायत या आरोप-पत्र को दायर करने से पूर्व राज्य सरकार की मंजूरी लेनी जरूरी है। मंत्री महोदय क्या दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन पर विचार करेंगे ताकि आम आदमी निर्वाचन अपराधों के सम्बन्ध में अपराधी के खिलाफ शिकायतें सीधे ही दायर कर सके।

श्री ए० के० सेन : दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ अपराधों का उल्लेख है लेकिन निर्वाचन कानून के अन्तर्गत कुछ निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों का उल्लेख है। अगर इन अपराधों का व्यतिक्रम किया जाता है तो माननीय सदस्य या किसी भी व्यक्ति को मामला न्यायालय में ले जाने की छूट है (**व्यवधान**)। कृपया बैठ जाइए क्योंकि मैं खड़ा हूं। आपके सहयोगी का कहना है कि मुझे बैठना नहीं चाहिए।

निर्वाचन कानून के अन्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धी कुछ अपराधों का उल्लेख है। इनका व्यतिक्रम किए जाने पर अपराधी को वे न केवल न्यायालय में ले जा सकते हैं बल्कि उसे अनर्हित भी घोषित कर सकते हैं। अगर निर्वाचन कानून में और अपराधों को शामिल करना है तो यह चुनाव आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा और उसके बाद हमारी सहमति पर क्योंकि ऐसे मामलों में सभी दल मिलकर निर्णय लेते हैं। हमारी यह स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री दास मुंशी। वह उपस्थित नहीं हैं। अब श्री विजयराघवन। प्रश्न 295.

निर्वाचनों के लिए वित्त पोषण

*295. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने संसद और राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों में सरकार द्वारा वित्त पोषण करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयोग के प्रस्ताव के अलावा भी इस प्रस्ताव पर कोई विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) और (ख) जी नहीं। निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। इससे पूर्व भी, आयोग ने राजकोष से अभ्यर्थियों को सहायकी और राजनैतिक दलों को आर्थिक सहायता देने सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में केवल सिफारिश की थी।

(ग) से (ङ) जी हां। अन्य कठिनाइयों के अलावा सरकार के लिए संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के कुल ऐसे वित्तीय व्यय को वहन करना कठिन होगा।

श्री वी० एस० विजय राघवन : मंत्री महोदय ने बताया है कि चुनाव आयोग ने आर्थिक सहायता के बारे में सुझाव दिया था। मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है।

श्री ए० के० सेन : प्रश्न के भाग (ग), (घ) और (ङ) के उत्तर में निर्णय का उल्लेख है। ऐसा करना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कोई पूरक प्रश्न, श्री विजय राघवन? आप चाहें तो एक और पूछ सकते हैं।

श्री वी० एस० विजय राघवन : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में नए डाकघर खोलना

[अनुवाद]

*283. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक एवं तार बोर्ड ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में वर्ष-वार नए डाकघर खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए थे;

(ख) क्या लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी दर्ज की गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजनावधि समाप्त होने से पूर्व ब्रांच डाकघर खोलने के ऐसे कोई मामले अभी भी लंबित पड़े हैं; और

(घ) उन्हें किस तारीख तक खोलने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) केवल वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त नहीं किए जा सके और ऐसा नए पदों के सृजन पर मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों के कारण लगी रोक के कारण हुआ।

(ग) और (घ) छठी योजना अवधि 31-3-1985 को समाप्त होगी और मितव्ययिता सम्बन्धी आदेश भी 31-3-1985 तक ही लागू हैं। इस प्रकार, योजना समाप्त होने से पहले डाकघर खोलने के जो मामले लम्बित पड़े हैं, उन मामलों में डाकघर खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर बंगाल के जिलों में टेलीफोन सेवा में गिरावट

*285. **श्री आनन्द पाठक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर बंगाल के सभी जिलों में टेलीफोन सेवाएं दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। टेलीफोन सेवाएं सामान्यतः संतोषजनक हैं।

(ख) और (ग) ओवरहैड तारों, भूमिगत केबिलों की चोरी हो जाने या उनमें दोष उत्पन्न हो जाने या क्षति पहुंचाने तथा लम्बे समय तक बिजली की सप्लाई फेल हो जाने के कारण इन सेवाओं पर कभी-कभी दुष्प्रभाव पड़ जाता है।

उत्तरी बंगाल में टेलीफोन सेवाओं में आगे और सुधार लाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तरी बंगाल में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम

उत्तरी बंगाल में टेलीफोन सेवाओं में आगे और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(एक) तारों और केबिलों की चोरी को कम करने के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों का सहयोग लिया जाता है।

(दो) स्थानीय विद्युत प्राधिकारियों से नियमित रूप से संपर्क कायम किया जाता है ताकि क्षेत्र में लम्बे समय तक बिजली फेल हो जाने की स्थिति को रोका जा सके।

(तीन) जहां कहीं भी व्यवहार्य होता है, वहां इंजिन आल्टरनेटर और उच्च क्षमता की बैटरियां प्रदान की जा रही हैं।

(चार) कूच बिहार टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता में 100 लाइनों (600 से 700 लाइनें) का विस्तार करने का कार्य चल रहा है, जिसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है।

(पांच) सिलीगुड़ी टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता में 1000 लाइनों (4000 से 5000 लाइनों) का विस्तार कार्य चल रहा है जिसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है।

(छः) कूच बिहार-अलीपुर द्वार को जोड़ने वाली माइक्रोवेव प्रणाली संस्थापित की जा रही है।

इन उपायों के अलावा, सिलीगुड़ी में नियुक्त क्षेत्रीय निदेशक दूरसंचार द्वारा उत्तरी बंगाल क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण को निरन्तर मानीटर किया जा रहा है।

खतरनाक रसायन उद्योगों के लिए लाइसेंस देने की नीति की पुनरीक्षा

*286. श्री बी० बी० देसाई : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खतरनाक रसायन उद्योगों के सम्बन्ध में लाइसेंस देने की नीति में व्यापक परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या विशेषज्ञ समिति, जिसमें चोटी के वैज्ञानिक शामिल हैं, ने सुझाव दिया है कि इन रसायनों का उत्पादन करने की बजाय इनका आयात करने के आधारभूत प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या मुख्य सुझाव दिए हैं और इस सम्बन्ध में क्या परिवर्तन किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार ने पहले ही 20 उद्योगों की शिनाख्त कर ली है जो अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न करती है तथा इन उद्योगों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरणात्मक पहलू से स्थान के अनुमोदन तथा प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण के लिए उपयुक्त उपस्करों की स्थापना के लिए विशेष शर्तें निर्धारित की हैं। सरकार खतरनाक रसायनों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के पुनरीक्षण की आवश्यकता से भी अवगत है और इस सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

(ख) इस सम्बन्ध में ऐसी कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के औषध निर्माण एककों का कार्यकरण

*288. श्री वाई० एस० महाजन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के औषध निर्माण एककों को वर्ष प्रतिवर्ष हानि होने के सही कारणों और इस बात की जानकारी है कि हानि होने का कारण क्षमता का कम उपयोग, फार्मुलेशन सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त विपणन प्रयास तथा विभिन्न सरकारी और स्वायत्तशासी निकायों से बकाया धनराशियों का वसूल न होना है;

(ख) सरकार द्वारा इन औषध निर्माण एककों को "न लाभ न हानि स्तर" पर लाने के लिए क्या विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के औषध निर्माण एककों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने तथा अनुसंधान तथा विकास और विपणन के संगठित प्रयास करने के लिए इन सभी एककों की एक नियंत्रक कम्पनी बनाने के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्रीय औषध कम्पनियों की कुछ समान समस्याएं हैं जैसे कि संस्थागत

बिक्री पर भारी निर्भरता और अत्यधिक बकाया, किन्तु बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (बी० सी० पी० एल०) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० (एस० एस० पी० एल०) और बंगाल इम्यूनिटी लि० (बी० आई० एल०) की संरचनात्मक समस्याएं इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (आई० डी० पी० एल०) और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० (एच० ए० एल०) की समस्याओं से भिन्न किस्म की है।

आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० की स्थापना अनिवार्य और जीवन रक्षक बल्क औषधों के उत्पादन के लिए ऐसे समय में की गई थी जब प्रौद्योगिकी तत्काल उपलब्ध नहीं थी और इन औषधों के लिए उत्पादन सुविधाओं की स्थापना करने हेतु निजी उद्यमी आगे नहीं आ रहे थे। अब उनकी मुख्य समस्याएं हैं : उत्पाद-मिश्रण जिसमें मुख्यतः कम मार्क-अप वाले श्रेणी I और श्रेणी II के औषध और फार्मूलेशन्स शामिल हैं, प्रौद्योगिकी अनभिज्ञता और मूल अवस्था से उत्पादन की अधिक लागत। प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और उत्पादन सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

बी० सी० पी० एल०, एस० एस० पी० एल० और बी० आई० एल० निजी क्षेत्र में रुग्ण एकक थे जिनका राष्ट्रीयकरण अनिवार्यतः सामाजिक आधार पर किया गया था। एस० एस० पी० एल० द्वारा 1984-85 में उत्पादन का अपेक्षित स्तर प्राप्त किये जाने की आशा है। बी० सी० पी० एल० और बी० आई० एल० को दीर्घावधि तक प्रोत्साहन देने और नवीकरण की आवश्यकता है।

चूंकि सार्वजनिक क्षेत्रीय औषध कम्पनियां एक समान नहीं हैं, अतः एक नियन्त्रक कम्पनी की स्थापना करना उनकी समस्याओं का समाधान नहीं समझा गया है। तथापि, इन कम्पनियों के संचालन में एकीकृत समन्वय प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्रीय औषध उद्यमों की जुलाई, 1984 में गठित स्थायी समिति इन कम्पनियों के विपणन तंत्र का समन्वय करने का प्रयास कर रही है। आर० एण्ड डी० मामलों में भी इन कम्पनियों के बीच निरन्तर पारस्परिक कार्यकलाप होते हैं।

मध्य प्रदेश में हल्के वाणिज्यिक वाहन परियोजना

*292. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में हल्के वाणिज्यिक वाहन परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त परियोजना को सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में;

(ग) उक्त परियोजना की स्थापना के लिए किस स्थान का चयन किया गया है; और

(घ) परियोजना की स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) मे० आइशर मोटर्स लि० और बजाज टेम्पो लिमिटेड को क्रमशः 12,000 और 10,000 हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों का निर्माण करने के लिए मध्य प्रदेश के धार जिले में दो नये एककों को

स्थापना करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। एककों द्वारा 1986 में उत्पादन प्रारम्भ कर देने की आशा है।

प्रशिक्षित और प्रमाण-पत्र प्राप्त एन० सी० सी० कैडेटों के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती कोटा

*294. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार सीनियर डिवीजन के प्रशिक्षित और प्रमाण-पत्र प्राप्त एन० सी० सी० कैडेटों के लिए सेना में भर्ती किए जाने हेतु अनिवार्य भर्ती कोटा निश्चित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारतीय सेना एक स्वैच्छिक बल है जिसमें भरती केवल योग्यता और अभ्यर्थियों की इच्छा के आधार पर की जाती है, इसलिए भरती के मामले में किसी समुदाय विशेष के लोगों के लिए कोई अनिवार्य कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

2. भारतीय सेना अकादमी के हर पाठ्यक्रम में 32 स्थान (कुल 15 स्थानों में से) राष्ट्रीय कैडेट कोर के 'ग' प्रमाण-पत्र धारियों के लिए निर्धारित हैं। फिर भी इन उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों के समान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है और सेवा चयन बोर्डों द्वारा संचालित साक्षात्कारों से होकर गुजरना पड़ता है। संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षाओं और सेवा चयन बोर्डों द्वारा लिए गए साक्षात्कारों में प्राप्त योग्यताक्रम के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई संयुक्त योग्यता क्रम सूची में से पहले 118 उम्मीदवारों को ले लिया जाता है। शेष उम्मीदवारों में से राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'ग' प्रमाण-पत्र रखने वाले उम्मीदवारों में से योग्यताक्रम के आधार पर पहले 32 उम्मीदवार ले लिए जाते हैं। यदि राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'ग' प्रमाण-पत्र रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर के 'ग' प्रमाण-पत्र धारियों को लेने के बाद उनके लिए निर्धारित जो स्थान बच जाते हैं उन्हें मुख्य सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों से भरा जाता है।

3. सरकार की इस नीति को ध्यान में रखते हुए कि सेना के अफसर काडर में भरती होने वाले व्यक्तियों के लिए भरती केवल स्वैच्छिक आधार पर उनकी योग्यता के अनुसार खुली रखी जाए। सरकार का राष्ट्रीय कैडेट कोर के सीनियर डिवीजन के प्रशिक्षित और प्रमाण-पत्र धारी कैडेटों के लिए सेना में भरती के लिए कोई अनिवार्य कोटा निश्चित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लघु उद्योग क्षेत्र के विकास की देख-रेख के लिए सचिव-स्तर पर पद बनाना

*296. **श्री आर० अन्नानम्बी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी संसदीय समिति ने केवल मात्र लघु उद्योग क्षेत्र के विकास की देख-रेख के लिए एक सचिव का पद बनाने की अविलम्ब आवश्यकता पर पुनः बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) विकास आयुक्त, लघु उद्योग कार्यालय के प्रधान अपर सचिव रैंक के एक उच्च अधिकारी हैं। लघु क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र का ही एक अंग है, अतः एक अलग सचिव के अधीन अलग से लघु उद्योग विभाग का सृजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपभोक्ता क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश

*297. **श्री अजय बिश्वास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टूथपेस्ट, सिगरेट, रेजर-ब्लेड, साबुन आदि जैसे उपभोक्ता क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रवेश की अनुमति दे रही है;

(ख) इस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए कितनी विदेशी कम्पनियों को अनुमति दी गई है और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के सहयोग देश के हित में नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रकार अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) विदेशी सहयोग के बारे में सरकार की नीति चयनात्मक और आवश्यकता पर आधारित होती है। विदेशी सहयोग की अनुमति निर्यात परक या आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी निर्माण के लिए अथवा उपभोक्ताओं की बदलती हुई पसन्द को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए भारत में विद्यमान प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और/अथवा निर्यात बाजार में प्रतियोगी बनाने हेतु देशी उद्योग को समर्थ बनाने सूक्ष्म और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए दी जाती है। भारतीय पार्टी और विदेशी सहयोगी का नाम, निर्माण की वस्तु आदि का ब्यौरा भारतीय निवेश बोर्ड द्वारा उनके मन्थली न्यूज लैटर के परिशिष्ट के रूप में त्रैमासिक प्रकाशन में दिया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

गुजरात के गांधार क्षेत्र में तेल के कुओं की खुदाई

*298. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम मंत्री गुजरात के गांधार क्षेत्र में उच्च किस्म के हल्के तेल का मिलना के बारे में 24 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 414 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भड़ौच जिले के ब्राघरा तालुक में गांधार क्षेत्र मे खोदे गए एक कुएं में तेल मिला था;

(ख) क्या गांधार क्षेत्र में दूसरे कुएं की खुदाई का कार्य आरम्भ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र से अब तक उच्च किस्म के हल्के तेल की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ है अथवा उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तथा (ख) जी हां। दूसरा कूप 3300 मीटर की लक्ष्य गहराई तक खोद लिया गया है और अब उसके उत्पादन का परीक्षण चल रहा है।

(ग) तथा (घ) कुएं से निकाले जाने वाले तेल की मात्रा आगे किए जाने वाले अन्वेषण के परिणामों पर निर्भर होगी।

नए टेलीफोन उद्योगों की स्थापना

*299. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने टेलीफोन उद्योग काम कर रहे हैं, व कहां पर स्थित हैं और उनकी उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) टेलीफोनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने 1985-86 के दौरान किन स्थानों पर नए टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या उड़ीसा में एक टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए किस स्थान का चयन किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में निम्नलिखित कम्पनियां टेलीफोन बना रही हैं :—

(एक) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आई० टी० आई०)।

(दो) गुजरात कम्यूनिकेशन्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड।

इन उद्योगों के स्थान और इनकी अनुज्ञप्त क्षमता नीचे लिखे अनुसार है :—

कम्पनी का नाम	स्थान	वार्षिक अनुज्ञप्त क्षमता
आई० टी० आई०	(एक) बंगलौर, कर्नाटक	5.0 लाख अदद
	(दो) नैनी, उत्तर प्रदेश	5.5 लाख अदद
	(तीन) श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर,	1.0 लाख अदद
जी० सी० ई० एल०	बड़ौदा, गुजरात	5.0 लाख अदद

(ख) टेलीफोन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने राज्य-क्षेत्र में 8 और कम्पनियों को अनुज्ञप्तियां दी हैं। इन कम्पनियों की वार्षिक अनुज्ञप्त क्षमता 32 लाख अदद होगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों को भी टेलीफोन बनाने के लिए आशय पत्र जारी किए गए/किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जी हां, उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम ने भुवनेश्वर में एक टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम को प्रतिवर्ष 2 लाख अदद पुश बटन टेलीफोन बनाने की क्षमता के लिए आशय पत्र जारी किया जा चुका है।

पश्चिम जर्मनी की के० डब्ल्यू० यू० के साथ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड/सीमन्स का सहयोग

*300. **श्री अमल दत्त :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात अच्छी तरह जानते हुए भी कि के० डब्ल्यू० यू० वयूअरिंग एजेंट के रूप में दो विभिन्न प्रकार की डाई इसोयनेट्स प्रणाली इस्तेमाल करती है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड/सीमेंस को पश्चिम जर्मनी के० डब्ल्यू० यू० के साथ सहयोग करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) क्या के० डब्ल्यू० यू० अपने उत्पादन के लिए इमीडाजोने जैसे खतरनाक रसायनों का भी प्रयोग करता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं होगा; और

(घ) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अपने अनुसन्धान और विकास केन्द्र भोपाल दुर्घटना के नाम पर बन्द किये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तथा (ख) बी० एच० ई० एल० को पश्चिमी जर्मनी के मे० क्राफ्ट वर्क यूनियन (के० डब्ल्यू० यू०) के साथ 1976 में टर्बो जनरेटरों के निर्माण तथा 1981 में स्टीम सर्फेस कन्डेन्सरों के निर्माण हेतु सहयोग करने की अनुमति दी गई थी। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि के० डब्ल्यू० यू० अपने निर्माण कार्यक्रमों में खतरनाक रसायनों का प्रयोग करता है। किन्तु टर्बो जनरेटरों और स्टीम सर्फेस कन्डेन्सरों, जिनके लिए बी० एच० ई० एल० ने के० डब्ल्यू० यू० के साथ सहयोग किया है, के निर्माण की प्रौद्योगिकियों में डाई आइसोसाइनेट या इमीडाजोने का प्रयोग नहीं किया जाता है।

(ग) (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। किन्तु एक विकास परियोजना, जिसमें आइसोसाइनेट्स का प्रयोग शामिल है, की बी० एच० ई० एल० की सुरक्षा समिति द्वारा जांच की जा रही है।

तस्करी से लाई गई जीवन रक्षक दवाओं की बिक्री

*301. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तस्करी से लाई गई जीवन रक्षक दवाओं की बिक्री हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मेरा मन्त्रालय इस बात से अवगत नहीं है कि कोई जीवन रक्षक औषध तस्करी से लाकर देश में बेची जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के मुख्यालयों में "अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम" की व्यवस्था करना

[हिन्दी]

*302. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के मुख्यालयों में कब तक 'अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम' की व्यवस्था कर दी जाएगी;

(ख) क्या पिथौरागढ़ नगर में 1983-84 तक इसकी व्यवस्था किये जाने का कोई प्रस्ताव था; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा किए गए अथवा किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सातवीं योजना के अन्त तक ।

(ख) जी हां ।

(ग) तकनीकी कारणों से पिथौरागढ़ में दो बार स्थान बदलना पड़ा । यहां अब एक नए उपयुक्त स्थान का अन्तिम रूप से चयन कर लिया गया है । भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और राज्य सरकार के साथ इस मामले में तेजी से कार्रवाई की जा रही है ।

विदेशी सहयोग के लिए करार

[अनुवाद]

1707. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार, टैम्पो, मोटर साइकिल, स्कूटर और मोपेड के कुछ भारतीय निर्माताओं ने वर्ष 1983-84 से विदेशी कम्पनियों से तकनीकी सहयोग के लिए करार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे करारों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में सम्बद्ध भारतीय और विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं, किस तरह से करार किए गए हैं तथा उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य क्या रखा गया है;

(ग) विदेशी सहयोग के लिए हाल में इतने बड़े पैमाने पर अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) देश में आधुनिक तथा ईंधनक्षम वाहनों का निर्माण करने के विचार से प्रौद्योगिकी के आयात को मंजूरी दी गई है ।

विवरण

क्रमांक	निर्माताओं का नाम	क्षमता	विदेशी सहयोगी का नाम	सहयोग का स्वरूप
1	2	3	4	5
	यात्री कारें			
1.	प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड	28600	निस्सान मोटर कम्पनी, जापान	तकनीकी
2.	हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	50000	इसुजू मोटर कम्पनी, जापान	तकनीकी
3.	स्टैन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०	2640	आस्टिन रोवर ग्रुप, यू० के०	तकनीकी
	वाणिज्यिक गाड़ियां :			
1.	हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	30000	इसूजू मोटर कम्पनी, जापान	तकनीकी
2.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड	13000	आटोमोबाइल्स पीगाट, फ्रांस	तकनीकी
3.	बजाज टेम्पो लिमिटेड	30000	डैम्लर बेंज, प० जर्मनी	तकनीकी
4.	डी० सी० एम० टोयोटा लिमिटेड	15000	टोयोटा मोटर कम्पनी, जापान	तकनीकी तथा वित्तीय
5.	आइशर मोटर लिमिटेड	12000	मित्सुबिशी मोटर कम्पनी, जापान	तकनीकी तथा वित्तीय
6.	स्वराज माजदा लिमिटेड	10000	माजदा मोटर कम्पनी, जापान	तकनीकी तथा वित्तीय
	ट्रैक्टर :			
1.	बलराज अग्रवाल	100000	ट्रांसपोर्ट मशीन इम्पोर्ट तथा एक्सपोर्ट, जी० डी० आर०	तकनीकी

1	2	3	4	5
2.	एस्काट्र्स लिमिटेड	230000	यमाहा मोटर कम्पनी, जापान	तकनीकी
3.	आइडियल जावा (आई) लिमिटेड	92000	प्राहा, चेकोस्लोवाकिया	तकनीकी
4.	किनेटिक होन्डा मोटर्स लिमिटेड	150000	होन्डा मोटर कम्पनी, जापान	तकनीकी
5.	हीरो होन्डा मोटर्स लि०	200000	होन्डा मोटर कम्पनी, जापान	तकनीकी
6.	श्री चामुन्डी मोपेड्स	100000	साइकिल्स पीगाट, फ्रांस	तकनीकी
7.	बजाज आटो लिमिटेड	460000	कावासाकी हेवी इन्डस्ट्रीज, जापान	तकनीकी

आल इंडिया लॉ आफिसर्स एसोसिएशन के समक्ष विधि राज्य मन्त्री का भाषण

1708. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री ने 23 फरवरी, 1985 को आल इण्डिया लॉ आफिसर्स एसोसिएशन को सम्बोधित करते हुए, परिहार्य मुकदमेबाजी समाप्त करने के लिए विधि अधिकारियों को उचित प्रास्थिति प्रदान करके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विधि विभागों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के एककों में विधि विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिए एसोसिएशन ने कौन से विशिष्ट सुधार करने का सुझाव दिया; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी नहीं। जो कुछ कहा गया था वह यह था कि पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के विधि विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन नहीं हैं और ऐसे उपक्रमों के लिए विधि सेवा ब्यूरो, जो विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन कार्य कर सकेगा, की स्थापना करने के प्रश्न पर, सम्बन्धित अन्य मंत्रालयों के परामर्श से, विचार किया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अल्कोहल का उत्पादन

1709. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 और 1984-85 के दौरान अल्कोहल का, राज्यवार, कितना उत्पादन हुआ;

(ख) चीनी के कारखानों में राज्यवार कितना उत्पादन हुआ;

(ग) 1985-86 के लिए उत्पादन लक्ष्य क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्कोहल की वर्षवार और राज्यवार खपत कितनी थी; तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अल्कोहल वर्ष 1983-84 (दिसम्बर, 1983-नवम्बर, 1984) के दौरान का उत्पादन तथा अल्कोहल वर्ष 1984-85 (दिसम्बर, 1984-नवम्बर, 1985) के अनुमोदित उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ख) चीनी कारखानों के साथ संलग्न आसवनियों में अल्कोहल के उत्पादन के अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अभी तक ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) पिछले तीन अल्कोहल वर्षों के दौरान अल्कोहल की कुल खपत के ब्यौरे संलग्न विवरण-दो दिए गए हैं।

विवरण-एक

(मात्रा लाख लिटर में)

क्रमांक	राज्य का नाम	वास्तविक उत्पादन 1983-84	अनुमानित उत्पादन 1984-85
1.	आंध्र प्रदेश	521.22	305.50
2.	आसाम	8.56	9.10
3.	गुजरात	209.46	240.00
4.	हिमाचल प्रदेश	2.67	3.00
5.	हरियाणा	111.96	186.75
6.	कर्नाटक	368.36	561.00
7.	केरल	58.64	11.57
8.	मध्य प्रदेश	131.72	150.00
9.	महाराष्ट्र	1465.22	1540.00
10.	नागालैण्ड	6.69	9.00
11.	उड़ीसा	27.76	321.73
12.	पंजाब	139.92	181.50
13.	राजस्थान	71.85	97.40
14.	तमिलनाडु	571.62	520.00
15.	उत्तर प्रदेश	1795.92	1761.00
16.	वेस्ट बंगाल	28.00	70.00
17.	पांडिचेरी	19.34	20.00
18.	बिहार	220.98	220.00
	योग	5759.09	5907.45

विवरण-दो

क्रमांक	राज्य का नाम	खपत 1981-82 (दिसम्बर, 1981-नवम्बर, 82)	खपत 1982-83 (दिसम्बर, 1982-नवम्बर, 83)	खपत 1983-84 (दिसम्बर, 1983-नवम्बर, 84)
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	1020.00	1165.90	1235.59
2.	बिहार	156.74	137.71	160.45
3.	हरियाणा	82.15	85.50	96.21
4.	पंजाब	159.83	170.50	137.88
5.	आसाम	18.24	20.00	18.87
6.	उड़ीसा	20.45	21.57	24.27
7.	मेघालय	1.50	0.24	0.48
8.	वेस्ट बंगाल	529.82	385.66	446.37
9.	मध्य प्रदेश	97.49	129.02	137.61
10.	राजस्थान	94.02	102.46	123.13
11.	महाराष्ट्र	1129.85	1224.44	1363.82
12.	गुजरात	222.13	190.70	271.06
13.	आंध्र प्रदेश	573.20	577.78	550.04
14.	तमिलनाडु	421.82	577.78	646.98
15.	कर्नाटक	376.73	375.09	386.33
16.	केरल	80.71	116.37	122.99
17.	हिमाचल प्रदेश	21.23	15.30	15.53
18.	जम्मू और काश्मीर	13.82	14.16	12.99
19.	नागालैण्ड	1.23	3.45	2.51
20.	मणिपुर	1.50	0.43	0.72
21.	त्रिपुरा	1.34	1.26	0.94
22.	सिक्किम	27.20	18.00	12.73
23.	दिल्ली	36.22	47.96	50.29

1	2	3	4	5
24.	पांडिचेरी	18.18	22.28	19.64
25.	गोवा, दमन और दयू	13.00	30.00	13.74
26.	चण्डीगढ़	5.00	5.00	5.00
27.	दादरा नागर हवेली	2.50	5.00	1.86
	योग	5125.90	5443.96	5858.03

पश्चिम बंगाल में डाक सेवाओं का बुरा कार्यकरण

1710. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में डाक सेवाओं के बुरे कार्यकरण के बारे में जनता की शिकायतों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या विलम्ब से डाक प्राप्त होने, वस्तुओं के गुम हो जाने और डाकघरों के देर से खुलने आदि आरोपों की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) एवं (ग) जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी तुरन्त जांच करके उपचारी कार्रवाई की जाती है। वितरण स्टाफ तथा डाक की प्राप्ति/निपटान/वितरण कार्य पर गुप्त रूप से विशेष निगरानी रखी जाती है तथा महंगी पत्रिकाओं के वितरण पर विशेष तरीका अपनाया जाता है। डाकघरों के समय पर खुलने/बन्द होने को सुनिश्चितता के लिए आकस्मिक जांच की जाती है। दोषी कर्मचारियों को उपयुक्त दण्ड दिया जाता है।

जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन

1711. **श्री सी० डी० गामित** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जीवन रक्षक औषध उद्योग के उत्पादन और नए निवेश में कमी हुई है;

(ख) क्या गत वर्षों के दौरान इन औषधियों के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में धीरे-धीरे वृद्धि हो गई है; और

(ग) जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन के लिए जारी किए गए लाइसेंसों का उद्योगपतियों द्वारा शीघ्रता से उपभोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) गत कुछ वर्षों के दौरान औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(ख) पिछले वर्षों में कुछ कच्चे मालों की लागतों में वृद्धि हुई है।

(ग) औषधों और भेषजों के निर्माण के लिए जारी किये गए औद्योगिक लाइसेंसों और आशय पत्रों की मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से देख-रेख की जा रही है। उद्योगों की स्थापना करने हेतु उद्यमी केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकते हैं।

औषधियों के आयात मूल्य

1712. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधियों के आयात मूल्यों से सम्बन्धित अनेक गम्भीर असंगतियों, विशेष रूप से विदेशी कम्पनियों द्वारा अर्जित किए गए भारी मुनाफे सम्बन्धी आरोपों की जांच करने के लिए गठित की गयी समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही, सरकार की जानकारी में आयी है;

(ख) उन औषधियों के नाम क्या हैं, विदेशी कम्पनियों द्वारा भुगतान किए गए मूल्य क्या हैं, ऐसे मूल्यों का ब्यौरा क्या है तथा उन कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सभी कम्पनियों सम्बन्धी उक्त ब्यौरों को कब तक प्रकाशित किया जाएगा ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) औषधों के आयात मूल्यों में समय-समय पर अन्तर होता है। जो आयात की गई मात्रा, विनिमय दर, आयातों के स्रोत आदि पर निर्भर करता है। इसलिए वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले आयातों के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किये जाते। आयात मूल्यों में किसी प्रकार की गम्भीर विसंगतियां सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण

1713. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) उपरोक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) देश की दूरसंचार प्रणाली में आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने के विभिन्न प्रस्तावों में स्थानीय और टी० ए० एक्स० कार्य प्रणाली के लिए अंकीय एस० पी० सी० इलेक्ट्रानिक स्विचन उपस्कर के अतिरिक्त एस० पी० सी० टेलेक्स एक्सचेंजों को भी शामिल किया गया है। अन्य प्रस्तावों

में पिछड़े, पहाड़ी और दूर-दराज के इलाकों के अतिरिक्त बड़े शहरों के बीच मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली, उपग्रह संचार का अत्यन्त व्यापक स्तर पर उपयोग करना, तार सेवाओं को आधुनिक बनाना और नई पैकेट स्विच्ड डाटा नेटवर्क प्रणाली शुरू करना शामिल हैं।

(ग) दूरसंचार प्रणाली को आधुनिक बनाने के कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने पर आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(घ) इस मामले पर अभी योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

उड़ीसा में नया डाक मण्डल बनाना

1714. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** . क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में बनाए गए डाक मण्डलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उड़ीसा के लिए कितने डाक मण्डल बनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का कुछ राज्यों में डाक मण्डलों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में डाक मण्डलों की संख्या में वृद्धि करने के प्रस्ताव को प्राथमिकता दिए जाने की आशा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गत दो वर्षों के दौरान देश में कोई डाक डिवीजन नहीं बनाया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कुछ निर्धारित विभागीय मानदण्डों के पूरा होने पर ही मौजूदा डिवीजनों का द्विभाजन करके नए डाक डिवीजनों का सृजन किया जाता है।

(घ) एवं (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

गाजीपुर (उ० प्र०) में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[हिन्दी]

1715. **श्री जैनुल बशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर (उ० प्र०) में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का काम कब तक प्रारम्भ हो जाएगा;

(ख) क्या इस कार्य के लिए मशीनों आदि का प्रबन्ध कर लिया गया है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1986 के प्रारम्भ में उपस्कर मिलने के बाद गाजीपुर में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने का कार्य शुरू किए जाने की संभावना है।

(ख) उपस्कर को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) उक्त कार्य 1986-87 में पूरा किए जाने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर में ट्रैक्टर का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

1716. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गापुर में एक ट्रैक्टर फैक्टरी लगाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव पर क्या विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस मन्त्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र के जिला मुख्यालयों में सीधी डायल टेलीफोन सुविधा

1717. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कितने जिलों में अब तक सीधी डायल टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है; और

(ख) सभी जिला मुख्यालयों में कब तक सीधी डायल टेलीफोन सेवा प्रदान कर दी जायेगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) महाराष्ट्र राज्य में सोलह जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गई जिसमें शोलापुर भी शामिल है जहां केवल आवक एस० टी० डी० सुविधा ही उपलब्ध है।

(ख) शेष जिला मुख्यालयों में सातवीं योजना अवधि के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि स्विचन और संचारण उपस्कर उपलब्ध हों।

निर्वाचनों में मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने, हिंसा, आदि की घटनाओं के ब्यौरे

1718. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** :

श्रीमती पटेल रमाबेहन रामजी भाई मावणि :

क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में हुए लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने, हिंसा और हत्याओं के राज्य-वार, पृथक-पृथक कितने मामले हुए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : निर्वाचन आयोग द्वारा भेजा गया एक विवरण संलग्न है जिसमें मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने, हिंसा और हत्याओं से सम्बन्धित मामलों की जानकारी है जिनके कारण नए सिरे से मतदान कराने पड़े हैं या मतदान स्थगित करने पड़े हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लोक सभा			विधान सभाएं			टिप्पणियां
		मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने और नए सिरे से मतदान के मामले	हिंसा के कारण मतदान का स्थगन	हत्याएं	मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के कारण नए सिरे से मतदान के मामले	हिंसा के कारण मतदान का स्थगन	हत्याएं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	29	1	—	65	13	1*	*अभ्यर्थी के मारे जाने की रिपोर्ट मिली है।
2.	बिहार	159	—	—	294**	3	3*	**90% मतदान के 122 मामले सम्मिलित किए और इस प्रकार मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की आशंका हुई। *अभ्यर्थियों के मारे जाने की रिपोर्ट मिली है।
3.	गुजरात	—	—	2	—	—	—	
4.	हरियाणा	3	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	जम्मू-कश्मीर	30	1	—	—	—	—	
6.	महाराष्ट्र	—	—	2	—	—	2	
7.	मणिपुर	2	3	5	37	—	—	
8.	राजस्थान	—	—	—	—	—	1†	†अभ्यर्थी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की रिपोर्ट मिली है।
9.	उत्तर प्रदेश	37	2	—	46	1	—	
10.	पश्चिमी बंगाल	2	—	—	—	—	—	
11.	अरुणाचल प्रदेश	—	1	—	—	—	—	
योग :		262	8	9	442	17	7	

ध्यान दें :—उड़ीसा में मतपेटी के दुर्घटनावश गुम जाने के कारण नए सिरे से मतदान का एक मामला और प्रतिरूपण के मामले के कारण नए सिरे से मतदान का एक मामला इस विवरण में सम्मिलित है।

कावेरी नदी के मुहाने में कोविल्लकालाप्पल में तेल और प्राकृतिक गैस

1719. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी नदी के मुहाने में कोविल्लकालाप्पल में तेल और प्राकृतिक गैस का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो वहां किस किस्म का तेल प्राप्त हुआ है; और

(ग) तेल मिलने की अन्य संभावनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) उच्च कोटि, लाइट ऑयल ।

(ग) आगे अन्वेषणात्मक वेधन पूल के आकार को निर्धारित करने और व्यापारिक व्यावहार्यता प्राप्त की जा रही है। अभी तक भू-वैज्ञानिक और भू-भौतिकीय प्रबन्ध-सर्वेक्षण पर आधारित है। आगामी वेधन के लिए कावेरी-बेसिन के भू-भाग पर 12 परिदृश्यों को सत्यापित किया जा चुका है।

कम्पनियों द्वारा अपने नामों में "भारत" अथवा "इण्डिया" शब्द के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

1720. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कम्पनियों द्वारा, जिनकी प्रदत्त पूंजी एक करोड़ रुपये से कम है, अपने निगम के नामों में "भारत" अथवा "इण्डिया" शब्द का प्रयोग करने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है जैसा कि दिनांक 5 मार्च, 1985 के 'बिजनेस स्टेण्डर्ड', कलकत्ता में प्रकाशित समाचार में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वह कौन-सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) नहीं, श्रीमान जी। सरकार ने कम्पनियों पर अपने नियमों के नामों में 'भारत' अथवा 'इण्डिया' का प्रयोग करने पर, यदि उनकी प्रदत्त पूंजी 1 करोड़ रुपये से कम है, कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 20 में प्रावधान है कि कम्पनी को उस नाम से पंजीकृत नहीं किया जायेगा, जो केन्द्रीय सरकार की राय में अवांछनीय है। कम्पनी को अवांछनीय समझा जाता है और कम्पनी को उस नाम से पंजीकृत कराने की अनुमति नहीं है यदि, इसके साथ-साथ कि इसकी गतिविधियों के अवसरों के सम्बन्ध मे भ्रामक धारणायें अभिप्रेरित या सम्भावित हों जो उसके निपटारे के स्रोतों से अलग होंगी। 'भारत' और 'इण्डिया' जैसे शब्दों की अनुमति तभी दी जा सकती है जबकि प्रस्तावित कम्पनी के व्यापार के अवसर और स्तर उसकी प्राधिकृत पूंजी के संदर्भ (प्रदत्त पूंजी नहीं) और उसका संचालन क्षेत्र इस शब्द के प्रयोग की औचित्यता सिद्ध करें। जहां तक समाचार प्रकरण में उल्लिखित मामले का सम्बन्ध है, कम्पनी

रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र द्वारा यह सूचना दी गई है जिसको उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत सरकार द्वारा शक्ति प्रदत्त की गई है कि कथित समाचार प्रकरण वस्तुतः गलत है और प्रासंगिक कम्पनी के नाम का अनुमोदन करते समय प्रदत्त पूंजी और/अथवा अभिदृत पूंजी का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान में नए डाकघर खोलना

1721. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कितने डाकघर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान राज्य में नये डाकघर खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां पर इनके खोले जाने की सम्भावना है; और

(घ) ग्रामीण, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में नये डाकघर खोले जाने के लिए संशोधित मानदण्ड क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजस्थान में इस समय 9620 डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) डाकघर खोलने के लिए वार्षिक लक्ष्य अभी निर्धारित किए जाने हैं।

(घ) ग्रामीण, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के मौजूदा मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए नए मानदण्ड

देहाती इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर; और

2. आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर।

(1) **सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर** :

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम-से-कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम-पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव की आबादी 2000 या उससे अधिक होनी चाहिए।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम-से-कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(2) आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर :

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम-से-कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) गांव (अथवा 1.5 किलोमीटर के घेरे में गांवों के समूह) की जनसंख्या 1000 या अधिक हो;

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे के अन्दर कोई अन्य डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम-से-कम 10 प्रतिशत आय होने की संभावना हो।

(3) इनके अलावा, पोस्ट मास्टर जनरल प्रत्येक वर्ष डाकघर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में उपरोक्त मानदण्डों में से किसी भी एक मानदण्ड (आंतरिक वित्त सलाहकार से विचार-विमर्श करके) में छूट दे सकते हैं।

महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का आबंटन

1722. **श्री आर० एम० भोये** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितनी गैस एजेंसियां (भारत और एच० पी० सी०) हैं;

(ख) क्या 25 प्रतिशत गैस एजेंसियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं;

(ग) महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आबंटित गैस एजेंसियों का प्रतिशत क्या है; और

(घ) यदि कोई नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) दिनांक 1 मार्च, 1985 की यथा स्थिति को भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की देश में पाक गैस एजेंसियों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०
आन्ध्र प्रदेश	27	136
बिहार	—	7
हरियाणा	8	10
हिमाचल प्रदेश	—	1
गुजरात	36	64
जम्मू और कश्मीर	—	21
कर्नाटक	29	61
केरल	15	8
मध्य प्रदेश	17	53
महाराष्ट्र	150	215
उड़ीसा	—	26
पंजाब	16	11
राजस्थान	11	23
उत्तर प्रदेश	26	14
पश्चिम बंगाल	—	45
तमिलनाडु	34	19
संघ राज्य क्षेत्र		
दिल्ली	21	21
चण्डीगढ़	1	4
गोआ, दमन और दीयू	5	13
दादर और नागर हवेली	—	1
पांडिचेरी	1	—
	397	753

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) के गांवों में डाकघर खोलना

[हिन्दी]

1723. **श्री निर्मल खत्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैजाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) के ऐसे गांवों की संख्या कितनी है, जहां 1984 के अन्त तक डाकघर नहीं थे;

(ख) क्या सरकार का इन गांवों में डाकघर खोलने का विचार है; और

(ग) इस बारे में प्राथमिकताओं और मानदण्डों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 2091.

(ख) और (ग). विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों की शर्तें पूरी करने वाले ग्रामों में प्रत्येक वर्ष चरणबद्ध रूप से डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि निधि आदि उपलब्ध हो।

वर्तमान मानदण्ड संलग्न विवरण में दे दिए गए हैं।

विवरण

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए नए मानदण्ड

देहाती इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर; और

2. आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर।

(1) **सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर :**

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम-से-कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम-पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव की आबादी 2000 या उससे अधिक होनी चाहिए।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम-से-कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(2) आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर :

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम-से-कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) गांव (अथवा 1.5 किलोमीटर के घेरे में गांवों के समूह) की जनसंख्या 1000 या अधिक हो।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे के अन्दर कोई अन्य डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम-से-कम 10 प्रतिशत आय होने की संभावना हो।

(3) इनके अलावा, पोस्ट मास्टर जनरल प्रत्येक वर्ष डाकघर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में उपरोक्त मानदण्डों में से किसी भी एक मानदण्ड (आंतरिक वित्त सलाहकार से विचार-विमर्श करके) में छूट दे सकते हैं।

मध्य प्रदेश में डीजल और मिट्टी के तेल के लिए दुकानें खोलना

[अनुवाद]

1724. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा डीजल और मिट्टी के तेल की कितनी दुकानें खोलने का विचार था और कितनी खोली गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) कितनी दुकानें अब तक शुरू नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा पिछले तीन सालों के दौरान मध्य प्रदेश के विदिशा और रेसिन जिलों में डीजल/पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों और एस० के० ओ०-एल० डी० ओ० एजेंसियों को प्रस्तावित व खोले गए केन्द्रों की संख्या नीचे दी जा रही है :

प्रस्तावित

विदिशा		रेसिन	
आर० ओ०	एस०के०ओ०-एल०डी०ओ०	आर०ओ०	एस०के०ओ०-एल०डी०ओ०
2	2	3	1

चालू किए/खोले गए

विदिशा		रेसिन	
आर०ओ०	एस०के०ओ०-एल०डी०ओ०	आर०ओ०	एस०के०ओ-एल०डी०ओ०
—	2	1	1

(ख) विदिशा जिले में 2 खुदरा बिक्री केन्द्रों, 2 एस० के० ओ० डीलरशिपों और रायसेन जिले में 3 खुदरा बिक्री केन्द्रों और एक एस० के० ओ० डीलरशिप के लिए डीलरों के चयन का कार्य सम्बन्धित तेल चयन बोर्ड के माध्यम से चल रहा है।

दिल्ली में नए कनेक्शनों के लिए लम्बित पड़े आवेदन-पत्र

1725. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :**
श्री योगेश्वर प्रसाद :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए एक्सचेंज-वार और श्रेणीवार आवेदनों की प्रतीक्षा-सूची क्या है;

(ख) किस तारीख तक के आवेदनों पर टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए है; और

(ग) वर्तमान प्रतीक्षा सूचियों के सभी लोगों को कितने समय में टेलीफोन कनेक्शन मिल जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). दिल्ली में एक्सचेंज-वार एवं श्रेणीवार प्रतीक्षा-सूची तथा नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की अन्तिम तारीख संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मौजूदा प्रतीक्षा-सूची को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर निपटाए जाने की सम्भावना है बशर्ते कि साज सामान एवं साधन उपलब्ध रहें।

विवरण

दिल्ली में 1-3-1985 को प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या तथा सूची निपटान की तारीख

एक्सचेंज का नाम	लेवल सेंट्रल क्षेत्र	निम्नलिखित तारीख तक दिए गए कनेक्शन ओ० वाई० टी० जनरल	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या ओ.वाई.टी. स्पेशल	निम्नलिखित तारीख तक दिए गए कनेक्शन ओ० वाई० टी० स्पेशल	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	निम्नलिखित तारीख तक दिए गए कनेक्शन जनरल	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या स्पेशल	निम्नलिखित तारीख तक दिए गए कनेक्शन स्पेशल	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	निम्नलिखित तारीख तक दिए गए कनेक्शन एस० एस०	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	प्रतीक्षा सूची में दर्ज/ व्यक्ति कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सेन्ट्रल क्षेत्र												
जनपथ	31, 32, 34, 35	10.6.81	294	24.4.82	288	16.9.80	1451	29.2.84	40	29.2.84	8	2081
सचिवालय	37	20.2.81	102	24.10.80	307	12.7.79	237	29.2.84	3	29.2.84	16	665
राजपथ	38	14.7.78	234	16.5.80	688	14.10.77	927	29.11.79	78	31.12.80	50	1977
कनाटप्लेस	4	8.10.82	93	14.10.82	18	21 10.82	327	31.7.84	3	31.7.84	—	511
जोरबाग	61,62,67	29.3 84	180	3.4 84	142	24.7.80	4773	29.2 84	163	6.6 84	81	5339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरी क्षेत्र												
तीसहजारी	23,25,291	28.2.85	—	28.2.85	—	22.11.83	3808	28.2.85	—	28.2.85	—	3808
शक्तिनगर	71, 74	31.1.84	326	31.1.84	94	12.3.80	17379	31.1.84	410	31.1.84	49	18258
बादली	746	19.2.82	26	31.8.84	1	2.6.79	436	7.5.80	80	31.8.84	—	543
अलीपुर	745	30.6.84	—	30.6.84	—	4.5.84	29	30.6.84	—	30.6.84	—	29
नरेला	747	29.5.84	4	29.5.84	6	5.6.81	226	1.5.84	5	1.5.84	—	241
पूर्वी क्षेत्र												
शाहदरा पूर्वी-I	20	1.5.79	162	31.5.80	133	26.10.76	4685	12.5.77	496	31.5.80	57	5533
शाहदरा और लक्ष्मीनगर	21, 24	14.7.78	443	29.2.80	229	19.1.65	8579	8.7.70	959	31.5.80	182	10332
शाहदरा पूर्वी-II	86	30.11.83	96	20.11.83	6	14 4.80	339	30.6.83	29	30.11.83	2	472
दिल्ली गेट	26, 27	21.2.81	439	25.6.81	360	28.12.79	7032	13.7.82	192	31.10.83	12	8035
ईदगाह	51,52,77	23.2 85	16	23.2.85	—	26.7.82	5777	23.2.85	11	23.2.85	—	5804
दक्षिणी क्षेत्र												
ओखला	63	6.8.80	693	23.4.82	200	23.4.79	5073	20.8.81	500	30.8.82	83	6549
होजखास	65, 66	13.5.82	714	13.10.82	452	7.5.79	8170	5.4.83	389	31.1.84	143	9868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चाणक्यपुरी	60, 67	22.2.85	2	26 2.85	3	23.5.85	2595	10.4.84	117	31.1.85	16	2733
नेहरू प्लेस	64, 68	25 9.80	1277	24.7.82	456	15.1.80	5203	30.9.82	235	30.9.82	152	7323
पश्चिमी क्षेत्र												
करोलबाग	56,57,58	1.3.85	—	1.3.85	—	26.11.82	7503	14.2.85	10	14.2 85	—	7513
राजोरी गार्डन	53, 50, 53, 59	30.3.81	1255	23.11.81	416	19.8.75	9529	29.8.81	1202	30.9.82	155	22557
कैंट	39	31.1.84	5	31.1.84	61	21.9.83	278	31.1.84	19	31.1 84	12	375
जनकपुरी	55	5.11.80	148	5.1.81	118	6 4.78	3173	5.1.81	186	31.12.82	33	3658
नजफगढ़	806	27.2.82	5	23.10.81	2	8.9.78	221	27.11.78	20	31.1.84	—	248
नांगलोई	37	25.7.83	15	8.7.83	11	12.1.79	500	16.10.80	83	30.11.83	4	694

टिप्पणी :—टेलीफोन दिए जाने के संबंध में ऊपर जो तारीखें दी गई हैं, वह उस रजिस्ट्रेशन तारीख की द्योतक है जहां तक टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं। कनेक्शन प्रदान करने एवं वास्तविक रूप से टेलीफोन संस्थापित किए जाने के बीच कुछ अंतराल हो सकता है।

1.3.1985 को टेलेक्स एक्सचेंजों की प्रतीक्षा सूची

एक्सचेंज	जिस तारीख तक सामान्य श्रेणी में टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं	प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या	जिस तारीख तक प्राथमिकता श्रेणी में कनेक्शन दिये गये	प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या	योग
नई दिल्ली	15.12 84	108	15.12.84	10	118
गाजियाबाद	30.4.84	3	31.7.84	1	4
फरीदाबाद	31.1.85	1	31.1.85	—	1
कुल योग		112		11	123

पी० बी० एक्स/पी० ए० बी० एक्स की प्रतीक्षा सूची एक्सटेंशनों की संख्या सहित पी० बी० एक्स की क्षमता						एक्सटेंसनों की संख्या सहित पी० ए० बी० एक्स की क्षमता					
1+3	2+6	3+9	5+20	10+50	20+100	1+1+5	3+3+9	4+4+25	8+8+50	50"एल"ई"	10+10+100
+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	26

दिल्ली में खाना पकाने की गैस के वाणिज्यिक कनेक्शन

1726. जाईनल अबेदिन : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूर्यकिरण बिल्डिंग, नई दिल्ली स्थित भारतीय तेल निगम संघ शासी क्षेत्र दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कोई वाणिज्यिक कनेक्शन जारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में खाना पकाने की गैस के वाणिज्यिक कनेक्शनों के विभिन्न डीलरों के पास पंजीकृत किए गए आवेदकों की संख्या कितनी थी और इस अवधि के दौरान खाना पकाने की गैस के कितने वाणिज्यिक कनेक्शन दिए गए ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सरकारी स्कूलों में छोड़कर व्यापारिक एल० पी० जी० कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। अप्रैल, 1985 से इन रिलीजों को पुनः आरम्भ किया जा रहा है।

(ख) प्रचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण नए व्यापारिक कनेक्शनों का दिया जाना अस्थाई तौर पर रोक दिया गया है।

(ग) तेल कम्पनियों के वितरकों द्वारा व्यापारिक एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए कोई नाम पंजीकृत नहीं किए जाते हैं। 15 मार्च, 1982 तथा 15 मार्च, 1985 के बीच जारी किए गए व्यापारिक कनेक्शनों की सख्या 395 है।

न्यायिक प्रशासन के सम्बन्ध में न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

1727. श्री के० राममूर्ति : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति द्वारा न्यायाधीशों के स्तर में तथा मानवीय मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए न्यायाधीशों के लिए प्रस्तावित नैतिक संहिता पर अधिक बल देने के लिए वर्ष 1977 में तैयार किए गए तथा उच्च न्यायालयों को परिचालित टिप्पणी पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में 19 से 21 फरवरी, 1985 तक दिल्ली में हुए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई, जिससे देश में न्यायिक प्रशासन के कार्यकरण की समीक्षा की गई ताकि इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उपाय ढूंढे जा सकें; और

(ग) बकाया मामलों तथा न्यायपालिका की, जिसके अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायपालिका है, सेवा की शर्तों के बारे में दो समितियों की रिपोर्टों पर 1983 में हुए मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में क्या कार्रवाई की ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) नैतिक और आचार संहिता तैयार करने के प्रश्न पर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करते हुए विचार किया है और यह विनिश्चय किया गया कि आचार के कठोर नियम अधिकथित करना न्यायाधीशों के उच्च पद और प्रास्थिति के लिए अहितकर होगा।

(ख) सरकार को 1985 में हुए न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यवाही अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की समस्या की परीक्षा करने और उपचारी उपायों की सिफारिश करने के लिए मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की गई है। सरकार ने सत्कार (समचुअरी) भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु के बढ़ाए जाने तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निःशुल्क पानी और बिजली उपलब्ध किए जाने के बारे में मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन के विभिन्न संकल्पों की परीक्षा की है और उन्हें अस्वीकार कर दिया है। स्थानान्तरित न्यायाधीशों के निवास-स्थान के लिए अग्रिम व्यवस्था से सम्बन्धित संकल्प, राज्य सरकारों और सम्बद्ध संघ राज्य क्षेत्रों को, कार्रवाई की जाने के लिए, भेज दिया गया है। सरकार ने न्यायाधीशों को संदेय सवारी भत्ते से सम्बन्धित संकल्प की परीक्षा की है और वह उसे बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमास तक करने के लिए सपमत हो गई है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 का संशोधन करने के लिए एक विधेयक शीघ्र ही संसद में पुरःस्थापित किया जाएँगा।

जहां तक कि न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार करने और अधीनस्थ न्यायपालिका संबंधी अन्य संकल्पों का सम्बन्ध है, उनकी परीक्षा विभिन्न प्रक्रमों पर की जा रही है।

विदेशी कंपनियों द्वारा संचालित फैक्ट्रियां

[हिन्दी]

1728. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी कंपनियों द्वारा चलाई जा रही फैक्ट्रियों का ब्यौरा क्या है और उनमें कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ख) ये विदेशी कंपनियां किन-किन देशों में सम्बद्ध हैं;

(ग) क्या ये सभी कम्पनियां लाइसेंस की शर्तों के अनुसार कार्य कर रही हैं;

(घ) क्या ये कम्पनियां अपने लाभ का अधिकांश भाग अवैध उपायों से विदेशों में भेजती हैं;

(ङ) क्या सरकार इन कम्पनियों की लेखा-परीक्षा नियमित रूप से करती है; और

(च) क्या किसी कम्पनी की ऐसी लेखा परीक्षा में अनियमितताएं पाई गई हैं; यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) यूनाइटेड किंगडम में विनिगमित और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 592 के अन्तर्गत पंजीकृत, भारत में व्यापारिक स्थान रखने वाली तीन कम्पनियों की फैक्ट्रियां भारत में हैं। इन तीनों कम्पनियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली को उनके द्वारा प्रस्तुत नवीनतम तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखाओं के अनुसार संलग्न विवरण पत्र में दर्शायी जाती है।

(घ) भारत में कम्पनियों द्वारा रुपयों का प्रेषण, बैंकिंग माध्यमों और अपेक्षित मुद्रानियंत्रण की अनुमति सहित किया जाता है। इन अपेक्षाओं में से किसी भी प्रकार के उल्लंघनों के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही व्यवहार्य है।

(ङ) नहीं, श्रीमान् जी। सरकार द्वारा इन कम्पनियों की लेखा-परीक्षा कराने के लिए कम्पनी अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है।

(च) उत्पन्न ही नहीं होता।

विवरण

1. कम्पनी का नाम	टीटागुर जूट फैक्ट्री पी० एल० सी०	दि समनगुर जूट फैक्ट्री कम्पनी लिमिटेड	दि विक्टोरिया जूट कम्पनी लिमिटेड
2. वह देश, जिससे विदेशी कम्पनियां सम्बन्धित हैं	यूनाइटेड किंगडम	यूनाइटेड किंगडम	यूनाइटेड किंगडम
3. वह वर्ष जिसके लिए परीक्षित लेखकों को प्रस्तुत किया गया	30-6-1982 को समाप्त वर्ष	30-6-1982 को समाप्त वर्ष	30-6-1982 को समाप्त वर्ष
4. विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय शाखाओं में निवेश			
(क) शेयर पूंजी	312 30 लाख रुपए	123.75 लाख रुपए	90.75 लाख रुपए
(ख) आरक्षित और अधिशेष	96.61 लाख रुपए	71.47 लाख रुपए	70.92 लाख रुपए
(ग) लाभ तथा हानि लेखा मामे लिखित शेष	(—) 15.28 लाख रुपए	(—) 115.08 लाख रुपए	(—) 246.23 लाख रुपए
5. विनिर्मित मद	जूट सामग्री	जूट सामग्री	जूट सामग्री और ढलाई
6. लाइसेंस क्षमता	औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम की धारा 10 द्वारा आवृत्त लाइसेंस किसी भी क्षमता का उल्लेख नहीं करता है।	औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम की धारा 10 द्वारा आवृत्त लाइसेंस किसी भी क्षमता का उल्लेख नहीं करता है।	औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम की धारा 10 द्वारा आवृत्त लाइसेंस किसी भी क्षमता का उल्लेख नहीं करता है।

7. स्थापित क्षमता*	28,700 टन	29,800 टन	29,650 टन जूट की सामग्री और 1140 टन ढलाई।
8. उत्पादन	21,835 टन	28,275 टन	22,430 टन जूट सामग्री और 410 टन ढलाई

*कम्पनियों के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा यथा प्रमाणीकृत।

टिप्पणी—मद 4, 5, 6, 7, और 8 दिनांक 30-6-1982 तक या 30-6-1982 को समाप्त वर्ष जैसी भी स्थिति हो, तक है और कम्पनियों के तुलना-पत्रों और लाभ तथा हानि के अन्तिम उपलब्ध परीक्षित लेखाओं पर आधारित हैं।

मोतियाबिन्द (ग्लूकोमा) के इलाज के लिए दवाओं के आयात में उदारता बरतना

[अनुवाद]

1729. **श्री अनिल बसु** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मोतियाबिन्द के इलाज में काम आने वाली पिलोकरपाइन और टिमोलोल जैसी दवाओं के आयात को निकट भविष्य में उदार बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पीकोलाइन बल्क औषध का आयात करने की अनुमति पहले से ही है। टिमोलोल का देश में विपणन करने की अनुमति अभी दी जानी है। तथापि, कोई भी व्यक्ति विशेष अथवा डाक्टर औषध (नियंत्रक) भारत से वैयक्तिक लाइसेंस प्राप्त करके वैयक्तिक प्रयोग हेतु टिमोलोल का आयात कर सकता है।

महिला-उद्यमियों को सहायता

1730. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 फरवरी, 1985 के "डेकेन हेराल्ड" में "ब्राइट स्टार्ट फार वीमेन एन्टर पीन्योर्स मीट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) महिला उद्यमियों को उनके कार्य में और उनकी कार्य योजना तैयार करने में केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देती है या दिए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) महिला उद्यमियों की सहायतार्थ इस समय अलग से कोई योजना नहीं है।

1985-86 के दौरान उड़ीसा में दूर-संचार सुविधाओं का विस्तार

1731. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा में दूर-संचार सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में कितने नए टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान दूर-संचार विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के विभिन्न स्थानों में कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज, बड़े तथा मध्यम दर्जे के स्वचालित एक्सचेंज तथा टैलेक्स एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) शून्य।

(ग) संबलपुर, बालासौर और जैपोर में बड़े तथा मध्यम श्रणी के स्वचल एक्सचेंज 1985-86 में खोले जायेंगे। 1985-86 के दौरान बारबिल, बेरहामपुर और संबलपुर में 20 लाइनों के नए टेलेक्स एक्सचेंज खोल दिए जायेंगे।

दिल्ली में बाहर खाना पकाने की गैस के प्रयोक्ताओं को रीफिल सिलैण्डरों की सप्लाई

1732. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बाहर खाना पकाने की गैस के प्रयोक्तओं की रीफिल गैस सिलैण्डर प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक इन्तजार करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस इन्तजार को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) दिल्ली के अलावा अन्य शहरों में भी एल० पी० जी० के उपभोक्ताओं को अपने रिफिलों के लिए कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(ख) देश में एल० पी० जी० को प्राप्यता तथा भरण क्षमता को बढ़ाने के लिए की जा रही कार्रवाई के अतिरिक्त, तेल आयोग किसी भी स्थान पर आपूर्ति में होने वाली अस्थायी कमी को दूर करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है।

आयल इण्डिया द्वारा राजस्थान में तेल खनन कार्य

[हिन्दी]

1733. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इण्डिया द्वारा राजस्थान में तेल और गैस का पता लगाने के लिए जिला-वार कितने स्थानों को चुना गया है;

(ख) वहां पर सर्वेक्षण के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या तेल खनन के लिए विदेशों से आधुनिक मशीनों का आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तेल खनन का काम कब से शुरू होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) ऑयल इंडिया लिमिटेड को राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में हाइड्रोकार्बनों की खोज के लिए लाइसेंस दिया गया है :

1. जैसलमेर
2. बीकानेर
3. गंगानगर
4. जोधपुर

(ख) से (घ). 7,200 किलो लाइन मीटर भूकंपीय सर्वेक्षण कार्य करने तथा आंकड़ों का संसाधन करने के लिए जापान की मैसर्स नम्पैंगने जेनरेल डि जिओफिजिक (सी० जी० जी०) के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। जनवरी, 1985 में कार्य आरम्भ किया गया। 836 लाइन किलोमीटर भूकंपीय सर्वेक्षण कार्य 197 लाइन किलोमीटर आंकड़ों के संसाधन का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।

जोधपुर तथा फील्ड क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं स्थापित की गई हैं। आंकड़ों के संसाधन के लिए एक कम्प्यूटर का आयात किया गया है और उसे चालू कर दिया गया है। अन्वेषी वेधन कार्य 1985-86 में आरम्भ किया जाएगा। एक आयातित ड्रिलिंग रिग की प्राप्ति के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई है।

वाइमन गोर्डन कोर्ज एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज लि०, कुडाल महाराष्ट्र द्वारा भेजे गए कच्चे माल हेतु अग्रिम राशि की वापस अदायगी

[अनुवाद]

1734. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों कोकण में वाइमन गोर्डन फोर्ज एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज लि०, कुडाल ने कंपनी को कच्चे माल के लिए दी गई अग्रिम राशि की वापसी अदायगी के संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग को दिनांक 11 फरवरी, 1985 को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त उद्योग में काम कर रहे मजदूरों के हित में और रक्षा उत्पादन आवश्यकताओं दोनों के लिए दो उक्त प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव का सारांश इस प्रकार है :

फर्म का प्रस्ताव है कि रक्षा मन्त्रालय द्वारा उसे दी गई कुल अग्रिम राशि उसके 30-12-1984 के बिल के 8.99 लाख रुपयों में से कुछ राशि काट कर तथा शेष राशि शेष आदेशों के पूरा होने पर प्रस्तुत उसके भावी बिलों में से यथानुपात के आधार पर हर बिल की 38% राशि काट कर समायोजित कर ली जाए।

यहां यह बताना उपयुक्त होगा कि फर्म को कुल 46 लाख रुपए की अग्रिम राशि दी गई थी जिसमें से 35 लाख रुपए अभी बाकी हैं। ये अग्रिम राशियां बैंक गारंटियों के अन्तर्गत नहीं आतीं।

(ग) और (घ). कंपनी का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर जल्दी ही निर्णय ले लिया जाएगा।

मिनी सीमेंट संयंत्रों के लिए जारी किए गए लाइसेंस

1735. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिनी सीमेंट संयंत्रों के लिए वर्ष 1980 से 1984 के दौरान कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) उन लाइसेंसों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितनी उत्पादन क्षमता निर्धारित की गई है; और

(ग) उनमें से कितने संयंत्रों ने उत्पादन शुल्क भर दिया है और वर्ष 1986 तक कितने संयंत्रों में उत्पादन शुरू होने की संभावना है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग). अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	1980 से 1984 तक की अवधि में मिनी सीमेंट संयंत्रों के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	लाइसेंसीकृत क्षमता (लाख मी० टनों में)	उन एककों की संख्या जिन्होंने उत्पादन आरंभ कर दिया है	उन एककों की संख्या जो संभवतः उत्पादन आरंभ करने वाले हैं।	
				1985 के शेष समय में	1986 में
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	10	6.60	6	1	—
गुजरात	7	4.62	2	1	2
हिमाचल प्रदेश	1	0.66	—	—	—
कर्नाटक	6	3.96	—	4	—

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	1	0.66	—	1	—
मध्य प्रदेश	2	1.32	—	2	—
राजस्थान	3	1.98	2	1	—
उत्तर प्रदेश	1	0.60	1	—	—
योग :	31	20.40	11	10	2

जम्मू और कश्मीर में बारामूला कस्बे को सीधी डायल सेवा (एस० टी० डी०) द्वारा दिल्ली से जोड़ा जाना

1736. **प्रो० संफुद्दीन सोज** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी प्रमुख शहरों/कस्बों को सीधे दूर-संचार सम्पर्क द्वारा दिल्ली से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर में बारामूला कस्बे को सीधी डायल सेवा द्वारा दिल्ली से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) बारामूला को सातवीं योजना अवधि के दौरान एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली के साथ जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योगों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना

1737. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में कितने औद्योगिक एककों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया गया है और पश्चिम बंगाल सरकार को उनका प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किया गया है;

(ख) वर्ष 1978-79 से 1983-84 के बीच की अवधि के दौरान इन एककों के कार्यपालन और वित्तीय निष्पादन संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ग) प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा इन एककों को उक्त अवधि के दौरान आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या इन एककों में अब नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या में सरकार द्वारा इनका प्रबन्ध अपने हाथ में लिए जाने से पहले नियुक्त व्यक्तियों की संख्या की तुलना में कोई कमी हुई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस समय उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 11 औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध पश्चिमबंगाल सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रकों द्वारा किया जा रहा है।

(ख) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और संभापटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल डिवेलपमेंट काउंसिल द्वारा दिए गए सुझाव

1738. **श्री एस० एम० गुरुडी :**
श्री रेनुपद दास :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल डिवेलपमेंट काउंसिल द्वारा गठित मार्गनिर्देश दल ने अपने सुझाव दे दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो नई औषध नीति के बारे में उनके सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा नई औषध नीति की कब तक घोषणा कर दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद द्वारा गठित संचालन समिति ने अपने सुझाव और सिफारिशें 18 अगस्त, 84 को राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद को प्रस्तुत कर दी थी।

(ख) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद की संचालन समिति के सुझावों के अनिवार्य पहलू निम्न प्रकार हैं :

1. सरकार द्वारा अग्रता औषधों अर्थात् उन औषधों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जिनका चिकित्सा पद्धति में व्यापक प्रयोग किया जाता है और जो टी० बी०, कुष्ठ रोग, मलेरिया आदि जैसी प्रमुख बीमारियों के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित है।

2. नीति को पुनः इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि औषधें प्रचुर मात्रा में उपयुक्त मूल्यों पर उपलब्ध हों और उनकी किस्म भी अच्छी हो।

3. मूल्य नियन्त्रण का क्षेत्र वर्तमान की तुलना में कम होना चाहिए और केवल अग्रता सूची वाली औषधों पर ही मूल्य नियन्त्रण होना चाहिए तथा शेष औषधें मूल्य नियन्त्रण से मुक्त होनी चाहिए।

(ग) और (घ) संचालन समिति के सुझावों पर राष्ट्रीय औषध और भेषण विकास परिषद् द्वारा विचार किया गया था। राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद् की सिफारिशों पर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

बजाज आटो और जापान के कावासाकी के बीच समझौता

1739. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावानि** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज आटो लिमिटेड और जापान की कावासाकी हैवी इंडस्ट्री के बीच अपने तकनीकी सहयोग से 100 सी० सी० मोटर साइकिल के निर्माण के लिए एक संयन्त्र की स्थापना हेतु अभी हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मोटर साइकिल उद्योग में कार्य कब शुरू हो जाएगा;

(घ) प्रतिवर्ष कितने मोटर साइकिलों के निर्माण की संभावना है;

(ङ) बजाज आटो द्वारा स्कूटरों और तीन पहियों वाले स्कूटरों का इस समय कितना वार्षिक उत्पादन किया जा रहा है;

(च) क्या बजाज आटो का विचार अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए औरंगाबाद में एक कारखाना स्थापित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) बजाज आटो लिमिटेड ने 100 सी० सी० और 80 सी० सी० की मोटर साइकिलों का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण हेतु कावासाकी हेवी इन्डस्ट्रीज के साथ एक विदेशी सहयोग करार किया है।

(ग) और (घ) कम्पनी को 1986 के प्रारम्भ में कावासाकी डिजाइन की मोटर साइकिलों का उत्पादन आरम्भ करने की आशा है और पहले वर्ष में 40,000 मोटर साइकिलों का उत्पादन करने की योजना है।

(ङ) स्कूटरों, मोटर साइकिलों और तिपहियों का वर्तमान उत्पादन इस प्रकार है :

(आंकड़े हजार में)

उत्पाद का नाम	1982	1983	1984
1. स्कूटर	140	169	192
2. छोटी मोटर साइकिलें	9	25	72
3. तिपहिए	23	27	30

(च) और (छ) कम्पनी 3,00,000 दुपहियों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता के लिए औरंगाबाद में अपनी विस्तार परियोजना को कार्यान्वित कर रही है और आशा है कि 1985 के मध्य में उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा।

तेल उत्पाद निर्यातक देशों (ओपेक) द्वारा सप्लाई किए जाने वाले अशोधित पेट्रोलियम के मूल्यों में कटौती

1740. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :**

श्री मोहन लाल पटेल :

श्री दिनेश सिंह :

क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उत्पाद निर्यातक देशों (ओपेक) ने उनके द्वारा सप्लाई किए जाने वाले अशोधित पेट्रोलियम के मूल्यों में कटौती की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस कटौती से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की आशा है; और

(ग) क्या मूल्य में उपयुक्त कटौती का लाभ भारत में पेट्रोलियम उत्पाद उपभोक्ताओं को भी पहुंचाया जाएगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां, केवल कुछ कच्चे तेलों के सम्बन्ध में ।

(ख) विदेशी मुद्रा की बचत का अनुमान लगाना कठिन है चूंकि यह अस्थिर डालर-रुपये की सम्परिवर्तन दर पर निर्भर होनी है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य केवल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल तथा उत्पाद मूल्यों पर निर्भर नहीं होते हैं परन्तु इसका निर्धारण मिट्टी के तेल जैसे कुछ उत्पादों के लिए वार्षिक सहायता देने की आवश्यकता, मांग प्रबन्ध तथा तेल विकास के लिए स्रोतों के सृजन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

तिपहिया आटो रिक्शा बनाने वाली कम्पनियां और उनका उत्पादन

1741. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तिपहिया आटो रिक्शा और दोपहिया स्कूटर बनाने वाली कम्पनियों के क्या नाम हैं और इन कम्पनियों में से प्रत्येक ने 1982 से 1984 के अन्त तक वर्षवार अलग-अलग कितना उत्पादन किया और वर्ष 1985 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) देश में दो पहिया, मोपेड और मोटर साइकिल बनाने वाली कम्पनियों के क्या नाम हैं और इन कम्पनियों में से प्रत्येक ने 1982 से 1984 के अन्त तक वर्षवार अलग-अलग कितना उत्पादन किया और वर्ष 1985 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

क्रमांक	कम्पनी का नाम	उत्पादन आंकड़े हजार में			
		1982	1983	1984	1985 के लिए लक्ष्य
तिपहिए स्कूटर					
1.	बजाज आटो लिमिटेड	23	27	30	35
2.	आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया	6	9	10	12
दुपहिए स्कूटर					
1.	आटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया	24	15	9	10
2.	बजाज आटो लि०	140	169	187	210
3.	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड	37	26	24	25
4.	महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड	32	53	56	65
5.	आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड	10	5	10	25
6.	लोहिया मशीन्स	—	0.2	11	35
मोपेड					
1.	काइनेटिक इंजी० लिमिटेड	57	132	157	190
2.	मेजेस्टिल आटो	77	110	95	110
3.	सुन्दरम क्लेटन	53	70	100	104
मोटर साइकिलें					
1.	इन्फील्ड इण्डिया लि०	29	28	42	50
2.	आइडियल जावा	29	33	27	33
3.	बजाज आटो लि० (एम-50)	9	25	27	30
4.	इन्ड सुजुकी मोटर साइकिल्स लि०	—	—	10	30
5.	एस्कोर्ट्स लिमिटेड	58	67	82	95

यूनियन कारबाइड से गैस रिसने से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत उपाय

1742. **श्री चित्त महाता :**

श्री अजित कुमार साहा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए अध्ययन किया है कि पिछले 9 दिसम्बर में भोपाल में यूनियन कारबाइड कारखाने में गैस रिसाव से किस श्रेणी के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रभावित व्यक्तियों के लिए पर्याप्त राहत उपाय नहीं किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो प्रभावित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किए गए राहत उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रभावित व्यक्तियों के वर्तमान स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके दीर्घावधि पुनर्वास के लिए कार्यवाही करने की दृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किये गए आंकड़ों के पूर्ण विश्लेषण और निष्कर्ष राज्य सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) से (च) प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता सहित सभी सम्भावित राहत उपलब्ध की गई है। राज्य सरकार राहत उपायों की व्यवस्था पर अब तक 8.00 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है। मृतकों के आश्रितों और घायल हुए व्यक्तियों को नकद अनुग्रह राशि के भुगतान सहित प्रभावितों के लिए अनाज, खाद्य तेल और दूध की व्यवस्था भी की गई।

तारों का वितरण/पारेषण

1743. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महानगरों में केन्द्रीय तारघरों द्वारा और डाक द्वारा पृथक-पृथक भेजे गए तारों की संख्या का केन्द्रीय तारघर/तार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

(ख) तारों में टेलीग्राफ सर्किट से भेजने के बजाए डाक द्वारा भेजे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या डाक द्वारा भेजे जाने वाले तारों की संख्या बढ़ती जा रही है; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जब तार सर्किटों के माध्यम से तार संचारण में निम्नलिखित कारणों से भारी विलंब होने की संभावना हो तो उन्हें डाक द्वारा भेजा जाता है :

(i) पावर फेल हो जाना।

(ii) तार चैनलों में व्यवधान हो जाना।

(iii) प्रचालन स्टाफ की असाधारण अनुपस्थिति।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

स्थानीय डाकघरों के लिए डाक द्वारा तथा व्यक्तिगत रूप से भेजे गए तारों की वर्षवार, केन्द्रीय तारघर वार आंकड़े तथा महानगरीय शहरों में तार सर्किटों पर भेजे गए तारों की संख्या में उनकी प्रतिशतता दर्शाने वाली विवरणी।

निम्न वर्षों के दौरान डाक द्वारा भेजे गए तारों की संख्या :

केन्द्रीय तारघर	1982		1983		1984	
का नाम	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत
बम्बई	488041	3.52	185049	1.37	14224	0.11
कलकत्ता	346239	3.20	574563	2.47	493406	2.07
मद्रास	93801	0.95	233055	2.30	8920	0.09
नई दिल्ली	351804	1.94	470464	2.50	191902	1.08

स्थानीय डाकघरों में व्यक्तिगत रूप से भेजे गए तारों की संख्या

	1982		1983		1984	
	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत
बम्बई	2599872	24.95	2800843	26.30	2756122	26.48
कलकत्ता	1020945	9.40	1047856	6.34	920700	7.60
मद्रास	651388	6.63	629880	6.21	862860	8.94
नई दिल्ली	520125	2.8	784111	4.1	244700	1.30

स्थानीय वितरण कार्यालयों के लिए भारी मात्रा में व्यक्तिगत रूप से तारों का वितरण 22.00 एवं 06.00 बजे के बीच किया जाता है जब नियमानुसार तारों का वितरण नहीं किया जाता है जबकि इस अवितरण अवधि के दौरान तार सर्किटों पर तारों का संचारण करने से कोई लाभ नहीं है।

हरियाणा में सोनीपत और गोहाना टेलीफोन एक्सचेंज की टेलीफोन क्षमता में वृद्धि

1744. श्री धर्म पाल सिंह मलिक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अगले तीन वर्षों के दौरान, सोनीपत और गोहाना टेलीफोन एक्सचेंज की टेलीफोन क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एक्सचेंजों का कब तक विस्तार कर दिया जाएगा;

(घ) कितनी अतिरिक्त लाइनें दी जाएंगी; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए यदि कोई राशि आवंटित की गई है तो वह कितनी है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) सोनीपत एक्सचेंज का अभी हाल ही में 200 लाइनों द्वारा विस्तार किया गया है। गोहाना में, इस समय कनेक्शन प्रदान करने के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है। इन एक्सचेंजों का आगे और विस्तार करने पर विचार किया जाएगा, जो कनेक्शनों की और मांग होने व उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ङ) उपर्युक्त विस्तार कार्य के लिए अपेक्षित निधि को सर्किल को आवंटित एकमुश्त राशि से पूरा किया जाएगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद और लम्बित मामले

1745. **श्री राजकुमार राय** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गत कई वर्षों से बहुत से मामले लम्बित हैं क्योंकि न्यायाधीशों के बहुत से पद खाली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत 15 वर्षों से, 10 वर्षों से और 5 वर्षों से लम्बित मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन मामलों के निपटाने और न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 30-6-84 को 2,12,453 मामले लम्बित थे। इनमें से 45,845 मामले 5 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 5019 मामले 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में मामलों के लंबित होने के कई जटिल कारण हैं और उन्हें मात्र रिक्त पदों के फलस्वरूप नहीं माना जा सकता। फिर भी, रिक्त पदों को भरने की बात सरकार के ध्यान में है। उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए साधारणतः किए गए उपाय संलग्न विवरण में बताए गए हैं।

विवरण

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए उपाय

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100क)।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता का अधिनियम वर्ष 1973 में किया गया और उसे 1978 और 1980 में संशोधित किया गया।

(3) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में समय-समय पर वृद्धि की जाती है।

(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय, मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(5) सरकार ने उन राज्यों के जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लंबित हैं, मुख्य मंत्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को भी यह लिखा है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविधान के अनुच्छेद 224-क के अधीन नियुक्ति पर विचार किया जाए।

(6) सरकार ने देश में न्यायिक, प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की नियुक्ति भी की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित हैं—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से --

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्चे पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे; और

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए;

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

(7) विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए, ये सिफारिशें, संघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(8) सरकार ने उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए 3 मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की है।

विभिन्न राज्यों के लिए पाठ्य पुस्तकें और अभ्यास पुस्तकें छापने के लिए निर्धारित कागज का कोटा/मूल्य

1746. **श्री सुरेश कुरूप**: क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कागज मिलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राज्यों को पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने और कापियों के लिए कागज की सप्लाई करेंगी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस हेतु कितना कोटा और क्या दर निर्धारित की है;

(ग) प्रत्येक राज्य की मांग कितनी है और उक्त मांग की तुलना में राज्यवार कितनी सप्लाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार को किसी राज्य से इस प्रकार की शिकायत मिली है कि उक्त मिलें कागज सप्लाई करने से इन्कार कर रही है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) से (घ) कागज आदेश, 1978 (उत्पादन का विनियमन) और कागज (नियन्त्रण) आदेश, 1979 के उपबंधों के अधीन, कागज के विनिर्माताओं को, जिनकी कागज और गत्ते के विनिर्माण की अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता 24,000 मीट्रिक टन से अधिक है, अपने कागज और गत्ते के उत्पादन का 20 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत तक छपाई का सफेद कागज की उनकी छपाई और लिखाई के कागज के विनिर्माण की क्षमता के सन्दर्भ में कारखाने से निकलते समय के मूल्य पर अर्थात् 6400 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से आपूर्ति करनी होती है।

शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक प्रयोजनों के लिए छपाई के सफेद कागज के प्रयोजनवार आबंटन से सम्बन्धित है। कागज भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को उनकी विद्यार्थियों की संख्या और छपाई के सफेद कागज की उपलब्धता के आधार प्रत्येक तिमाही में आबंटित किया जाता है। जब भी कागज की आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में आबंटियों से शिकायतें प्राप्त होती हैं तो मामले को

छपाई के सफेद कागज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सम्बद्ध कागज मिलों से बातचीत करके कार्रवाई की जाती है।

राजस्थान का औद्योगिक विकास

[हिन्दी]

1747. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में औद्योगिक प्रगति बहुत धीमी है और उस क्षेत्र में प्राकृतिक संशोधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान में उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति में तेजी आई है जैसा कि राजस्थान राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए निम्नलिखित औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या और तकनीकी विकास महानिदेशालय में किए गए पंजीकरणों से स्पष्ट होता है।

वर्ष	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण
1982	14	6
1983	25	3
1984	25	8

विगत तीन वर्षों में कुल 127 आशय पत्र जारी किए गए हैं।

औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों/तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरणों आदि का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मन्थली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) किसी राज्य में उद्योग स्थापित करने की मुख्य रूप से जिम्मेदारी उस राज्य सरकार की होती है, तो भी केन्द्रीय सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों/रियायतों की व्यवस्था करके उनके प्रयासों में सहायता करती है जिसका ब्यौरा "इन्सेंटिव्स फार इन्डस्ट्रीज इन बेकवर्ड एरियाज" नामक पुस्तिका में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

डाक विभाग में बिहाड़ी पर कार्यरत कर्मचारी

1748. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 दिसम्बर, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में "दिल्ली के डाकिया संघ में असन्तोष" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस समय देश में डाक विभाग में दिहाड़ी पर कार्यरत ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें नियमित मजदूरी नहीं मिल रही है और उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां। दिनांक 1-12-1984 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित "दिल्ली के डाकिया संघ में असंतोष" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार में यह उल्लेख किया गया है कि दक्षिण-पूर्व मंडल, दिल्ली डाक सर्किल के 45 कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है, 25 दिहाड़ी के कर्मचारियों को पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, पोस्टमैनों के इलाकों को बदला जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप जनता को कठिनाई हो रही है और डाक का समय पर वितरण नहीं हो पा रहा है। डाकघरों में पैकरों से चौकीदार का काम लिया जा रहा है परन्तु उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा रही है। दक्षिण-पूर्व मंडल के पोस्टमैन यूनियन के पदाधिकारियों ने मंगलवार 27-11-1984 से धरना देना प्रारम्भ कर दिया।

(ग) दिल्ली डाक सर्किल के दक्षिण-पूर्व मंडल में कार्यरत 45 डाक सहायकों को निर्धारित समय (रेन्योर) तक सेवा करने के पश्चात् स्थानांतरित किया गया है। डाक और वितरण-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। दिहाड़ी के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जा रहा है। जब कभी टेस्ट कैटेगरी के ग्रुप 'डी' कर्मचारी को चौकीदार के कार्य पर लगाना आवश्यक हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है।

यूनियन के पदाधिकारियों ने धरना दिया था परन्तु 7-12-1984 को हुई चर्चा के पश्चात् इसे उठा लिया गया।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी ट्रेड मार्क का प्रयोग

[अनुवाद]

1749. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी सहयोग के लिए स्वीकृति देते समय यह शर्त रखती रही है कि विदेशी ट्रेड मार्क के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(ख) ऐसी शर्त लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी शर्त का कम्पनियों के कार्यकरण और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सरकार की नीति के अनुसार देश के भीतर बेचे जाने वाले उत्पादों पर सामान्यतः विदेशी ट्रेड

मार्क के प्रयोग की अनुमति नहीं है, यद्यपि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर इसके प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं है। इस आशय की एक शर्त का सभी विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों में समावेश किया जाता है।

भारतीय तेल निगम द्वारा खाना पकाने की गैस भरने के संयंत्रों की स्थापना

1750. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम खाना पकाने की गैस भरने के नए संयंत्र स्थापित कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे और उनकी क्षमता क्या होगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड का 12 नये भरण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

स्थान	क्षमता मी० टन प्रतिवर्ष में
राजकोट	12500
हाजिरा	25000
सवाई माधोपुर	25000
जमशेदपुर	25000
भोपाल	25000
दुर्गापुर	25000
टिकरी कलां	50000
बालासोर	25000
मदनपुर	25000
करनाल	25000
वाराणसी	25000
कलकत्ता	25000

भारतीय सीमेंट निगम के कार्यकारी अधिकारी

1751. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुभवी कार्यकारियों ने गत कुछ वर्षों के दौरान राज्य स्वामित्व के अन्तर्गत आने वाले भारतीय सीमेंट निगम को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने अनुभवी कार्यकारियों ने भारतीय सीमेंट निगम को छोड़ दिया और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय सीमेंट निगम का कार्यकरण किस हद तक प्रभावित हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) वर्ष 1982, 1983 तथा 1984 के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि० से वरिष्ठ अधिकारियों ने त्याग-पत्र दिए और 408 वरिष्ठ अधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया :—

वर्ष	छोड़कर गए	पदभार ग्रहण किया
1982	48	85
1983	41	23
1984	58	87

फिर भी इस कारण कारपोरेशन की कार्यशीलता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। कारपोरेशन छोड़कर जाने के अधिकतर बताए गए कारण वैयक्तिक हैं। गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग की बढ़ती पर्याप्त क्षमता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों का एक स्थान से दूसरे पर जाना अपरिहार्य है।

केन्द्रीय अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

1752. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने केन्द्रीय अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन किया जा चुका है तथा इस कार्य पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में हुई प्रगति संतोषजनक है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा उक्त स्कीम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) प्रादेशिक भाषाओं में अब तक जिन केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद और प्रकाशन हो चुका है उनकी संख्या बताने के लिए विवरण, सदन के पटल पर रख दिया गया है। केन्द्रीय अधिनियमों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद पर वर्ष 1974-75 से वर्ष 1984-85 की अवधि के दौरान उपगत व्यय 9,92,624,00 रुपये है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद राज्य अभिकरणों द्वारा किया जाता है। अतः प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकारें इस विषय में कितनी रुचि लेती हैं। विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों के प्रादेशिक भाषाओं में शीघ्र अनुवाद करने के लिए राज्य सरकारों से निरन्तर आग्रह किया जा रहा है। 1982 में, विधि मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय को विचार-विमर्श की एक मद के रूप में सम्मिलित किया गया था और तत्कालीन विधि मंत्री ने राज्यों के विधि मंत्रियों से अनुरोध किया था कि वे केन्द्र द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ उठाते हुए विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद और मुद्रण कराने के कार्य में प्रगति लाने के लिए आवश्यक उपाय करें।

विवरण

प्रादेशिक भाषाओं में अनूदित और प्रकाशित केन्द्रीय अधिनियमों के बारे में विवरण

क्रम सं०	भाषा	अनूदित केन्द्रीय अधिनियमों की संख्या	प्रकाशित केन्द्रीय अधिनियमों की संख्या
1.	असमिया	34	—
2.	बंगला	66	14
3.	गुजराती	513	99
4.	कन्नड़	104	54
5.	मलयालम	185	141
6.	मराठी	207	89
7.	उड़िया	193	11
8.	पंजाबी	175	32
9.	तमिल	92	20
10.	तेलुगू	63	4
11.	उर्दू	181	—

गुजरात में सूरत नगर में विदेश डाकघर खोलना

[हिन्दी]

1753. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मापदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सूरत नगर ये मापदण्ड पूरे करता है; और

(ग) इस विदेश डाकघर के लिए कितने नए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और इस पर कितना व्यय होगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विदेश डाकघर खोलने के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है और विदेश डाकघर खोलने के लिए जो मानदण्ड हैं उसके अन्तर्गत परियात की मात्रा उतनी होनी चाहिए जितनी एक समाहर्ता कार्यालय को खोलने के लिए जरूरी होती है। प्रतिवर्ष प्रति समाहर्त्ता कार्यालय का सीमाशुल्क का औसत संकलन 250 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दानापुर, पटना में सैनिक भरती में भ्रष्टाचार

1754. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को 1 जनवरी, 1983 से 13 मार्च, 1985 के दौरान दानापुर में जवानों की भरती में रिश्वत मांगने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या दानापुर पुलिस ने फरवरी, 1985 में कुछ व्यक्तियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया; और

(ग) सैनिक भरती कार्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले में दानापुर पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(ग) गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों में से एक सरकारी कर्मचारी है। उसे सेवा से मुअत्तिल कर दिया गया है और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दूसरा व्यक्ति सिविलियन है। दानापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सेना भरती दफ्तरों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :—

(1) भरती दफ्तरों में नियुक्त स्टाफ की दो वर्ष के पश्चात् अदला-बदली की जाती है ताकि निहित स्वार्थ न पनप सकें।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि एक ही अफसर को भरती दफ्तर में फिर से दुबारा नियुक्त न किया जाए।

(3) उम्मीदवारों का चयन, चयन बोर्ड द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है।

(4) भरती प्रक्रिया, प्रमाणपत्रों की जांच, और चिकित्सा परीक्षा को युक्तियुक्त बनाने के बारे में अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(5) शिकायत प्राप्त होने पर उनकी तत्काल जांच की जाती है और दोषी पाए जाने वालों को ऐसा दण्ड दिया जाता है ताकि वह अन्यों के लिए मिसाल बन जाए।

अशोधित तेल का उत्पादन और मांग

1755. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अशोधित तेल का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान तेल की मांग कितनी थी; और

(ग) तेल के क्षेत्र में हमारे कब तक आत्म-निर्भर हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(मि० मी० टन)

वर्ष	कूड उत्पादन
1981-82	16.19
1982-83	21.06
1983-84	26.02

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल की आवश्यकता नीचे दी गई है :—

(मि० मी० टन)

वर्ष	कच्चे तेल की आवश्यकता
1981-82	35.84
1982-83	37.89
1983-84	39.55

(ग) अभी तक 9% कच्चे तेल में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली गई है। चूंकि तेल की खोज का कार्य संभाव्य प्रकृति का है, अतः निश्चित आधार पर यह बताना संभव नहीं है कि तेल के क्षेत्र में जब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जाएगी।

केरल के लिए मिट्टी के तेल का कोटा

[अनुवाद]

1756. डा० के० जी० अदियोडी : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के लिए मिट्टी के तेल का कोटा रोशनी करने और खाना पकाने के लिए है और मिट्टी का तेल खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार केरल सरकार के उन मछुआरों के उपयोग के लिए मिट्टी के तेल का अतिरिक्त कोटा आबंटित क्यों नहीं करती, जो मछली पकड़ने के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त 10 माहा इंजन वाली देशी नावें चलाते हैं जो मिट्टी के तेल से ही चलती है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन मुख्य रूप से घरेलू रोशनी तथा खाना पकाने के ईंधन के लिए ही किया जाता है। केरल सरकार के अनुरोध पर 13,080 मीट्रिक टन के सामान्य आबंटन के अतिरिक्त राज्य को तदर्थ आधार पर 1920 मीट्रिक टन और मिट्टी का तेल दिया गया। सभी राज्यों को यह सलाह दी गई है कि मिट्टी के तेल का घरेलू कार्यों के अतिरिक्त प्रयोग करने की अनुमति तभी दी जाये जब तकनीकी कारणों से किसी अन्य ईंधन का प्रयोग सम्भव न हो। केरल में मछली पकड़ने की नौकाओं के आउट बोर्ड इंजन प्राप्त सूचना के अनुसार पेट्रोल से चलने वाले डिजाइन के बनाए जाते हैं और लम्बी अवधि तक मिट्टी के तेल से चलाने पर इंजन का नुकसान होने की संभावना होती है। इन इंजनों के लिए मिट्टी के तेल का, जो आयात किया जाता है, प्रयोग करना वांछनीय नहीं समझा गया है जबकि पेट्रोल जिसका देश में ही उत्पादन होता है, प्रयोग किया जा सकता है।

उड़ीसा में एक मूल औषध एकक की स्थापना

1757. श्री राजकांत डिगाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में एक मूल औषध एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सरकार को इस समय उड़ीसा में मूल औषध एकक स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स ने राज्य औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से उड़ीसा में 136.52 लाख रुपए की लागत पर पहले ही एक फार्मूलेशन एकक स्थापित कर दिया है।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम द्वारा उर्वरकों का उत्पादन

1758. श्री सोमनाथ रथ : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम द्वारा कितने उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की गई है;

(ख) 1984-85 में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम द्वारा प्रबन्धित उर्वरक संयंत्रों में उर्वरकों की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या उक्त वर्ष में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम द्वारा उर्वरकों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के चार चालू एकक अर्थात नामरूप I और II (असम), बरौनी (बिहार), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) और दो कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं अर्थात हल्दिया (पश्चिम बंगाल) और नामरूप III (असम) है।

(ख) 1984-85 के दौरान एच० एफ० सी० एल० के चालू एककों में उर्वरकों का लक्ष्य और उत्पादन निम्न प्रकार था :—

एकक का नाम	1984-85 के दौरान नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन (आंकड़े 000 मी० में)	
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन*
नामरूप I	31	21.3
नामरूप II	92	66.7
दुर्गापुर	90	58.5
बरौनी	80	36.1
योग	293	183.0

*वास्तविक उत्पादन 22-3-85 तक और अनुमानित उत्पादन 23-3-85 से 31-3-1985 तक लिया गया है।

(ग) और (घ) पावर खराबी/वाल्टेज उतार-चढ़ाव/पावर प्रतिबन्धों सहित उपकरण समस्याओं और पावर समस्याओं के परिणामस्वरूप एच० एफ० सी० के एककों के लिए 1984-85 हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

पालनपुर को गांधीनगर, अहमदाबाद और दिल्ली से सीधे टेलीफोन सेवा से जोड़ना

1759. **श्री बी० के० गढ़वी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालनपुर को गांधी नगर, अहमदाबाद और दिल्ली से सीधी टेलीफोन सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पालनपुर को अहमदाबाद ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के साथ जोड़कर वहां एस० टी-डी सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अजमेर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

1760. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है;

(ग) सरकार का यह कार्य कब शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) एच० एम० टी० के अजमेर स्थित एकक का प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

बिहार में पेट्रोल पम्प, खाना पकाने की गैस और मिट्टी के तेल की एजेंसियों का आबंटन

[अनुवाद]

1761. **श्री योगेश्वर प्रसाद** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पेट्रोल पम्प, खाना पकाने की गैस और मिट्टी के तेल की एजेंसियों के आबंटन की विस्तृत प्रक्रिया क्या है;

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों का क्या ब्यौरा है जिन्हें बिहार में इस प्रकार की डीलरशिप आबंटित की गयी है; और

(ग) बिहार में आगामी पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आबंटित की जाने वाली इस प्रकार की एजेंसियों का क्या ब्यौरा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल उद्योग को विपणन योजना में प्रत्येक वर्ष डीजल/पेट्रोल की डीलरशिप और एल० पी० जी तथा एस० के० ओ०/एल० डी० ओ० के खुदरा बिक्री केन्द्रों का 25 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित होता है। संबंधित तेल कम्पनी द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर उपर्युक्त श्रेणी के लोगों से आरक्षित स्थानों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। पात्र लोगों में से चुनने का काम उपयुक्त तेल चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। तब संबंधित तेल कम्पनी तेल चयन बोर्ड द्वारा अनुमोदित पेनल के अनुसार आशय पत्र जारी करती है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ग) तेल उद्योग की विपणन योजनाएं वर्ष-वार तैयार की जाती हैं। वर्ष 1984-85 तक विपणन आयोजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित डीलरशिप का ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है। 1985-86 की विपणन योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण-एक

क्रम सं०	स्थान	व्यक्ति का नाम	श्रेणी
1	2	3	4
खुदरा बिक्री केन्द्र			
1.	रसूलपुर	श्री बुद्धु मुन्डा	अ०जन०
2.	मांझी	श्री इन्द्रजीत राम	अ०जा०
3.	इटकीमोर	श्री दिवाकर मिन्ज	अ०जन०
4.	तोरपा	श्री ग्लाडविन कच्छप	अ०जन०
5.	लाखी	श्री अरुण कुमार पासवाई	अ०जा०
6.	कुद्रा	श्री गंगा बिष्णु राम	अ०जा०
7.	बिहार शरीफ	श्री प्रेमचन्द कुमार	अ०जा०
8.	गरखा	श्री रामजी चौधरी	अ०जा०
9.	कुद्रु/अशोक नगर	श्री विजय कुमार व खाका	अ०जन०
10.	भगवानपुर	श्री अशोक कुमार भगत	अ०जा०
11.	गतुआ चौक	श्री कृष्णा मुरारी	अ०जा०
12.	नागरी	श्री बरनात मिन्ज	अ०जन०
13.	नमकुम	श्री हेमन्त कश्यप	अ०जन०
14.	महेंदिया	श्री बालकिशन राम	अ०जा०
15.	खिन्जर	श्री राम बली राम	अ०जा०
16.	अन्देर (शिवन)	श्री श्यामलाल राम	अ०जा०
17.	बरबीघा	श्री जगदीश राम	अ०जा०
18.	मुसाबनी	श्री सुनील कुमार मरमू	अ०जन०
19.	जिकपारी	श्री देवेन्द्र नाथ चम्पिया	अ०जन०
एस०के०ओ०/एल०डी०ओ०			
1.	लहारिया सराय	श्री मणिक चन्द लाल	अ०जा०
2.	छेबासा	श्री चन्द्र भूषण तमसॉय	अ०जन०
3.	दलसिंग सराय	श्री राम सावन्त रसवान	अ०जा०
4.	नवाघ	श्री राम नरेश कुमार	अ०जा०

1	2	3	
5.	गरखा	श्री उनेश्वर चौधरी	अ०जा०
6.	कोरहा	श्री सत्य नारायण मेहतो	अ०जा०
एल०पी०जी०			
1.	दुमका	श्री राजेन्द्र कुमार भगत	अ०जन०
2.	पटना	श्री सोहरे राम	अ०जा०
3.	रांची	श्री आई० कश्यप	अ०जन०
4.	गया	श्री शालिग्राम राम	अ०जा०
5.	बोकारो	श्री पी० किशोर	अ०जा०
6.	धनबाद	श्री विजय कुमार चौधरी	अ०जा०
7.	चास	श्री लक्ष्मी दास	अ०जा०
8.	नावदा	श्री सुखदेव महता	अ०जा०
9.	जमशेदपुर	श्री सुरेन्द्र दिओगम	अ०जन०

विवरण-दो

क्रम सं०	स्थान	श्रेणी
1	2	3
खुदरा बिक्री केन्द्र		
1.	गोविन्दपुर	अ०जा०
2.	सराय	अ०जा०
3.	सिमारिया	अ०जा०
4.	खातोपुर	अ०जन०
5.	धनियावन	अ०जा०
6.	फतवा	अ०जा०
7.	मनोरगंज	अ०जा०
8.	मधुपुर	अ०जन०
9.	घुरैया	अ०जा०
10.	मुसरीघरारी चौक	अ०जा०

1	2	3
	11. राजौन	अ०जा०
	12. सिंघी	अ०जा०
	13. सिरदाला	अ०जा०
	14. जिरादी	अ०जन०
	15. हुन्तेरगंज	अ०जा०
	16. दखा	अ०जा०
	17. चन्दन क्यारी	अ०जा०
	18. राजगंज	अ०जन०
	19. वजीरगंज	अ०जा०
	20. पारी बरवा	अ०जा०
	21. जगपत्ती	अ०जा०
	22. पुन पुन	अ०जा०
एस०के०ओ०/एल०डी०ओ०		
	1. तोरपा	अ०जा०
	2. सहर	अ०जा०
	3. चन्दन क्यारी	अ०जा०
	4. सिमारिया	अ०जा०
	5. बेरो	अ०जन०
	6. पिपरा	अ०जन०
	7. मुकदमपुर	अ०जन०
एम०पी०ओ०		
	1. सरायकेल्ला	अ०जन०
	2. जमशेदपुर	अ०जा०
	3. बांधा	अ०जा०
	4. मधुपुर	अ०जन०
	5. घाटशिला	अ०जन०
	6. मोकामेह	अ०जा०

बम्बई हाई से रोजगार के अवसर

1762. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में तेल मिलने के परिणामस्वरूप रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए हैं;

(ख) क्या रोजगार के उक्त अवसर सामान्यतः महाराष्ट्रवासियों को और विशेष रूप से स्थानीय लोगों को संतोषजनक ढंग से उपलब्ध नहीं किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) 1 मार्च, 1985 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की बम्बई अपतटीय परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 5406 थी जिसमें 2370 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल थे।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सीधी भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित (भेजे गए) नामों के आधार पर की गई थी।

बम्बई में वातावरण में अमोनिया गैस का फैलना

1763. **श्री बप्पा सामंत** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई शहर में चैम्बूर स्थित राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से 4 मार्च, 1985 से अमोनिया गैस रिस कर निरन्तर वातावरण में फैल रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वातावरण में अमोनिया गैस का प्रतिशत कितना रहा;

(ग) क्या गैस का रिसाव रोकने के लिए चैम्बूर में भारतीय उर्वरक निगम के संयंत्र को कुछ समय के लिए बन्द कर दिया गया था; और

(घ) अमोनिया के रिसने के क्या कारण थे और उक्त रिसाव को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बम्बई शहर के विभिन्न भागों में नागरिकों द्वारा 3, 5, 10 और 12 मार्च को अमोनिया गंध की शिकायतें की गई थीं और समाचारपत्रों द्वारा उसका उल्लेख किया गया था। बम्बई नगर निगम (ब० न० नि०) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (म० प्र० नि० बो०) के अधिकारियों ने विभिन्न दिनों में वातावरण में अमोनिया गंध के स्रोत का पता लगाने के प्रयत्न किए थे। तथापि, सही स्रोत का पता नहीं लगाया जा सका। 12 मार्च, 1985 को राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आर० सी० एफ०) चैम्बूर के नजदीक अमोनिया गंध का कारण आर० सी० एफ० से निस्सरण को समझा गया है। यह, अल्प अवधि के लिए नए यूरिया संयंत्र के निस्त्रावों के अपर्याप्त निष्प्रभावीकरण के कारण हुआ था।

(ख) 12-3-1985 को सायं 11.00 बजे बम्बई नगर निगम द्वारा चैम्बूर क्षेत्र से लिए गए वायु नमूने में 20 माइक्रोग्राम अमोनिया प्रति क्यूबिक मीटर अर्थात् 0.026 पी० पी० एस० पाया गया जो काफी कम है।

(ग) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने महसूस किया कि पुराने यूरिया संयंत्र के बेन्ट स्टेक में कुछ सुराख अमोनिया निस्सरण के स्रोत हो सकते हैं और इसलिए 14 मार्च, 85 को आर० सी० एफ० को अपना पुराना यूरिया संयंत्र बन्द करने तथा बेन्ट स्टेक की मरम्मत करने की सलाह दी। सलाह के अनुसार आर० सी० एफ० ने 14 मार्च, 1985 को यह संयंत्र बन्द कर दिया, बेल्ट स्टेक की मरम्मत करके महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति से 16 मार्च, 1985 को संयंत्र पुनः प्रारम्भ कर दिया।

(घ) आर० सी० एफ० ने विभिन्न संयंत्रों से निस्रावों में अमोनिया के जमाव पर निगरानी रखने और उनके स्रोत (संयंत्र) पर ही निष्प्रभावीकरण, यदि कन्सनट्रेशन उच्च है, के लिए प्रबन्धों में वृद्धि कर दी है। प्रदूषण नियंत्रण इंजीनियरों द्वारा चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। सभी संयंत्रों में 'पर्यावर्णात्मक क्षेत्रों' की स्थापना करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों में निस्रावों और निस्सरण में अमोनिया के अधिक प्रभावी नियंत्रण के लिए जानकारी और जागरूकता उत्पन्न की जा सके। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सलाह पर आर० सी० एफ० ने अतिरिक्त उपाय किए हैं जिनमें संयंत्र के बाहर चार स्थानों पर आसपास की वायु की किस्म की निगरानी, निस्रावों के निष्प्रभावीकरण का रिकार्ड रखना, आदि शामिल हैं। वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड की सलाह पर आर० सी० एफ० अपनी बाउंडरी के नजदीक आटोमैटिक अलार्म सिस्टम के साथ तीन स्टैटिक एम्बीएंट मानिटरिंग स्टेशनों की स्थापना करने हेतु भी सहमत हो गई है।

हिमाचल प्रदेश में विद्युत और दूरसंचार समन्वय समिति (पावर एण्ड टेलीकम्युनिकेशन कोआर्डिनेशन कमेटी) के पास टेलीफोन एक्सचेंजों को मंजूर करने के लम्बित मामले

1764. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत और दूरसंचार समन्वय समिति के पास टेलीफोन एक्सचेंजों को मंजूर करने के सम्बन्ध में कुछ मामले लम्बित पड़े हैं और 1984-85 में अब तक उन्हें मंजूर नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्किल-वार ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक मामलों के पास किस तिथि से लम्बित हैं;

(ग) समिति ने इस प्रकार के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नामहौल एस० ए० एक्स० सहित इस प्रकार के सभी मामलों को किस तारीख तक मंजूरी दे दी जाएगी और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी; नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस समय कोई भी मामला मंजूरी के लिए लम्बित नहीं है जिसमें हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले के नामहौल एस० ए० एक्स० से सम्बन्धित मामला भी है।

हिमाचल प्रदेश में शाखा डाकघरों/विभागेतर उप कार्यालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप-कार्यालयों के रूप में वर्गीकृत करना

1765. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान कतिपय शाखा डाकघरों/विभागेतर उप-कार्यालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप-कार्यालयों के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर वापस न किया जाने वाला अंशदान करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में राशि सहित इनका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यालयों को वर्गीकृत करने के लिए डाक और तार अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और क्या अब तक उन्हें वर्गीकृत कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें अब तक वर्गीकृत कर दिए जाने की संभावना है और विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जिलेवार एन० आर० सी० (अप्रत्यपर्णीय अंशदान) की राशि संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण में दर्शाए गए सभी मामलों का दर्जा बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी गई है परन्तु आर्थिक मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों के कारण वास्तव में दर्जा नहीं बढ़ाया गया है और इन पाबन्दी आदेशों को हटा दिए जाने के बाद इनका दर्जा बढ़ा दिया जायेगा।

विवरण

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1984-85 के दौरान जिन डाकघरों के लिए एन० आर० सी० का भुगतान करने का प्रस्ताव किया है उनका जिला-वार ब्यौरा तथा एन० आर० सी० की राशि

अतिरिक्त विभागीय डाकघरों/उप-डाकघरों का नाम	जिले का नाम	एन० आर० सी० की राशि—रुपयों में
1	2	3
1. बेहल	बिलासपुर	16743.60
2. कन्द्रपुर	—वही—	2855.72

1	2	3
3. पुहोवल	ऊना	7232.00
4. परील	हमीरपुर	17592.72
5. माझेरना	कांगड़ा	9676.80
6. रेई	—वही—	10876.32
7. पारौर	—वही—	1706.64
8. पंगाना	मण्डी	13009.32
9. जंझेली	—वही—	18723.60
10. बाची	शिमला	14975.96
11. जांगला	—वही—	10960.66
12. आरसू	कुल्लु	16497.64

विभागेतर शाखा डाकघरों/अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए किराए और गारंटी की शर्तें

1766. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान उन्हें विभागेतर शाखा डाकघरों/अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों का ब्योरा क्या है जिनका दर्जा बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में निदेशक, डाक सेवाएं, हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल सरकार को दर्जा बढ़ाए जाने के कारण हुई हानि के लिए किराए और गारंटी की अदायगी के लिए निवेदन किया था, और प्रत्येक मामले में कितनी राशि की मांग की गई थी;

(ख) राज्य सरकार ने किन-किन डाकघरों के लिए किराए और गारंटी की शर्तें स्वीकार कर ली थीं और निदेशक डाक सेवा को अपनी स्वीकृति भेज दी थी;

(ग) क्या शेष विभगितर शाखा डाकघरों/अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों के मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) उन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों/उप-डाकघरों के जिले-वार नाम, जिनका 1983-84 और 1984-85 के दौरान दर्जा बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के निदेशक, डाक सेवा ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को एन० आर० सी० का भुगतान करने के बारे में लिखा था और जिन मामलों में स्वीकृति मिल गई है, वहां एन० आर० सी० की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। राज्य सरकार ने 56 डाकघरों के मामले में एन० आर० सी० का भुगतान करने से इनकार कर दिया है।

विवरण

जिले का नाम	अति० विभा० शाखा डाकघर/उप-डाकघर का नाम	एन० आर० सी० की राशि	क्या राज्य सरकार ने एन० आर० सी० का भुगतान करना मंजूर कर लिया है
1	2	3	4
चम्बा	1. भल्लाई	11058.24	राज्य सरकार ने एन० आर० सी० का भुगतान करना मंजूर कर लिया है
हमीरपुर	1. काश्मीर	20159.40	
	2. अवाहदेवी	15380.04	
	3. हरसौर	30312.72	
	4. सहोरी	11835.72	
	5. चाहुतरा	13386.00	
	6. डिडविन	12934.80	
	7. बम्बली	18539.16	
	8. पारोल	17592.72	—वही—
	9. पट्टा	7878.24	
	10. बसरौल	13216.48	
	11. ताल	15001.56	
	12. भेरी	13522.32	
	13. संधियाल	6560.52	
	14. हरीता	15006.72	
	15. धनेड	18773.48	
ऊना	1. धुण्डला	13993.08	
	2. कुंगरेट	15716.80	
	3. मण्डली	8892.32	
	4. समौली	15029.28	
	5. भाडसाली	5967.80	

1	2	3	4
	6. पल्कवाह	15233.44	
	7. सुनकाली	13834.92	
	8. मरवारी	11785.92	
	9. पुहोवल	7232.00	राज्य सरकार ने एन० आर० सी० का भुगतान करना मंजूर कर लिया है।
बिलासपुर	1. बाहुल	16743.60	
	2. सुनहरनीरस	17104.68	
	3. अमरपुर	18324.36	
	4. नालटी	18799.44	
	5. रघुनाथपुर	7184.40	
	6. जेजविन	12452.40	
	7. बेरी-राय जदान	8854.56	
	8. तालियाना	14623.44	
	9. कन्दरौर	2855.72	राज्य सरकार ने एन० आर० सी० का भुगतान करना मंजूर कर लिया है।
	10. छरोल	12699.60	
	11. बस्सी कहलूर	17321.52	
शिमला	1. बाघी	14975.96	—वही—
	2. जांगला	16960.66	—वही—
	3. मण्धौली	19347.76	—वही—
	4. चानौहाट	15226.72	
	5. चेओंग	21757.72	
	6. मरोग	20746.48	
	7. सन्धू	10414.24	
	8. शिल्लारू	17717.68	
	9. देवरिखनेती	23623.12	

1	2	3	4
	10. पेहा बालसन	23216.80	
	11. छारला	15632.68	
	12. रोहणी	18048.24	
	13. काफरी	22750.12	
	14. मुण्डा	21434.36	
	15. भराड़ी	17662.00	
	16. गुम्मा	18720.40	
	17. जुम्बर हट्टी	23373.65	
	18. बाबली	18453.24	
	19. जावरा	19163.32	
	20. शरमहल कैंप	16161.04	
	21. कोवार	2824.16	
	22. मण्डेल	1992.28	
	23. बालोग	30089.68	
	24. अबरहाल	2956.96	
	25. धर्मपुर मेदहर	1959.52	
	26. सारोग	21307.72	
	27. सुम्मेरकोट	21220.12	
	28. जारोल	18300.04	
	29. दीलेठ	21473.00	
	30. देवथी	19110.04	
	31. ताकलेच	22940.72	
	32. सराइन	28019.41	
	33. थारोच	22957.43	
	34. चरोली	26159.08	
कांगड़ा	1. रेई	10876.32	राज्य सरकार ने एन० आर० सी० का भुगतान करना मंजूर कर लिया है।

1	2	3	4
	2. बालकरुप्पी	6108.60	
	3. धरमना	20965.20	
	4. काटलु	17052.12	
	5. अपर लम्बा ग्राम	7501.68	
	6. कोसरी	16194.36	
	7. सागूर	15383.40	
	8. दागोली	14114.88	
	9. मझेरना	9476.80	
	10. पारौर	1706.64	—वही—
	11. रक्कर	11272.80	
	12. बारी	14625.00	
	13. घाटी बिलवान	15372.96	
	14. अपेरली कोठी	14547.24	
	15. सुनहरा	13378.00	
	16. नईयार रे० स्टे०	13343.28	
	17. बाघी	12809.28	
	18. किलोहा	12161.16	
	19. भारोली कुठियारा	14610.48	
	20. नन्दपुर भटोला	17350.72	
	21. कथोग	13098.24	
	22. गुलेर	8679.00	
	23. खेरियान	15390.12	
	24. गुनार	6273.48	
	25. कांगड़ा टाउन	14490.96	
	26. माझिन	13834.20	
	27. नलेटी	15185.28	
मण्डी	1. पण्डोल	21659.04	

1	2	3	4
	2. बाली चौकी	12746.16	राज्य सरकार ने एन० आर० सी० का भुगतान करना मंजूर कर लिया है।
	3. पागना	13009.32	—वही—
	4. महादेव	15942.60	
	5. गोपालपुर	13337.68	
	6. दारांग	14068.40	
	7. गग्गल	12837.48	
	8. मकरोड़ी	11217.09	
	9. जांगेली	18723.60	—वही—
	10. ओटपुर	10995.24	
	11. थोना	17008.80	
	12. भरारू	12236.32	
कुल्लू	1. जावी	15262.92	
	2. भांग	12021.84	
	3. गारा गोसाई	15169.20	
	4. जगत सुख	12545.25	
	5. गोसाई गोशनी	17850.00	
	6. आरसू	16497.64	
सिरमौर	1. हरीपुर	19297.48	
	2. चारना	13070.80	

शराब-कारखानों की लाइसेंसशुदा और अधिष्ठापित क्षमता

1767. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1983-84 और 1984-85 के दौरान शराब के कारखानों की कारखाना-वार, लाइसेंस शुदा और अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

जनवरी, 1984 और जनवरी, 1985 को आसवन क्षमता की स्थिति

(लाख लिटर में)

	आसवन क्षमता	
	जनवरी, 1984	जनवरी, 1985
1	2	3
1. गवर्नमेंट पावर अलकोहल फैक्ट्री, बाझन	117.50	137.700
2. गवर्नमेंट डिस्टलरी, चागाला	58.75	64.260
3. गवर्नमेंट डिस्टलरी, कामारेड्डी	28.20	26.775
4. अनाकापाली कोप० सूगर थमपाला	7.75	8.415
5. के० सी० पी० लि० वियूरी	77.55	84.15
6. डेकन सूगर एण्ड आबकारी कं० लि० सामलकोट	25.85	26.775
7. श्री सरनारया सूगर लि० चेलरी	42.30	44.37
8. आंध्रा सूगर लि० टानाकू	42.30	44.37
9. किरलापपुडी सूगर लि० टानाक	28.20	29.835
10. श्रीनिवासर डिस्टलरी (प्रा०) लि० चितुर	42 30	44.37
11. लिक्वरस इंडिया (प्रा०) लि० हैदराबाद	40.89	50.40
12. हिन्दुस्तान पोलिमरस, विभाग	103.40	107.10
13. इन्दिरा डिस्टलरी, टानाकू	42.30	44.37
14. हनूमनथकालिवारा प्रसाद बाबू कैमिकल्स (प्रा०) लि० कृष्णा	42.30	44.37
15. ओ० एस० डिस्टलरीज, रेनीगुन्टा, चितुर	24.57	34.425
योग	724.26	791.685
2. आसाम		
16. आसाम कोपरेटिव सूगर मिल्स लि०	16.00	16.00
योग	16.00	16.00
3. बिहार		
17. लौरिया डिस्टलरी	90.00	90.00

1	2	3
18. मिरगंज डिस्टलरी	75.00	75.00
19. मरवारह डिस्टलरी	27.00	27.00
20. मरुडोवाल डिस्टलरी	48.00	48.00
21. रांची डिस्टलरी	20.00	20.00
22. नारकाटीगंज डिस्टलरी	68.10	68.10
23. सुल्तानगंज डिस्टलरी	24.00	24.00
24. मनपुर डिस्टलरी	10.00	10.00
25. पचरुखी डिस्टलरी	40.00	40.00
योग	402.10	402.10
4. गुजरात		
26. यीस्ट अलकोहल इनजाइम लि०, पालीटना	150.00	—
27. गुजकेम डिस्टलरी वालेसद	190.00	190.00
28. विलेश्वर खाण्ड उद्योग खेदत शाहाकारी मण्डी लि०, कोडीनार	54.00	54.00
29. एलम्बिक कैमिकल्स वर्क्स, बड़ौदा	33.00	33.00
30. अमित अलकोहल एण्ड कार्बन डोक्साइड वालसद	60.00	60.00
31. सेलूलोज प्रोडक्ट्स आफ इंडिया, अंकलेश्वर	100.00	100.00
32. चालथन विभाग खांड उद्योग शाहकारी मंडली, छालथान	81.00	81.00
योग	668.00	518.00
5. गोवा, दमन और दयू		
33. जुपिटर डिस्टलरी	9.90	9.90
34. रायल डिस्टलरी, दमन	9.90	9.90
35. दमन डिस्टलरी, दमन	0.66	0.66
36. गर्व० डिस्टलरी, दमन	0.66	0.66
37. कलपना डिस्टलरी, दियू	2.20	2.20
38. गवर्नमेंट डिस्टलरी, दियू	0.33	0.33
39. मेकडोवेल एण्ड कम्पनी, लि०, गोवा	4.40	4.40

1		2	3
40. भारथ (गोवा) फ्रूट डिस्टलरी गोवा		0.22	0.22
	योग	28.27	28.27
6. हरियाणा			
41. हरियाणा डिस्टलरी यमुनानगर		67.50	67.50
42. पानीपत कोप० डिस्टलरी, पानीपत		45.00	45.00
43. एसोसिएटेड डिस्टलरी हिसार		—	75.00
	योग	112 50	187.50
7. हिमाचल प्रदेश			
44. रंगर ब्रीवरीज, उना मेहतपुर		11.00	11.00
	योग	14.00	11.00
8. केरल			
45. कोपरेटिव सूगर लि० पाईघाट		27.00	27.00
46. ट्रावनकोर सूगर्स एण्ड कैमि० थिरुवाला		13.20	13.20
47. मेकडवेल एण्ड कं० लि० सरथाली		21.90	21.90
48. पोलसोन्स डिस्टलरी, छालाकुडी		16.42	16.42
	योग	78.52	78.52
9. कर्नाटक			
49. मैसूर सूगर कं० लि० मन्डया		131.40	131.40
50. पम्पासर डिस्टलरी, बालारी		109.50	109.50
51. उगर सूगर वर्क्स लि०, बेलगम		132.24	132.24
52. एच० एस० एस० के० एन० संकेश्वर बेलगम		197.10	197.10
53. इंडिया ब्रेवरीं एण्ड डिस्टलरी लि० बिदार		65.70	65.70
54. रविन्द्रा एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि०, बिहार		16.42	16.42
55. गौरी इन्डस्ट्रीज, कोलार		32.85	32.85
56. वानीविलास कोप० सूगर फैक्टरी, चित्रादुर्गा		66.43	66.43
57. पमोडे डिस्टलरी लि०, बंगलौर		73.00	73.00

1	2	3
58. जेमिनी डिस्टलरी, बंगलौर	47.45	47.45
59. केप केम लि०, मैसूर	100.00	100.00
60. पण्डावापुरा एस० एस० के० लि०, मण्डया	109.50	109.50
61. मालाप्रभा कोप० सूगर फैक्ट्री, बैलगम	90.55	90.55
62. डिस्टलरीज कम्पनी पी० लि० सीमोगा	135.00	135.00
63. सेमिया ओर्गेनिक कैमिकल लि०, बिजापुर	81.00	81.00
योग	1396.14	1396.14
10. पंजाब		
64. जगतजीत इन्डस्ट्रीज, हामिरा	103.00	103.00
65. खासा डिस्टलरी कं०, खासा	100.00	100.00
66. पटियाला डिस्टलरीज एण्ड मैन्यूफैक्टर्स मेन (पटियाला)	40.00	40.00
67. पंजाब खांड उद्योग, गुरदासपुर	60.00	60.00
योग	303.00	303.00
11. नागालैण्ड		
68. नागालैण्ड डिस्टलरी, दिमापुर	13.50	13.50
योग	13.50	13.50
12. उड़ीसा		
69. जयपुर सुगर कम्पनी (रायागोडा डिस्टलरी)	7.20	7.20
70. आसका डिस्टलरी	30.00	30.00
71. सऊदीही डिस्टलरी	18.00	19.50
72. भिसन्डयाल डिस्टलरी, झरसुगुडा	5.00	5.00
योग	60.20	61.70
13. महाराष्ट्र		
73. बालचन्द्रनगर इन्डस्ट्रीज, पूना	66.00	60.00
74. कोलाहपुर सूगर मिल्स कोलाहपुर	135.00	75.00

1	2	3
75. ब्रिहन महाराष्ट्रा सूगर सिन्डिकेट	68.20	54.55
76. तिलकनगर डिस्टलरी	60.00	48.60
77. सेटकारी एस० एस० के० लि०	135.00	135.00
78. सामया ओर्गेन लि०	120.00	100.00
79. पोलीचेम लि०	90.90	90.90
80. परवारी एस० एस० के० लि०	180.00	90.00
81. राहौरी एस० एस० के० लि०	90.00	90.00
82. यूनाइटेड कोप० डिस्ट०	45.00	45.00
83. कृष्णा एस० एस० के० लि०	120.00	128.00
84. चिताली डिस्टलरी	150.00	150.00
85. पचगंगा एस० एस० के०	90.00	135.00
86. महाराष्ट्र डिस्टेलरी	27.00	27.00
87. सतपुडा तापी परिसर	45.00	135.00
88. वालवा एस० एस० के० लि०	225.00	135.00
89. निपड एस० एस० के०	135.00	135.00
90. कासंग कोप० डिस्टलरी	72.00	38.00
91. निरा वेली	75.00	75.00
92. तरना एस० एस० के० लि०	81.00	81.00
93. दत्ता एस० एस० के० लि०	90.00	90.00
94. दाहिसार डिस्टलरी	18.00	17.50
95. वसंत एस० एस० के० लि०	90.00	90.00
96. गिरना एस० एस० के० लि०	45.00	45.00
97. सिदेश्वर एस० एस० के० लि०	90.00	90.00
98. संगामर भोग	—	90.00
99. यशवन्त एस० एस० के०	—	90.00
100. संजीवनी एस० एस० के०	—	120.00
101. आमनर सूगरकेन	—	7.90
योग	2343.10	2498.65

1		2	3
14. पांडिचेरी			
102. पांडिचेरी डिस्टलरी लि०		18.00	20.00
	योग	18.00	20.00
15. मध्य प्रदेश			
103. रसटलाम एलकोहल प्लांट		45.00	45.00
104. छतीसगढ़ डिस्टलरी		43.00	43.00
105. सेनी डिस्टलरी		36.00	36.50
106. बरवाहा डिस्टलरी		23.00	23.72
107. धर डिस्टलरी		36.00	33.00
108. ग्वालियर डिस्टलरी		20.00	20.00
109. उजैन डिस्टलरी		11.00	11.50
110. भोपाल डिस्टलरी		20.00	20.00
111. नौगांव डिस्टलरी		7.50	7.50
	योग	241.50	240.22
16. राजस्थान			
112. वेवार डिस्टलरीज एण्ड कैमि० वर्क्स भोपालसागर		30.00	30.00
113. डिस्टलरीज गंगानगर		44.00	44.00
114. डिस्टलरीज आट्री		11.00	11.00
115. उदयपुर डिस्टलरीज, उदयपुर		18.00	18.00
	योग	103.00	103.00
17. तमिलनाडु			
116. त्रिची डिस्टलरीज एण्ड कैमि०		136.00	136.00
117. अरविन्द डिस्टलरीज		132.00	132.00
118. चिमाम्बाटोर अलकोहल एण्ड कैमि०		163.30	163.30
119. साउर्थन अग्री फ्रैन इन्डस्ट्रीज		13.50	13.50
120. ई० आई० डी० पारी		76.00	76.00

1		2	3
121. वेरियन कैमिकल एण्ड डिस्टलरीज		25.50	106.50
122. शक्ति सूगर लि०		180.00	180.00
123. कैमपलास्ट		110.00	148.50
	योग	836.30	955,80
18. पश्चिम बंगाल			
124. कारऊ एण्ड कम्पनी		30.00	30.00
125. सो वेलेस एण्ड कम्पनी		24,00	24.00
126. ईस्टर्न डिस्ट०		19.50	19.50
127. प्रकाश डिस्ट०		19.50	19.50
128. सीरामपुर डिस्ट०		18.00	18.00
	योग	111 00	111.00
19. उत्तर प्रदेश			
129. अजुधिया डिस्ट०		180 00	180.00
130. दौराला डिस्ट०		255.00	450.00
131. हरगौन डिस्ट०		115.30	115.30
132. रामपुर डिस्ट०		260.00	260.00
133. सामली डिस्ट०		54.60	54.60
134. केपटनगंज		300.00	300.00
135. सरया डिस्ट०		270.00	270.00
136. भारी डिस्ट०		102.28	102.28
137. एम० एम० बी० लखनऊ		38.97	38.97
138. कोपरेटिव डिस्ट०		18.81	18.81
139. सेन्ट्रल डिस्ट०		109.00	109.00
140. गोला डिस्ट०		255.00	250.00
141. पिलखानी डिस्टलरी		109.20	109.20
142. सोहरा डिस्टलरीज		120.12	120.12
143. सिमबोली डिस्टलरीज		136.36	136.36
144. नारंग डिस्टलरी		73.71	73.71

1	2	3
145. मनसोरपुर डिस्टलरी	81.90	81.90
146. मोदी डिस्टलरी	45.50	45.50
147. उन्नाव डिस्टलरी	47.75	47.75
148. मोहननगर डिस्टलरी	42.00	42.00
149. रोक्सा डिस्टलरी	45.46	45.46
150. दून वेली डिस्टलरी	20.46	20.46
151. बाजपुर डिस्टलरी	150.00	150.00
152. पी० वी० के० डिस्टलरी	110.00	110.00
153. वाम ओर्गेनिक्स	159.00	159.00
154. मझोला ओर्गेनिक्स	90.00	90.00
योग	3190.42	3380.42

उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में घाटा

1768. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं और वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रत्येक उपक्रम को कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इन घाटों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) उक्त घाटे को कम करने तथा इन उपक्रमों को लाभ कमाने योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी हां। उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम घाटे में चलते रहे हैं। वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 (दिसम्बर, 1984 तक अनन्तिम) के दौरान इन उपक्रमों को हुई हानियां दर्शाने वाले दो एक विवरण संलग्न हैं।

(ग) योजना आयोग ने भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्रों के कुछ उपक्रमों के कार्य संचालन की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति के निष्कर्षों में मोटे तौर पर सरकारी उपक्रमों को वित्तीय राहत देने, कुछ एककों का पुनर्गठन करने सम्बन्धी सुझाव तथा एककों के आन्तरिक कार्य संचालन को सुदृढ़ बनाने सम्बन्धी उपाय सम्मिलित हैं।

जहां तक औद्योगिक विकास विभाग के अधीन उपक्रमों का सम्बन्ध है, सरकार ने टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (टैफेको) को आर्थिक दृष्टि से जीव्य बनाने के लिए साधनों और उपायों का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1983 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और विशेषज्ञ समिति ने उत्पाद-मिश्र में विविधीकरण का सुझाव दिया था और साथ ही यह सुझाव भी दिया था कि टैफको को 10 टी० पी० डी० की न्यूनतम क्षमता वाला क्रोम चमड़ी का एक आधुनिक संयन्त्र स्थापित करना चाहिए।

(घ) सभी उपक्रमों के कार्य निष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जाती है। निम्नलिखित कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण उपक्रमों के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ा है :

(क) बिजली की कमी।

(ख) कच्चे माल और कोयले की कमी।

(ग) कम/असमान क्रयादेश स्थिति।

(घ) कार्यशील पूंजी का अभाव।

(ङ) पुरानी/गतप्रयोग संयन्त्र तथा मशीनों के कारण क्षमता का कम उपयोग होना।

(च) हाथ के लिए गए रुग्ण एककों की निरन्तर चलने वाली पुरानी देयताएं।

इन उपक्रमों की हानियों को कम करने और इनके कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं; जिनमें पुराने संयन्त्र और मशीनों का नियमित और योजनाबद्ध आधार पर धीरे-धीरे आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन बिजली की कमी को दूर करने के लिए डी० जी० ऐसे की स्थापना तथा और अधिक बिजली देने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों से अनुरोध करना, उत्पादन के नए क्षेत्रों में विविधता लाना, सरकार द्वारा कार्यशील पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए निधियों का प्रावधान करना और कच्चे माल की निविष्टियां दिलाने में उनकी सहायता करना, प्रौद्योगिकी को उन्नत करना और उत्पाद-मिश्र में सुधार करना, समय पर उपचारात्मक उपाय करने के लिए उत्पादन की निकट से मानीटरिंग करना शामिल है।

विवरण-एक

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	उपक्रम	उठाई गई हानि.		
		1982-83	1983-84	1984-85 (दिसम्बर (1984 तक अनन्तिम)
1	2	3	4	5
	औद्योगिक विकास विभाग			
1.	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड	42.17	37.15	—

1	2	3	4	5
2.	भारत आप्थल्मिक ग्लास लिमिटेड	245.07	260.73	235.62
3.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	—	—	509.00
4.	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	352.00	458.00	207.00
5.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	1690.00	3077.00	2095.00
6.	(क) हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड	16.19	33.04	6.77
	(ख) सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड	47.87	8.66	4.15
7.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	148.49	172.39	170.24
8.	नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इ० लि०	272.61	243.00	156.00
9.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०	10.24	—	—
10.	टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	506.68	679.34	572.63
11.	टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	—	—	520.87*

* टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड 24-2-84 को नियमित हुआ है।

विवरण-दो

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	उपक्रम	उठाई गई हानि		
		1982-83	1983-84	1984-85 (दिसम्बर, 1984 तक अनन्तिम)
1	2	3	4	5
	भारी उद्योग विभाग			
1.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड	505	70	343
2.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व लिमिटेड	112	135	135
3.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड	70	—	75
4.	भारत प्रेसेस एण्ड मिकैनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड	178	239	130
5.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	4796	5190	4477
6.	जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड	447	393	393

1	2	3	4	5
7.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	1007	792	785
8.	रिचर्ड्सन एण्डकूडास लिमिटेड	362	477	385
9.	स्कटर्स इण्डिया लिमिटेड	711	1223	1140
10.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरला लिमिटेड	483	311	148
11.	तुगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	116	30	82
12.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड	1883	3142	1620
13.	हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	—	—	50 (1985 के लिए पूर्वानुमानि हानि)

*जुलाई में सरकारी क्षेत्र का उपक्रम बना है।

करनाल तेल शोधक कारखाने के लिए "हाइड्रो क्रैकिंग" प्रौद्योगिकी

1769. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल तेलशोधक कारखाने के लिए एक "हाइड्रो क्रैकिंग" एकक स्थापित करने हेतु जल्दी ही करोड़ों डालर का एक आर्डर दिए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा "केटरिंग" की तुलना में "हाइड्रो क्रैकिंग" प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में अन्य तेल शोधक कारखानों के लिए भी "हाइड्रो क्रैकिंग" प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) करनाल परियोजना की संसाधन योजना सितम्बर, 1984 में सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी जिसमें अधिकतम मध्यम दर्जे के आसुतों का उत्पादन करने के लिए हाइड्रो क्रैकिंग एकक शामिल है।

(ख) केटालिटिक क्रैकिंग के मुकाबले हाइड्रो क्रैकिंग प्रौद्योगिकी को अपनाने के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) हाइड्रो क्रैकिंग प्रौद्योगिकी से अधिकतम मध्यम श्रेणी के आसुतों का उत्पादन होता है जिनकी देश में कमी है तथा अधिकतम नेफथा प्राप्त होता है जो कि आवश्यकता से अधिक है।

(2) हाइड्रो क्रेकर से बेहतर किस्म का उत्पादन होता है तथा इसका उपयोग शोधक कारखाने में उपलब्ध अन्य उत्पादों की किस्म को ऊंचा करने के लिए किया जा सकता है।

(3) हाइड्रो क्रेकिंग प्रौद्योगिकी गतिशीलता उत्पाद मिक्स को बढ़ाती है।

(ग) और (घ) जी हां, जहां कहीं शोधक कारखानों के विस्तार पर विचार किया जाता है।

गोरखपुर उर्वरक कारखाने में उत्पादन में गिरावट

[हिन्दी]

1770. **श्री जैनुल बशर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर उर्वरक कारखाने में उत्पादन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में अधिष्ठापित क्षमता से कितना कम उत्पादन हुआ;

(ग) उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) गोरखपुर उर्वरक एकक की क्षमता उपयोगिता 1982-83 के दौरान 56.51 प्रतिशत, 1983-84 के दौरान 62.13 प्रतिशत तथा 1984-85 के दौरान 62.89 प्रतिशत है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अनुप्रयोज्य उपस्कर तथा मशीनरी को प्रतिस्थापित करने के लिए एक क्रमिक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

रुग्ण बड़े-बड़े औद्योगिक एकक

[अनुवाद]

1771. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उन बड़े औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है जो रुग्ण हो गए हैं और बन्द पड़े हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने मजदूर बेरोजगार हुए हैं;

(ग) वे उद्योग कब से बन्द पड़े हैं और उनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) बैंक द्वारा रुग्ण औद्योगिक एककों के बारे में दिए गए आंकड़ों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत रुग्णता सम्बन्धी अपनी परिभाषा के अनुसार संकलित किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये बड़े और लघु रुग्ण औद्योगिक एककों सम्बन्धी राज्यवार अद्यतन उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। बैंकरों के बीच प्रक्रियाओं और उपयोग प्रथा के अनुसार एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों

को अधिशासित करने वाली सांविधियों के उपबन्धों के अनुरूप बैंकों के अलग-अलग संघटकों के नाम बताना सम्भव नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुग्ण एककों में प्रभावित होने वाले कामगरों के आंकड़े नहीं इकट्ठे किए जाते।

(ग) आन्तरिक और बाह्य जैसे दोनों के अनेक कारण जो अक्सर मिश्रित रूप से बने रहे, देश में औद्योगिक रुग्णता के लिए जिम्मेदार रहे हैं। औद्योगिक रुग्णता के कुछ प्रमुख कारण दोषपूर्ण योजना, प्रबन्ध में खामियां, असक्षम वित्तीय नियन्त्रण, संसाधनों का विविधीकरण, अनुसंधान और विकास पर अपर्याप्त ध्यान देना अप्रचलित प्रौद्योगिकी तथा मशीनें, औद्योगिक सम्बन्धों का कमजोर होना, मांग की अपर्याप्त कच्चे माल और अन्य निविष्टियों की कमी तथा अवस्थापना सम्बन्धी कठिनाइयां हैं।

(घ) प्रशासनिक मन्त्रालयों, राज्य सरकारों और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने के बारे में सरकार द्वारा अक्तूबर, 1981 में जारी किए गए नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य बातें लोकसभा में दिनांक 23-1-85 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 204 के उत्तर में दे दी गई है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बड़े रुग्ण एकक (जैसे कि दिसम्बर, 1983 के अन्त में था) एककों की सं०
1	2
पश्चिम बंगाल	112
महाराष्ट्र	100
उत्तर प्रदेश	54
गुजरात	45
तमिलनाडु	44
कर्नाटक	29
आन्ध्र प्रदेश	19
मध्य प्रदेश	20
केरल	16
बिहार	13
हरियाणा	12
राजस्थान	7
गोवा	5

1	2
उड़ीसा	4
पंजाब	5
असम	2
दिल्ली	1
पाण्डिचेरी	3
हिमाचल प्रदेश	—
जम्मू और काश्मीर	—
चण्डीगढ़	—
मणिपुर	—
मेघालय	—
नागालैण्ड	—
त्रिपुरा	—
दादर, नागर, हवेली	—
अण्डमान और नीकोबार	—
मिजोरम	—
योग	491

मेकेनिकल और क्वार्टज घड़ियों के पुर्जों पर आयात शुल्क कम करना

1772. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेकेनिकल और क्वार्ठज कलाई घड़ियों बनाने के लिए आवश्यक पुर्जों पर आयात शुल्क कम करने का निर्णय किया है;

(ख) देश में घड़ियां बनाने वाली कम्पनियों की संख्या और नाम क्या है;

(ग) आयात शुल्क में उक्त कटौती का घड़ियों के मूल्यों पर कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या सरकार देश में घड़ियों की तस्करी रोकने के लिए कलाई घड़ियों के मूल्य कम करने के बारे में विचार करेगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) दो विवरण संलग्न हैं ।

(ग) मेकेनीकल और क्वार्ट्ज कलाई घड़ियों के हिस्से पुर्जों पर आयात शुल्क कम करने की घोषणा 28 फरवरी, 1985 को गई थी। कलाई घड़ियों पर इसके प्रभाव का अनुमान लगाना समय पूर्व होगा।

(घ) कलाई घड़ियों के मूल्यों पर कोई भी कानूनी नियन्त्रण नहीं है, किन्तु आशा है कि शुल्क में रियायतें देने के परिणामस्वरूप कलाई घड़ियों के मूल्यों में स्वैच्छिक कमी आयेगी जिसके परिणामस्वरूप तस्करी की मात्रा में कमी होगी।

विवरण-एक

संगठित क्षेत्र में कलाई घड़ियों के निर्माताओं की सूची :

1. मे० एच० एम० टी०, 26, कन्निंघम रोड, बंगलौर
2. हैदराबाद, एल्विन लिमिटेड, पो० बा० सं० 1927, सनत नगर, हैदराबाद।
3. मे० इण्डो फ्रेंच टाइम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 12 उद्योग नगर, गोरेगांव (पश्चिम) पो० बा० 7526, बम्बई।
4. मे० हेगडे एण्ड गोले लिमिटेड 17/1, पैलेस रोड, बंगलौर।
5. मे० सौंधी ट्रेसा टाइम इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 13/14, झिलमिल इण्डस्ट्रियल एस्टेट, शाहदरा, दिल्ली-32
6. मे० सेन्डोज (इण्डिया) वाच इण्डस्ट्रीज, एन-87, पंचशील पार्क, नई दिल्ली।
7. मे० इण्डो-स्विस टाइम लिमिटेड, न्यू शापिंग काम्पलैक्स, डिफेंस कालोनी, मूलचन्द अस्पताल के सामने, नई दिल्ली।
8. मे० जैना टाइम इण्डस्ट्रीज, 7/25, दरियागंज, नई दिल्ली।
9. मे० कैमी इण्डिया, 78/78-ए, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, पो० बा० सं० 3332, बम्बई।
10. मे० पुरेवाल एण्ड एसोसिएट्स लिमिटेड, जुब्बेर-173202, जिला सोलवन।
11. मे० अमर वाचेज प्राइवेट लिमिटेड 629-ए, जे० एस० एस० रोड, धोबी तालाब, बम्बई।

विवरण-दो

लघु क्षेत्र में कलाई घड़ियों का उत्पादन करने वाले एककों की सूची

1. मे० अशोक वाच कंपनी
ई-1 एकक, गवर्नमेंट इण्डस्ट्रियल स्टेट,
पो० आ०-गारंगोपुर,
निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश)

2. मे० अक्कू टाइम्स,
बी० चाक गुजरान,
पो० आ० प्लानवाला,
जिला होशियारपुर।

3. मे० अग्रवाल इन्जी० इण्डस्ट्रीज,
डी-118, डा० किचलू नगर,
लुधियाना-1

4. मे० अनन्त राय बी० मेहता,
शेड नं० सी०-1 बी/73, जी०
आई० डी० सी० एस्टेट, वापी गुजरात।

5. मे० अल्का वाचेज प्रा० लि०
बेगम ब्रिज, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

6. मे० अस्त्र वाचेज,
978, सेक्टर-14, महरौली रोड,
गुड़गांवा, हरियाणा।

7. मे० असरानी टाइम इण्ड०,
स्टेशन रोड कटनी, मध्य प्रदेश।

8. मे० ऐश्वर्य एन्टरप्राइजेज,
हेमावती वांच काम्पलैक्स,
हसन, कर्नाटक।

9. मे० अरिस्टो टाइम,
अब्बास भाई मुल्ला बिल्डिंग,
190, मैन रोड, बाजार के सामने, वापी, गुजरात।

10. मे० बिहार टाइम इण्डस्ट्री,
काजी टोला, आरा, बिहार।

11. मे० भारत टाइम इडस्ट्रीज
चम्बाघा, सोलन, हिमाचल प्रदेश।

12. मे० भारत मैकेनीकल वाचेज, सेठी निवास, देवघाट, पो० आ० सधरुन, सोलन हिमाचल प्रदेश।

13. मे० भूपिन्द्रा टाइम इण्डस्ट्रीज, ओल्ड बस स्टैंड, धौलपुर, राजस्थान।

14. मे० बालबन्धु, बी०/136, आई० ई० मापुका, गोवा।

15. मे० क्राउन वाचेज, डी-13, भोलाव एण्ड० एस्टेट, भड़ौच-गुजरात।

16. मे० सिकेसा कारपोरेशन, 16-18, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, बम्बई।

17. मे० क्लाइमेक्स टाइम इण्डस्ट्रीज, 701, सेक्टर-14, गुड़गांव-हरियाणा।

18. मे० चेरुपुष्प टाइम-इण्डस्ट्रीज, दलाई, केरल।

19. मे० डायमण्ड टाइम एण्ड०, 131 नवीन मार्केट, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

20. मे० डायमण्ड वाच एण्ड० 27, रविपेठ शोलापुर, महाराष्ट्र।

21. मे० दक्कन वाच इण्डस्ट्रीज, 39, रेलवे लाइन, शोलापुर, महाराष्ट्र।

22. मे० दीवान चन्द्र एण्ड कं०, सदर अम्बाला कैंट।

23. मे० एक्स० पो० टाइम इण्ड०, 38, नवीन मार्केट, मानपुर, उत्तर प्रदेश।

24. मे० फिरूपा लाल टाइम एण्ड, 266/15, मेन रोड, रांची (बिहार)

25. मे० गोयल इण्डिया, 78-ए०, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, बम्बई।

26. मे० गर्ग ट्रेडर्स, भटिंडा, पंजाब।

27. मे० ग्लोबल एंटरप्राइज, के-59, सरला नगर, लुधियाना, पंजाब।

28. मे० ग्लोबस टाइम इण्ड०, ए०/7-सी, कार्मशियल एस्टेट, सिविल टाउनशिप, राउरकेला, उड़ीसा।

29. मे० जीभ वाच मैन्यू० एण्ड, शेड नं० 296, डी० पी० ओ० भवाड़ी जि० अलवर, राजस्थान।

30. मे० हिन्दुस्तान टाइम इण्डस्ट्रीज, एस० सी० ओ० नं० 31, सेक्टर-17 ई०, चण्डीगढ़।

31. मे० हिमाचल टाइम इण्डस्ट्रीज,
4 (ग्राउंड फ्लोर)
इलैक्ट्रोनिक्स काम्पलैक्स,
चम्बाघाट, सोलन, हि० प्र०।

32. मे० हिम न्यू० टाइम इण्डस्ट्रीज,
चम्बाघाट, सोलन, हि० प्र०।

33. मे० हेमा वाच इण्डस्ट्रीज,
1673, नादर्न एक्सटेंशन,
हसन, कर्नाटक।

34. मे० एच० जे० पारिख,
रवीन्द्र नाथ टैगोर रोड,
जन्तर कम्पाउण्ड, सुरेन्द्र नगर,
गुजरात।

35. मे० हितकारी जैन इण्डस्ट्रीज,
21, फ्रेंन्ड्स कालोनी, गली नं० 3,
जी० टी० रोड, दिल्ली।

36. मे० हिन्दुस्तान वाच फैक्टरी,
6 सुभाष नगर, रकाबगंज, लखनऊ।

37. मे० इण्डो-स्विस टाइम इण्डस्ट्रीज,
बौराइटी स्क्वेचर, नागपुर, महाराष्ट्र।

38. मे० काशिन्द होरीलोजीकल इण्डस्ट्रीज
(प्रा०) लि०, नातीवाड़ा, श्रीनगर।

39. मे० केन्स टाइम इण्ड०,
टी० बी० रोड, कोट्टायम, केरल।

40. मे० कला ट्रेडिंग एजेन्सीज,
सी-28, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट,
थट्टाचावड़ी, पांडिचेरी।

41. मे० कावेरी इंजीनियर्स,
6/9 कीर्तिनगर, इण्डस्ट्रियल,
एरिया, नई दिल्ली।

42. मे० कमल टाइम इण्डस्ट्रीज,
स्टेशन रोड, कटनी (मध्य प्रदेश)

43. मे० कोटक वाच इण्डस्ट्रीज, राजवाड़ा,
एरिया रोड, जिला कालाहाड़ी उड़िसा।

44. मे० लक्ष्मी-वाच इण्ड०
हेमावती वाच काम्पलैक्स, हसन कर्नाटक ।

45. मे० लवलीन (इण्डिया)
6/9, कीर्ति, नगर, इण्ड० एरिया, नई दिल्ली ।

46. मे० एम० एम० सिंह एण्ड सन्स,
इम्फाल, मणिपुर ।

47. मे० मैसूर टाइम इण्डस्ट्रीज,
10, फर्स्ट मैन रोड,
गांधी नगर, बंगलौर ।

48. मे० गार्डन इलैक्ट्रोनिक्स,
जी० टी० रोड, सोनीपत ।
कुण्डली, हरियाणा ।

49. मे० एम० आर० वर्मा एण्ड ब्रादर्स,
बाजार भाई सेवान, अमृतसर ।

50. मे० राघव टाइम इण्डस्ट्रीज
स्टेशन रोड, कटनी, मध्य प्रदेश ।

51. मे० मास्टर वाच इण्डस्ट्रीज,
यूनिट नं० 1, काशीपुर, उत्तर प्रदेश ।

52. मे० मास्टर टाइम इण्डस्ट्रीज यूनिट सं० 2,
काशीपुर, उत्तर प्रदेश ।

53. मे० निविनो टाइम इण्डस्ट्रीज,
स्टेशन रोड, कटनी, मध्य प्रदेश ।

54. मे० नारायण टाइम इण्डस्ट्रीज,
स्टेशन रोड, मध्य प्रदेश ।

55. मे० नारायण वाच कं०
4, गुरु तेग बहादुर मार्केट,
क्लाक टावर, लुधियाना ।

56. मे० न्यू टाइम,
बंसल लाज, चम्बा घाट, सोलन ।

57. मे० निविदा टाइम,
एकक सं० 5, रोशन मंजिल,
मेन रोड, दम्मान ।

58. मे० ओलम्पिक टाइम (इंडिया)
(प्रा०) लि० 184, आबूलेन,
मेरठ, उत्तर प्रदेश ।

59. मे० प्रीमियर वाच एण्ड,
3037, गांधी रोड,
नागिन पोल, अहमदाबाद।

60. मे० पर्ल, टाइम इण्डस्ट्रीज,
7, इण्ड० एस्टेट, धरमपुर।

61. मे० पैकार्ड टाइम (प्रा०) लिमिटेड,
7वां माइल स्टोन,
146, जी० टी० रोड, साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश)

62. मे० प्रकाश टाइम इण्डस्ट्रीज,
सूरजपोल के बाहर,
उदयपुर, राजस्थान।

63. मे० राजस्थान वाच मैन्युफैक्चरर्स,
डी-468 बी रोड 9-ए,
विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर।

64. मे० सीगल टाइम इण्डस्ट्रीज,
136-14/72, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, चण्डीगढ़।

65. मे० रोडेनिया (इंडिया),
6/9, कीर्तिनगर इण्डस्ट्रियल एरिया,
नई दिल्ली।

66. मे० रूबी,
6/9, कीर्ति नगर इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली।

67. मे० रघुबीर वाच कं०, वीर मार्ग, जम्मू।

68. मे० राघव इलैक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्रीज,
(प्रा० लि०) ए-1/117, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली।

69. मे० स्टेंडर्ड वाच कं०,
इण्डस्ट्रियल एस्टेट,
सोनुर, जम्मू और काश्मीर।

70. मे० सरस्वती टाइम इण्डस्ट्रीज,
4-ईवनिंग बाजार रोड, मद्रास।

71. मे० शाह कार्मशियल,
चौथी मंजिल, 104, धमजी स्ट्रीट, बम्बई।

72. मे० साउथ इंडिया वाच इण्डस्ट्रीज (प्रा० लि०)
इलै० एण्ड इलैक्ट्रानिक्स इन्डस्ट्रियल,
एस्टेट, होसुर, तमिलनाडु।

73. मे० सुपर टाइम्स (इन्डिया)
गणेशपुरम, जब्बर सिंह रोड,
मुरैना, म० प्र०।

74. मे० सर्व टाइम इण्डस्ट्रियल, जी० टी० रोड,
बल्लभगढ़ (हरियाणा)

75. मे० सतीश चन्द्र शाह,
125, इन्डस्ट्रियल एस्टेट,
सिलवासा, दादर व नगर हवेली।

76. मे० सुभाष वाच इन्डस्ट्री,
जनता शापिंग सेंटर,
85, नवीपेठ, सोलापुर, महाराष्ट्र।

77. मे० तोवा क्लाक एन्ड टूल्स (प्रा० लि०)
तोवा मैंशन, सिटी स्टेशन रोड, रायपुर।

78. मे० टैकनिका वाचेज,
चम्बाघाट, सोलन, हि० प्र०।

79. मे० टैटी वाच मैन्यूफैक्चरिंग इन्डस्ट्री,
त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।

80. मे० तवी वाच इन्डस्ट्री,
168, पंनजी तिरती, जम्मू।

81. मे० उत्तम इन्डस्ट्री (प्रा०) लि०,
23/1, क्रीसेंट रोड, बंगलौर, कर्नाटक।

82. मे० विकास वाच मैन्युफैक्चरिंग इण्डस्ट्री,
पुलिस चौक,
चण्डिका तसेल, जयपुर।

83. मे० विजय वाच इन्डस्ट्रीज,
दीवान मोहल्ला रोड,
सिरघाट, पटना शहर,
पटना, बिहार।

"पेटेंट" की सुरक्षा

1773. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल अलाइन्स ऑफ यंग ईटर प्रिन्यार (एन० ए० वाई० ई०) ने सरकार से अनुरोध किया है कि "पेटेंट" के मामले में और अधिक सुरक्षा प्रदान की जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) नेशनल एलायंस ऑफ यंग एंटरी प्रीन्योर्स ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें सरकार से अनुरोध किया है कि लघु उपक्रमों को उनके आविष्कारों के लिए पहले से अधिक विविध प्रकार का पर्याप्त कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए अपना समर्थन देते हुए अभ्युपाय किए जायें।

उक्त ज्ञापन में मूल रूप से निम्नलिखित दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं :—

1. कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा केन्द्रीय बैंक के साथ सम्बद्ध केन्द्रीकृत पेटेंट डाटा बैंक स्थापित किया जाए तथा तकनीकी विकास से सम्बन्धी जानकारी आसानी से सुलभ जाय; और

2. ऊपर बताये गए अन्वेषण के लिए कानूनी संरक्षण को और व्यापक बनाया जाय तथा अन्य औद्योगिक उपलब्धियों के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को विद्यमान प्रक्रियाओं से आगे और सशक्त बनाया जाये।

जहां तक पहले मुद्दे का सम्बन्ध है, देश के विभिन्न प्रभागों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर पेटेन्ट निरीक्षण केन्द्र हैं जो पेटेन्ट कार्यालय द्वारा इन केन्द्रों को उपलब्ध कराए गए पेटेन्ट साहित्य को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा पेटेन्ट सूचना से सम्बन्धित विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाल ही में केन्द्रीकृत पेटेन्ट सूचना प्रणाली नागपुर में स्थापित की गई है। यह केन्द्र पूरी तरह से विकसित किया जा रहा है, अतः कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से केन्द्रीय डाटा बैंक को विकेन्द्रित पेटेन्ट डाटा बैंक से सम्बद्ध करने का प्रश्न ही इस समय नहीं उठता। पी० आई० एस० के पूरी तरह विकसित हो जाने पर यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

दूसरे मुद्दे के सम्बन्ध में पेटेन्ट अधिनियम 1970 जो पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम 1911 को रद्द करता है, दिनांक 20 अप्रैल 1972 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों और बड़े उद्यमों के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। पेटेन्ट के लिए सभी आवेदकों को समान समझा जाता है और अधिकार भी, जो पेटेन्ट प्रदान करने के बाद प्राप्त होते हैं, वही हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए डाकघर

1774. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान सर्किल-वार (बहु राज्यीय सर्किलों के मामले में राज्य-वार) कितने डाकघर खोले गये तथा 1983-84 और 1984-85 में खोले गये ऐसे डाकघरों का स्थानों के नाम सहित ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई० बी० एम० और कोकाकोला

*1775. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो बहुराष्ट्रीय बड़ी अमेरिकी कम्पनियां—इण्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स और कोकाकोला, जिन्हें 1977 में भारत से बाहर भेज दिया गया था, इस देश में वापसी की इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय ने उनकी दलील को स्वीकार नहीं किया है और उनके विरुद्ध निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या मामला अभी भी विचाराधीन है अथवा अन्तिम निर्णय से उन्हें अवगत करा दिया है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय को नहीं मिला है?

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय उर्वरक निगम को हुई हानि

1776. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के बड़े संयंत्रों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम को गत वर्ष हुई हानि में काफी कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम दस महीनों के दौरान निगम की हानि, 1983-84 की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत कम रह गई है;

(घ) हानि को कम करने और इन एककों से लाभ अर्जित करने के लिए किन बड़े उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) किए गए उपाय किस सीमा तक फलीभूत हुए हैं?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) निगम के चालू एककों के उत्पादन में क्रमिक वृद्धि हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले दस महीनों (अप्रैल, 1984 से जनवरी, 1985 तक) के दौरान पिछले वर्ष की तत्संम्बन्धी अवधि की तुलना में निगम की हानियां 25.27 प्रतिशत कम हुई हैं (अनन्तिम आंकड़े)।

(घ) निगम के निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं?

1. **सिन्दरी मशीकरण** : सिन्थेटिक गैस कम्प्रेसर, सी० ओ० कन्वर्शन सेक्शन तथा एयर सेपरेशन यूनिट में रिवेक्स बोक्सेस में उपस्कर समस्याओं को मई-जून, 1985 में वार्षिक मरम्मत के दौरान हटाने का प्रस्ताव है।

2. **गोरखपुर** : अप्रयोज्य उपस्कर तथा मशीनरी के प्रतिस्थापन के लिए एक क्रमिक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ।

3. **रामागुण्डम एवं तालचर** : (1) एयर-कम्प्रेसरों तथा टरबाइनों में कम्पन की समस्याओं, एयर सेपरेशन संयन्त्र में रिजेनरेट्रो में रिसाव तथा इकोनोमाइजर, सुपर हीटरों तथा वाल ट्यूब्स में रिसाव के कारण बायलरों की बारम्बार खराबी को दूर करने के लिए बी० एच० ई० एल० के विशेषज्ञों को लगाया जा रहा है और (2) उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर उत्पादन में अवरोधों को हटाने के लिए अपेक्षित दीर्घावधि उपायों की शिनाख्त की गई है । कम्पनी ने संयन्त्रों के सम्पूर्ण सर्वेक्षण के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

(ङ) पहले किए गए उपचारी उपायों से उत्पादन में वृद्धि हुई है और कम्पनी ने अप्रैल, 1984 से जनवरी, 1985 के दौरान हानियों को पिछले वर्ष की तत्सबन्धी अवधि की तुलना में घटा कर लगभग 19 करोड़ रुपए किया है ।

"नाइट्रिक एसिड" की कमी

1777. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "नाइट्रिक एसिड" की कमी के कारण रासायनिक तथा औषध एककों को हो रही कठिनाइयों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है; और

(ख) यदि हां, तो उच्च स्तरीय बैठक के क्या परिणाम निकले हैं तथा नाइट्रिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) नाइट्रिक एसिड की कमी, राष्ट्रीय कैमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर० सी० एफ०), बम्बई के नाइट्रिक एसिड का निर्माण करने वाले तीन एककों में से एक एकक में उत्पादन में आंशिक रुकावट के कारण हुई है । आर० सी० एफ० को यह सुनिश्चित करने हेतु सलाह दी गई है कि वे अपनी उत्पादन योजना में संशोधन करके प्राथमिक तौर पर नाइट्रिक एसिड प्रयोगकर्ता उद्योगों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त मात्रा में नाइट्रिक एसिड उपलब्ध कराये । कमी को दूर करने हेतु तदनुसार वे उपयुक्त प्रबन्ध कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जा रही है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल के भण्डारों की खोज

1778. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल के और भण्डारों की व्यापक खोज की योजना के अन्तर्गत 165 कुओं के द्वारा कुल 6.57 लाख मीटर तक खोज ड्रिलिंग की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें आयोग का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सम्मिलित है, जो 20 वर्षीय दीर्घकालिक संकल्पना कार्यक्रम का एक अंग है;

(ग) यदि हां, तो प्रमुख खोज ड्रिलिंग के मुख्य लक्ष्य क्या हैं;

(घ) क्या अगले पांच वर्षों में प्रस्तावित क्षेत्र सर्वेक्षणों तथा तेल की खोज के लिए ड्रिलिंग से तेल के मिलने की काफी सम्भावनाएं हैं तथा इससे तेल तथा गैस के भण्डार वाले क्षेत्रों में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1985 के दौरान तेल के भण्डारों की व्यापक खोज के लिए क्या योजनाएं प्रारम्भ की जाएंगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए जाने वाले अन्वेषणात्मक कार्यक्रम का विवरण सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही उपलब्ध होगा।

(ङ) वर्ष 1985-86 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपर असम, नागालैण्ड तथा कछार में निम्नलिखित अन्वेषण कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है :

(क) ज्योलोजिकल सर्वे (पार्टी वर्ष)	:	4
(ख) ग्रेविटी मेग्नैटिक सर्वे (पार्टी वर्ष)	:	1
(ग) सिस्मिक सर्वे (पार्टी वर्ष)	:	12
(घ) अन्वेषणात्मक खुदाई		
1. मीटर	:	64610
2. कुओं की संख्या	:	22

राजनन्द-गांव (मध्य प्रदेश) में नए डाक तथा तारघरों का निर्माण

1779. श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनन्द गांव के जिला मुख्यालय में नए डाकघरों तथा तारघरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा डाकघरों का निर्माण कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

निर्वाचनों में चलते-फिरते मतदान केंद्रों का प्रयोग

1780. श्री जी० जी० स्वेल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1985 में हुए विधान सभा निर्वाचनों के दौरान बिहार में कोसी नदी के पूर्वी तटबन्ध क्षेत्र में मतदाताओं के लिए चलते-फिरते मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करनी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या बिहार में चलते-फिरते मतदान केन्द्रों का परीक्षण के आधार पर प्रयोग किया गया था और भविष्य में इस प्रकार के और मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने, जिससे इस विषय में परामर्श लिया गया था, सूचित किया है कि अपेक्षित जानकारी राज्यों से इकट्ठी की जा रही है और इस कार्य को करने में कुछ और समय लगेगा। निर्वाचन आयोग ऐसा कार्य पूरा करने के पश्चात् जो जानकारी उपलब्ध करेगा, उसे उसके प्राप्त होते ही सदन के पटल पर तुरन्त रख दिया जाएगा।

कागज और अखबारी कागज का आयात

1781. श्री अजय बिश्वास : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कागज और अखबारी कागज की कुल मांग कितनी है; और

(ख) 1981, 1982, 1983 और 1984 के दौरान कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का कागज और अखबारी कागज आयात किया गया ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 1984-85 के अन्त तक कागज तथा गत्ते की अनुमानित मांग 15.40 लाख मी० टन और 1984-85 के दौरान अखबारी कागज की मांग 3.85 लाख मी० टन है।

(ख) आयातित कागज तथा अखबारी कागज की कुल मात्रा तथा उसका मल्य इस प्रकार है :

वर्ष	सफेद अखबारी कागज		अखबारी कागज	
	मात्रा (मी० टन)	मूल्य (करोड़ रु० में)	मात्रा (मी० टन)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1981-82	43,080	28.01	300,526	154.66
1982-83	5,766	3.74	200,012	108.94
1983-84	3,903	2.17	193,707	99.98
1984-85	शून्य	शून्य	193,325 (अप्रैल-दिसम्बर)	111.61 (अनन्तिम)

उपर्युक्त के अलावा, आर० ई० पी० के अन्तर्गत अखबारी कागज और छपाई के कागज की कुछ मात्रा और विशेष किस्मों के कागज भी आयात किए जाते हैं।

आसाम के कछार जिले में छिद्रण कार्य

1782. श्री अजय बिश्वास : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के कछार जिले में कितने रिग कार्य कर रहे हैं;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1982, 1983 और 1984 के दौरान कछार जिले में छिद्रण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ग) इस अवधि के दौरान क्या उपलब्धि प्राप्त हुई;

(घ) लक्ष्य प्राप्त न कर सकने के क्या कारण हैं;

(ङ) बाधा को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) दो।

(ख) और (ग) लक्ष्यों का निर्धारण वित्तीय वर्ष वार किया जाता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वेधन-लक्ष्य और तदनुरूपी उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

	मीटरेज वेधन	
	लक्ष्य	वास्तविक
1982-83	2908	642
1983-84	2200	1196
1984-85	3789	2407 (22-3-85 तक)

(घ) मुख्य कारण हैं :

(1) कठिन भूमिगत स्थितियों के कारण उत्पन्न डाउन-होल समस्या।

(2) मुश्किल संभार-तन्त्र।

(3) ढांचों की स्थिति की समस्या जैसे हिली टेरिन या लो आर्शीएरिया इत्यादि।

(ङ) इसके साथ-साथ उपस्कर—आधुनिकीकरण, कार्मिकों का प्रशिक्षण और रिग्स और भारी उपस्कर की गतिविधियों को सुसाध्य बनाने के लिए पुल-निर्माण से सम्बन्धित संगठनों के साथ मिलकर काम करना।

देश में नये डाकघर और तारघर खोलना

1783. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के नये डाकघर और तारघर खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) देश में, विशेषत: उड़ीसा में वर्ष 1984 के दौरान कितने डाकघर तथा तारघर खोले गये;

(ग) क्या वर्ष 1985 के दौरान देश में नये डाकघर तथा तारघर खोलने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डाकघर और तारघर (संयुक्त डाक तारघर) खोलने के लिए मानदंड क्रमशः संलग्न विवरण एक, दो और तीन में दिए गए हैं।

(ख) (i) 1984 के दौरान (जनवरी से दिसम्बर, 1984 तक) खोले गए नए डाकघरों की संख्या इस प्रकार है:—

देश के शहरी क्षेत्र में 79, ग्रामीण क्षेत्र में 361, उड़ीसा राज्य के शहरी क्षेत्र में 18, ग्रामीण क्षेत्र में 21.

(ii) 1984 के दौरान (1-4-84 से 15-1-85 तक) खोले गए तार (संयुक्त डाक तार-घर) की संख्या इस प्रकार है :—

समूचे देश में —136

उड़ीसा राज्य में (15-2-85)—26

(ग) एवं (घ) अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-एक

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

(क) देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड

देहाती इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर, और
2. आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर।

(1) सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलना :

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि०मी० की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'गैर-ग्राम पंचायत' वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए;

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(2) आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलना :

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर पंचायती ग्रामों में डाकघर खोले जा सकते हैं; बशर्ते कि :

(क) ग्राम (अथवा 1.5 कि० मी० की दूरी के अन्दर ग्रामों का समूह) की जनसंख्या 1000 अथवा अधिक हो।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० की दूरी में कोई अन्य डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक आय होने की संभावना हो।

नोट : ग्रामीण डाकघर इस श्रेणी में आते हैं :—

(एक) सामान्य ग्रामीण क्षेत्र और (दो) पिछड़े और जनजाति क्षेत्र/जनजातीय क्षेत्रों को गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है। डाक सुविधाओं के विकास की दृष्टि से पिछड़े इलाकों का निर्धारण करते समय यह देखा जाता है कि क्या उन इलाकों के विकास की अवस्था जनसंख्या का प्रति डाकघर सेवाधीन क्षेत्र से सम्बन्धित अखिल भारतीय औसत के हिसाब से सौ फीसदी गिरी हुई हालत में है या नहीं।

(दो) दूसरे, जब जनसंख्या/सेवित क्षेत्र के आधार पर अखिल भारतीय औसत और सर्किल औसत की तुलना में जब किसी क्षेत्र की स्थिति गिरी हुई होती है; इसके अलावा डाकघर प्रदान किए जाने वाले गांवों के प्रतिशत के सम्बन्ध में समूचे सर्किल के साथ तुलना करके जब स्थिति प्रतिकूल होती है, तब उस क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है।

(तीन) प्रति डाकघर अखिल भारतीय औसत 23.10 वर्ग कि०मी० और जनसंख्या 4,805। पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का तेजी से विस्तार करने के लिए अधिक आर्थिक सहायता दी जाती है।

(चार) 'पहाड़ी क्षेत्र' की अवधारणा को छोड़ दिया गया है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, जो जनजाति क्षेत्र भी है, स्वयं 'जनजाति क्षेत्रों' की श्रेणी में आ जाते हैं।

(ख) शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड :

शहरी क्षेत्रों में डाकघर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर खोले जा सकते हैं :—

(एक) डाकघर को वित्तीय दृष्टि से आत्म-निर्भर होना चाहिए; और

(दो) 20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1 कि० मी० होनी चाहिए। अन्य शहरों में, दो डाकघरों के बीच कम से कम दूरी 1.5 कि० मी० होनी चाहिए।

सर्किलों के अध्यक्ष प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्तों में छूट दे सकते हैं।

विवरण-दो

ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक तार घर खोलने से संबंधित संशोधित नीति

छठी योजना अवधि (विवरण-एक) के दौरान घाटे पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक तार घर खोलने से सम्बन्धित मौजूदा नीति पर डाक तार बोर्ड कुछ समय से विचार कर रहा था। इस सम्बन्ध में किए गए अध्ययन से पता चला है कि यदि हम जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम राजस्व की शर्त का निर्धारण किए बगैर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति को अपनाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर देश के पहाड़ी और बिखरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस सुविधा को बढ़ाने में असमानता की स्थिति पैदा होगी। मौजूदा नीति की सावधानी-पूर्वक पुनरीक्षा करने के पश्चात् तथा सेवा की विश्वसनीयता पर अत्यधिक बल देते हुए सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का समान रूप से विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक तार बोर्ड ने जो निर्णय लिए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(एक) विवरण-एक में बताई गई मौजूदा नीति तो जारी रहेंगी ही, परन्तु इसके साथ ही देश की आबादी वाले अधिकांश स्थानों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन 5 कि० मी० के घेरे में सुलभ कराने की नीति को एक नीति लक्ष्य के बतौर अपनाया जाएगा और इस लक्ष्य को चालू वर्ष में आरंभ करके 1990 तक उत्तरोत्तर प्राप्त किया जाएगा। स्थानिक वितरण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लम्बी दूरी के जो सार्वजनिक टेलीफोन घर आवश्यक होंगे उन पर से न्यूनतम राजस्व की पूर्व शर्त को हटा दिया जाएगा।

(दो) इस क्षेत्र में सेवा की विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मल्टी-एक्स से रेडियो टेलीफोन प्रणाली की प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए और इस प्रणाली के तहत पहाड़ी तटीय, वन्य एवं रेगिस्तानी इलाकों तथा जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों व ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां विद्युत प्रेरण (पावर इंडक्शन) के कारण खुली तार लाइनें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती तथा मैदानी क्षेत्रों के उन स्थानों में जो सड़क मार्ग से 20 कि० मी० (मार्ग की लम्बाई) से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं और ऐसे अन्य सभी मामलों में जहां मल्टी-एक्स रेडियो प्रणाली अपनी लागत के अनुसार कारगर साबित होती हैं लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किए जाएंगे।

(तीन) गैर-विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंट, डाकघरों के उपलब्ध न होने अथवा जहां डाकघर के कार्य घंटे अपर्याप्त हैं, जहां आवश्यक होगा, नियुक्त किए जाएंगे। गैर-विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंटों का चयन क्षेत्रीय सर्किल के महाप्रबन्धक दूरसंचार द्वारा किया जाएगा।

(चार) गैर-विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंट का पारिश्रमिक 40 (चालीस) पैसे प्रति काल होगा लेकिन प्रतिमाह 250 रु० (दो सौ पचास रुपये) से अधिक नहीं होगा और एल० डी० पी० टी० के कार्य घंटे कम से कम 8 घंटे होंगे। विकलांग व्यक्ति के

मामले को छोड़कर इस प्रकार प्राप्त पारिश्रमिक ही, एल० डी० पी० टी० एजेंट की आय का मुख्य स्रोत नहीं होगा।

डाक-तार बोर्ड ने यह भी निदेश दिए हैं कि समूचे देश को विभिन्न ग्राम-समूहों के षड्भुज आकार के क्षेत्रों (5 कि० मी० के समान भुजा वाले षड्भुज क्षेत्र) में विभाजित किया जाए। हां, ऐसा करते समय वे स्थान छोड़ दिए जाएंगे जो निर्जन हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, नदियां, झीलें, रेगिस्तान आदि। प्रत्येक ग्राम समूह में केन्द्र-स्थल के बतौर एक ऐसे ग्राम का पता लगाया जाएगा जहां कि लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किया जा सके। इस सेवा को 5 कि० मी० के भीतर सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए ग्राम-समूहों का पता लगाने का कार्य राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन० सी० ई०, आर०) को सौंपा गया है, जिनकी रिपोर्ट विस्तृत नक्शों सहित योजना उद्देश्यों के लिए सर्किलों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

उक्त अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्राम-समूहों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए स्थान-निर्धारण के उद्देश्य से अपेक्षित आंकड़ों के साथ ब्यौरेवार नक्शे प्राप्त हो जाने पर सर्किलों के अध्यक्ष डाक तार बोर्ड के उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से खुली-तार प्रणाली और मल्टी-एक्स से रेडियो प्रणाली दोनों पर भविष्य में खोले जाने वाले लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए ब्यौरेवार वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था करेंगे।

हालांकि मल्टी-एक्स से रेडियो प्रणाली के अन्तर्गत लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए परियोजना प्राक्कलन उपस्कर आदि का आबंटन करने के उद्देश्य से निदेशालय को भेजे जाते रहेंगे।

विवरण-तीन

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने की नीति स्थानों की श्रेणियां

1. जिला मुख्यालय
2. उप-मंडलीय मुख्यालय
3. तहसील मुख्यालय
4. उप-तहसील मुख्यालय
5. ब्लाक मुख्यालय
6. ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें
घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

7. वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज पुलिस उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तार खोलने के लिए शर्तें
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत तथा पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

8. आम रास्ते से दूर के स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तार घर खोलने के लिए शर्तें
(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि० मी० से अधिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए।	(क) मौजूदा तारघर से 20 कि० मी० से बाहर (अरीय दूरी) होनी चाहिए।
(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े/पर्वतीय इलाकों में 5000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

9. पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिंचाई/पावर परियोजना स्थल/नगर क्षेत्र

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तार घर खोलने के लिए शर्तें
(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े/पर्वतीय इलाको में 5000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

10. सभी अन्य स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तार घर खोलने के लिए शर्तें
वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर।	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर।

टिप्पणी—(1) (क) जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार करते समय जनजातीय क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर जहां किसी केन्द्रीय ग्राम से 10 कि० मी० के घेरे के अन्तर्गत आने वाले ग्राम समूह की जनसंख्या पर विचार किया जा सकता है। केवल एक ही नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार किया जाना चाहिए न कि नगरों अथवा ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। छूट की इस शर्त के अन्तर्गत एक दूसरे से 10 कि० मी० की दूरी के भीतर सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं खोले जा सकते।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम से वरीयता दी जाएगी :

1. जन-जातीय विकास खंड मुख्यालय।

2. जिन स्थानों पर एल० ए० एम० पी० एस० (बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समितियां) स्थापित हैं; और

3. ग्रामीण उद्योगों और/अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

(2) यदि प्रस्तावित तारघर के 8 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य तारघर पर कार्य करता हो तो घाटे पर तार घर नहीं खोला जाना चाहिए।

लोक सभा/राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में डाले गए मतों की दल-वार स्थिति

1784. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाल ही में हुए लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में कितने प्रतिशत मतदान हुआ; और

(ख) इन निर्वाचनों में प्रत्येक राजनैतिक दल को राज्यवार कितने मत प्राप्त हुए ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी निर्वाचन आयोग के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है। आयोग से प्राप्त होते ही इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों में प्रयुक्त रेगुलेटर

1785. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों में किस-किस प्रकार के रेगुलेटर प्रयोग किए जाते हैं;

(ख) इन रेगुलेटरों के निर्माता का नाम क्या है; और

(ग) उनमें कौन-सी किस्म के रेगुलेटर को अधिक उपयोगी और सुरक्षित पाया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देश में इस समय घरेलू पाक गैस कनेक्शनों में दो किस्म के दाब रेगुलेटरों का प्रयोग किया जा रहा है :—

(i) ऐसे रेगुलेटर जिनके इंलेट पर स्क्रू कनेक्शन है।

(ii) ऐसे रेगुलेटर जिनके इंलेट पर क्लिक-आज कनेक्शन है।

(ख) इन रेगुलेटरों के निर्माताओं के नाम नीचे दिए गए हैं :—

(i) मैसर्स वनज इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, पुणे

(ii) मैसर्स कोसान मेटल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सूरत/बम्बई

(iii) मैसर्स एल पी गैस इक्विपमेंट कम्पनी, भारूच

(iv) मैसर्स केबसन्स गैस इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद

(v) मैसर्स इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

(ग) दाब को कम करने के प्रयोजन से तथा सम्बद्ध मानकों द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर कम दाब बनाए रखने के लिए दोनों किस्म के रेगुलेटर एक समान उपयोगी व सुरक्षित हैं।

स्वरोजगार योजना के लिए राज्यों में उपलब्ध ऋण और आर्थिक राज-सहायता

[हिन्दी]

1786. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्व० प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा घोषित स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ शासी क्षेत्रों में ऋण और आर्थिक राज-सहायता की कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई;

(ख) उक्त योजना के लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति इस योजना के लाभों से वंचित रह गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार कुल ऋण राशि का 25 प्रतिशत सहायता अनुदान देती

है। जिसकी सीमा 25,000 रु० है। ऋण की राशि एक उद्यम से दूसरे उद्यम में भिन्न होती है। भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई आर्थिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं परन्तु प्रत्येक राज्य के लाभग्राहियों की संख्या से संबंधित लक्ष्य नियम किए गए हैं और किसी राज्य में ऋण की जो भी राशि मंजूर की जाती है, उसका 25 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में दिया जाता है।

(ख) से (घ) लाभग्राहियों की श्रेणीवार सूचना केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र नहीं की जाती है।

उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा-घाट मोटर सड़क का निर्माण

1787. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क महानिदेशालय ने उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा-घाट मोटर सड़क के पुनर्निर्माण, उसे चौड़ा करने और पक्का बनाने का कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं; तो उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सड़क के पुनर्निर्माण तथा उसे चौड़ा करने और 95% पक्का बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य को चालू वर्ष अर्थात् 1985 के दौरान पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

1788. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम को आशय-पत्र जारी किए गए थे;

(ख) यदि हां तो ये आशय-पत्र कब जारी किये गए थे और क्या इन आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस के रूप में परिवर्तित किया गया है और इन उपक्रमों ने अब तक सभी संयंत्रों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब न होने देने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) 1980 से आशय-पत्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के उपक्रम में, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड को अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए जारी किए गए हैं। इन आशय-पत्रों का ब्यौरा और कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य उपक्रम का नाम	आशय-पत्र जारी करने की तारीख	वार्षिक क्षमता (लाख मीट्रिक) टन	स्थापना स्थल	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	मे० कुमाऊं मंडल विकास निगम	24-3-1982	0.66	उत्तराखंड क्षेत्र (उत्तर प्रदेश)	निगम को परियोजना के कार्यान्वयन में की गई प्रगति के बारे में बताने के लिए लिखा गया है जिससे आशय-पत्र की पुनः वैधता के प्रश्न पर विचार किया जा सके।
2.	वही	13-4-1982	0.66	तहसील रानी खेत जिला अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश)	7-1-85 को आशय-पत्र रद्द कर दिया गया था क्योंकि परियोजना के कार्यान्वयन में संतोष जनक प्रगति नहीं हुई थी।
3.	वही	19-8-1982	0.66	गांव गंगोली हाट-I तहसील और जिला पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश)	4-1-85 को आशय-पत्र रद्द कर दिया गया था क्योंकि परियोजना के कार्यान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई थी।
4.	वही	31-12-1982	0.66	ग्राम गंगोलीहाटी-II तहसील और जिला पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश)	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कारखानास्थल का चयन लोहाघाट में किया गया है और सिविल निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस स्थल के लिए उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण के दृष्टिकोण से स्वीकृति दे दी है। निगम को आशय-पत्र में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी करने का सुनिश्चय करने की सलाह दी गई है जिससे आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तन करने पर विचार किया जा सके।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी तथा पिथौरागढ़ जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

1789. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी तथा पिथौरागढ़ जिलों में पृथक-पृथक वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान वर्षवार कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए;

(ख) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान इन जिली में बहुत ही कम सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन क्षेत्रों की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इन जिलों में खोले गए सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या निम्न प्रकार है :—

जिला	1982-83	1983-84	1984-85
अल्मोड़ा	14	6	—
चमोली	2	—	—
उत्तरकाशी	1	2	—
पौड़ी	—	—	2
टिहरी	1	—	—
पिथौरागढ़	5	4	6

(ख) उत्तर प्रदेश सर्किल में कुल 293 सार्वजनिक टेलीफोन घरों की तुलना में 1983-84 के दौरान इन जिलों में 12 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए।

(ग) पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण प्रगति धीमी है।

(घ) अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़ जिलों में मल्टी-एक्सेस ग्रामीण-रेडियो प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा में सीधी डायल टेलीफोन सेवा सुविधायें

[अनुवाद]

1790. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महानगरों तथा विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों के बीच सीधी डायल टेलीफोन सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में उड़ीसा के कौन-कौन से प्रमुख शहरों तथा महानगरों के बीच सीधी डायल टेलीफोन सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1985-86 के दौरान उड़ीसा के किसी नए शहर को महानगरों के साथ एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है।

जैसलमेर, राजस्थान में डाकघर अधीक्षक के कार्यालय की स्थापना

[हिन्दी]

1791. श्री बुद्धि चन्द जैन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमांत जिला जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला होने और वहां राजस्थान (इन्दिरा) नहर और अनेक पर्यटक स्थल होने के बावजूद वहां डाकघर अधीक्षक का कोई कार्यालय नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो स्थानीय लोगों की उचित मांग को पूरा करने के लिए जैसलमेर जिला मुख्यालय में उपर्युक्त कार्यालय कब तक स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जैसलमेर जिले में अधीक्षक डाकघर का कोई कार्यालय नहीं है।

(ख) विभाग द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों के अनुसार-मौजूदा डाक डिवीजनों के अधिकार क्षेत्रों का विभाजन करके नए डाक डिवीजन बनाए जाते हैं। इस समय जैसलमेर जिला जोधपुर डाक डिवीजन का भाग है। जोधपुर डाक डिवीजन का द्विभाजन करके जैसलमेर डाक डिवीजन बनाने का औचित्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में विभागीय मानदंड पूरे नहीं होते हैं।

रक्षा अनुसंधान विकास स्कंध द्वारा बख्तरबन्द वाहनों के लिए अत्याधुनिक नौ-चालन प्रणाली का विकास

[अनुवाद]

1792. प्रो० मधु दण्डवते :
श्री एस० एम० गुरुडी :
श्री मुहम्मद महफूज अली खां :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास स्कंध ने सहयोग से बख्तरबन्द वाहनों के लिए अत्याधुनिक नौ-संचालन का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रणाली को क्रियान्वित कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। यह कार्य देहरादून स्थित उपस्कर अनुसंधान तथा विकास स्थापना द्वारा किया गया।

(ख) रक्षा मंत्रालय ने इस प्रणाली के लिए उत्पादन आदेश दे दिए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंबई में टेलीफोन की घटिया सेवा

1793. प्रो० मधु दण्डवते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई शहर में टेलीफोन करने में निरन्तर बाधाएं आने और सही नम्बर न मिलने के कारण टेलीफोन प्रणाली अवरुद्ध हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो 1984 में माह-वार ऐसी कितनी शिकायतें मिलीं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टेलीफोन ग्राहकों को बेहतर और निर्बाध टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या जिन टेलीफोन ग्राहकों के टेलीफोन लम्बे अर्से से बेकार पड़े हैं, उनको मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। कतिपय टेलीफोनों में खराबियां आती हैं परन्तु उन्हें यथासंभव कम से कम समय में ठीक किया जाता है।

(ख) संलग्न विवरण-एक में जनवरी, 1984 से दिसम्बर, 1984 की अवधि के बीच प्राप्त टेलीफोन शिकायतों की संख्या दी गई है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) संलग्न विवरण-दो में शिकायतें कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

(घ) जी हां, कुछ में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) इस पर अभी निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

विवरण-एक

बंबई में जनवरी, 1984 से दिसम्बर, 1984 तक टेलीफोन शिकायतों की संख्या

महीना	शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3
जनवरी-84	186656	
फरवरी-84	193914	
मार्च-84	215834	

1	2	3
अप्रैल-84	192284	
मई-84	195714	
जून-84	266015	
जुलाई-84	307454	मानसून के महीने
अगस्त-84	243700	
सितम्बर-84	229920	
अक्तूबर-84	185607	
नवम्बर-84	183848	
दिसम्बर-84	164517	

विवरण-दो

बंबई टेलीफोन जिले में शिकायतों की संख्या कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपाय

1. बाह्य क्षति से बचाने के लिए केबिलों को डक्ट में बिछाना।
2. केबिलों को नमी से बचाने तथा केबिल दोष कम करने के लिए केबिलों का दाबीकरण।
3. वितरण नेटवर्क में जेली भरे केबिलों का उपयोग ताकि उन्हें नमी से बचाया जा सके।
4. विभिन्न उपयोगी सेवाओं द्वारा टेलीफोन केबिलों को हुई क्षति का पता लगाने तथा शीघ्र एहतियाती उपाय करने के लिए मुख्य केबिल-रूटों पर गश्त लगाना।
5. विभिन्न सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के बीच अंत: उपयोगी आचरण नियमावली का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
6. पूर्वी और पश्चिमी उप नगरों में भारी ऊपरी लाइनों को भूमिगत केबिलों द्वारा बदलना।
7. उपभोक्ताओं के टेलीफोनों और वायरिंग को सही हालत में रखने के लिए उपभोक्ता अहातों की ब्लाक वायरिंग।
8. केबिनेट, खंभों और डी० पी० बक्सों में ताला लगाना तथा सील करना।
9. आंतरिक एवं बाह्य नेटवर्क के निरीक्षक कार्य में सख्ती लाना।
10. एक्सचेंज उपस्कर के अनुरक्षण कार्य में सुधार करना।
11. आंतरिक तथा बाह्य संयंत्रों की कार्य प्रणाली को मानीटर करना तथा खामियां दूर करने के लिए उपाय करना।

12. परिष्कृत इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज प्रारम्भ करना।

13. कार्य-अवधि समाप्त उपस्करों को हटाना।

14. विकसित टेलीफोन उपकरणों का प्रयोग।

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

[हिन्दी]

1794. **श्री सी० डी० गामित** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और अन्य राज्यों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां 1980 से 1984 तक की अवधि के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस की खोज का काम चलाया गया और किन-किन स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस पायी गयी तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्य पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है और उक्त स्थानों पर किस किस्म का तेल और प्राकृतिक गैस पायी गयी; और

(ग) उक्त स्थानों पर इनका वाणिज्यिक उत्पादन कब से शुरू होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

तकनीकी जानकारी, ड्राइंग और डिजाइनों के लिए सहयोग समझौते

[अनुवाद]

1795. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष तकनीकी जानकारी के लिए किए गए 464 सहयोग समझौतों का देश-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है और उनके माध्यम से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा रही है; और

(ख) पिछले वर्ष ड्राइंग और डिजाइनों के लिए किए गए 128 सहयोग समझौतों का देश-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है और किस प्रकार के ड्राइंग तथा डिजाइन प्राप्त किए जा रहे हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकार ने विदेशी सहयोग के लिए वर्ष 1984 के दौरान क्रमशः 752 प्रस्तावों की स्वीकृति दे दी है। विदेशी सहयोग से संबंधित/स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरों को अर्थात् भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी, विनिर्माण की मद, सहयोग का स्वरूप भारतीय निवेश केन्द्र (इण्डियन अन्वेस्टमैंट सैन्टर) द्वारा मासिक न्यूज लैटर के अनुपूरक के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जाती हैं। सरकार द्वारा स्वीकृति विदेशी सहयोग के लिए 752 प्रस्तावों में से, 740 प्रस्तावों से संबंधित ब्यौरे इण्डियन इन्वेस्टमैंट सेंटर द्वारा पहले से ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।

विदेशी सहयोग के लिए शेष 12 प्रस्तावों से संबंधित ब्यौरे अभी प्रकाशित किए जाने हैं, ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1984 के दौरान अनुमोदित विदेशी तकनीकी/वित्तीय सहयोग से संबंधित अनुपूरक सूची

क्र० सं०	भारतीय कं० का नाम	विदेशी कं० का नाम	विनिर्माण की मद/ कार्यकलाप	सहयोग का स्वरूप
1	2	3	4	5
1.	मै० नैप्टयून इक्विपमेंट प्रा० लि० 128, न्यूकलाथ मार्किट, रायपुरमेट के बार्डर, अहमदाबाद-380002 गुजरात	मै० एल्फ्रेड कारछार, गम्म एण्ड कं० पश्चिम जर्मनी	हाई प्रेशर क्लीनिंग इक्विपमेंट	तकनीकी
2.	मै० यूनिवर्सल इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, ई-2/77, झंडेवालान, नई दिल्ली	मै० काबाग कार्लसमुहेर बोमाशनन सम्ब, पश्चिम जर्मनी	कंक्रीट मिक्सिग एंड बैचिंग प्लांटस	तकनीकी
3.	मै० एन० जी० ई० एफ० लि०, पोस्टबाक्स-3876 बंगलौर-56038	मै० ए० ई० जी० टेलीफन्कन, पश्चिम जर्मनी	विदेशी तकनीकी विदों से सेवाएं प्राप्त करना	तकनीकी
4.	डा० नागप्पा चन्द्रशेशन, साकेत, 8/10, बुलटैंपल - रोड, बासवागुडी, बंगलौर-560004	मै० डाटालेजिक एस० पी० ए० इटली	ओपिटक इलैक्ट्रिक स्विच	वित्तीय
5.	मै० सुनी स्टील इंडस्ट्रीज, प्रा० लि० 22 बड़ौदा स्ट्रीट, बम्बई-400009	मै० अली अब्दुल्ला, लतीफ हस्सन कुवैत	स्नीलकास्ट रालस एण्ड जनरल स्टील कास्टिंग्स	वित्तीय
6.	मै० रैवलगन शुगन फार्म लि०, कंस्ट्रक्शन हाउस बालचन्द हीराचन्द मार्ग, बम्बई-400036	आटोरैपरस (नाराविच) यू० के० इंग्लैंड	बिस्कुट रैपिंग एवं/सी-डब्ल्यू० एल० टाइपस्पीड 32 पैकस/डबल	तकनीकी

1	2	3	4	5
			रैंपडपैक्स पेपर में लगभग 13 आयाताकार बिस्कुट प्रतिमिन्ट	
7.	मै० दक्षिण एंटरप्राइजेज प्रा० लिमिटेड 5-2-175/1, राष्ट्रपति रोड, सिकन्दराबाद-500003	मै० हारेफील्ड रबर कं० लि०, यू० के० (इंग्लैंड)	रबर, फलोरिंग टाईल्स	तकनीकी
8.	मै० इष्टरनेशनल कंवेयर लि०, 10 मिडलटंनरा, कलकत्ता-700071	मै० बी० ए० ग्रुप लि० इंग्लैंड	पी० बी० सी० माइनिंग कन्वेयर बैलिटंग्स	तकनीकी
9.	मै० रामी प्रोसस प्लाट एण्ट मशीनरी लि०, 53, मित्तलकोर्ट ए बम्बई-400021	मै० हैरिसबर्ग इन्क, संयुक्त राज्य अमेरिका	तेल की खोज के लिए कैमिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट	तकनीकी
10.	मै० बिवहार होटलंस लि०, साउथ गांधी मैदान, पोस्ट बाक्स 137, पटना-800001	मै० शेरेटन इंटरनेशनल इन्क, संयुक्त राज्य अमेरिका	तकनीकी सेवाएं और बिक्री/प्रबंध	तकनीकी
11.	मै० रानी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कं० प्रा० लि०, 27, शंकर शेट रोड, पुणे-411037	मै० यू० एस० एफ० एनवायरनमेंटल सिस्टमम संयुक्त राज्य	फिल्टर मीडिया बैगस	तकनीकी
12.	मै० मेपको मैटल पावडर, प्रा० लि० 311/312, जोगनी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स तुलसी पाइप रोड दादर, बम्बई-400028	मै० वोरल टैक्नोक्लस मैटल्स एण्ड कम्पोजिट कारपोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका	हाईस्पीड स्टील ऐलाए मैटल, पाउडर आदि	वित्तीय

1984 के दौरान विदेशी सहयोग करार स्वीकृति (अनुपूरक)

क्र० सं० देश का नाम	तकनीकी	आरेखन और डिजाइन	वित्तीय	जोड़
1. एफ० आर० जी०	3	—	—	31
2. इटली	—	—	1	1
3. कुवैत	—	—	1	1
4. यू० के० (इंग्लैंड)	3	—	—	3
5. संयुक्त राज्य अमेरिका	3	—	1	4
जोड़ :	9	—	3	12

खादी और ग्रामोद्योग आयोग को नया रूप देने के लिए समिति

1796. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि खादी वास्तव में स्वतंत्रता की प्रतीत पोशक बने जैसा कि राष्ट्रपिता की इच्छा थी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को नया काम देने के लिए गठित समिति के सदस्य कौन-कौन है और उसके निर्देश पद क्या हैं; और

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कितने ग्रामोद्योगों का सफलतापूर्वक विकास किया गया है और उनका स्वरूप क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की भूमिका व कार्य निष्पादन की समीक्षा करने तथा इसके कार्य-कलाप में सुधार करने का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषयों की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 779/85**]

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, 1956 के अंतर्गत 26 उद्योगों को उद्योगों की अनुसूची में शामिल किया गया है। ऐसे उद्योगों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है किन्तु उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से घानी तेल, ग्रामीण चमड़ा, गुड़ और खांडसारी बढ़ईगीरी और लुहारी अनाजों और दालों का परिष्करण, ग्रामीण कुम्हारी, मधुमक्खी पालन तथा रेशा (कॅयर से भिन्न) जैसे उद्योगों को अत्यधिक सफल उद्योग कहा जा सकता है।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्रामोद्योगों की सूची :—

1. मधुमक्खी पालन
2. माचिस, आतिशबाजी तथा अगरबत्ती कुटीर उद्योग

3. ग्रामीण मिट्टी के बर्तन
4. कुटीर साबुन उद्योग
5. चमड़ियों तथा खालों की फ्लाइंग, करिंग तथा टैनिंग और उसी कुटीर चमड़ा उद्योग से संबंधित सहायक उद्योग।
6. घानी तेल उद्योग
7. हाथ से बना कागज
8. गन्ना, गुड़ तथा खंडसारी बनाना
9. ताड़ से गुड़ तथा अन्य उत्पाद बनाना
10. अनाज तथा दालों के मसाले, अन्य मसाले आदि का संसाधन, पैकिंग तथा विपणन
11. गाय गोबर और वेस्ट उत्पादों (जैसे मृत पशुओं के मांस, मल आदि) से गैस तथा खाद का निर्माण और प्रयोग।
12. चूना पत्थर, चूना सैल तथा अन्य चूना उत्पाद।
13. चमड़े का उत्पादन
14. औषधीय कार्यों के लिए वन, पौधों तथा फल एकत्र करना।
15. फलों का संसाधन तथा फल सुरक्षित रखना
16. बांस तथा बैंत के सामान के काम
17. लुहार का काम
18. बढ़ई का काम
19. रेशे (कॅयर को छोड़कर)
20. एल्यूमिनियम के घरेलू बर्तन बनाने का काम
21. कत्था बनाना
22. गौंद तथा रेजिन का विनिर्माण
23. लोक वस्त्र
24. पोलीवस्त्र, जिसका अर्थ है सूती, रेशमी अथवा ऊनी अथवा इन सबमें से दो अथवा भारत में हाथ से तैयार किए गए रेशे चाहे वह सूती हों या रेशमी या ऊनी या सभी का मिश्रण, से तैयार भारत के हथकरघों में बना कोई भी कपड़ा।
25. मेजी और रेजी का परिशोधन
26. रबर के सामान का उत्पादन (डिपाड लेटेक्स के उत्पाद)

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना

1797. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में प्राइवेट उद्यमियों द्वारा नई यूनिटों को स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देकर तथा विभिन्न प्रकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा वर्ष 1979-80 से 1983-84 के बीच की अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में पश्चिम बंगाल में वास्तविक उपलब्धि क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में लक्ष्य प्राप्ति में यदि कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र द्वारा इस अवधि के दौरान इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए सहायता के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता धनराशि का वास्तव में उपभोग किया गया ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रक्षा उत्पादन यूनिटों में सामान्य उत्पादन को बनाए रखना

1798. **श्री एस० एम० गुरुडी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रक्षा उत्पादन यूनिटों में बहुत कम उत्पादन हो रहा है और वे बन्द होने की स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1984 के दौरान कौन-कौन-सी यूनिटें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रही हैं ; और

(घ) उनमें सामान्य उत्पादन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (ख) रक्षा उत्पादन यूनिटों में 136 आयुद्ध कारखाने (जिनमें 2 परियोजना स्तर पर हैं) और सरकारी क्षेत्र के 9 रक्षा उपक्रम आते हैं । समय-समय पर उत्पादन समीक्षा बैठकों के माध्यम से उत्पादकों और मंत्रालय स्तर पर सरकार द्वारा इन यूनिटों के कार्यकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाती है । इन बैठकों में उपभोक्ताओं, उत्पादन और संबंधित अन्य एजेन्सियों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं । इन बैठकों में उत्पादन में आने वाली समस्याओं और अड़चनों का विश्लेषण किया जाता है और अधिकतम उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपचारी कदम उठाए जाते हैं ।

सभी रक्षा उत्पादन यूनिटों में 1982-83 में 2013.13 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ जो 1983-84 में बढ़कर 2431.85 करोड़ रुपये हो गया और 1984-85 के वित्तीय वर्ष में लगभग 2899 करोड़ रुपये का उत्पादन होने की संभावना है ।

ट्रक और बस चेसिस बनाने वाली कंपनियां और उनका उत्पादन

1799. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस और ट्रक चेसिस बनाने वाली कंपनियों के क्या नाम हैं और इन कंपनियों में से प्रत्येक ने 1982, 1983 और 1984 के वर्षों के दौरान अलग-अलग कुल कितने ट्रक तथा बस चेसिसों का निर्माण किया तथा वर्ष 1985 के लिए प्रत्येक कंपनी का क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ख) देश में कार बनाने वाली कंपनियों के क्या नाम हैं और इन कंपनियों में से प्रत्येक ने 1982, 1983 और 1984 के वर्षों के दौरान कितनी संख्या में कारों का निर्माण किया और वर्ष 1985 के लिए प्रत्येक कम्पनी का क्या लक्ष्य रखा गया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) प्रमुख निर्माताओं के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(आंकड़े '000' में)

क्रम सं०	निर्माता का नाम	1982		1983		1984		1985 (लक्ष्य)	
		बस	ट्रक	बस	ट्रक	बस	ट्रक	बस	ट्रक
1.	टी० ई० एल० सी० ओ० लिमिटेड	9	34	11	34	14	32	14	42
2.	अशोक लेलैंड लिमिटेड	7	9	6	6	7	7	15 (दोनों के लिए)	

यात्री कारें	**1982**	**1983**	**1984**	**1985**
1. प्रीमियर आटोमोबाइल्स	20	21	26	36
2. मारुति उद्योग लिमिटेड	—	नगण्य	13	42
3. हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	21	23	24	30

न्यायाधीशों का स्थानांतरण

1800. **श्री चित्त महाटा** :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया गया है और उनके न्यायालय-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या इस पद्धति के विरुद्ध कोई अभ्यापत्ति की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या विनिश्चय किया गया है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार ने विधि आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि ऐसी परिपाटी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक तिहाई न्यायाधीश राज्य के बाहर से हों। इस विनिश्चय की आरंभिक नियुक्तियां बाहर से करके और साथ ही स्थानांतरण करके क्रियान्वित किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात, तैयार किए गए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिन्हें सभा-पटल पर रखी गई तारीख 28-1-1983 की प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से घोषित किया गया था (विवरण 1), एक ऐसी नीति को, जिसमें उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति बाहर से होने चाहिए, कार्यान्वित करके शुरुआत कर दी गई है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 780/85] अब तक, उच्च न्यायालयों से बाहर के 12 मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति/स्थानांतरण किए जा चुके हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

अपर न्यायाधीशों की कुछ आरंभिक नियुक्तियां भी बाहर से की गई हैं। अभी तक अवर न्यायाधीशों के स्थानांतरण नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) यह विचार प्रकट किया गया है कि मुख्य न्यायमूर्तियों के बाहर से लेने संबंधी नीति असफल रही है और इसके फलस्वरूप उच्च न्यायालयों को लाभ की अपेक्षा नुकसान अधिक हुआ है और स्थानांतरण आपवादिक मामलों में ही किए जाने चाहिए जहां मूल उच्च न्यायालय के हित में ऐसा अपेक्षित हो।

तारीख 28-1-1983 की प्रैस विज्ञप्ति में घोषित नीति का अभी तक कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है।

विवरण

सरकार की 28-1-1983 को घोषित नीति के अनुसरण में उच्च न्यायालयों के बाहर से नियुक्त/स्थानांतरित मुख्य न्यायमूर्तियों के नाम

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्ति की तारीख	किस उच्च न्यायालय से नियुक्त/स्थानांतरित
1	2	3	4
		सर्वश्री न्यायमूर्ति	
1.	उड़ीसा	डमरूधर पाठक (12-8-1983)	गौहाटी

1 2	3	4
2. गौहाटी	टी० एस० मिश्र (12-8-1983)	इलाहाबाद
3. जम्मू-कश्मीर	बी० खालिद (24-8-1983)	केरल
4. गुजरात	पी० एस० पोटी (28-9-1983)	केरल
5. राजस्थान	पी० के० बनर्जी (29-10-1983)	कलकत्ता
6. कलकत्ता	सतीश चन्द्र (29-11-1983)	इलाहाबाद
7. पटना	एस० एस० संधावालिया (29-11-1983)	पंजाब और हरियाणा
8. हिमाचल प्रदेश	पी० डी० देसाई (23-12-1983)	गुजरात
9. सिक्किम	एम० एल० श्रीमाल (17-12-1983)	राजस्थान
10. मद्रास	एम० एन० चांदुरकर (2-4-1984)	बम्बई
11. बम्बई	के० माधव रेड्डि (8-4-1984)	आंध्र प्रदेश
12. गुजरात	पी० आर० गोकुलकृष्णन् (21-3-1985)	मद्रास

उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखानों की स्थापना

[हिन्दी]

1801. श्री अैनुल बशर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले चार उर्वरक कारखानों में से सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में पृथक्-पृथक् स्थापित किए जाने वाले उर्वरक कारखानों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में इन कारखानों तक गैस ले जाने के लिए पाइप लाइन डालने की व्यवस्था कर ली गई है; और

(ग) इन कारखानों में काम कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उत्तर प्रदेश में संयुक्त, सहकारी तथा निजी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले गैस पर आधारित 4 प्रस्तावित संयंत्रों के स्थान नीचे दिए गए हैं :

क्रमांक	स्थान	क्षेत्र
1.	जगदीशपुर	संयुक्त
2.	ओनला	सहकारी
3.	बबराला	निजी
4.	शाहजहांपुर	कार्यान्वयन करने वाली पार्टी की अभी शिनाख्त की जानी है ।

(ख) इन कारखानों तक गैस को ले जाने के लिए पाइप लाइन बिछाने की व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) जगदीशपुर तथा ओनला उर्वरक परियोजनाओं का कार्यान्वयन आरम्भ हो चुका है । उत्तर प्रदेश में शेष दो परियोजनाओं की निर्धारित "जीरो तारीख" नीचे दी गई है :

क्रमांक	स्थान	जीरो तारीख
1.	बबराला	1-10-85
2.	शाहजहांपुर	1-4-86

हरियाणा के कुछ शहरों को सीधी डायल सेवा एस० टी० डी० प्रणाली द्वारा राजधानी से जोड़ा जाना

[अनुवाद]

1802. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान हरियाणा के कुछ और शहरों को सीधी डायल सेवा प्रणाली (एस० टी० डी०) द्वारा राजधानी से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नजदीकी शहरों अर्थात गोहाना, जींद, सफीदों, गन्नौर, समालखा शहरों को सीधी डायल सेवा प्रणाली द्वारा राजधानी से जोड़ा जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) 1985-86 के दौरान भिवानी, सोनीपत और रिवाड़ी को एस० टी० डी० द्वारा राजधानी चंडीगढ़ से जोड़े जाने की सम्भावना है, बशर्ते कि लम्बी दूरी के सर्किट उपलब्ध रहें ।

1986-87 के दौरान हिसार को एस० टी० डी० द्वारा राजधानी चंडीगढ़ से जोड़े जाने की सम्भावना है बशर्ते कि लम्बी दूरी के सर्किट उपलब्ध रहें ।

(ग) और (घ) जींद, गोहाना और समालखा को एस० टी० डी० द्वारा राज्य की राजधानी से जोड़ने का प्रस्ताव है । स्विचन और संचारण उपस्कर सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण सफीदों और गन्नौर को एस० टी० डी० द्वारा राजधानी के साथ जोड़ने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय तेल निगम में महिलाओं की भर्ती

1803. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम में देश भर में 1 जनवरी, 1985 को कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की तुलना में अत्यन्त कम है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच अन्तर को दूर करने के लिए अधिक महिला कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए कदम उठाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 30,794.

(ख)	पुरुष	महिलाएं	जोड़
अधिकारी श्रेणी	6358	109	6467
वर्कमैन श्रेणी	22912	1415	24327
	29270	1524	30794

(ग) जी हां ।

(घ) निगम में नौकरियों के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए नामों तथा विज्ञापनों के प्रति प्राप्त आवेदनों के आधार पर भर्ती की जाती है । हालांकि किसी भी श्रेणी के पदों के लिए महिला आवेदकों के लिए कोई रोक नहीं है, फिर भी तेल उद्योग के अधिकतर पदों की कार्य प्रकृति को देखते हुए तथा सामाजिक कारणों से यह प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं ।

(ङ) और (च) रोजगार में महिलाओं को वरीयता देने के लिए कोई आरक्षण या शर्त नहीं है तथा इसके लिए कदम उठाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

भारत पेट्रोलियम में महिला कर्मचारियों की भर्ती

1804. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रम भारत पेट्रोलियम में 1 जनवरी, 1985 को कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या अत्यन्त कम है;

(ग) क्या यह भी सच है कि महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की तुलना में अत्यन्त कम है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए और अधिक महिला कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए कदम उठाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) 1-1-1985 को भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में कर्मचारियों की कुल संख्या का विवरण नीचे दिया गया है :

श्रेणी	कुल कर्मचारी	पुरुष	महिलाएं
प्रबन्ध	1638	1554	84
लिपिक वर्ग	1966	1610	356
श्रमिक	4225	4219	6
	7829	7383	446

(ग) जी हां।

(घ) निगम में नौकरियों के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए नामों तथा विज्ञापनों के प्रति प्राप्त आवेदनों के आधार पर भर्ती की जाती है। हालांकि किसी भी श्रेणी के पदों के लिए महिला आवेदकों के लिए कोई रोक नहीं है, फिर भी तेल उद्योग के अधिकतर पदों की कार्य प्रकृति को देखते हुए तथा सामाजिक कारणों से यह प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं।

(ङ) और (च) रोजगार में महिलाओं को वरीयता देने के लिए कोई आरक्षण या शर्त नहीं है तथा इसके लिए कदम उठाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

मैसर्स यूनियन कारबाइड को लाइसेंस

1805. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने भोपाल स्थित मैसर्स यूनियन कारबाइड को फासजीन और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस बनाने का लाइसेंस दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति मांगी गई थी और यह अनुमति प्राप्त कर ली गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सभी खतरों को ध्यान में रखने के बाद यह लाइसेंस एक केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया था ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। मैसर्स यूनियन कारबाइड इंडिया लि० को एम० आई० सी० पर आधारित कीटनाशियों के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था। औद्योगिक लाइसेंस में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई थी कि कम्पनी सरकार की सन्तुष्टि के अनुसार पानी, हवा तथा जमीन के प्रदूषण के लिए पर्याप्त उपाय करें।

उड़ीसा के कुछ शहरों में प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन

1806. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कटक, भुवनेश्वर, बरहामपुर, सम्बलपुर और राउरकेला में 31 दिसम्बर, 1984 के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदकों की संख्या क्या थी; और

(ख) इन आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31 दिसम्बर, 1984 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन के लिए लम्बित आवेदकों की संख्या निम्न प्रकार है :

नगर का नाम	प्रतीक्षा सूची	
1. कटक	1155	
2. भुवनेश्वर	948	
3. बेरहामपुर	332	
4. संबलपुर	51	
5. राउरकेला प्लांट	151	199
राउरकेला टाउन शिप	48	

(ख) प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

उड़ीसा में जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण कस्बों में सीधी डायल सेवा (एस० टी० डी०) सुविधाएं

1807. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के जिला मुख्यालयों और अन्य महत्त्वपूर्ण कस्बों में सीधी डायल सेवा (एस० टी० डी०) सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में उपर्युक्त योजनावधि के दौरान किन-किन कस्बों में सीधी डायल सेवा (एस० टी० डी०) सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं; और

(ग) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चौद्वार एवं पारादीप के लिए एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) 1. चोद्वार-बरहामपुर एस० टी० डी० सुविधा प्वाइंट-टू-प्वाइंट आधार पर प्रदान की गई है।

2. पारदीप-भुवनेश्वर एस० टी० डी० सुविधा प्वाइंट-टू-प्वाइंट आधार पर प्रदान की गई है।

पश्चिम बंगाल मिदनापुर जिले के पुलिस स्टेशनों के अन्तर्गत क्षेत्रों में नए शाखा डाकघर खोलना

1808. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में पंसकुरा, दसपुर, देंबरा, पिंगला, साबंग और केशपुर पुलिस स्टेशनों के अन्तर्गत क्षेत्रों में खोलने के लिए आये 31 मार्च, 1985 तक निर्णय के लिए लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उपर्युक्त पुलिस स्टेशनों के अधीन क्षेत्रों में कितने नए शाखा डाकघर खोले गए; और

(ग) लम्बित पड़े कितने आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) जानकारी निम्नलिखित विवरणी में दी गई है :

प्राप्त लंबित आवेदनों की संख्या		गत 5 वर्षों के दौरान खोले गए शाखा डाकघरों की संख्या	उन महत्त्वपूर्ण आवेदनों की संख्या जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है
1	2	3	4
पंसकुरा	18	3	6
दासपुर	2	2	1

1	2	3	4
देवरा	3	3	2
पिंगला	4	—	2
सावोंग	4	1	1
केसपुर	3	1	1

जापान के सहयोग से मोटर साइकिलों का निर्माण

1809. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज आटो जैसे कुछ आटोमोबाइल उद्योग, जापान के सहयोग से देश में मोटर साइकिलों का निर्माण शुरू कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर मोटर साइकिल निर्माण एकक स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या उक्त निर्माण एककों को मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में अपनी फैक्टरी लगाने का निर्देश दिया जाएगा; और

(घ) उक्त एककों के लिए स्थानों का चुनाव करने के लिए उन निर्माण एककों को क्या मार्गनिर्देश भेजने के विचार हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) चार बड़े दुपहिया-निर्माताओं को विभिन्न जापानी कम्पनियों के सहयोग से मोटर-साइकिलों का निर्माण करने के लिए मंजूरियां दी गई हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

भारतीय कम्पनी का नाम	जापानी सहयोगी का नाम	स्थान
बजाज आटो लिमिटेड	कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	अर्कुदी तथा औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
एस्कार्ट्स लिमिटेड	यमाहा मोटर कम्पनी लिमिटेड	सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र दादरी, जिला गाजियाबाद (उ० प्र०)
हीरोहोन्डा मोटर्स लि०	होन्डा मोटर कं० लि०	धारूहेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
इंड-सुजुकी मोटर साइकिल्स लिमिटेड	सुजुकी मोटर कं०	तहसील होसुर जिला-धर्मपुरी (तमिलनाडु)

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार की स्थान सम्बन्धी घोषित नीति के अनुसार अपने कारखानों के स्थान के बारे में निर्णय लेना निर्माताओं का कार्य है ।

दिएगो गार्सिया में अमेरिकी नौसेना का अड्डा

1810. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए अब तक क्या उपाय किए हैं;

(ख) क्या हिन्द महासागर, दिएगो गार्सिया में अमेरिका ने अपना नौसैनिक अड्डा बनाया है; और

(ग) हिन्द महासागर में अमेरिका की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) संभावित खतरों को देखते हुए भारतीय नौसेना को निरंतर फिर से सुसज्जित किया जा रहा है, आधुनिक बनाया जा रहा है तथा उसका विकास किया जा रहा है । इस क्षेत्र की हवाई सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना की भी इसी तरह की योजनाएं हैं ।

(ख) ऐसी सूचना मिली है कि अमेरिका ने हिन्द महासागर में दिएगो गार्सिया पर व्यापक नौसैनिक और अन्य सुविधाएं जमा कर ली हैं ।

(ग) भारत सरकार हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाए रखने के पक्ष में है और इसके लिए उसने राजनैतिक स्तर पर कई बार पहल भी की है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शाखा डाकघर को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र सुविधा से युक्त बनाने का प्रस्ताव

1811. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शाखा डाकघर को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र सुविधा से युक्त बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) शाखा डाकघर में लम्बी दूरी की सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि यह एक कैटेगरी स्टेशन हो तथा संलग्न विवरणों में दी गई नीति के अंतर्गत आता हो ।

यदि शाखा डाकघर 5 कि० मी० के षटभुजाकार क्षेत्र में निर्धारित प्रमुख ग्राम में स्थित हो तो वहां भी टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा सकती है ।

विवरण-एक

ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक तार घर खोलने से सम्बन्धित नीति

छठी योजना अवधि (अनुबंध-1) के दौरान घाटे पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक तार घर खोलने से संबंधित मौजूदा नीति पर डाक तार बोर्ड कुछ समय से विचार कर रहा था। इस सम्बन्ध में किए गए अध्ययन से पता चला है कि यदि हम जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम राजस्व की शर्त का निर्धारण किए बगैर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति को अपनाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष कर, देश के पहाड़ी और बिखरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस सुविधा को बढ़ाने में असमानता की स्थिति पैदा होगी। मौजूदा नीति की सावधानीपूर्वक पुनरीक्षा करने के पश्चात् तथा सेवा की विश्वसनीयता पर अत्यधिक बल देते हुए सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का समान रूप से विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक तार बोर्ड ने जो निर्णय लिए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(एक) अनुबंध-एक में बताई गई मौजूदा नीति तो जारी रहेगी ही, परन्तु इसके साथ ही देश की आबादी वाले अधिकांश स्थानों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन 5 कि० मी० के घेरे में सुलभ कराने की नीति को एक नीति लक्ष्य के बतौर अपनाया जाएगा और इस लक्ष्य को चालू वर्ष में आरम्भ करके 1990 तक उत्तरोत्तर प्राप्त किया जाएगा। स्थानिक वितरण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लम्बी दूरी के जो सार्वजनिक टेलीफोन घर आवश्यक होंगे उन पर न्यूनतम राजस्व की पूर्व शर्त को हटा दिया जाएगा।

(दो) इस क्षेत्र में सेवा की विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मल्टी-एक्सेस रेडियो टेलीफोन प्रणाली प्रोद्योगिकी को अपनाया जाए और इस प्रणाली के तहत पहाड़ी, तटीय, वन्य एवं रेगिस्तानी इलाकों तथा जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों व ऐसे क्षेत्रों में जहां विद्युत प्रेरण (पावर इन्डक्शन) के कारण खुली तार लाइनें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती तथा मैदानी क्षेत्रों के उन स्थानों में जो सड़क मार्ग से 20 कि० मी० (मार्ग की लम्बाई) से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं और ऐसे अन्य सभी मामलों में जहां मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली अपनी लागत के अनुसार कारगर साबित होती हैं लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किए जाएंगे।

(तीन) गैर-विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंट, डाकघरों के उपलब्ध न होने अथवा जहां डाकघर के कार्य घंटे अपर्याप्त हैं, जहां आवश्यक होगा, नियुक्त किए जाएंगे। गैर-विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंटों का चयन क्षेत्रीय सर्किल के महाप्रबंधक दूरसंचार द्वारा किया जाएगा।

(चार) गैर-विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंट का पारिश्रमिक 40 (चालीस) पैसे प्रति काल होगा लेकिन प्रतिमाह 250 रु० (दो सौ पचास रुपये) से अधिक नहीं होगा और एल० डी० पी० टी० के कार्य घंटे कम से कम 8 घंटे होंगे। विकलांग व्यक्ति के मामले को छोड़कर इस प्रकार प्राप्त पारिश्रमिक ही, एल० डी० पी० टी० एजेंट की आय का मुख्य स्रोत नहीं होगा।

डाक-तार बोर्ड ने यह भी निदेश दिए हैं कि समूचे देश को विभिन्न ग्राम-समूहों के षडभुज आकार के क्षेत्रों (5 कि० मी० के समान भुजा वाले षडभुज क्षेत्र) में विभाजित किया जाए। हां, ऐसा करते समय वे स्थान छोड़ दिए जाएंगे जो निर्जन हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, नदियां, झीलें रेगिस्तान आदि। प्रत्येक ग्राम समूह में केन्द्र-स्थल के बतौर एक ऐसे ग्राम का पता लगाया जाएगा जहां कि लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किया जा सके। इस सेवा को 5 कि० मी० के भीतर सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए ग्राम-समूहों का पता लगाने का कार्य राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन० सी० ए० ई० आर०) को सौंपा गया है, जिसकी रिपोर्ट विस्तृत नक्शों सहित योजना उद्देश्य के लिए सर्किलों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

उक्त अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्राम-समूहों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए स्थान-निर्धारण के उद्देश्य से अपेक्षित आंकड़ों के साथ ब्यौरेवार नक्शे प्राप्त हो जाने पर सर्किलों के अध्यक्ष डाक तार बोर्ड के उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से खुली-तार प्रणाली और मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली दोनों पर भविष्य में खोले जाने वाले लम्बी दूरी सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए ब्यौरेवार वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था करेंगे।

हालांकि मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली के अंतर्गत लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए परियोजना प्राक्कलन उपस्कर आदि का आबंटन करने के उद्देश्य से निदेशालय को भेजे जाते रहेंगे।

विवरण-दो

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने की नीति

स्थानों की श्रेणियां

1. जिला मुख्यालय
2. उपमंडलीय मुख्यालय
3. तहसील मुख्यालय
4. उप तहसील मुख्यालय
5. ब्लाक मुख्यालय
6. ऐसे स्थान जिसकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें
घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्तों के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

7. वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज पुलिस उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछले इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10% होना चाहिए।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत तथा पिछले इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

8. आम रास्ते से दूर के स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तार घर खोलने के लिए शर्तें
(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि० मी० से वार्षिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए।	(क) मौजूदा तारघर से 20 कि० मी० से बाहर (अरीय दूरी) होनी चाहिए।
(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछले इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत या पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 5000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े/पर्वतीय इलाकों में 2000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

9. पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/सिंचाई/पावर/परियोजना स्थल/नगर क्षेत्र

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े/पर्वतीय इलाकों में 2000 रु० अधिक नहीं होना चाहिए।

10. सभी अन्य स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर।	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर।

टिप्पणी—1 (क) जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर विचार करते समय जनजातीय क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर जहां किसी केन्द्रीय ग्राम से 10 कि० मी० के घेरे के अंतर्गत आने वाले ग्राम समूह की जनसंख्या विचार किया जा सकता है। केवल एक ही नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार किया जाना चाहिए न कि नगरों अथवा ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। छूट की इस शर्त के अंतर्गत एक दूसरे से 10 कि० मी० की दूरी के भीतर दो सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं खोले जा सकते।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम से वरीयता दी जाएगी :

1. जनजातीय विकास खंड मुख्यालय।

2. जिन स्थानों पर एल० ए० एम० पी० एस० (बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समितियां) स्थापित हैं; और

3. ग्रामीण उद्योगों और/अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं में लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

(2) यदि प्रस्तावित तारघर के 8 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई भी तारघर नहीं खोला जाना चाहिए।

पेट्रो-रसायन संयंत्र

1812. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने पेट्रो-रसायन संयंत्र कार्यरत हैं;

(ख) इन संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय नये सर्वेक्षणाधीन पेट्रो-रसायन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नए संयंत्रों के किन तारीखों को चालू हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) वर्तमान में देश के मुख्य पेट्रोरसायन संयंत्रों में निम्नलिखित शामिल है :

तीन नैफथा क्रेकर—एक गुजरात में तथा दो महाराष्ट्र में;

तीन डीएमटी संयंत्र—असम, गुजरात तथा महाराष्ट्र में प्रत्येक स्थान पर एक-एक;

एक केपरोलेक्टम संयंत्र—गुजरात में;

छः पी वी सी संयंत्र—एक गुजरात में, दो महाराष्ट्र में, एक राजस्थान में तथा दो तमिलनाडु में;

तीन एल० डी० पी० ई० संयंत्र—गुजरात, महाराष्ट्र तथा पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक स्थान पर एक-एक;

एक एच० डी० पी० ई० संयंत्र—महाराष्ट्र में;

दो सिंथेटिक संयंत्र—गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में प्रत्येक स्थान पर एक-एक;

एक एक्रीलोनीट्राइल संयंत्र—गुजरात में;

एक एल० ए० बी० संयंत्र—गुजरात में;

14 नाइलान संयंत्र—दो गुजरात में, छः महाराष्ट्र में, एक मध्य प्रदेश में, एक पंजाब में, दो राजस्थान में, एक तमिलनाडु में तथा एक उत्तर प्रदेश में;

15 पोलिएस्टर संयंत्र—तीन गुजरात में, एक मध्य प्रदेश में, छः महाराष्ट्र में, दो राजस्थान में, एक तमिलनाडु में तथा दो उत्तर प्रदेश में;

दो एक्रेलिक फाइबर संयंत्र—गुजरात तथा राजस्थान में प्रत्येक स्थान पर एक-एक।

(ग) नये पेट्रो-रसायन संयंत्र विभिन्न अवस्थाओं में हैं इनमें शामिल हैं पश्चिमी बंगाल में एक नैफथा क्रेकर, उत्तर प्रदेश में एक ऐरोमेटिक परियोजना, एक पी० टी० ए० संयंत्र, दो कैपरोलेक्टम संयंत्र, दो सिंथेटिक रबड़ संयंत्र, दो एल० ए० बी० संयंत्र, छः पोलियेस्टर संयंत्र तथा 13 नाइलोन संयंत्र।

(घ) इन संयंत्रों के पूरा होने की अनुमानित तिथि के बारे में इस अवस्था में नहीं बताया जा सकता है।

विकासशील देशों द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की विशेषज्ञता की मांग करना

1813. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विकासशील देशों ने अपने गैस और तेल की खोज में उद्यमों के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की विशेषज्ञता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) निम्नलिखित देशों ने अपने खोज कार्यकलापों तथा हाइड्रोकार्बनों के प्रयोग लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की विशिष्ट सेवाएं मांगी हैं :

ईराक : एन्जाला तेल क्षेत्र का रिजरवायर अध्ययन

अबूधाबी : जूरोइजिक सिक्वेन्स तथा ट्रीऐजिक सिक्वेन्स का अध्ययन।

श्रीलंका : मनार की खाड़ी तथा पाक-जलडमरू मध्य का बेसिन मूल्यांकन।

सेचुलस : सेचुलस जल में मेरिन भूकम्पीय सर्वेक्षण ।

मालागासी : हाइड्रोकार्बनों के विभिन्न क्षेत्रों में इसके नागरिकों को प्रशिक्षण ।

भोपाल गैस रिसाव कांड जैसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम

1814. **श्री हुसेन दलवाई :**
श्री अजित कुमार साहा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसायन औद्योगिक क्षेत्रों में भोपाल गैस कांड का क्या प्रभाव पड़ता है,

(ख) क्या सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई सुरक्षा उपाय किए हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि कारखाना अधिनियम के अधीन नियमों तथा विनियमों तथा इसके कार्यान्वयन का संपूर्ण पुनरीक्षण किया जाए, विशेषकर ऐसे उद्योगों के संबंध में जो अत्यधिक जहरीले पदार्थों सहित खतरनाक प्रचालनों और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हों । उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि रसायनों तथा खतरनाक पदार्थों से संबंधित कारखाने में वर्तमान सुरक्षा उपायों का पुनरीक्षण करने के लिए टास्क फोर्स/अध्ययन दल स्थापित करें । सरकार ने ऐसे 20 उद्योगों की भी शिनाख्त की है जो अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और इन उद्योगों के संबंध में पर्यावरणात्मक पहलू से स्थान की मंजूरी देने के लिए और प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए उचित उपस्कर लगाने की विशेष शर्तें निर्धारित की हैं ।

बड़ौदा, पेट्रो-केमिकल्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

[हिन्दी]

1815. **श्री सी० डी० गामित** : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा पेट्रो-केमिकल्स में 1982 से 1984 के बीच प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी भर्ती किए गए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं;

(ग) इन जातियों के लिए कितना कोटा आरक्षित है और कोटे के अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी में अब तक कितने पद भरे गए हैं;

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को पूरा न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) शेष कोटा कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(च) क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से पदों को ग्रुप क, ख, ग और घ वर्गों में बांटा गया है। इंडियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन, बड़ौदा द्वारा वर्ष, 1982 से वर्ष 1984 तक की अवधि के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण एक में दी गई है।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता तथा कुल कर्मचारियों की तुलना में उनकी विद्यमान प्रतिशतता संलग्न विवरण दो में दी गई है।

(घ) निगम ने ग और घ वर्ग के पदों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की लगभग दुगुनी प्रतिशतता को पहले ही प्राप्त कर लिया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों (ग और ख वर्ग के पदों में) की संख्या में कमी होने के कारण नीचे दिए गए हैं।

निगम के सभी संयंत्रों में संवेदनशील प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए विशिष्ट कुशलता तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। निर्धारित मानकों में छूट दिए जाने के बावजूद ऐसे कुशल उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) से (छ) जब कभी सीधी भर्ती द्वारा रिक्त स्थानों को भरा जाता है, तब अधिक से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का पता लगाने के प्रयास किए जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कई कदम उठाए गए हैं।

सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कम्पनी द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. वर्ष 1977 में 4 वर्षों की अवधि (1978-81) के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए एक प्रशिक्षण योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस योजना के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 85 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था तथा निगम की नियमित नौकरियों में उनका समावेशन किया गया।

2. प्रशिक्षु अधिनियम तथा कम्पनी की विविध अन्य प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन प्रशिक्षार्थियों की भर्ती करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की आयु; न्यूनतम निर्धारित मानदंडों में छूट दी जाती है। दिनांक 31-12-1984 की यथास्थिति को 73 निर्धारित जाति के और 24 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार प्रशिक्षण पा रहे थे। उनके प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर इन प्रशिक्षार्थियों को कम्पनी में नौकरी दे दी जाएगी।

3. कम्पनी ने रसायन/यांत्रिकी/विद्युत/इन्स्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग का स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति प्रदान करने की एक योजना आरम्भ की है।

विवरण एक

श्रेणी	9182			1983			1984		
	योग	एस० सी०	एस० टी०	योग	एस० सी०	एस० टी०	योग	एस० सी०	एस० टी०
ए	66	11	—	47	9	2	75	7	5
बी	3	1	—	—	—	—	—	—	—
सी	171	9	2	263	30	9	353	36	14
(चयन ग्रेड के सफाई कर्मचारी शामिल नहीं हैं)									
सी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(चयन ग्रेड के सफाई कर्मचारी)									
डी	62	4	3	485	74	2	—	—	—
(सफाई कर्मचारी और निम्न ग्रेड के सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)									
डी	—	—	—	19	19	—	1	1	—
(सफाई कर्मचारी और निम्न ग्रेड के सफाई कर्मचारी)									

नोट :—ग्रुप ए :—रु० 1050-2260 से रु० 3500-4000 के वेतनमान के पद

ग्रुप बी :—रु० 860-1840 के वेतनमान के पद

ग्रुप सी :—रु० 410-775 से रु० 730-1480 के वेतनमान के पद

ग्रुप डी :—रु० 290-445 और रु० 360-615 के वेतनमान के पद
(सफाई कर्मचारी और निम्न ग्रेड के सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)

ग्रुप डी :—रु० 360-615 और रु० 290-445 के वेतनमान के पद
(सफाई कर्मचारी और—निम्न ग्रेड के सफाई कर्मचारी)

विवरण दो

श्रेणी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कुल कर्मचारियों का वर्तमान प्रतिशत	
	एम० सी०	एस० टी०	एस० सी०	एस० टी०
1	2	3	4	5
ए	16⅔%	7½%	8.13%	1.94%
बी	16⅔%	7½%	8.13%	0.83%
सी	7%	14%	13.87%	4.24%
(चयन ग्रेड के सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)				
सी	7%	14%	100.00%	—
(चयन ग्रेड सफाई कर्मचारी)				
डी	7%	14%	14.46%	7.79%
(सफाई कर्मचारियों और निम्न ग्रेड सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)				
डी	7%	14%	100%	—
(सफाई कर्मचारी और निम्न ग्रेड के सफाई कर्मचारी)				

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को वायु से वायु में मार करने वाले ए० आई० एम० 9 एल० प्रक्षेपास्त्र की सप्लाई

[अनुवाद]

1816. **श्री के० प्रधानी :**
श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को पहले से ही दिए गए एफ-16 लड़ाकू विमानों में लगाने के लिए वायु-से-वायु में मार करने वाले ए० आई० एम०-9-एल० प्रक्षेपास्त्र सप्लाई किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार ने प्रेस की रिपोर्टों को देखा है।

(ख) और (ग) सरकार उन सभी गतिविधियों पर बाराकी से नजर रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और हर समय पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए उपयुक्त कदम उठाती है। इस सम्बन्ध में ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा।

पोली-प्रोपाइलीन फिलामेंट धागे का उत्पादन

[हिन्दी]

1817. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोली-प्रोपाइलीन फिलामेंट धागे की राज्यवार लाइसेंसशुदा क्षमता और उत्पादन कितना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस धागे की राज्यवार मांग कितनी है; और

(ग) देश में इस धागे की उत्पादन और मांग कितनी है और यदि मांग उत्पादन से अधिक है तो इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पॉलिप्रोपिलीन के उत्पादन के लिए राज्यवार क्षमता, जिसके लिए आशयबद्ध/औद्योगिक लाइसेंस/डी० जी० टी० डी० पंजीकरण जारी किया गया है, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

राज्य का नाम	क्षमता (मीट्रिक टन प्रति वर्ष)
गुजरात	7000
हरियाणा	4000
राजस्थान	4000
उत्तर प्रदेश	4000
महाराष्ट्र	3000
पंजाब	1000

व्यापारिक आधार पर उत्पादन अभी आरम्भ नहीं किया गया है।

(ख) राज्यवार मांग के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(ग) वर्ष 1989-90 तक 15000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता की स्थापना के लिए पहले ही अनुमोदन दे दिया गया है।

सातवीं योजना में तेल उत्पादन का लक्ष्य

1818. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने तेल की व्यापक खोज के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) सातवीं योजना के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन लक्ष्य और अन्वेषण कार्यक्रम 7वीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही उपलब्ध होगा ।

रक्षा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा पारित संकल्पों का कार्यान्वयन

1819. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान उनके मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुईं;

(ख) इन बैठकों में क्या संकल्प पारित किए गए; और

(ग) इन संकल्पों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) वर्ष 1984 के दौरान रक्षा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की केवल एक बैठक, 1 मई, 1984 को हुई । समिति द्वारा किए गए निर्णयों/सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

हिन्दी सलाहकार समिति की 1 मई, 1984 को हुई बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई उनके सामने दर्शाई गई है :—

क्रम सं०	सिफारिशें	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए ।	समिति की टिप्पणी अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को भेज दी गई है । सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति पर नजर रखी जा रही है ।
2.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के अन्तर्गत कार्यालयों को अधिसूचित करना ।	1 मई, 1984 को आयोजित पिछली बैठक के समय 1193 कार्यालयों में से 523 कार्यालयों (तीनों सेनाओं की यूनिटों और फार्मेशनों को छोड़ कर) को अधिसूचित कर दिया गया था । अधिसूचित कार्यालयों की संख्या बढ़कर अब 810 हो गई है ।

1.	2	3
3.	रक्षा मन्त्रालय में निदेशक (राजभाषा) और नौसेना मुख्यालय में प्रधान हिन्दी अधिकारी के पदों का सृजन किया जाए।	नए पदों के सृजन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। जैसे ही प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा, इन पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
4.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/भारतीय सेना अकादमी की प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्र द्विभाषीय होने चाहिए।	यह मामला राजभाषा विभाग और कार्मिक और प्रशासनिक सुरक्षा विभाग के विचाराधीन है।
5.	हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को द्विभाषी फार्म हिन्दी में भरने के लिए कहा जाए।	सेना मुख्यालयों आदि के साथ विचार-विमर्श करके इसकी समीक्षा की गई और सभी संबंधित कार्यालयों को यह आदेश में दिए गए हैं कि वे अधिकारियों और कर्मचारियों को द्विभाषी रूप में उपलब्ध फार्मों को हिन्दी में भरने के लिए प्रेरित करे।
6.	हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टिप्पणी/मसौदा लेखन/हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं।	यह निर्णय किया गया है कि प्रतिवर्ष हिन्दी सप्ताह अथवा हिन्दी दिवस मनाते समय सभी संबंधित कार्यालयों द्वारा अपने-अपने संगठनों में से प्रतियोगितायें आयोजित कराई जाएं। सभी संबंधित कार्यालयों द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है।
7.	मन्त्रालय के साथ-साथ सेना मन्त्रालयों आदि में कम से कम 2 या 3 अनुभाग ऐसे चुने जायें जिनमें अधिकांश काम केवल हिन्दी में ही हो।	मन्त्रालय के हिन्दी अनुभाग के अतिरिक्त चार और अनुभागों को अपना अधिकतम कार्य हिन्दी में करने के लिए चुना गया है। इसी प्रकार की कार्रवाई सेना मुख्यालयों द्वारा भी की है।
8.	देवनागरी लिपि में मिन-प्वाइंट टाइपराइटर खरीदे जायें।	इसके अनुपालन के लिए सभी सम्बन्धित कार्यालयों को कहा गया है।
9.	रक्षा मन्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार से अनुरोध किया जाए कि वे मन्त्रालय और राज-भाषा विभाग के मार्गदर्शन के लिए देवनागरी कम्प्यूटरों के प्रयोग की सम्भावनाओं पर एक संक्षिप्त नोट तैयार करें।	रक्षा मन्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा अनुमोदित एक संक्षिप्त नोट राजभाषा विभाग को भेज दिया गया है। इस नोट में विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा बहुभाषी कम्प्यूटर प्रणाली के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया गया है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए प्रणाली विज्ञान के विकास के लिए संस्थानों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न संस्थानों में पहले ही कुछ गैर अनुसन्धान योजनायें चलाई जा रही हैं।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाली कम्पनियां

[अनुवाद]

1820. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) उन पार्टियों के सम्बन्ध में, जिनको एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ अभियोग/नोटिस जो 1.4.1982 से जारी किए गए थे, के ब्यौरे इस प्रकार के मामले में की गई कार्यवाही सहित सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए जाते हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 781/85]

उड़ीसा में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

1821. श्री राधाकांत डिम्पल : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में कुछ सीमेंट उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस राज्य में सीमेंट उद्योग स्थापित करने के लिए स्थानों का चुनाव कर लिया गया था ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां । सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए उड़ीसा राज्य सरकार की एजेंसियों से औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिए तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण हेतु कुछ आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) इस प्रकार की एजेंसियों को मंजूर किए गए स्थापना स्थल और औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के सम्बन्ध में क्षमता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं —

सं०	राज्य सरकार की एजेंसियों का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी० टन प्रति वर्ष)
1	2	3	4
1.	इण्डिस्ट्रियल प्रोमोशन एन्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०	जिला सुन्दरगढ़	0.56

1	2	3	4
2.	—वही—	जिला कोरापुट	0.66
3.	इण्डस्ट्रियल डैवलपमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०	जिला सम्भलपुर (पर्याप्त विस्तार)	1.65
4.	—वही—	—वही—	4.35
5.	उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि०	जिला कोरापुट	0.13

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में डिविजनल इन्जीनियर (टेलीफोन्स) का कार्यालय खोलना

[हिन्दी]

1822. **श्री निर्मल खत्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में जो कि डिविजनल मुख्यालय भी है, डिविजनल इंजीनियर (टेलीफोन) का कोई कार्यालयन नहीं हैं जबकि राज्य के अन्य डिविजनल मुख्यालयों में ऐसे कार्यालय हैं;

(ख) डिविजनल इन्जीनियरिंग का कार्यालय खोलने के लिए क्या मानदण्ड है; और

(ग) क्या सरकार का फैजाबाद में उक्त कार्यालय खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। फैजाबाद में मंडल इंजीनियर (फोंस) का कोई कार्यालय नहीं है लेकिन वहां उप-मण्डल अधिकारी (तार) का कार्यालय है।

(ख) मण्डल इंजीनियर का कार्यालय खोलने के मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं। फैजाबाद में वर्तमान कार्यभार के आधार पर इसका औचित्य नहीं बनता है।

विवरण

मंडल इन्जीनियर फोन्स के कार्यालय खोलने के लिए मानदण्ड

सामान्य क्षेत्र :

(क) सज्जित क्षमता वाले एक्सचेंज		यूनिटों में मण्डल इंजीनियर
(एक)	99 लाइन और उससे कम	15 प्रति एक्सचेंज
(दो)	100-499 लाइनें	35 प्रति एक्सचेंज
(तीन)	100-999 लाइनें	110 प्रति एक्सचेंज

(चार)	1000-1999 लाइनें	360 प्रति एक्सचेंज
(पांच)	2000-2999 लाइनें	
(छः)	3000-4999 लाइनें	640 प्रति एक्सचेंज
(सात)	5000 लाइनें और उससे अधिक	1175 प्रति एक्सचेंज
	(ख) सीधी एक्सचेंज लाइनें	0.25 प्रति चालू कनैक्शन
	(ग) आटो मैनुअल पोजीशनें सहित विशेष सेवा पोजीशन	
	(एक) उक्त (एक) से (चार) तक संबंधित	2 प्रति पोजीशन
(दो)	उक्त (पांच) से (सात) तक संबंधित	4 प्रति पोजीशन
	(घ) एस० टी० डी०/स्लोड/मलोल्ड सर्किट आवक और जावक दोनों	1 प्रति सर्किट
	(ङ) टेलेक्स एक्सचेंज	5 प्रति लाइन सज्जित क्षमता
	(च) टेलेक्स उपभोक्ता, किराए वाले और विभागीय टेलीप्रिंटर सर्किट	—
	(छ) 99 एक्सटेंशन और उससे कम की सज्जित क्षमता के साथ पी० बी० एक्स०/पी० ए० बी० एक्स०	2 प्रति एक्सचेंज
	(दो) 100 एक्सटेंशन और उससे अधिक	6 प्रति एक्सचेंज
	(ज) सभी किस्म के एक्सटेंशन	0.1 प्रति एक्सटेंशन
	(झ) गैर एक्सचेंज लाइनें/निजी तारें/लम्बी दूरी के पी० सी० ओ०	1 प्रति लाइन
	(ञ) ड्रक/तार अलालमेंट्स	
	(एक) सी-8 एन० सी० जे०	0.5 प्रति किलोमीटर
	(दो) अन्य अलाइनमेंट्स	0.4 प्रति किलोमीटर
	(ट) तारघर	
	(एक) केन्द्रीय तारघर	25 प्रति तारघर
	(दो) विभागीय तारघर	12 प्रति तारघर
	(तीन) संयुक्त डाक तार घर	0.3 प्रति तारघर
	(ठ) कैरियर/रिपीटर वी० एफ० टी० प्रणालियां	15 प्रति प्रणाली
	(ड) निम्नलिखित के साथ ट्रंक एक्सचेंज	
	(एक) 9 परियात संचालक पोजीशनें या उसके कम	15 प्रति पोजीशन
	(दो) उपर्युक्त एक्सचेंजों में रिकार्ड/ पूछताछ पोजीशन	2 प्रति पोजीशन
	(तीन) 10 से 15 परियात संचालक पोजीशनें	25 प्रति पोजीशन

(चार)	16 परियात संचालक पोजीशनें और उससे अधिक	35 प्रति पोजीशन
(पांच)	उपर्युक्त (तीन) और (चार) में रिकार्ड । पूछताछ पोजीशनें	4 प्रति पोजीशन
(ढ)	अधीनस्थ पद भार	170 प्रति ग्रेड ख इंजीनियरी पदभार अर्थात् एस० डी० ओ० टी०, एस० डी० ओ० पी, सहायक इंजीनियर (आंतरिक और सहायक इंजीनियर (ट्रंक)
(ण)	स्वीकृत स्टाफ (इंजीनियर सुपरवाइजर)	2.5 प्रति पद
(त)	स्थायी कार्य भार	1350 प्रति डिवीजन

मंडल इंजीनियरों का मूल्यांकर केवल कार्यभार के आधार पर करना होगा, अर्थात् मानदण्डों के (क) से (त) में दिए गए कुल कार्यभार को 6250 से विभाजित किया जाए ।

किसी तार इंजीनियरी डिवीजन का द्विशासन तभी किया जाता है जब मण्डल इंजीनियर के स्तर पर कुल अस्थायी कार्यभार 11250 यूनिटों से अधिक हो जाए और इस प्रकार विभाजित दो डिवीजनों का कार्यभार मंडल इंजीनियर स्तर पर 4065 यूनिटों से कम न हो ।

(दो) दुर्गम मार्गों के लिए छूट :

दुर्गम मार्गों के लिए अर्थात् भारत सरकार द्वारा दुर्गम के रूप में मानें गए मार्ग	उपर्युक्त (क) और (ख) में दिए गए यूनिटों का 25 प्रतिशत ।

उपर्युक्त (क) से (त) तक परिकलित यूनिटों को इसे शामिल किया जाता है ।

(तीन) पिछड़े क्षेत्र :

अर्थात् वे डिवीजन जहां 500 लाइनों से अधिक की सज्जित क्षमता वाले एक्सचेंज नहीं होते हैं, में पिछले वर्ष खोले गए प्रति नए लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० को 4 यूनिटों की छूट दी जाती है :

टेलीफोन कनेक्शन जारी करने के लिए कार्य-विधि

[अनुवाद]

1823. श्री योगेश्वर प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य, नॉन ओ० वाई० टी०, ओ० वाई० टी० विशेष वाणिज्यिक सार्वजनिक टेलीफोन, विभागीय टेलीफोन और सरकारी मामलों के अंतर्गत टेलीफोन जारी करने की कार्य-विधि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक श्रेणी के लिए कितनी राशि ली जाती है;

(ख) उपर्युक्त भाग "क" में प्रत्येक श्रेणी के टेलीफोनों के स्थानान्तरण के लिए विस्तृत कार्य-विधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों और विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों के कार्य करने का समय उन लोगों की इच्छा के अनुसार रहता है जिनके घर में ये लगाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कनेक्शनों के कार्य करने का समय निर्धारित करने के मानदण्ड क्या हैं और क्या इन श्रेणियों के अंतर्गत लगाए गए कनेक्शनों को बाद में किसी के नाम में बदला जा सकता है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं जिसे सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) ओ० वाई० टी, गैर-ओ० वाई० टी० सामान्य और गैर-ओ० वाई० विशेष श्रेणियों के अंतर्गत मंजूर टेलीफोन के अंतरण के लिए, अपेक्षित कागजात सहित संबंधित टेलीफोन अधिकारियों का आवेदन करना चाहिए। तथापि, प्राइवेट और विभागीय सार्वजनिक टेलीफोनों का अंतरण नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) जी नहीं। प्राइवेट सार्वजनिक टेलीफोनों और विभागीय सार्वजनिक टेलीफोनों के जनता के लिए खुले रहने का समय टेलीफोन मंजूर करने वाले प्राधिकारी, स्थान और संस्थापन की स्थिति के अनुरूप निर्धारित करते हैं। संस्थापन के पश्चात इन टेलीफोनों को किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं बदला जा सकता।

विवरण

सरकारी टेलीफोन कनेक्शनों के लिए मांग सामान्यतया ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी के अंतर्गत दर्ज की जाती है। वाणिज्यिक उद्देश्य से टेलीफोन का पंजीकरण ओ० वाई० टी० अथवा गैर ओ० वाई० टी० श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है बशर्ते कि वे उसके लिए योग्य पाए जाएं।

किसी एक्सचेंज में एक मुख्य कनेक्शन देते समय टेलीफोन कनेक्शन निम्नलिखित अनुपात में दिए जाते हैं :—

ओ० वाई० टी० सामान्य और ओ० वाई० टी० विशेष	40 प्रतिशत
गैर ओ० वाई० टी० सामान्य	40 प्रतिशत
गैर ओ० वाई० टी० विशेष	20 प्रतिशत

2. विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित भाग में राशि जमा करानी चाहिए :—

(क) अपना टेलीफोन पाएं :—

10,000 लाइनों और इससे अधिक क्षमता की टेलीफोन प्रणाली	1,000 लाइनों से अधिक परंतु 10,000 लाइनों से कम क्षमता होने पर	1,000 से कम लाइन की की क्षमता होने पर
8,000 रु०	6,000 रु०	5,000 रु०

(ख) सामान्य और विशेष श्रेणी :—

मीटरित एक्सचेंज		फ्लेट एक्सचेंज			
10,000 लाइनों तथा इससे अधिक	10,000 लाइनों से कम	100 लाइनें और उससे अधिक	100 लाइन और उससे कम	20 लाइनों से अधिक के मैनुअल एक्सचेंज जो सीमित समय तक सेवा प्रदान करते हैं	20 लाइनों अथवा इससे कम क्षमता के मैनुअल एक्सचेंज जो सीमित समय तक सेवा प्रदान करते हैं
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1,000	800	1,000	100	100	100

3. विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन घर दूरसंचार विभाग की पहल पर खोले जाते हैं बशर्ते कि एक्सचेंज की क्षमता हो और जहां इन्हें खोला जाना है वहीं ये सुरक्षित रहें तथा सामान्य जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकें, और जहां जनता को इसकी आवश्यकता हो, उपभोक्ता ही स्थानीय अथवा ट्रंक काल प्रभार अदा करेंगे।

गैर-आवासीय स्थानों पर प्राइवेट सार्वजनिक टेलीफोन खोले जा सकते हैं बशर्ते कि उसकी व्यवहार्यता और उपर्युक्तता सिद्ध हो सके। किराएदार को 500 रुपए प्रतिभूति जमा के रूप में जमा करने होंगे। किराएदार को सिक्का पेटी (क्वाइन बॉक्स) टाइप के लिए 100 रुपए और अटेंडिड टाइप सार्वजनिक टेलीफोन के लिए 200 रुपए महीने वार न्यूनतम राजस्व की गारंटी देनी होगी।

बिहार में लोगों को दी गई विधिक सहायता

1824. **श्री योगेश्वर प्रसाद :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में निःशुल्क विधिक सहायक केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो बिहार में ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं और वे किस जिले में कहां पर हैं;

(ग) क्या इन केन्द्रों द्वारा जाति, पंथ और रंग का भेदभाव किए बिना सभी समुदायों के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी सहायता बिहार राज्य में और चतरा अनुमंडल में कितने व्यक्तियों को और अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने व्यक्तियों को उपलब्ध की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) अधिकतर राज्यों में, संबंधित राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी पर आधारित एक विवरण संलग्न है। सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) चतरा अनुमंडल के 26 व्यक्तियों सहित 669 व्यक्तियों को ऐसी सहायता दी गई है। राज्य सरकार के पास इस समय जाति-वार कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण

बिहार की जिला और उच्च न्यायालय विधिक सहायता समितियों की सूची

1. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, पटना
2. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, गया
3. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, सासाराम (रोहतास)
4. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, भोजपुर (आरा)
5. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, औरंगाबाद
6. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, डाल्टनगंज (पलामू)
7. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, हजारीबाग
8. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, भागलपुर
9. अध्यक्ष (न्यायिक आयुक्त) जिला विधिक सहायता समिति, रांची
10. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, धनबाद
11. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, दुमका
12. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, मुंगेर
13. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, कटिहार
14. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, पूर्णिया
15. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, सहरसा
16. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, बेगूसराय
17. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, समस्तीपुर
18. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, दरभंगा
19. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, मधुबनी
20. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, मुजफ्फरपुर
21. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, सीतामढ़ी

22. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, बैशाली (हाजीपुर)

23. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, मोतीहारी

24. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, बेतिया

25. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, सारन (छपरा)

26. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, सिवान

27. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, गिरिडीह

28. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, सिंहभूम (चाइबासा)

29. अध्यक्ष (जिला और सेशन न्यायाधीश) जिला विधिक सहायता समिति, नालंदा (बिहार शरीफ)

30. अध्यक्ष, पटना उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति, उच्च न्यायालय, पटना

31. अध्यक्ष, रांची उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति, रांची उच्च न्यायालय न्यायपीठ रांची

तीन अधिकारियों की एक साथ उपसेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्तियां

1825. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन अधिकारियों को एक साथ ही उपसेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्य और उत्तरदायित्व तथा रैंक की परस्पर किस प्रकार व्याख्या की गई है;

(ग) क्या यह पहला अवसर है जबकि एक ही समय में एक से अधिक उपसेनाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो किन आधारों पर यह न्यायोचित है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) सेना मुख्यालय में उप-सेनाध्यक्ष का केवल एक ही पद है। अभी हाल में दो अन्य अफसरों को, उनकी अपनी-अपनी वर्तमान नियुक्तियों पर उनके कार्यों में बिना परिवर्तन किए उप-सेनाध्यक्ष के पद का दर्जा और परिलब्धियां दी गई हैं।

समुद्र तट पर तेल की खुदाई के कार्य में गैर-सरकारी भारतीय पूंजी निवेश

1826. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र तट पर तेल की खुदाई के कार्य में अंततः गैर-सरकारी भारतीय पूंजी के निवेश की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए मोदी उद्योग समूह और एक विदेशी बहुराष्ट्रिक कम्पनी के बीच एक सहयोग समझौता हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मैसर्ज मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ड्रिलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मैसर्ज सांता फि इंटरनेशनल कार्पोरेशन के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया था । यह सहयोग समझौता अभी तक सरकार के रिकार्ड में नहीं रखा गया है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल उत्पादन

1827. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उसके द्वारा तेल का उत्पादन दुगना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपना उत्पादन दुगना करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण कार्यक्रम तथा कच्चे तेल के उत्पादन के ब्यौरे सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही उपलब्ध होंगे ।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार

1828. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में संचार सेवाओं में सुधार हेतु वर्ष 1985-86 के दौरान क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित बनाने, उड़ीसा के भीतर तथा बाहर के शहरों को भुवनेश्वर और अन्य स्थानों से सीधी डायल सेवा द्वारा जोड़े जाने के प्रस्तावों का विवरण क्या है;

(ग) किन-किन स्थानों में नए टेलीफोन एक्सचेंजों/तारघरों और डाकघरों की स्थापना की जाएगी; और

(घ) राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में शीघ्र डाक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा के जनजातीय तथा पिछड़े इलाकों में संचार सेवाओं को सुधारने के लिए 1985-86 के दौरान इन क्षेत्रों में लागू होने वाली षडभुजाकार तथा अन्य उदारीकृत नीतियों के अनुरूप अधिकाधिक मात्रा में टेलीफोन

एक्सचेंज लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/तारघर (संयुक्त डाक तार घर) खोलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) 1985-86 में तीन टेलीफोन एक्सचेंज जो अर्थात् (1) पिछड़े क्षेत्र में बालासौर (2) जनजातीय इलाकों में जैपोर और (3) सामान्य क्षेत्र में संबलपुर एक्सचेंज का स्वचलीकरण करने का प्रस्ताव है। बालासोर और भद्रक शहरों को भुवनेश्वर और कटक के साथ प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस० टी० डी० के जरिए जोड़े जाने का प्रस्ताव है। पारादीप से कटक के लिए भी प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

फिलहाल, उड़ीसा के बाहर के स्थानों के लिए एस० टी० डी० का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उड़ीसा में 1985-86 के दौरान 30 टेलीफोन एक्सचेंज और 150 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/तारघर (जिसमें से जनजातीय और पिछड़े इलाकों में 10 टेलीफोन एक्सचेंज और 60 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक तार घर) खोलने का प्रस्ताव है। 45 डाकघर भी खोले जाने का प्रस्ताव है।

(घ) 1985-86 के दौरान, उड़ीसा के जनजातीय और पिछड़े इलाकों में डाक वितरण में तेजी लाने के लिए 23 विभागीय वितरण एजेंटों की नियुक्ति का प्रस्ताव है बशर्ते कि निधि उपलब्ध रहे।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, उड़ीसा में मिग विमानों का निर्माण, उत्पादन और उनके हिस्से पुर्जे जोड़ना

1829. **श्री के० प्रधानी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम सोवियत लड़ाकू विमान मिग-29 का लाइसेंसीकृत उत्पादन हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित कारखाने में विभिन्न चरणों में शुरू किया जाएगा;

(ख) भारत द्वारा मिग-27 विमानों को पहले ही प्राप्त कर लेने के बाद, इस विमान का पूर्ण रूप से उत्पादन कब तक शुरू होने की सम्भावना है; और

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की उड़ीसा यूनिट, जिसकी क्षमता का अब तक पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, को इन दो प्रकार के मिग विमानों के हिस्से के निर्माण, उत्पादन और हिस्से पुर्जे जोड़ने का कार्य सौंपा जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के नासिक डिवीजन में मिग-29 विमान का उत्पादन किया जाना है और यह कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार चल रहा है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की कोरापुट डिवीजन में उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है।

नासिक डिवीजन में किसी अन्य विमान के निर्माण का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस बारे में आगे और ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

कृषि कार्यों के लिए रियायती दरों पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई

1830. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि कार्यों के लिए पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) क्या कृषि प्रयोजनों के लिए रियायती दरों पर पेट्रोल और डीजल सप्लाई करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) कृषि के क्षेत्र में मुख्य रूप से ट्रेक्टरों, हारवेस्टरों, पावर टिलरों और पम्प सैटों को चलाने के लिए मुख्यतः हाई स्पीड डीजल आयल तथा कुछ कम मात्रा में हलका डीजल आयल का प्रयोग किया जाता है। फुटकर बिक्री केन्द्रों द्वारा बिक्री के सेक्ट्रल ब्रेक अप की सूचना डीलर नेट वर्क तथा तेल कम्पनियों द्वारा नहीं रखी जाती। फुटकर केन्द्रों द्वारा हाई स्पीड डीजल तेल की बिक्री के सेक्ट्रल ब्रेक अप का पता लगाने के लिए तेल उद्योग द्वारा 1984 में एक ओपिनियन सर्वे किया गया। इस आधार पर तथा 1983-84 में हाई स्पीड डीजल की कुल बिक्री के अनुसार कृषि क्षेत्र द्वारा प्रयोग की गई मात्रा का लगभग 20 लाख मीट्रिक टन का अनुमान लगाया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दादरा और नगर हवेली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा चलाए जा रहे लघु उद्योग

1831. **श्री सीताराम जे० गावली** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नगर हवेली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा कोई लघु उद्योग चलाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1983-84 में दादर और नगर हवेली में कुल 11 दस्तकारी एकक एवं 20 लघु एकक स्थापित किए गए थे। सभी 11 दस्तकारी एकक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा लगाए गए थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में नए टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

1832. **श्री निर्मल खत्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैजाबाद शहर (उत्तर प्रदेश) में कितने व्यक्ति नए टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) क्या सरकार इन लोगों की समस्या के समाधान के लिए कोई उपाय कर रही है;

(ग) क्या फैजाबाद में एक नया इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रगति क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 140 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ख) जी, हां। मार्च, 1985 के अन्त तक इस एक्सचेंज की क्षमता में 100 लाइनों का विस्तार करने का प्रस्ताव है। 1985-86 के दौरान भी 100 लाइनों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्र द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता और सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान

[अनुवाद]

1833. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु केन्द्र से कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है;

(ख) राज्यों का विकास करने हेतु उद्योग स्थापित करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) उद्योगों को स्थापित करने के लिए केन्द्र की सहायता की सीमा का अभी तक निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मारुति कारों का उत्पादन बढ़ाने के उपाय

1834. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मारुति कारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : कुल 20,000 गाड़ियों के लक्ष्य की तुलना में मारुति उद्योग लिमिटेड ने 1984-85 में 20,000 से अधिक कारों और 2,000 वैनों का उत्पादन किया है। 1985-86 में 36,000 कारों और 12,000 वैनों का निर्माण करने के लिए कम्पनी प्रयत्न कर रही है। मांग को पूरा करने की दृष्टि से बाद के वर्षों में उत्पादन में और वृद्धि की जायेगी।

भारतीय ब्रांड नामों को विकसित करने की नीति

1835. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई प्रौद्योगिकी और उद्योग के दर्जे को महत्व देते हुए भारतीय ब्रांड नामों को विकसित करने के बारे में सरकार की नीति क्या है, ताकि एक दिन हम भी अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांडों की प्रतिस्पर्धा कर सकें; और

(ख) यह देखने के लिए कि विदेशी प्रौद्योगिकी की सहायता से अथवा उसके बिना भारतीय ब्राण्डों का विकास करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ख) भारतीय ट्रेड मार्कों के विकास के लिए विदेशी ट्रेड मार्क के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाता है। एक सामान्य नीति के अनुसार देश के भीतर बेचे जाने वाले उत्पादों पर सामान्यतः विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाती, हालांकि निर्यात किये जाने वाले उत्पादों पर इसके प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं है। इन आशय की एक शर्त का समावेश सभी विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों में किया जाता है।

बिड़ला बंधुओं द्वारा उड़ीसा में टायर फैक्ट्रियों की स्थापना

1836. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिड़ला बन्धुओं को उड़ीसा में स्थापित किये जाने वाले कारखाने में 90 करोड़ लगाकर टायर उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी है;

(ख) क्या इस उद्योग में पहले ही बहुत अधिक फालतू क्षमता उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है;

(घ) क्या नये टायर यूनिट को केसोराम इण्डस्ट्रीज के एक प्रभाग के रूप में स्थापित किया जाएगा और इसमें हुए घाटे को केसोराम के शेष प्रभागों के लाभों से कर का लाभ देकर पूरा किया जा सकता है तथा करों में राहत प्राप्त की जा सकती है; और

(ङ) क्या केसोराम इण्डस्ट्रीज को आशय पत्र जारी करते समय इस पहलू पर विचार किया गया था ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) बिरला समूह के स्वामित्व वाली मे० केसोराम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड को उड़ीसा में बाला सोर (जो श्रेणीबद्ध 'क' का एक पिछड़ा जिला है) में टायर/ट्यूबों का निर्माण करने के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

(ख) और (ग) मे० केसोराम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड के आवेदन की सभी दृष्टियों से विधिवत जांच की गई थी जिसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में पूर्वानुमानित मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित निर्माण क्षमता उत्पन्न करने और आशय पत्र स्वीकार किए जाने से

पूर्व एम० आर० टी० पी० अधिनियम के उपबंधों का पालन करने सहित सभी बातों पर विचार कर लिया गया है।

(घ) और (ङ) आवेदन पत्र में केशोराम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड के नाम से प्रस्तुत किया गया था और उसी के अनुसार आशय पत्र जारी किया गया था।

दानापुर छावनी क्षेत्र में भूमि पर अवैध कब्जा

[हिन्दी]

1837. **श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर छावनी क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने सैक्टर 4 और सैक्टर 7 के बीच काफी भूमि पर कब्जा कर लिया है;

(ख) क्या छावनी कर्मचारियों ने बस स्टैंड और मार्शल बाजार के बीच की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है; और

(ग) क्या सरकार का अवैध कब्जे को हटाने और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए कोई कार्रवाई करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

डाक और तार विभाग में हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक

[अनुवाद]

1838. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि डाक और तार विभाग ने एडवान्स लेबिल टेली-कम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेंटर से कुछ हिन्दी अधिकारी और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें सर्किल ऑफिस से लेने के क्या कारण है जबकि निदेशालय में पहले ही एक हिन्दी एकक काम कर रहा है;

(ग) इन अधिकारियों को एडवान्स लेबिल टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेंटर से लेने की शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या उन्हें डाक और तार विभाग में खपाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ये अधिकारी अपने वेतन और भत्ते कहां से ले रहे हैं, उसका शीर्ष क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां। एक हिन्दी अधिकारी तथा तीन वरिष्ठ अनुवादक उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, गाजियाबाद से डाक-तार निदेशालय में लाए गए हैं।

डाक-तार विभाग द्वारा उपयुक्त अंतराल पर 60 कोड पुस्तकों तथा मैनुअलों का प्रशासन किया जाता है। समय अंतराल में इन कोड पुस्तकों एवं मैनुअलों में बड़े पैमाने पर संशोधन करना होता है या कुछ अतिरिक्त सामग्री शामिल करनी होती है। इसी उद्देश्य से तारीख 1-9-1982 के आदेशों के अंतर्गत एक कोड एवं मैनुअल संशोधन सैल का गठन किया गया था जिसमें 30 अधिकारी कर्मचारी हैं। इस सैल की कार्य अवधि 3 वर्ष है।

इस सैल के गठन के समय संशोधित कोड पुस्तकों एवं मैनुअलों के हिन्दी अनुवाद के लिए अलग से पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया गया था। चूंकि राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत इन्हें हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है, अतः विभाग ने डाक-तार निदेशालय के हिन्दी अनुभाग के हिन्दी अनुवादकों तथा कुछ समीपवर्ती फील्ड यूनिटों के हिन्दी अनुभाग के अनुवादकों की सेवाओं का उपयोग करने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, गाजियाबाद के हिन्दी अनुभाग की सेवाएं ली गई।

(ग) और (ङ) उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, गाजियाबाद से लिया गया स्टाफ उक्त कार्यालय का ही स्टाफ बना रहेगा जहां से वे सामान्य शीर्ष के अन्तर्गत अपना वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते हैं।

(घ) जी, नहीं। इन कर्मचारियों को डाक-तार निदेशालय में खपाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उक्त कार्य के पूरा होने के बाद उन्हें पुनः उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, गाजियाबाद भेज दिया जाएगा।

अमरीका द्वारा भारत को हथियारों और सैन्य उपस्कर की बिक्री के लिए पूर्व शर्तें

1839. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत को हथियारों और सैन्य उपस्करों की बिक्री के लिए कुछ पूर्व शर्तें लगायी हैं;

(ख) यदि हां, तो यह पूर्व शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या अमरीका द्वारा अन्य देशों, विशेषकर पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री के मामले में भी इस प्रकार की पूर्व शर्तें लगाई गई हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को हुआ नुकसान

1840. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का संचित नुकसान 11,716 29 लाख रुपए था जोकि कम्पनी की चुकता पूंजी 9341.33 लाख रुपए का 125.42 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा कितने संयंत्र चलाए जा रहे हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(घ) सबसे अच्छी हालत में चलने वाले संयंत्रों और सबसे खराब हालत में चलने वाले संयंत्र का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन एककों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं जिससे कि ये एकक लाभ अर्जित कर सकें; और

(च) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) हानियां विभिन्न पहलुओं के कारण हुई हैं, जैसे मांग की बाधाओं और पावर/जल की कमी के परिणामस्वरूप स्थापित क्षमता का अल्प उपयोग/प्रौद्योगिकी समस्याएं, मूल स्तर से उत्पादन की उच्चतर लागत तथा उत्पाद मिश्रण जिसमें कम पार्क अपवाले मुख्यतः श्रेणी I और II प्रपुंज औषध और फार्मूलेशन शामिल हैं।

(ग) और (घ) इस समय इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स पांच एकक चला रहे हैं और इनमें से प्रत्येक एकक का वित्तीय निष्पादन नीचे दिया गया है :

(रु० लाखों में)
(+) लाभ/(—) हानि

	1981-82	1982-83	1983-84
ऋषिकेश	(—) 1519.34	(—) 869.83	(—) 756.84
हैदराबाद	(—) 716.41	(—) 759.84	(—) 426.15
मद्रास	(—) 69.85	(—) 212.97	(—) 167.73
गुड़गांवा	(—) 6.72	(+) 10.68	(—) 41.57
मुजफ्फरपुर	(—) 239.61	(—) 286.08	(—) 370.11

(ङ) और (च) किए जाने वाले उपचारी उपायों से आयात नीति की कमियों को दूर करना जो उत्पादन और क्षमता उपयोगिता में विघ्न डालते हैं, कार्यकारी पूंजी और कच्चे माल तथा मध्यवर्तियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के प्रयास करना शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में विदिशा और सांची, पेट्रोल और डीजल के लिए बिक्री-केन्द्र खोलना

1841. **श्री प्रताप भानू शर्मा** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के विदिशा और सांची में पेट्रोल और डीजल के लिए नए बिक्री-केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इन बिक्री केन्द्रों को खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत पेट्रोलियम निगम ने दिसम्बर, 1983 में रायसेन जिले में अन्डीद्वीप के लिए एक नया डीजल बिक्री केन्द्र खोलने के लिए विज्ञापन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इसे कार्यरूप नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) विदिशा शहर के बाहर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र के लिए डीलर के चयन की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। तेल उद्योग ने नया पेट्रोल/डीलज पम्प खोलने के लिए सांची को निर्दिष्ट नहीं किया है।

(ग) जी हां।

(घ) डीलर के चयन का कार्य चल रहा है।

मैसर्स ग्लोब फाइनेंशर्स (प्रा०) लि०, का परिसमापन

1842. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी परिसमापक केवल कम्पनियों के परिमापन के मामलों को ही निपटाता है;

(ख) क्या सरकारी परिसमापक के पास कई मामले पिछले बीस वर्षों से निपटाने के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो मैसर्स ग्लोब फाइनेंशर्स (प्रा०) लि० के परिसमापन से संबंधित लगभग 83 ऋणदाताओं के दावों के निपटान की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) क्या मैसर्स ग्लोब फाइनेंशर्स (प्रा०) लि० के 83 ऋणदाताओं के दावों की शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य संत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) शासकीय समापक, दिल्ली, संघशासित क्षेत्र दिल्ली में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों के परिसमापन के मामलों से ही केवल संबंधित है।

(ख) ऐसा कोई मामला नहीं है, जो पिछले बीस वर्षों से शासकीय समापक के पास निर्णय के लिए लम्बित पड़ा है।

(ग) शासकीय समापक के पास समझौते के लिये उल्लिखित लम्बित 83 दावों में से 63 दावों का चूंकि निपटान हो चुका है और केवल 20 दावे अन्तिम निर्णय के लिए लम्बित हैं। 20 अनिर्णीत मामलों में से 16 मामले दावेदारों से पर्याप्त प्रमाण के लिए अन्तिम निर्णय के लिए लंबित हैं और 2 मामले न्यायालय से विलम्ब के लिए क्षमा मांगने के लिए अनिर्णीत हैं जो सम्बन्धित दावेदारों से प्राप्त की जानी हैं, जहां तक शेष 2 का सम्बन्ध के जिनसे अभी हाल ही में फरवरी/मार्च, 85 में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और जिनका शासकीय समापक द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

(घ) न्यायालय द्वारा कम्पनी को बन्द करने के अविलम्ब मामले में, शासकीय समापक, सम्बन्धित उच्च न्यायालय के निर्देशनों, नियंत्रण एवं तत्वाधान में कार्य करता है।

शासकीय समापक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित शेष 20 दावों के निर्णय के लिए सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं।

घरेलू उपयोग में आने वाली बिजली उपकरण (किस्स नियंत्रण) आदेश को कार्यान्वित करने में असफल रहना

1843. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा 1981 में पारित घरेलू बिजली उपस्करण (किस्म नियंत्रण) आदेश को कार्यान्वित करने से असफल रही है;

(ख) क्या बाजारों में इन घटिया और नकली बिजली उपकरणों की भरमार होने के कारण उनका उपयोग करने वालों के लिए भारी खतरा बना हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखबारी कागज का आयात

1844. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखबारी कागज की कुल आवश्यकता का 50 प्रतिशत से अधिक भाग आयात करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश को अखबारी कागज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान इस दिशा में क्या-क्या योजनायें और उपाय सोचे गए हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान अखबारी कागज की 3.85 लाख मीट्रिक टन अनुमानित मांग में से 2 लाख मीट्रिक टन को घरेलू उत्पादन और शेष को आयात द्वारा पूरा किया जाना है।

(ख) और (ग) देश में अखबारी कागज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विद्यमान मिलों की क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं। निम्नलिखित अतिरिक्त क्षमता को औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों द्वारा मंजूरी दी गई है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है :—

क्र० सं०	पार्टी का नाम	अवस्थापना स्थल	वार्षिक क्षमता मीट्रिक टन
	औद्योगिक लाइसेंस		
1.	तमिलनाडु अखबारी कागज और कागज	तमिलनाडु	50,000
2.	सेंचुरी पम्प एण्ड पेपर	नैनीताल (उ० प्र०)	20,000
3.	नेपा मिल्स	नेपानगर (उ० प्र०)	9,000
	आशय-पत्र		(पर्याप्त विस्तार)
4.	तिरूपति अखबारी कागज	बिलासपुर	79,000
5.	कर्नाटक न्यूजप्रिंट मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	कर्नाटक	30,000
6.	श्री एस० पी० जतिया	गोवा	85,000
7.	राज्य औद्योगिक और निवेश निगम	महाराष्ट्र	50,000
8.	सोलर पेपर मिल्स	तमिलनाडु	30,000
9.	डा० डी० के० मिश्र	उड़ीसा	50,000
10.	श्री बी० हनुमन्त राव	आंध्र प्रदेश	40,000
11.	मैं० बड़ौदा रेयोन कारपोरेशन लि०	महाराष्ट्र	50,000
12.	एक्मी पेपर लिमिटेड	मध्य प्रदेश	60,000
13.	मैं० क्लीटस विसेन्ट	आंध्र प्रदेश	30,000

पारंपरिक मछुआरों को उनकी देशी यंत्रीकृत नौकाओं के लिए मिट्टी के तेल की सप्लाई

1845. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) उन पारम्परिक मछुआरों को मिट्टी के तेल की सप्लाई करने के बारे में सरकार की नीति क्या है जिन्होंने अपनी देशी नौकाओं में आउट बोर्ड इंजन लगाकर उन्हें यंत्रीकरण बना लिया है; और

(ख) क्या सरकार उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मिट्टी का तेल सप्लाई करेगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन मुख्य रूप से घरेलू रोशनी तथा खाना पकाने के लिए किया जाता है । सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि गैर-घरेलू कार्यों के लिए मिट्टी के तेल के प्रयोग को तभी अनुमति दी जाये जब प्रौद्योगिकीय कारणों से किसी अन्य प्रकार के ईंधन का प्रयोग सम्भव न हो । मछली पकड़ने की नौकाओं के आउट बोर्ड इंजन प्राप्त सूचना के अनुसार पेट्रोल से चलने वाले डिजाइन के बनाए जाते हैं और लम्बी अवधि तक मिट्टी के तेल से चलाने पर इंजन को नुकसान होने की संभावना होती है । इन इंजनों के लिए मिट्टी के तेल का, जो आयात किया जाता है, प्रयोग करना वांछनीय नहीं समझा गया है जबकि पेट्रोल जिसका देश में ही उत्पादन होता है, प्रयोग किया सकता है ।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होता ।

अखबारी कागज से शुल्क हटाने का अनुरोध

1846. **श्री अमर सिंह राठवा :**
श्रीमती माधुरी सिंह :
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया ने सरकार से अखबारी कागज से शुल्क हटाने और इसे सस्ता करने और प्रेस के सभी वर्गों को पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो अखबारी कागज पर वसूल किए जाने वाले शुल्क की वर्तमान दर क्या है; और

(ग) समाचार पत्र उद्योग को बचाने के लिए अखबारी कागज से शुल्क हटाने अथवा कम करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा इस बारे में एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) और (ग) समाचार पत्रों, अभ्यास पुस्तिकाओं अथवा सामान्य रुचि की अन्य पुस्तकों की छपाई में उपयोग के लिए अनधिक 50 प्रतिशत रेशा तत्वों की मात्रा में मैकेनीकल वुड पल्प से बने सभी प्रकार के कागज के मामले में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर पूरी तरह से छूट दी गई है । बेमेल आकार के अखबारी कागज और रद्दी अखबारी कागज पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मूल्यानुसार 5 प्रतिशत है । समाचार पत्रों, किताबों और पत्रिकाओं की छपाई में प्रयोग होने वाले आयातित अखबारी कागज पर सीमा शुल्क की प्रभारी दर 550 रु० और सहायक शुल्क की दर 275 रु० प्रति मी० टन है । किन्तु अखबारी कागज पर आयात शुल्क की वसूली के विरुद्ध दायर की गई कुछ रिट याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1984 के निर्णय के अनुसार, सरकार के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि की छपाई के लिए प्रयोग किए गए अखबारी कागज पर 1 मार्च, 1981 से देय सहायक शुल्क अथवा आयात शुल्क की वसूली के संपूर्ण प्रश्न पर न्यायनिर्णय की तारीख से 6 महीने के भीतर पुनर्विचार करना अपेक्षित है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय संगठनों (फील्ड फार्मेशन्स) को आयातित अखबारी कागज पर 550 रु० प्रति मी० टन की दर से शुल्क वसूल करने का निर्देश दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे । श्री पी० वी० नरसिंह राव ।

12.00 मध्याह्न

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम तथा नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

[अनुवाद]

विधि तथा न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : श्री पी० वी० नरसिंह राव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर (दूसरा संशोधन) नियम, 1985, जो 23 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 49 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर (तीसरा संशोधन) नियम, 1985, जो 9 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 52 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर (बालिका प्रभाग) दूसरा संशोधन नियम, 1985, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 56 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 630/85]

(2) नौसैनिक सेवा की औपचारिक शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत 16 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 130 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 632/85]

वर्ष 1985-86 की शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं वर्ष 1985-86 की शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 633/85]

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 तथा हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स सीमित के वर्ष 1983-84 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 634/85]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स सीमित के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स सीमित के वर्ष 1883-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (क) और (ख) भागों में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 635/85]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) लाइट डीजल आयल (अधिकतम मूल्य-निर्धारण) (संशोधन) आदेश, 1985 जो 17 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 151(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) भट्टी तेल (अधिकतम मूल्यों का निर्धारण और वितरण) (संशोधन) आदेश, 1985, जो 17 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 152(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका एक शुद्धि-पत्र, जो 21 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 288(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य-निर्धारण) (संशोधन) आदेश, 1985, जो 17 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 153(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) पैराफीन मोम (पूर्ति, वितरण और मूल्य-निर्धारण) संशोधन आदेश, 1985, जो 17 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 154(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य-निर्धारण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1985, जो 26 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 306(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 636/85]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैंने एक अत्यावश्यक विषय पर एक ध्यानाकर्षण दिया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में अपने कार्यालय में बात करता हूं, यहां नहीं। (व्यवधान) आपने उसे मुझे कब दिया था, मैं उसकी तलाश करूंगा। आप निश्चित रहें।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : यूनियन कारबाइड से फिर गैस रिसने का समाचार प्रकाशित हुआ है...

अध्यक्ष महोदय : यह केवल एक समाचार है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। इन समाचारों पर मैं कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। कृपया बैठ जाइए। इस तथ्य का सत्यापन करना होगा। आप इस बात को व्यर्थ ही क्यों उठा रहे हैं? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब तक कोई सारगर्भित बात न हो, मैं अनुमति कैसे दे सकता हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश, इसका कोई ठोस आधार नहीं है। मैं पता लगाऊंगा कि इसमें कोई सच्चाई है अथवा नहीं। मैं पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : आपको सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यही करना होगा। मंत्रालय से पूछे बिना मुझे सूचना कैसे मिल सकती है। यह एक तर्कसंगत बात है। उनसे पूछे बिना मुझे सच्चाई का पता कैसे चल सकता है? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : मैं यह मामला उठा रहा हूं, इसलिए आपकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कोई सच्चाई है तो उसका उत्तर दे दिया जाएगा। यदि कोई बात नहीं होगी; तो वे इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (करवा) : हमें नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सच्चाई का पता लगा रहा हूं। यदि कोई सच्चाई होगी तो उसका पता चल जाएगा अन्यथा नहीं। यह तो सामान्य बात है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह मन्त्री जी की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक नोटिस दिया है, कालिंग अटैंशन का···

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटैंशन की बात यहां नहीं होती।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या उनसे पूछे बिना, मुझे तथ्यों की जानकारी हो सकती है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अनुमति नहीं है।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण अय्यर।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई अर्थ नहीं है। निरर्थक बात करते हैं।

[अनुवाद]

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी। मैंने अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

चाहे पचास हजार का हो चाहे एक लाख का हो तब भी हिसाब से बात होगी।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

मैं नियमों के अनुसार कार्य करूंगा ।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : मैंने ध्यानाकर्षण के बारे में नोटिस दिया है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास है । आप मेरे कक्ष में बात कर सकते हैं । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में सभा भवन में चर्चा नहीं की जाती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : हमारे निवेदन पर विचार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास टाइम नहीं है । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात हुई थी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में आप मेरे कक्ष में मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, यहां नहीं । मैं आपको कह चुका हूं, निवेदन कर चुका हूं और अनुरोध कर चुका हूं, कि आप मेरे कक्ष में आ सकते हैं और हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे किन्तु यहां नहीं ।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : 193 में चर्चा करा दी जाए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें पता लगाना होगा । मैं सभा की इच्छा से कार्य करता हूं । मेरी कोई समस्या नहीं है । मैं चार घंटे बैठने को तैयार हूं । सभा भवन में जो कुछ चर्चा होती है, उसका संचालन मैं हमेशा करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि पूरी सभा कुछ करने का निर्णय ले; तो मुझे कोई आपत्ति नहीं और मैं उसकी अवहेलना नहीं करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रताप भानु शर्मा : इस मामले पर सभी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं । यदि संभव हो तो, इसकी चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत की जा सकती है । (व्यवधान)

श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। इसमें भाग्य कोई बात नहीं। सभा आपकी बात से सहमत नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी हां; श्री अय्यर।

श्री वी० एस० अय्यर : मैं मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ गया था और मैंने ऐसा कर दिया है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—जारी

रेडियो, टेलिविजन तथा वीडियो कैसेट रिकार्डर सेट (लाइसेंस की आवश्यकताओं से छूट) नियम, 1985

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं भारतीय बेतार तार-यांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, रेडियो, टेलिविजन तथा वीडियो कैसेट रिकार्डर सेट (लाइसेंस की आवश्यकताओं से छूट) नियम, 1985, जो 17 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 150(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 637/85]

लागान पटसन मशीनरी कम्पनी सीमित, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण और नारियल जटा बोर्ड, एर्णाकुलम का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) लागान पटसन मशीनरी कम्पनी सीमित, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) लागान पटसन मशीनरी कम्पनी सीमित, कलकत्ता, का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 638/85]

(3) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एर्णाकुलम के 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 1984 तक की अवधि से सम्बन्धित अर्धवार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 639/85]

12.09 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

अनावृष्टि के कारण देश के विभिन्न भागों में व्याप्त अकाल और सूखे की स्थिति के समाचार

[अनुवाद]

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

"अनावृष्टि के कारण फसलों की क्षति, चारे और पेयजल की अत्यधिक कमी के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में व्याप्त अकाल और सूखे की स्थिति के समाचार और इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : देश में मौसम-विज्ञान के 35 उप-मण्डलों में से 25 में दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितम्बर) 1984 के दौरान अधिक या सामान्य वर्षा हुई। बाकी 10 उपमण्डलों में यह कमी 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक रही। कमी वाले उप-मण्डल ये हैं अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, मराठवाड़ा, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और दक्षिणी कर्नाटक के दूर-दराज के इलाके। देश में जिलों की कुल संख्या के 36 प्रतिशत में कम या अपर्याप्त वर्षा हुई। 1984 में उत्तर-पूर्वी मानसून (अक्तूबर-दिसम्बर), जो दक्षिण प्रायद्वीप के लिए महत्वपूर्ण है, के दौरान पांच उपमण्डलों, अर्थात् तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पांडिचेरी, दक्षिणी कर्नाटक के दूर-दराज के इलाके और केरल में कम वर्षा हुई थी। जनवरी-फरवरी, 1985 के दौरान उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में सर्दियों की वर्षा बहुत कम या अपर्याप्त हुई थी। मार्च, 1985 के दौरान भी भारत के उपरोक्त भागों में वर्षा अपर्याप्त या अत्यधिक कम हुई थी।

1984 के दौरान मानसून के अपर्याप्त और अनियमित रुख के कारण आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों ने

सूखे की स्थिति की सूचना दी और सूखा-राहत के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए ज्ञापन भेजे। सूखे से कुल 320.84 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र, 991.28 लाख आबादी और 308.15 लाख पशुओं के प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है।

राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त होने पर केन्द्रीय दलों को सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए उपरोक्त राज्यों में भेजा गया। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया और ज्ञापन की जांच की। इन दलों की रिपोर्टों और राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर कुल 200.66 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा मंजूर की गई। तथापि, मार्च, 1985 के दूसरे पखवाड़े के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार के 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सहायता के लिए एक अनुपूरक ज्ञापन प्रस्तुत किया ताकि इन राज्यों में निरन्तर पड़ने वाले सूखे का सामना किया जा सके। इन ज्ञापनों की जांच की जा रही है।

सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रमुख घटक ये हैं—पीने के पानी की सप्लाई, पौष्टिक आहार कार्यक्रम तथा पशुओं के लिए चारे का प्रावधान, रोजगार सृजन, निःशुल्क राहत, लघु और सीमांत किसानों को आदान सम्बन्धी सहायता आदि। 1984-85 के दौरान सूखा-राहत हेतु केन्द्रीय सहायता के भाग के रूप में पीने के पानी के लिए करीब 54 करोड़ रुपए और चारे के लिए 7.42 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल-आपूर्ति और प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को सहायता भी देती है। 1984-85 के दौरान, भारत सरकार ने इन योजनाओं के अन्तर्गत इन 8 राज्यों को करीब 154 करोड़ रुपए की सहायता दी। इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई को सुनिश्चित बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता सम्बन्धी अपने कार्यक्रम भी हैं।

आपातिक सस्य पद्धति अपनाकर फसल उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को भी कम से कम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, राजस्थान आदि जैसे कुछ राज्यों में सूखे के कारण गेहूं के क्षेत्र के काफी बड़े हिस्से में तोरिया और सरसों की फसलें उगाई गयीं, जिन्हें गेहूं की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है। सूखे के मामले में, फसल आयोजना सम्बन्धी एवजी नीतियां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा तैयार की गई हैं और राज्यों को भेज दी गयी हैं।

सरकार ने सूखा-प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, बारानी खेती योजना आदि अनेक योजनाएं बनाकर सूखे की समस्या को हल करने के लिए दीर्घकालीन उपाय भी किए हैं। देश में सूखा-प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 511 खण्ड हैं और छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम पर 166.17 करोड़ रुपए खर्च किए। सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत लघु सिंचाई, वन रोपण और चरागाह विकास तथा मृदा और जल संरक्षण मुख्य घटक हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के तहत भी लघु सिंचाई विकास, मृदा और जल संरक्षण आदि महत्त्वपूर्ण तत्व हैं।

मौसम-विज्ञान विभाग ने भी विभिन्न राज्यों में 9 कृषि-मौसम-विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं। वे राज्य सरकारों के निकट सहयोग से काम करते हैं और अपने पूर्वानुमान आदि की सूचना देते हैं। वे अप्रैल में मानसून के बारे में पूर्वानुमान की सूचना भी देते हैं। सर्दियों की वर्षा के

लिए भी वे हर साल जनवरी में पूर्वानुमान देते हैं। राज्य सरकारें इन पूर्वानुमानों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई करती हैं।

श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर : मैंने माननीय मंत्री जी की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। मैं अन्य राज्यों में सूखे की गम्भीर स्थिति के बारे मे नहीं कह सकता। मैं केवल कर्नाटक में सूखे की गम्भीर स्थिति के बारे में बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनके मामलों की भी वकालत कीजिए।

श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर : वास्तव में, मुझे अन्य राज्यों से भी उतनी ही सहानुभूति है।

श्री सोमनाथ रथ : उन्होंने अन्य राज्यों की बाबत भी संक्षेप में नहीं कही है।

श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर : अन्य राज्यों के बारे में मैं अभी-अभी मंत्री जी से सुन चुका हूं।

जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, गत दो वर्षों से वहां सूखे की स्थिति बहुत ही गम्भीर बनी हुई है। विशेषकर 1984 में राज्य को सूखे की सबसे अधिक खराब स्थिति का सामना करना पड़ा था जिसकी चपेट में 16 जिलों के 133 तालुक में फैले 15,333 गांव आ गए थे जिसके कारण 142.63 लाख व्यक्ति और 82.90 लाख पशु प्रभावित हुए थे। इससे 13.42 लाख छोटे और सीमांत कृषक परिवार तथा 19.48 लाख कृषि श्रमिक प्रभावित हुए थे।

प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हरसम्भव सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक विशाल राहत कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित राहत कार्य सुनिश्चित करना है :

सभी को रोजगार

पेय जल की आपूर्ति

पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति; और

पर्याप्त खाद्यान्नों की आपूर्ति।

राज्य सरकार ने सभी अपेक्षित कदम उठाए हैं। जो बन पड़ा किया है। चारे की कमी के कारण किसी पशु की मृत्यु नहीं हुई। यद्यपि भयानक सूखा पड़ा है किन्तु कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जा चुके हैं। किन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख है कि केन्द्र सरकार द्वारा जो सहायता प्रदान की गई है वह बहुत ही कम है। सूखे की यह स्थिति वहां की पहली स्थिति नहीं है। पिछले वर्षों में भी सूखा पड़ा था। 1984 में न दक्षिण-पश्चिम मानसून से वर्षा हुई और न उत्तर-पूर्व मानसून से। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से भारी सहायता देने का अनुरोध किया है। अपने अल्प संसाधन से राज्य सरकार इस समस्या को नहीं सुलझा सकती है। इसलिए केन्द्र को अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार मां बीमार बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार संकट में पड़े राज्यों की सहायता केन्द्र सरकार को करनी चाहिये।

यहां मैं राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सहायता और केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा । राज्य सरकार ने अब तक चार ज्ञापन भेजे हैं और लगभग 209.50 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है और उसे लगभग 32.73 करोड़ की सहायता प्राप्त हुई है और उस राशि का भी भुगतान पूरी तरह नहीं हुआ है। वास्तव में उसे केवल 25 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

अब मैं कुछ मुख्य मदों का उल्लेख करूंगा। रोजगार पैदा करने हेतु राज्य सरकार ने पहले ज्ञापन में 43 करोड़ रुपए और पहले अनुपूरक ज्ञापन में 40 करोड़ रुपये की सहायता के लिए कहा है। इस प्रकार पहले 2 ज्ञापनों में 4 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है। इसमें से केन्द्रीय सरकार ने अधिकतम व्यय करने के लिए 18.75 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। अपने ताजे अनुपूरक ज्ञापन में राज्य सरकार ने उसी शीर्षक के अधीन 27 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। राज्य सरकार ने प्रमुख राहत कार्य के रूप में सभी को रोजगार देने का काम हाथ में लिया है, क्योंकि फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए सभी शारीरिक रूप से सक्षम लोगों के लिए रोजगार की गारन्टी दी गई है। इस समय 4 लाख लोगों को नौकरी दी है और आदमी तथा औरत दोनों को समान मजदूरी 6.50 रु० प्रतिदिन की दर से दी जाती है। जून, 1985 के अन्त तक, जब वर्षा शुरू होती है, राहत कार्य जारी रखने की समस्या राज्य सरकार के सामने है। इसीलिए उसने 27 करोड़ रुपए की मदद मांगी है।

लगातार कई वर्षों में वर्षा न होने के कारण पेय जल की गम्भीर समस्या हो गई है। राज्य सरकार ने 1500 ट्यूबवेल खोदने के लिए मंजूरी दी है। यह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 'बोरवेल' की खुदाई के लिए पैसा मांगा है। उन्होंने पहले ज्ञापन में 38 करोड़, दूसरे में 6 करोड़ तथा हाल ही के ज्ञापन में 'बोरवेल' की खुदाई के लिए 23 करोड़ रुपए की मांग की है। यह भी बहुत जरूरी कार्यक्रम है।

दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार की कुल लागत 225 करोड़ रुपए की मांग की तुलना में केन्द्रीय सरकार ने अभी तक केवल 32.73 करोड़ रुपए दिए हैं। महोदय, यहां मैं मंत्रीजी का ध्यान कर्नाटक में पड़े भयंकर सूखे की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं बताता हूं कि राज्य में फसलें किस प्रकार पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। राज्य में कुल 48% बोये गये क्षेत्र के 65% भाग में रागी की फसल सूखे से प्रभावित हुई है। जैसा आप जानते हैं कर्नाटक में रागी लोगों का मुख्य भोजन है और दक्षिण पश्चिम तथा पूर्वोत्तर मानसून दोनों के न आने में यह फसल नष्ट हुई है। इसी तरह पानी की बेहद कमी के कारण ज्वार की फसल 43% और मूंगफली की फसल 60% तक प्रभावित हुई है। चारा भी जो बहुत जरूरी चीज है, बुरी तरह प्रभावित हुआ है और सरकार ने उसे राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। केन्द्रीय सरकार ने चारे के लिए तो केवल परिवहन की सहायता दी है, चारे की खरीद के लिए अनुमति नहीं दी। यह जरूरी है कि ऐसी अनुमति दी जाए। केन्द्रीय सरकार ने अभी तक राज्य सरकार को केवल 25 करोड़ रुपए की मदद दी है, जबकि राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिए लगभग 105 करोड़ रुपऐ खर्च कर चुकी है। इस बारे में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है। इसने राज्य से चारा बाहर ले जाने की मनाही कर दी है और उपायुक्तों को अधिकार दिया है कि वे चारा खरीदकर छोटे तथा सीमान्त किसानों में मुफ्त वितरण करें।

राज्य सरकार ने अन्य उपाय यह किया है कि उसने 'मिनी किट' कार्यक्रम के अधीन छोटे तथा सीमान्त किसानों को कृषि आदान दिए हैं, क्योंकि पहले राज्य सरकार ने सोचा कि खरीफ की फसल तो खराब हुई है पर रबी की फ[illegible] अच्छी होगी। लेकिन सितम्बर-दिसम्बर में राज्य में वर्षा कम हुई, इसलिए कृषकों को मिनी [illegible] ए गए हैं। यह सोचा गया था कि वे रबी की फसल हेतु इसे काम में लाएंगे लेकिन वर्षा न [illegible] से वे यह फसल उगा ही नहीं सके। इसलिए सरकार ने सूखा प्रभावित गांवों में भू-राजस्व की छूट दी है।

अतः राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने हेतु सभी उपाय किए हैं। अब केन्द्रीय सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि नगरों में भी पेय जल की कमी है। 200 कस्बों में से 130 कस्बों में लोग पेय जल की कमी से परेशान हैं। राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन में नगरों में भी 'बोरवेल' खोदने के लिए सहायता मांगी है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि वह कर्नाटक में सूखे की स्थिति को बहुत गम्भीर समझें। हमारा प्रशासन बहुत कुशल है और स्थिति का सफलता से मुकाबला कर रहा है लेकिन यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की सहायता नहीं करती तो काम को आगे चलाना कठिन होगा, क्योंकि हमें सभी पीड़ित लोगों को जून के अन्त तक के लिए रोजगार देना है। जून में ही हम दक्षिण-पश्चिम मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।

स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने अपने साधनों से भी अधिक व्यय किया है। अतः उन्हें 'ओवर ड्राफ्ट' के लिए विवश होना पड़ा है। लेकिन फिर 'ओवर ड्राफ्ट' के कारण केन्द्रीय सरकार डांट लगाती है लेकिन राज्य सरकार के पास दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। वह लोगों को मरने नहीं दे सकती। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मदद किस आधार पर निर्धारित की गई है। निःसन्देह केन्द्रीय सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन दल भेजा है जिसने सहायता की राशि निश्चित की है। लेकिन तथ्य यह है कि आपने राज्य सरकार को केवल 25 करोड़ रुपए दिए हैं जबकि राज्य सरकार पहले ही 105 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। यह राशि पूरी मिलनी चाहिए वरना राज्य सरकार को बहुत दिक्कत होगी।

मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए दीर्घकालीन कार्यक्रम का उल्लेख किया है। यह स्वागत योग्य है। जैसा आपको पता है कर्नाटक सरकार ने पहले ही शुष्क खेती शुरू कर दी है। इसे व्यापक स्तर पर शुरू किया गया है। तब भी केन्द्रीय सरकार की पर्याप्त मदद की जरूरत है। मैं जोरदार अपील करता हूं कि न केवल कर्नाटक को अपितु सभी अकालग्रस्त राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी कांस्टीच्यूएंसी में भी ड्राऊट है।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : ठीक है, महोदय हम एक केन्द्रीय दल भेजेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जैसी आशा थी, माननीय सदस्य ने कर्नाटक के कई भागों में भयंकर सूखे की स्थिति का उल्लेख किया है। हम राज्य सरकार की मदद से इस समस्या से निपट रहे हैं। यह आभास दिया जा रहा है कि जैसे केन्द्रीय सरकार पीछे हट रही है और राज्य सरकारें ही सूखा

प्रभावित लोगों का हित देख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। केन्द्रीय सरकार में भी जिम्मेवारी की उतनी ही भावना है और हम किसी खास राज्य सरकार को ही महत्व नहीं देते। चाहे राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, हम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं।

श्री वी० एम० कृष्णा अय्यर : हम यही चाहते हैं।

श्री बूटा सिंह : बिल्कुल सच है। जब मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा तो आप यही महसूस करेंगे।

मुख्य समस्या संसाधनों की कमी है। जैसी आपने राज्य सरकार की दिक्कतें बताई हैं, भारत सरकार ने भी कुछ कसौटी नियत की है जिसके अन्तर्गत सूखे, बाढ़, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए मदद दी जाती है।

यह सच है कि राज्य सरकार यह मामला केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखती रही है और केन्द्रीय सरकार सातवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार अपने दल भेजती है। दल ने मौके पर जाकर अध्ययन किया और प्रभावित लोगों, राज्य सरकार के अधिकारियों तथा इस कार्य में लगे स्वयसेवी संगठनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने स्थिति की वास्तविकता की जांच करके मदद की एक निश्चित राशि निर्धारित की।

केवल इसी उपाय से भारत सरकार सयस्या पर नियन्त्रण नहीं कर रही है। कई दूसरे कार्यक्रम के जरिए सीधी मदद दी जा रही है। जैसे कर्नाटक में 1980 से 1985 के बीच विभिन्न योजनाओं जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा ए० आर० डब्ल्यू० ई० पी० आदि के अधीन बड़ी राशियां दी गईं। वर्ष 1980-85 के दौरान प्रोत्साहन बोनस योजना के नाम से जानी जाने वाली एक योजना के अधीन 10 करोड़ रुपए, दूसरी के अधीन 31.64 करोड़ रुपए तथा एक अन्य योजना के अधीन 3.27 करोड़ रुपए दिए गए। योजनायें सभी प्रभावित क्षेत्रों के लिए थीं।

इसी तरह और भी कई योजनाएं हैं। ग्रामीण विकास मन्त्रालय की कुछ योजनाएं हैं जैसे सीमेंकित ग्रामीण विकास योजना, एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम। फिर भूमिहीन रोजगार गारन्टी स्कीम भी है। इन सभी स्कीमों के अन्तर्गत सूखे आदि विभिन्न आपदाओं के लोगों को सीधे मदद दी जाती है।

माननीय सदस्य भारत सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य सरकार को वर्ष-वार दी गई सहायता के बारे में जानना चाहते थे। माननीय सदस्य ने 25 करोड़ की बात कही है पर वर्ष 1984-85 में कर्नाटक सरकार को 25 करोड़ रुपए की नहीं बल्कि 32.73 करोड़ रुपए की मदददी गई है।

सूखे के लिए प्रतिवर्ष मदद इस प्रकार दी गई : 1980-81 में 6.65 करोड़ रुपए, 1981-82 में 13.81 करोड़ रुपए, 1982-83 में 8.81 करोड़ रुपए और 1983-84 में 14 करोड़ रुपए दिए गए।

जैसा कि मैंने माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना के मुख्य उत्तर में बताया है, भारत सरकार ज्ञापनों की जांच कर रही है और राज्य सरकार की जानकारी के आधार पर एक दल कर्नाटक भेजा जाएगा। दल के दौरे के बाद वित्त आयोग द्वारा नियत मानदण्ड तथा मार्गदर्शी

सिद्धान्त के आधार पर हम पूरे मामले की जांच करेंगे और उसी आधार पर उच्च स्तरीय समिति अपनी सिफारिश करेगी और फिर हम और राशि मंजूर करेंगे।

महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि पीड़ित लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को आगे आना चाहिए।

महोदय, कृषि और सहकारिता विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ परामर्श करके देश में सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक नियमावली तैयार की है। उसमें राज्यों के लाभ के लिए और इन कठिन स्थितियों में लोगों को राहत देने के काम में लगे अधिकारियों के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपायों का उल्लेख किया गया है। इसमें मनुष्यों की जरूरतों तथा पशुओं के लिए चारे की जरूरत और पेय जल पर समान रूप से ध्यान दिया गया है। कुछ फसलें उगाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बीज दिये जाते हैं जो सूखे से निष्प्रभावित रहते हैं। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है कि सूखे की स्थिति में भी किसानों, भूमिहीन मजदूरों को पर्याप्त नौकरियां दी जायें ताकि वे निर्वाह कर सकें। अतः विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार की मदद में अल्पकालीन और दीर्घकालीन आधार पर सूखे की स्थिति से सफलतापूर्वक निपटा जा सकेगा। यह दुर्भाग्य की बात है कि जब माननीय मुख्य मंत्री यहां थे तो हमने इन बातों पर चर्चा की थी लेकिन अब सदस्य महोदय की भाषा जरा बदली हुई है। चर्चा में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि राज्य सरकार खूब सहयोग दे रही है। अब सदस्य महोदय यह आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य-सरकार ही सब कुछ कर रही है, केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर रही।

श्री वी० एस कृष्णा अय्यर : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री बूटा सिंह : यह कार्य राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग से किया जाना होगा, इससे राष्ट्रीय समस्या के रूप में निपटारा होगा। (व्यवधान) मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि माननीय सदस्य कैसे इस पूरे मामले को तोड़-मरोड़ रहे हैं मानो हम सूखे एवं जनता की परवाह न करते हों तथा केवल राज्य सरकार ही उनका ध्यान कर रही हो। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उन लोगों की प्रशंसा की जानी चाहिए जिन्होंने सूखा-ग्रस्त जनता की सहायता की है किन्तु इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार भी इस सम्बन्ध में भरसक प्रयास कर रही है।

12.27 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वित्त मन्त्रालय द्वारा आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर स्वीकृति जारी करने के पश्चात् हम भी मानदंडों में संशोधन करने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहां संचार माध्यमों का नितान्त अभाव है, जनता की कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में भी संशोधन किया जा रहा है। उनके कष्टों एवं कठिनाइयों को कम किया जाना होगा। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार नियमानुसार हरसम्भव कदम उठायेगी।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर : मुझे अफसोस है कि माननीय मन्त्री महोदय ने मुझे गलत समझा है क्योंकि मैंने तो केवल यह कहा था कि राज्य सरकार ने 201 करोड़ रुपए की सहायता

को मांग की है, शेष 54 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने कहा है कि एक अन्य योजना है, मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है। बात यह है कि राज्य सरकार 105 करोड़ रुपए व्यय कर चुकी है जबकि केन्द्रीय सहायता की राशि तो मात्र 32.73 करोड़ रुपए थी। शेष धनराशि के लिए राज्य सरकार के संसाधन अत्यन्त सीमित हैं। अतः इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिए? मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता क्योंकि उन्हें तो समूचे भारत का ध्यान रखना है जबकि मुझे केवल अपने राज्य की आवश्यकताओं को ही देखना है। मैं यह जानता हूं। किन्तु यह एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा का सामना करना सभी का दायित्व है यह केवल राज्य सरकार का ही दायित्व नहीं है। मुझे खेद है कि उन्होंने मुझे गलत समझा। मेरा उद्देश्य किसी प्रकार का करार करना नहीं था। मैं यह जानता हूं, मुख्य मन्त्री महोदय ने मुझे सब बता दिया है। किन्तु मेरा अनुरोध यह है। आपके कतिपय मानदंड हैं किन्तु प्रश्न यह है कि इससे कैसे निपटा जाए। 105 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जा चुकी है किन्तु हमें केवल 34 करोड़ रुपए की धनराशि ही की गई है। सूखा पिछले दो अथवा तीन वर्षों से चल रहा है। सूखे की स्थिति लगातार पिछले दो अथवा तीन वर्षों से बनी हुई है। इसीलिए मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि अधिकतम सहायता दी जाए। मैंने केवल यही कहा है। मैंने यह बात कभी नहीं कही कि भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है। भारत सरकार ने जितनी भी सहायता की है, हम उसके लिए उनके आभारी हैं किन्तु हम चाहते हैं कि और सहायता दी जाए। मैं केवल यही कहना चाहता हूं।

श्री बूटा सिंह : यह एक सुझाव है किन्तु राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों को हम ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तव में राज्यों की यह प्रवृत्ति देखी गई है कि इस प्रकार की कठिन स्थितियों के समय वे ऐसी कतिपय योजनाओं को भी सम्मिलित करना चाहते हैं जिनका सूखे की कठिन स्थितियों से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है। वे कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप उस क्षेत्र में एक ऐसे आधारभूत ढांचे का निर्माण करें जो इस सम्बन्ध में काफी सीमा तक सहायक हों। और केन्द्रीय दल द्वारा घटना स्थल पर किए गए अध्ययन तथा उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों के पश्चात् पर्याप्त संसाधनों के अन्तर्गत जो उपयुक्त है, दिया जाता है और माननीय सदस्य को यह बात जाननी चाहिए कि कर्नाटक में मैंने जो कहा है, के अतिरिक्त स्थिति से निपटने के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि राजस्व साधन अग्रिम के रूप में दी गई थी, यह धनराशि केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति से पहले दी गई थी। सभी राज्यों में और कर्नाटक में भी 2 करोड़ रुपए की सीमांत धनराशि है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में 23 जिले हैं। इन 23 जिलों में से 19 जिले पिछले वर्ष से घोर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। 1982 में भी 20 जिलों में सूखा पड़ा था। 1983 में भी आंध्र प्रदेश के कतिपय भागों में वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति रही। इसलिए, 1982, 1983 तथा 1984 में, लगातार 3 वर्षों से अपर्याप्त वर्षा के कारण आंध्र प्रदेश के किसी न किसी भाग में अकाल की स्थिति बनी ही रही है। वहां पर वर्षा बहुत ही कम हुई है और कहीं यह अधिक और कहीं कम हुई है और इसलिए उस पर निर्भर नहीं किया जा सका। इन कारणों से सभी शुष्क फसलें नष्ट हो गई हैं। राज्य के 8.5 लाख कुओं में से अधिकांश कुएं सूख गये हैं। कुछ ही कुओं में कुछ पानी बचा है। किन्तु यह पानी बहुत ही कम है और इन कुओं में बहुत कम पानी आ रहा है, यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है और इस सम्बन्ध में स्तर से बहुत कम है। असन्तुलित वर्षा के कारण जनता बेकार

ही कष्टों का सामना कर रही है। 3 करोड़ के लगभग कृषि श्रमिक इस सूखे से प्रभावित हुए हैं। उनके पास करने को कोई काम नहीं है। उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वे अपना जीवनयापन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें दिन में एक बार भी खाना नसीब नहीं होता है। कई करोड़ कृषि श्रमिक बेरोजगार हैं और उन्हें अकथनीय कष्ट सहने पड़ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकट हो गई है। कृषि श्रमिक के पास क्रय शक्ति बहुत कम रह गई है। जल के परम्परागत साधन जैसे खुले कुओं, तालाबों एवं नालों में जल सूख गया है। लोगों को एक घड़ा पानी लेने के लिए भी कुछ मील का सफर तय कर जाना पड़ता है। इन सभी क्षेत्रों में अनेक वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है।

रायलसीमा अकाल से निरन्तर ग्रस्त है और राज्य के इस हिस्से में उसका प्रकोप जारी है। 1902 से अकाल इस क्षेत्र का विनाश करता रहा है और इस क्षेत्र की जनता को अथाह कष्ट सहने पड़े हैं। वहां पर 1902 से 45 बार अकाल पड़ा है। 1967 से लेकर आज तक इस क्षेत्र में कम से कम 15 बार अकाल पड़ा है। रायलसीमा क्षेत्र में अनन्तपुर सर्वाधिक पिछड़ा जिला है। यहां की औसत वर्षा मात्र 544 मि० मि० है। यहां पर सिंचाई का कोई स्थायी साधन उपलब्ध नहीं है और इस जिले को अत्यधिक अकाल की समस्या सहन करनी पड़ी है। जैसाकि अनन्त शब्द का अर्थ है अन्तहीन और पुर का अर्थ है गरीबी, अतः इस जिले में अन्तहीन निर्धनता का वास है। इसी जिले में देश भर में न्यूनतम वर्षा होती है। यह वर्षा शुष्क फसलों के लिए नितान्त अपर्याप्त है। 1902 से लेकर अब तक यह जिला 50 वर्ष अकाल की चपेट में रहा है और इस वर्ष भी वहां पर अकाल पड़ा हुआ है।

भूमिगत जल के स्तर में भी बहुत कमी आई है और इसके परिणामस्वरूप वहां जल की बहुत कमी हो गई है जिससे जनता और पशुओं को पानी नहीं मिल रहा है। सिंचाई के सभी साधन सूख गए हैं। जिले में लगभग 800 तालाब हैं जिन्हें पिछले चार वर्षों से पानी की सप्लाई नहीं की गई है और वे सूख गए हैं। फसलें नहीं उगाई जा सकी हैं। इस जिले में 6000 कुएं हैं और उनमें से अधिकांश कुएं सूख गए हैं। शेष कुओं में भी पानी बहुत ही कम है और स्थिति इतनी शोचनीय हो गई है कि कतिपय कुओं में उसे 4 फुट ऊंचे पेड़ उग गए हैं। अधिकांश कुओं में घास उग आई है। चारे की तो बहुत ही कमी है, पशुओं को वधशालाओं में ले जाया जा रहा है और उन्हें वहां कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। आंध्र प्रदेश की जनता इस प्रकार की विपदाओं का सामना कर रही है।

कृषि श्रमिकों की क्रय शक्ति बहुत ही घट गयी है बल्कि बिल्कुल समाप्त हो गई है। उनके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है। उनमें से अधिकांश पत्ते एवं जंगली जड़ें खाकर गुजारा कर रहे हैं। वहां की जनता की वर्षों से यही नियति है। उनमें से अधिकांश लोग काम की तलाश में शहरों और अन्य दूरस्थ स्थानों पर जा रहे हैं। कृषक वर्षा की आशा में अपनी चिन्तातुर आंखें आसमान की ओर लगाए बैठे हैं। अपनी फसलों को अपनी आंखों के सामने सूखते देख कर वे अपने भाग्य को कोस रहे हैं। प्रकृति ने उन्हें जिस असहाय स्थिति में ला पटका है, अपने उस दुर्भाग्य पर उनकी आंख में आंसू भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इन निर्धन लोगों की विपत्ति तथा घोर अकाल के क्रूर पंजों से रक्षा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन करें।

राज्य सरकार ने एक विस्तृत ज्ञापन तैयार किया है तथा केन्द्र सरकार से 369 करोड़ रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में मांगी है ताकि वे 3 करोड़ लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था कर उन्हें दुःखों और मुसीबतों से छुटकारा दिला सकें। इस धनराशि की तुलना में केन्द्र सरकार ने बहुत ही कम धनराशि दी है। एक केन्द्रीय दल वहां गया और उसने वहां प्रत्येक स्थान का दौरा किया। उन्होंने वहां की जनता की दुर्दशा देखी है और उनकी फसलों को नष्ट होते देखा है। उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। किन्तु केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को जो धनराशि मंजूर की है वह बहुत ही कम है। इससे समस्या का कुछ भी समाधान नहीं होता। इस धनराशि से तो इन लोगों का कुछ सप्ताह तक भी भरण-पोषण नहीं किया जा सकता। जनता को उनके हाल पर छोड दिया गया है।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह कहना सही है कि राज्य सरकार ने बहुत पहले पिछले वर्ष जुलाई अथवा अगस्त में 369 करोड़ रुपये की मांग की थी ताकि जनता को इस क्रूर एवं घोर अकाल से बचाया जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय दल वहां कब गया था और उसने कब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उसने कितनी धनराशि की सिफारिश की थी और केन्द्र सरकार ने वास्तव में कितनी धनराशि स्वीकृत की है ?

राज्य सरकार ने 5.4 करोड़ रुपए चारे की सप्लाई के लिए, 4.5 करोड़ रुपए लघु सिंचाई के लिए, 54 करोड़ रुपए श्रम के अवसर पैदा करने के लिए सड़क मरम्मत के लिए; 31 करोड़ रुपए चेक डेम, परकोलेशन टैंक, पेय जल तालाबों आदि जैसे ग्रामीण कार्यों के लिए, 15 करोड़ रुपए उठाऊ सिंचाई के लिए, 2 लाख रुपए वन लगाने आदि के लिए मांगे थे। मैं जानना चाहता हूं कि इन मदों के लिए केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है।

मैं मन्त्री महोदय से भूमिगत जल में सुधार करने के लिए भी पर्याप्त धनराशि के आबंटन की अनुरोध करता हूं। अनेक वर्षों से लगातार वर्षा न होने के कारण भूमिगत जल में कमी आ गई है। अतः अधिकांश कुएं सूख गए हैं। वहां लगभग 810 टैंक हैं और इनमें से गाद निकालने के लिए जल कपाट के स्तर को कम से कम 3 फुट गहरा करना होगा ताकि गाद निकलने से वहां पानी का रिसना आरम्भ हो जाएगा। विजयनगर राजाओं के काल में अनेक टैंकों का निर्माण किया गया था, अब उनमें दरारें पड़ गई हैं। इन टैंकों की युद्ध स्तर पर मरम्मत करनी पड़ेगी और उन्हें अन्तःस्रवण टैंकों में परिवर्तित करना होगा। हर 3 अथवा 4 वर्षों में जब भी इन भागों में अकाल का आक्रमण होता है, सरकार वहां कुछ धनराशि व्यय करती है और उन क्षेत्रों को भूल जाती है। वहां पर कुछ अन्तःस्रवण टैंकों एवं प्रतिरोधक बांधों का निर्माण करना पड़ेगा ताकि इन क्षेत्रों में जल को रोका जा सके और जल का अन्तःस्रवण हो जिससे भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए जल पूर्ति बढ़ सके।

मैं केन्द्र सरकार से पेय जल के लिए भी पर्याप्त धनराशि के आबंटन का अनुरोध करता हूं। जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके कष्ट एवं विपत्ति असहनीय हैं। मैं यह अनुरोध करता हूं कि पीने के लिए जल उपलब्ध करने हेतु तुंगभद्रा नदी का पानी वहां लाया जाए। इसके लिए उठाऊ योजना की आवश्यकता हो सकती है। उस क्षेत्र में असहाय जनता को कम से कम पीने का पानी उपलब्ध करना चाहिए क्योंकि पानी के अभाव में वह प्यासे रह रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : तेलुगु गंगा से पानी उठाया जा सकता है।

श्री के० रामचंद्र रेड्डी : जैसा कि प्रो० रंगा कहते हैं पानी को तेलुगु गंगा से उठाऊ परियोजना से उठाया जा सकता है। अत: पेय जल की व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वहां जल की व्यवस्था का कोई निरन्तर स्रोत नहीं है। इन परिस्थितियों में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पेय जल उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने कितनी धनराशि आबंटित की है।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां की असहाय जनता को कष्टों, भूख एवं प्यास से बचाने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की जा चुकी है तथा अब और कितनी की जाएगी।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मानवीय समस्या को, श्रमिकों की इस विपुल समस्या को सहानुभूति से समझें और इसका सामना करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करें।

केवल यही नहीं, आंध्र प्रदेश में जुलाई में वर्षा होती है। जुलाई के अन्त तक बुवाई का मौसम प्रारम्भ हो जाएगा। तब तक श्रमिकों को कोई कार्य नहीं है। उन्हें कार्य देना होगा तथा जुलाई के अन्त तक उनके लिए किसी रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। उस प्रयोजना के लिए भी धनराशि की आवश्यकता है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे दया करें, इस समस्या को समझें और इन लोगों को भूख एवं भुखमरी मौतों से बचाने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करें।

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाए हैं उनमें से अधिकांश सुझाव हैं जिन पर आन्ध्र प्रदेश में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत की व्यवस्था करने के लिए विचार किया जाना है। निःसन्देह आन्ध्र प्रदेश को लम्बे अरसे तक सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस राज्य के अधिकांश भागों में 3 अगस्त से लेकर 40 दिनों तक लम्बे अरसे तक सूखे की स्थिति थी। सूखे की यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब एक बड़े क्षेत्र में बोई फसलें अभी छोटी ही थीं। राज्य सरकार ने बताया है कि यदि नमी हो तो अगेती फसलों के बचे रहने की सम्भावना है, किन्तु पछेती फसलें विशेष रूप से प्रभावित हुई हैं। 23 जिलों में 19 जिले विलम्ब से आए मानसून के कारण तथा वर्षा के मौसम में दीर्घकालिक सूखे से प्रभावित हुई है। माननीय सदस्य ने जैसा कि बताया है, राज्य में रायलसीमा क्षेत्र अत्यधिक रूप से प्रभावित हुआ है। दुर्भाग्यवश पिछले तीन अथवा चार वर्षों में इस क्षेत्र में घोर सूखे की स्थिति रही है। हम इस स्थिति को समझते हैं।

राज्य सरकार ने श्रीकाकुलम, विजयनगरम तथा विशाखापत्तनम जैसे अन्य तीन जिलों में भी सूखा स्थिति के बारे में एक अनुपूरक ज्ञापन भेजा है। राज्य सरकार के इन सभी प्रतिवेदनों एवं ज्ञापनों पर विचार किया जाता है। जैसा कि मैंने कर्नाटक के एक माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हमारे लिए राज्य सरकारों द्वारा मांगी जा रही राशियों को दे पाना बहुत कठिन है। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने 369.28 करोड़ रुपए की राशि की मांग की थी जैसा कि मैं माननीय सदस्य को बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके केन्द्रीय दल अथवा उच्च स्तरीय समिति ने न केवल इस 'पैकेज' की

स्वीकृति सम्बन्धी सिफारिश की है अपितु भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों को प्रत्यक्षतः लाभ पहुंच रहा है जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण पेय जल योजना, ए० आर० डब्ल्यू० एस० पी०, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और आई० बी० एस० आदि रोजगारोन्मुख योजनाएं हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत, अकेले आन्ध्र प्रदेश में 1984-85 के दौरान जो राशियां दी गई उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(रुपए करोड़ों में)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	22.70
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना	49.50
ए० आर० डब्ल्यू० एस० जी०	7.43
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	25.00
आई० बी० एस०	3.00

अगर आप इन सबको जोड़ें तो यह लगभग 108 करोड़ की राशि बैठती है। इसके अतिरिक्त 54.42 करोड़ रुपए राज्य को उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर दिए गए। कुल मिलाकर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई यह सहायता समुचित सहायता है।

जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कुछ राज्यों में दीर्घकालिक उपाय भी किए जा रहे हैं, जिनसे ऐसे क्षेत्रों में जहां सूखा प्रायः आम पड़ता रहता है, पानी के स्तर को ऊंचा किया जा सके तथा बीजों की ऐसी किस्म को बोया जिन पर सूखे का असर न पड़े ताकि विकट स्थिति में भी किसान कम से कम कुछ फसलों को उगा सकें।

आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का समुचित लाभ उठाना चाहिए। हैदराबाद में उनका एक संस्थान है।

'इकरीसेट' भी मुख्यतः सूखे क्षेत्रों के लिए है, विशेषकर ऐसे क्षेत्र में, जहां सूखा बार-बार पड़ता है 'इकरीसेट' से काफी मदद मिल सकती है। हैदराबाद में एक केन्द्रीय संस्थान "ड्राई लैण्ड फार्म इन्सटीट्यूट है" जो किसानों की मदद करता है और उन्हें ऐसी फसलों को उगाने के बारे में सलाह देता है जो प्रकृति के प्रकोप का विशेषकर सूखे की स्थिति का सामना करने में समर्थ है। राज्य सरकार को संस्थान द्वारा किए जाने वाले अनुसंधानों से लाभ उठाना चाहिए तथा वहां के वैज्ञानिकों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए तथा राज्य को उपलब्ध विस्तार सेवाओं का भी लाभ उठाना चाहिए।

माननीय सदस्य ने जो विभिन्न बातें इन जिलों की स्थिति से निपटने के सम्बन्ध में उठायी हैं, मैं निश्चय ही उन पर विचार करूंगा।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मन्त्री महोदय उस 100 करोड़ रुपए की राशि में जो सामान्य रूप से दी गई है, वह 50 करोड़ रुपया भी जोड़ रहे हैं जो विपत्ति को सामना करने के

लिए अतिरिक्त दिया गया है। इसमें 100 करोड़ रुपए की राशि को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह तो सामान्य अनुदान है और यह 100 करोड़ रुपया जो ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना तथा अन्य योजनाओं पर व्यय किया जाना है, उससे सूखे की विकटता कम नहीं आंकी जा सकती, उस राशि के बारे में बताने से कुछ लाभ नहीं होगा जो विगत में व्यय की गई क्योंकि सूखे की स्थिति में उन लोगों को जो भूख से तड़प रहे हैं और प्यास से मर रहे हैं इससे कुछ नहीं मिलेगा, 50 करोड़ रुपए की राशि से समस्या तनिक भी हल नहीं हो सकती। यह राशि बहुत ही कम है। कम से कम उन जिलों की मदद कीजिए जो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; उन लोगों की जान की रक्षा कीजिए जो निरन्तर अकाल का ग्रास बन रहे हैं। किसी सरकार ने उन पर रहम नहीं खाया। अकाल को सदा-सदा के लिए समाप्त कर देने हेतु समुचित धन की व्यवस्था कीजिए। इन बुरी तरह प्रभावित जिलों के लिए समुचित धन का आबंटन कीजिए और इन लोगों को चाहिए। सूखे के समय आप कुछ करोड़ रुपया व्यय कर देते हैं फिर हमेशा के लिए इन जिलों को भूल जाते हैं। इस तरह समस्या हल नहीं होने वाली। आप कृपया व्यापक कार्यक्रम शुरू कीजिए। विभिन्न चरणों के अन्तर्गत समुचित धनराशि आबंटित कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि जो जिले प्रति वर्ष सूखे का शिकार बनते हैं उनकी स्थिति में सुधार हो। इन लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। दशाब्दियों तक वह इस तरह तपड़ते नहीं रहेंगे। आप उनकी दुर्दशा को समझिए, आप उन पर रहम खाइए, उनके लिए कुछ कीजिए।

श्री बूटा सिंह : मैं केवल यह बताने की कोशिश कर रहा था कि यह कुछ अतिरिक्त योजनाएं हैं। मैं यह नहीं कह रहा था कि यह योजनाए विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए हैं। लेकिन इनके बिना गुजारा कहां है ? यदि आप यह देखें कि इन योजनाओं के माध्यम से क्या कार्य किए जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि इनका संबंध प्रत्यक्षतः सूखाग्रस्त क्षेत्रों से है यथा कृषि, मिट्टी तथा जल संरक्षण इत्यादि। मुझे विश्वास है कि इससे सूखे से प्रभावित किसानों की काफी हद तक मदद मिलेगी—सिंचाई, वनविधा चरागाह, पशुपालन, रेशम उत्पादन, मछली पालना, बागबानी सहकारिता, ग्रामीण विद्युतीकरण इत्यादि। उन भूमिहीन मजदूरों को भी रोजगार दिया जाता है जो किसानों के साथ-साथ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित होते हैं। हम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उन्हें रोजगार प्रदान करते हैं ताकि मुसीबत के समय में वे अपने परिवार का पेट भर सके। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और राज्य सरकार को उन योजनाओं से तथा उपलब्ध सुविधाओं से लाभ उठाना चाहिए लेकिन दुर्भाग्यवश इस मामले में हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए था पर कहना पड़ रहा है, राज्य सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्य केन्द्रीय सरकार की ऐजेंसियों, विस्तार सेवाओं इत्यादि की सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया है। हैदराबाद में एक संस्थान है जो सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए तथा उन फसलों को उगाने के बारे में परामर्श देती है जो प्रकृति के प्रकोप का सामना कर सकती है। अतः राज्य सरकार को उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए; निस्सन्देह माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, हम उन पर विचार करेंगे। जैसा कि मैंने बताया सरकार पहले से ही आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है और निश्चय ही हम माननीय सदस्य के सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : 'केन्द्र सरकार' या 'राज्य सरकार' का नाम दोहराने से कुछ लाभ नहीं। लोग भूखे-प्यास से तड़प रहे हैं। किसी भी सरकार को चाहे वह केन्द्र सरकार हो अथवा

'राज्य सरकार' उनकी मदद करनी चाहिए ।

मैं तेलगु का एक दोहा उद्धृत कर रहा हूं :

"ऐंदिना युल्लागोडू इरिगिपाड़ावाडु

पंडिना युल्लावाकु प्रभुलेन्ते"

इसका अर्थ यह है कि मंत्रालय यह बता रहा है कि हमारे पास इतना धान है इतना खाद्यान्न है और वह उन स्थानों का भी उल्लेख करता है जहां कि लोग धनवान है, समृद्ध है लेकिन उन स्थानों का उल्लेख करना भूल जाता है, जहां लोग भूख-प्यास से तड़पते हुए मर रहे हैं। इससे किसी को तसल्ली नहीं होगी । मेरे एक मित्र ने लिखा है :—

"अंकालानडुन्डे अभिवृद्धि संत्रापाडुकु"

अर्थात् विकास की गतिविधियां केवल आंकड़ों तक सीमित हैं । और ये आंकड़ों अंगुली के छोर से लेकर बगल तक लम्बे हैं लेकिन इनसे समस्या लेशमात्र भी हल नहीं हुई है । आप एक आयोग की नियुक्ति कीजिए जो यह देखे कि इन स्थानों में रहने वाले लोगों की जीवन यापन की दशा में कहां तक सुधार हुआ है, वे किस तरह महसूस कर रहे हैं, किस तरह अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, कैसे भूख से तड़पते हुए, अधभरे पेट से अधनंगे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं । केन्द्र सरकार को आगे आकर इन अधनंगे और अधभरे पेट वाले लोगों की मदद करनी चाहिए । केन्द्र सरकार या राज्य सरकार पर दोषारोपण से कुछ नहीं होगा, यदि राज्य सरकार हमारी मदद नहीं करती तो क्या केन्द्र सरकार इन लोगों की मदद के लिए तैयार है ताकि उन्हें बार-बार अकाल की स्थिति से बचाया जा सके ।

श्री बूटा सिंह : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल राज्य सरकार से यह अनुरोध कर रहा हूं कि वह केन्द्र सरकार के पास उपलबन्ध सेवाओं का यथासम्भव लाभ उठाये ।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार.) इस देश में लगातार सूखा पड़ने की प्रवृति हो गई है । भारत में 20 प्रतिशत भाग एक विशेष अवधि के बाद सूखे का शिकार बनता है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उपज और पशु सम्पदा को भारी क्षति पहुंचती है तथा साथ ही उस क्षेत्र में पेय जल की अथाह कमी के साथ-साथ बिजली उत्पादन में भी भारी कमी हो जाती है । इन सब अकथनीय कष्टों का शिकार बनते हैं वे लोग जो इन क्षेत्रों में बसते हैं । सूखे के बाद राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा अत्यधिक धनराशि व्यय की जाती है लेकिन यह राशि केवल मौके पर राहत पहुंचाने के अतिरिक्त सूखे की समस्या को हल करने में लेशमात्र भी सहायक नहीं । मूल समस्या उत्पादकता बढ़ाने की है ताकि सूखे की विभीषिका के प्रभाव को कम करके मनुष्यों तथा पशुओं दोनों को उसके प्रकोप से बचाया जा सके लेकिन इस तरह व्यय से यह समस्या हल नहीं हुई है । वन कटाव तथा पशुओं को अत्यधिक चराने के फलस्वरूप पर्यावरण खराब हुआ है तथा काफी भूमि का कटाव होने के साथ-साथ तथा भूमि की उत्पादकता में कमी आई है । जनसंख्या में वृद्धि तथा पशुओं की संख्या में वृद्धि के कारण उस सीमांत भूमि पर भी अब खेती की जा रही है जो कृषि हेतु उपयुक्त नहीं है । उन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों का भाग्य अनिश्चित है और उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो अपना जीवन निर्वाह अच्छी तरह कर रहे हैं ।

1974 से पहले के 100 वर्षों के वर्षा संबंधी आंकड़े देखने से ज्ञात होता है कि पूर्वी उत्तर भारत में मानसून के महीने के दौरान 13% सहकारी कारणों की परिवर्तनशीलता सहित सामान्य वर्षा लगभग 129 सेंटीमीटर तक भारत के उत्तर-पश्चिम में क्रमशः 54 सेंटीमीटर और 22 प्रतिशत परिवर्तनशीलता सहित वर्षा होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि पूर्वोत्तर भारत में किसी वर्ष वर्षा में कमीबेशी होने से कृषि उत्पादन और बिजली उत्पादन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा में कमी होने से बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जिन वर्षों में असामान्य रूप से वर्षा में कमी होती है, स्थिति विकट हो जाती है।

मानसून के महीनों के दौरान उत्तर पश्चिम और भारत प्रायद्वीप में 1974 से पहले के 100 वर्षों के सामान्य वर्षा न होने के आंकड़ों का विश्लेषण करने से.....

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए। अधिक विस्तार में न जाएं। केवल हाल ही की स्थिति के बारे में बताएं

डा० वी० वेंकटेश :...यह पता चला है कि उत्तर पश्चिम भारत में 30 अवसरों (वर्षों) पर और भारत प्रायदीप में 20 अवसरों पर वर्षा सामान्य से 10 प्रतिशत से कुछ अधिक मात्रा तक कम हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तर पश्चिम भारत में औसतन प्रत्येक तीन वर्ष बाद और भारत प्रायदीप में औसतन पांच वर्ष बाद सूखे की स्थिति आती है। भयंकर सूखे की स्थिति जबकि सामान्य वर्षा की मात्रा में 20 प्रतिशत तक की कमी होती है इनके आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि उत्तर-पश्चिम भारत को इस स्थिति का सामना प्रत्येक छह वर्ष बाद और भारत प्रायद्वीप भारत को प्रत्येक दस वर्ष बाद करना पड़ता है।

पिछले रिकार्डों से यह भी पता चलता है कि 1965-66, 1972, 1975, 1979 और 1982 के दौरान देश को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। इसीलिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और एक कार्यक्रम बनाया गया। इन क्षेत्रों के विकास का कार्य अत्यधिक आवश्यक और चुनौतीपूर्ण कार्य है। यद्यपि यह कार्यक्रम चौथी योजना अवधि से लागू है लेकिन इसने पांचवीं तथा छठी योजना अवधि के दौरान समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का रूप ले लिया है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए बनाया गया यह डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में एकीकृत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है जो देश के 74 जिलों के 557 खण्डों में व्याप्त है, इसका उद्देश्य भूमि, जल, पशुधन संसाधन के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त सूखे के प्रभाव को कम करना, पारिस्थितिक सन्तुलन बनाना तथा लोगों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों की आय को स्थिरता प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भूमि, जल, पशुधन और अन्य संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास करके आर्थिक सन्तुलन को कायम रखना है। राजस्थान का शुष्क क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश की शुष्क भूमि और महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु के कुछ भाग सूखे के चक्र से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इस वर्ष आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इनका विशेष रूप से शिकार बने।

कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है और 19 जिलों में से 16 जिलों

के 100 तालुकों के 8,500 ग्राम इसकी चपेट में आ गए हैं। आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 19 जिले सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

प्रकृति की यह विडम्बना है कि कर्नाटक को, जिसमें देश के 14 भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में से पांच क्षेत्र आते हैं, भी सूखा प्रभावित वर्षों में केन्द्र से राहत के लिए सहायता मांगने के लिए विवश होना पड़ता है, यद्यपि राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारी वर्षा होती है परन्तु 80 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अर्द्ध शुष्क भूमि के अन्तर्गत आता है। इस वर्ष कर्नाटक में जो सूखा पड़ा वह काफी हैरानी की बात थी क्योंकि जुलाई में वहां काफी वर्षा हुई थी। उर्वरकों की खपत में भी पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अधिक उपज वाली किस्मों के बीज बोने में भी 14 प्रतिशत वृद्धि हुई लेकिन बुआई के 40 दिन बाद तक मौसम सूखा बना रहा। इससे खेत झुलस गए और कृषि अधिकारी भी हैरान रह गए क्योंकि यह सूखा 1974-75 के दौरान आए सूखे से भी अधिक भयंकर था। रिपोर्टों के अनुसार खराब मानसून से राज्य के बुआई वाले क्षेत्र में 70 प्रतिशत भाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। समय-समय पर पड़ने वाले ऐसे सूखे के अनेक कारण हैं उदाहरण के तौर पर राज्य के कृषि योग्य क्षेत्रफल के केवल 25 प्रतिशत भाग में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकतर बाकी शुष्क जमीन कृषि कार्य हेतु मानसून पर निर्भर करती है।

सूखे का सामना करने वाले कार्यक्रम में वस्तुतः अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों ही कार्यक्रम शामिल किए जाने चाहिए। चूंकि सभी राज्यों ने, जहां सूखा पड़ता रहता है, अल्पावधि योजनाएं तो बना ही ली हैं, अल्पावधि योजनाओं को महत्व देने के लिए दीर्घावधि कार्यक्रमों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। स्वाभाविक ही इन दीर्घावधि उपायों में सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए केन्द्रीय कार्यक्रम—विशेष रूप से लघु सिंचाई क्षमता—तथा भूमिगत जल तथा बड़े-बड़े बांधों का अत्यधिक उपयोग आदि उपाय शामिल किए जाने चाहिए। इसमें कम समय में तैयार होने वाली फसलें, सहायक फसलें, उत्पादन योजनाएं तथा परम्परागत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में व्यापक आधारभूत ढांचे सम्बन्धी विकास आदि उपाय भी शामिल किए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए चरागाहें तथा खाद्यान्न का सुरक्षित भण्डार निर्मित किया जाना चाहिए।

इन सभी उपायों के अलावा, शुष्क कृषि प्रौद्योगिकी, फसलोत्तर प्रौद्योगिकी तथा डेयरी का विकास करना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि परम्परागत रूप से सूखा प्रवण राज्यों को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की नदियों को मिलाने जैसे सूखे का मुकाबला करने वाले दीर्घावधि तथा अल्पावधि कार्यक्रम दोनों को ही अपनाना चाहिए। इसके द्वारा हम देश की खाद्य समस्या और बेरोजगारी की समस्या दोनों को ही हल कर सकेंगे। इसलिए मैं दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत की नदियों को मिलाने अर्थात् गंगा-कावेरी परियोजना के कार्य को पूरा करने पर दोबारा जोर दे रहा हूं।

1.00 म० प०

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले दीर्घावधि और अल्पावधि उपायों पर बहुत अच्छा मत व्यक्त किया है।

माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं कृषि के हितों के लिए सुलभ विशेष सेवाओं को पढ़ता हूं। ये निम्नानुसार हैं :—

1. दीर्घावधि पूर्वानुमान :

(क) केरल समुद्र तट पर मानसून आने का अनुमान अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लिया जाता है।

(ख) उत्तर-पश्चिम भारत और प्रायद्वीप मानसून (जून-सितम्बर) में होने वाली कुल वर्षा का अनुमान लगभग जून के प्रथम सप्ताह में ही लगा लिया जाता है।

(ग) इस पूर्वानुमान की प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त तक समीक्षा कर ली जाती है।

(घ) उत्तर-पश्चिम भारत में जनवरी से मार्च तक होने वाली शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का अनुमान जनवरी में ही लगा लिया जाता है।

(ङ) प्रत्येक महीने मासिक वर्षा के पूर्वानुमान को मौसम विज्ञान उप-चर्चाओं में शामिल करना।

2. मध्यम अवधि पूर्वानुमान :

प्रति सप्ताह गुरुवार को सभी पूर्वानुमान बताने वाले केन्द्रों को उनके कार्यकरण में मार्गदर्शन के लिए तथा सरकारी एजेंसियों को योजना उद्देश्यों के लिए पूर्वानुमान जारी किया जाता है।

3. अल्प अवधि पूर्वानुमान :

(क) प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थित भारतीय मौसम विभाग के 17 पूर्वानुमान केन्द्रों द्वारा किसानों के लिए इस समय मौसम बुलेटिन जारी किए जाते हैं। यह पूर्वानुमान अगले दो दिनों को देखते हुए 36 घण्टे के लिए होता है। इन्हें क्षेत्र के आकाशवाणी केन्द्र से किसानों के कार्यक्रम में नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है।

(ख) सभी 17 मौसम विज्ञान केन्द्र 24 घंटे और 48 घंटे के लिए मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनियां देते हैं तथा इसे सभी संबंधित आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है।

(ग) एग्रोमेट सलाहकार सेवा : 9 एग्रोमेट सलाहकार केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन सलाहकार संगठनों से मौसम संबंधी पूर्वानुमान तथा किसानों को 2, 4 दिन में किए जाने वाले कृषि कार्य के लिए उपयोगी सलाह ली जा सकती है। ये पूर्वानुमान सप्ताह में एक अथवा दो बार राज्य के कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मौसम विज्ञानियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये उस क्षेत्र के आकाशवाणी केन्द्र द्वारा प्रसारित किए जाते हैं।

भारतीय मौसम विभाग ने नई दिल्ली, पुणे, मद्रास, भोपाल, कलकत्ता, पटना, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़ और श्रीनगर में 9 केन्द्र स्थापित किए है। चालू वर्ष में त्रिवेन्द्रम, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गंगटोक और गौहाटी में 8 और केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार ने ये ऐसे विभिन्न उपाय किए हैं ताकि संपूर्ण देश में दीर्घावधि, मध्यम अवधि और अल्पावधि के आधार पर मौसम सम्बन्धी सूचना पहुंचाई जा सकती है।

जहां तक नदियों को मिलाने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव को ग्रहण करता हूं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे। हमें इसकी जांच करनी

होगी। यदि इस दिशा में पहले ही कुछ किया जा चुका है तो हम उसे ग्रहण करेंगे तथा काम को आगे बढ़ाएंगे। यह एक अच्छा विचार है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : इसकी अभी भी केवल जांच होगी। वे तीन दशकों से इसकी जांच कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य कोई नया प्रस्ताव रखता है तो वह उसे ग्रहण कर लेंगे। वह उनसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कह रहे हैं। वे उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। वह उस पर विचार करना चाहते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें इस प्रकार की आशावादिता द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री धर्मपाल सिंह मलिक।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश के सामने अकाल और सूखे की बड़ी भारी चुनौती है। भारत का काफी भाग सूखाग्रस्त है और खेतों में पानी की कमी होने के कारण देश की आर्थिक हालत पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। पिछले तीन-चार सालों के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सूखा पड़ा है, लेकिन इस साल देश की हालत और भी बुरी है। बिजली की कमी भी रही है। मैं यहां तक कहता हूं कि कुछ सूबों में तो चारा भी नहीं मिलता है और पीने का पानी भी नहीं मिलता है। मैं यह मानता हूं कि हमारी सरकार ने इस मसले को हल करने के लिए कोशिश भी की है, लेकिन पिछली कुछ योजनाओं को समय पर पूरा न किए जाने से जनता को बाढ़ और सूखे का हर साल सामना करना पड़ता है। इस मसले को हल करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिये और अधूरी पड़ी योजनाओं को शीघ्रतिशीघ्र पूरा करना चाहिये।

आप जानते हैं—मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य सूबों में सूखे से बड़ा नुकसान हुआ है। हरियाणा भी पूरी तरह से सूखाग्रस्त है। हरियाणा के कुओं में पानी बहुत नीचे चला गया है। गांवों के किसी भी तालाब में पानी नहीं रहा है। लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत हो गई है। सोनीपत, गोहाना जैसे शहरों में बिजली की कमी के कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। चुनावों के बाद मैंने अपने चुनाव क्षेत्रों का दौरा किया। वहां लोगों की यह जबरदस्त मांग थी कि पानी और बिजली का प्रबन्ध फौरन होना चाहिये। पढ़ने वाले बच्चे, जिनके परीक्षा के दिन हैं, बिजली की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। हरियाणा में विशेषकर सोनीपत, रोहतक, भिवानी, जींद, हिसार सूखे से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। फसल न होने से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। सभी मजदूर गांव छोड़ कर काम की तलाश में बाहर जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मंत्री महोदय ने अपने बयान में हरियाणा का कोई जिक्र नहीं किया। चने और गेहूं की फसल में कम-से-कम 30 से 50 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है। चाहे राज्य सरकार की रिपोर्ट कुछ भी हो, यदि आप खुद जाकर वहां देखें तो अन्दाजा लग सकता है कि वहां किसानों की क्या हालत है। मैं तो यह कहूंगा—आज किसानों के खेतों में पानी नहीं है, आखों में पानी है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं—जिस आधार पर सरकार रिपोर्ट भेजती है कि किस जगह सूखा

है, वह फैमीन कोड बहुत पुराना हो चुका है, वह अंग्रेजों के समय में बनाया गया था, मैं चाहता हूं कि आज के हालात के मुताबक उसमें तरमीम की जानी चाहिये।

सूखे का प्रश्न बाढ़ से जुड़ा हुआ है। समय से पहले नालियां गहरी और चौड़ी की जानी चाहिये। लेकिन सरकार की तरफ से हर काम के लिये पैसा तब मंजूर किया जाता है, जब बाढ़ आ जाती है और तब उस रुपये का दुरुपयोग होता है। मैं अपनी स्टेट की बात कहता हूं—किसी प्रकार से बाढ़ को रोकने का कोई प्रबन्ध नहीं है। न किसी नाली की सफाई की जाती है, न गहरी और चौड़ी की जाती है, लेकिन मई-जून में जब बाढ़ आने का समय आयेगा, तब पैसा सैंक्शन किया जाएगा और जो पैसा उस वक्त मंजूर किया जाता है, उसका दुरुपयोग होता है, क्योंकि बाढ़ आ जाने के कारण पता नहीं लगता है कि कहां खुदाई हुई है या नालियों की सफाई हुई है।

बरसात का 60 प्रतिशत पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता जबकि नालों के 4-6 या 10 मील के अन्दर रिजर्वायर बना कर पानी का सदुपयोग किया जा सकता है और फसलों को सूखे तथा बाढ़ से बचाया जा सकता है। डा० दस्तूर ने बहुत समय पहले अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें एक योजना बनाई थी, जिसमें काश्मीर से बंगाल की खाड़ी तक सब नदियों को चौड़ा किया जाना था, लेकिन वह योजना लागू नहीं की गई। मेरा सुझाव है कि वर्ल्ड बैंक या इन्टरनेशनल मानिटरी फण्ड से कर्ज लेकर इस योजना को लागू किया जाय।

हरियाणा को एस० वाई० एल० कैनाल से पानी मिलता था, जिसके बारे में मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं। पंजाब के साथ इस मसले पर काफी झगड़ा भी रहा है। हरियाणा को अपने इलाके में जितना हिस्सा बनाना था, पिछले दो सालों में वह कम्पलीट कर चुका है, लेकिन जो एरिया पंजाब के एरिए में खोदा जाना था, उसके लिए हरियाणा सरकार 41 करोड़ रुपया जमा करा चुकी है लेकिन खुदाई नहीं हुई है, बल्कि हरियाणा ने जो पैसा खुदाई पर अपने हिस्से में लगाया है, वह बेकार जा रहा है इसलिये एस० वाई० ए० एल० कैनाल को बहुत जल्द कम्पलीट किया जाय।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि समुद्र का पानी कीमती होता है।

मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वे इस तरफ थोड़ा-सा ध्यान दें। समुद्र का पानी भी बहुत कीमती होता है। इस पानी को साफ करके इसमें से हर प्रकार के मिनरल्स निकाले जा सकते हैं। जापान ने तो सी वाटर से यूरेनियम तक भी निकाला है। डिसेलिनाइजेशन के तरीके से या रिवर्स आसमासीस मेथड से पानी को प्यूरीफाई किया जाता है। यह सिस्टम वही काम करता है जो शरीर में किडनी काम करती है और हर प्रकार के अनडिजाएरेबल एलीमेन्ट्स को पानी से दूर कर के साफ पानी को खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार इस पानी को प्यूरीफाई करने के बारे में ध्यान दे। इसके अलावा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए भी रिसर्च की जा सकती है।

एक बात मैं बिजली के बारे में कहूंगा। यह जो सोलर एनर्जी सिस्टम है, इसमें सरकार काफी दिलचस्पी ले रही है। मैं चाहता हूं कि इसमें और भी ज्यादा दिलचस्पी ली जाए। क्योंकि मुल्क में पानी की कमी के कारण हम पूरी बिजली तैयार नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक ह

इलाज है कि सोलर एनर्जी सिस्टम से बिजली तैयार करे जिससे कि बिजली की कमी दूर हो सके।

हमारी जितनी भी बिजली की योजनाएं और परियोजनाएं है उनको समय पर पूरा किया जाए। उनमें ढिले हो जाने से पैसा भी ज्यादा लगता है और काम भी नहीं बनता। मैंने हरियाणा में बिजली और सिंचाई मंत्री से बात की और उन्हें पत्र भी लिखा कि खेतों में पानी देने के लिए बिजली के लिए जितना समय निर्धारित किया जाता है, उतना समय भी खेतों में बिजली नहीं मिलती है। किसान सवेरे से इंतजार करता रहता है और बिजली आती भी है तो बहुत थोड़े समय के लिए आती है। सरकार इस बारे में ध्यान दे।

मैंने जो हालात बताये हैं उन हालात को देखते हुए मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि किस-किस राज्य के कौन-कौन से जिले हैं जिनमें सूखा है? उन्होंने हरियाणा का जिक्र नहीं किया है। मैंने हरियाणा में देखा है कि वहां भी कई ऐसे जिले हैं जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए जो आपकी इकाई है वह कम-से-कम तहसील हो। क्योंकि यह नहीं हो सकता कि सारा जिला ही सूखाग्रस्त हो, किसी जिले के अन्दर एक तहसील भी सूखाग्रस्त हो सकती है, एक गांव भी सूखाग्रस्त हो सकता है। जो बरसात आती है वह तो कई बार गांव के एक हिस्सा में आ जाती है और दूसरे हिस्से में नहीं आती है।

आपने ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत हिन्दुस्तान के 74 जिलों में 511 ब्लाक्स लिये हैं। मैं जानता हूं कि क्या सरकार की ऐसी नीति है कि इस ड्राप प्रोन एरिया प्रोग्राम को हिन्दुस्तान के सभी जिलों के अन्दर लागू किया जाए?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो ड्राप प्रोन एरिया के जिले नहीं हैं, जिनमें कि नहर का पानी जाता है, उनके अलावा ऐसे जो जिले हैं जिनमें कि नहर का पानी नहीं जाता है क्या उनमें भी ड्राप प्रोन एरिया प्रोग्राम को लागू करना चाहते हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बतायें कि जो डा० दस्तूर की योजना थी, उसको सरकार लागू करना चाहती है या नहीं? हमारा जो 60 परसेंट बरसात का मीठा पानी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरता है, उसकी रिजरवायर्स में इकट्ठा करने की सरकार की कोई योजना है या नहीं? यह सारा का सारा पानी समुद्र में चला जाता है और वहां खारे पानी में मिल कर बर्बाद हो जाता है। अगर आप दो-दो, चार-चार मील के अन्दर रिजरवायर बना दें और उनमें इस मीठे पानी का इकट्ठा करके खेतों को दें तो उससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मुल्क में एमर्जेंसी का सामना करने के लिए पानी का कोई बफर स्टाक तैयार करने की भी सरकार की कोई योजना है?

अण्डरग्राउण्ड वाटर यूटिलाइजेशन बोर्ड की गतिविधियों की क्या प्रोग्रेस है? इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है? हरियाणा के किसानों को गेहूं और चने पर कम-से-कम 5 रुपए क्विंटल बोनस देने पर सरकार विचार करे। सरकार देना चाहती है या नहीं, यह मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब में 5 रुपए क्विंटल बोनस गेहूं पर देने के आदेश दिए जा चुके हैं, चार-पांच दिन पहले इसकी घोषणा हुई है। भारत किसान यूनियन ने दिल्ली में एजीटेशन किया, उसमें मेक्सिमम आदमी हरियाणा के थे, लेकिन बोनस दिया गया पंजाब को। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार

की ऐसी योजना है कि हरियाणा के किसानों के लिए भी बोनस दिया जाए। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल बरसात करने के लिए सरकार कुछ करने जा रही है या नहीं। कुछ कंट्रीज में अगर बादल हों तो उन बादलों से बरसात की जाती है, क्या सरकार आर्टिफिशियल वर्षा के बारे में कोई रिसर्च करने जा रही है, जिससे समुद्र से बादल भी उठाए जा सकें और बरसात भी कराई जा सके। इसके साथ ही मैंने पूछा था कि सी-वाटर को प्योरीफाई करने की सरकार की कोई योजना है या नहीं। इन सबके बारे में सरकार क्या करने जा रही है, यह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री बूटा सिंह : मान्यवर, माननीय सदस्य ने फिर से सारे ही प्रश्न खोल दिए हैं। यदि आप चाहें तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स दोबारा पढ़ दूं। एक चीज उन्होंने पूछी है कि पूरे देश में कितने जिले किस-किस प्रदेश में हैं, जहां पर बारिश कम हुई है या बहुत कम हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए जानकारी इस प्रकार है—डेफिशेंट रेन के डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में 16, असम में 4, बिहार में 4, गुजरात में 2, हरियाणा में 2, हिमाचल प्रदेश में 5, जम्मू-कश्मीर में 1, कर्नाटक में 6, केरल में 3, मध्य प्रदेश में 12, महाराष्ट्र में 18, उड़ीसा में 2, राजस्थान में 15, तमिलनाडु में 3, उत्तर प्रदेश में 24, वैस्ट बंगाल में 3, कुल मिलाकर 120 जिले ऐसे हैं जिनमें डेफिशेंट रेन हुई। जहां पर स्कैंटी रेन हुई है वे जिले गुजरात में 1, हिमाचल प्रदेश में 2, जम्मू-कश्मीर में 1, केरल में 1, उत्तर प्रदेश में 1, कुल मिलाकर 6, इस तरह से 368 जिलों में से 120 प्लस 6, 126 जिले ऐसे बनते हैं जिनको सूखाग्रस्त जिले कहा जा सकता है, केन्द्रीय सरकार ने जो नार्म्स फिक्स किए हैं, उनके अनुसार।

[अनुवाद]

महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि मैंने वक्तव्य में हरियाणा का बिलकुल ही उल्लेख नहीं किया। मैं पहले ही कह चुका हूं कि 2 जनवरी, 1985 को समाप्त हुए सप्ताह अर्थात् 1985 की शरद ऋतु के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके, हरियाणा, चण्डीचढ़ और दिल्ली को छोड़कर उत्तर-पश्चित भारत, मध्य भारत और प्रायद्वीय के अधिकांश भागों में सामान्य अथवा सामान्य से अधिक वर्षा हुई तथा पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, कर्नाटक का तटवर्ती क्षेत्र, और लक्षद्वीप में सामान्य से कम वर्षा हुई अथवा नहीं हुई तथा पश्चिम राजस्थान गुजरात राज्य और कोंकण में मौसम शुष्क रहा।

जहां तक हरियाणा को सहायता देने का सम्बन्ध है, मैं खेदपूर्वक कहता हूं कि हरियाणा राज्य से वर्ष 1984-85 के दौरान सूखे से रहत दिलाने सम्बन्धी कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है, माननीय सदस्य ने विभिन्न कार्यों के लिए स्वयं ही कुछ सुझाव दिए हैं।

[हिन्दी]

समुद्र का पानी साफ करना, एस० वाई० एल० को कम्पलीट करना, सोलर एनर्जी को हर्नैस करना, पावर सप्लाई को आगमेंट करना।

[अनुवाद]

ये वे विभिन्न कार्यक्रम हैं जो निःसंदेह बहुत ही महत्वाकांक्षी तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र के पीड़ित लोगों को काफी हद तक राहत देंगे तथा निश्चित रूप से यही वे कार्य है। जिन्हें भारत सरकार के

विभिन्न विभाग और मंत्रालय कर रहे हैं। यदि हम देश में होने वाली बरसात के पानी का उपयोग कर सकें, यदि हम देश भर में होने वाले बरसात से प्राप्त पानी को एकत्र कर सकें, वह चाहे छोटे बांधों से अथवा विभिन्न बरसाती नदियों और नालों पर बांध बनाकर करें, तो इससे सूखाग्रस्त क्षेत्र के पीड़ित लोगों की काफी हद तक मदद हो सकेगी। माननीय सदस्य ने बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए हैं। मैं इस जानकारी को संबंधित विभागों तक पहुंचा दूंगा तथा हम इस पर गौर करेंगे कि माननीय सदस्य द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उड़ीसा में सूखा पीड़ित जिला कौन कौन से हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के मामले सदन पटल पर रखे जा सकते हैं। आप तब उनका अवलोकन कर सकते हैं।

श्री बूटा सिंह : मैं उनके नाम बता सकता हूं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : मुझे दिए गए वक्तव्य में हरियाणा का उल्लेख नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कह चुके हैं कि हरियाणा सरकार से उन्हें कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय मंत्री जी ने कहा कि वक्तव्य में हरियाणा का उल्लेख किया गया है। परन्तु वक्तव्य की जो प्रति मुझे दी गई है उसमें हरियाणा का उल्लेख नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में जानकारी है।

श्री बूटा सिंह : मैं संतुष्ट हूं कि सरकार ने कोई सहायता देने के लिए स्वयं कुछ नहीं कहा है। मैं कैसे यह सब जान सकता हूं। वक्तव्य में जहां वर्षा नहीं हुई ऐसे केवल दो जिलों का ही उल्लेख है और सदस्य ने भी इन दो जिलों के नाम का उल्लेख किया है।

उड़ीसा में सभी 13 जिले, अर्थात बालासोर, धेनकनाल, क्योंझर, फुलबनी, सुरेन्द्रगढ़, बोलनगीर, गंजम, कोरापुट, पुरी, कटक, कालाहण्डी, मयूरभंज और सम्भलपुर सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं।

1.22 म० प०

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

सदस्य नियुक्त करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री श्री एच० आर० भारद्वाज।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति गठित की जाये, जिसे लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति कहा जाये, जिसमें 15 सदस्य हों, दस सदस्य इस सभा के और पांच सदस्य राज्य सभा के, जो प्रत्येक सभा के सदस्यों में से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, चुने जायें :

कि संयुक्त समिति के ये कृत्य होंगे :

(एक) सभी वर्तमान "समितियों" [उन समितितों को छोड़कर, जिनके बारे में उस संयुक्त समिति द्वारा जांच की गई थी, जिसे संसद (अनर्हता निवारण) विधेयक, 1957 सौंपा गया था] तथा उन सभी "समितियों" के, जो अब के बाद गठित की जाएं, जिनकी सदस्यता, संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी भी सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य रहने के लिए अनर्ह करे, गठन और स्वरूप की जांच करना;

(दो) उसके द्वारा जांची गई "समितियों" के सम्बन्ध में यह सिफारिश करना कि कौन से पद अनर्हकारी हों और कौन से पद अनर्हकारी न हों;

(तीन) समय-समय पर संसद (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की जांच करना और उस अनुसूची में, परिवर्धन या लोप द्वारा या अन्यथा किसी संशोधन की सिफारिश करना;

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या किसी मामले के संबंध में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर प्रतिवेदन पेश करेगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की कार्यावधि तक पदासीन रहेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई होगी;

कि अन्य विषयों में, संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किए जायें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित होवे और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति गठित की जाये, जिसे लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति कहा जाये, जिसमें 15 सदस्य हों, दस सदस्य इस सभा के और पांच सदस्य राज्य सभा के, जो प्रत्येक सभा के सदस्यों में से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, चुने जायें :

कि संयुक्त समिति के ये कृत्य होंगे :—

(एक) सभी वर्तमान "समितियों" [उन समितियों को छोड़कर, जिनके बारे में उस संयुक्त समिति द्वारा जांच की गई थी, जिसे संसद (अनर्हता निवारण) विधेयक, 1957 सौंपा गया था] तथा उन सभी "समितियों" के, जो अब के बाद गठित की जायें जिनकी सदस्यता, संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी भी सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य रहने के लिए अनर्ह करें गठन और स्वरूप की जांच करना ;

(दो) उसके द्वारा जांची गयी "समितियों" के सम्बन्ध में यह सिफारिश करना कि कौन से पद अनर्हकारी हों और कौन से पद अनर्हकारी न हों;

(तीन) समय-समर पर संसद (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की जांच करना और उस अनुसूची में, परिवर्धन या लोप द्वारा या अन्यथा किसी संशोधन की सिफारिश करना;

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या किसी मामले के सम्बन्ध में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर प्रतिवेदन पेश करेगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की कार्यावधि तक पदासीन रहेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई होगी;

कि अन्य विषयों में, संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित होवे और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.24 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

चौथा प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एच० के० एल० भगत।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 1 अप्रैल 1985 को सभा में पेश किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 1 अप्रैल, 1985 को सभा में पेश किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.25 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत अपना विषय सदन में उठाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश इस समय बिजली के गम्भीर संकट से गुजर रहा है। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में बिजली की कटौती लागू कर रखी है। बड़े और छोटे उद्योगों में काम लगभग ठप्प हो गया है और ये भारी घाटा उठा रहे हैं। कृषि कार्यों के लिए भी बिजली बहुत कम मिल पाती है। बहुत बड़ी संख्या में गांव में बिजली हफ्तों गायब रहती है। सिंचाई के साधन भी ठप्प से हो गए हैं। शहरों और गांवों में बिजली न मिलने के कारण पेयजल योजनाओं पर बुरा असर पड़ा है और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। संध्या के समय बिजली कटौती से छोटे नगरों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त-सा हो गया है। कोल्ड स्टोरेजों को पूरी बिजली न मिलने के कारण आलू खराब होने की शंका पैदा हो गयी है।

उत्तर प्रदेश में ताप बिजली व पन बिजली के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। बिजली के उत्पादन के मुख्य स्रोत ओबरा ताप बिजली घर में अग्नि-काण्ड की कई घटनाएं हो चुकी हैं। विद्युत परिषद इन घटनाओं को रोकने में असफल रहा है। समय-समय पर अभियन्ताओं और बिजली कर्मचारियों की हड़तालों से बिजली के उत्पादन और वितरण में बाधा आती रही है।

इस समय बिजली का जो संकट है वह पिछले सभी संकटों से गम्भीर है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश में बिजली के संकट को दूर करने में प्रभावकारी कदम उठाये। साथ ही, बिजली के उत्पादन को बढ़ाने में भी केन्द्र सरकार अपनी भूमिका का पूरा उपयोग करे। एन० टी० पी० सी० के अलावा दूसरे राज्यों से भी उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था करना इस समय नितान्त आवश्यक हो गया है।

(दो) सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होने के कारण फसलों के नष्ट हो जाने के लिए किसानों को मुआवजा देने की आवश्यकता तथा राजस्थान नहर में और अधिक पानी छोड़ने की मांग

श्री बीरबल (गंगानहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत अपना अवलम्बनीय लोक-महत्व का प्रश्न सदन में उठाना चाहता हूं। इन्दिरा नहर के काश्तकारों की रबी की फसल सिंचाई पानी के अभाव में नष्ट हुई है और ट्यूबवैलों के लिए बिजली नहीं दी जा रही है और

न ही नहरों में पर्याप्त पानी छोड़ा जा रहा है जिसके कारण सिंचाई कर पाना किसानों के लिए असम्भव-सा हो गया है और उनमें रोष व्याप्त है। रबी की फसल सिंचाई पानी के अभाव में नष्ट हो चुकी है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह राज्य सरकार से सम्पर्क कर उनकी तबाह हुई फसलों का मुआवजा और वहां की नहर में अधिक पानी छोड़ने की व्यवस्था करायें तथा यदि ट्यूबवैलों के लिए जैनरेटर खरीदने हेतु सबसिडी दिलाये जाने की व्यवस्था कर दी जाये तो ये किसानों के हित में होगा।

(तीन) राजस्थान नहर की सागरमल गोपा संपर्क परियोजना को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। यह नहर जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ कस्बे में पहुंच चुकी है, पचास हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी पहुंचा कर रेगिस्तानी क्षेत्रों की कायाकल्प कर देगी।

राजस्थान नहर की लीलवा शाखा, जिसको अब सागरमल गोपा के नाम से जाना जाता है, को बाड़मेर जिले के गढ़रा रोड़ तक बढ़ाने का हाल में राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको भी राज्य की जनता ने सराहा है।

सागरमल गोपा शाखा का पानी गढ़रा रोड़ पहुंचाने के लिए नहर का प्राथमिक सर्वे प्रारम्भ हो चुका है। उक्त शाखा की 185 किलोमीटर अतिरिक्त खुदाई करने पर पानी गढ़रा रोड़ तक पहुंच सकेगा। उससे ढ़ाई लाख हैक्टेयर भूमि सिंचाई की स्थायी व्यवस्था हो सकेगी।

यह शाखा हिन्द और पाकिस्तान के बिल्कुल सीमा पर लगती हुई बनाई जाएगी जिसका सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्व होगा और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए यह वरदान साबित होगी।

उक्त शाखा के निर्माण पर 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि उक्त योजना में क्रियान्वयन का भार उठा सके। अतः केन्द्र सरकार से पुरजोर आग्रहपूर्वक निवेदन है कि वे सीमावर्ती एवं पिछड़े धार रेगिस्तान के बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए तुरन्त सागरमल गोपा शाखा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रबन्ध करें ताकि तीन वर्षों के अन्दर-अन्दर इस क्षेत्र में सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके और यह रेगिस्तानी क्षेत्र हराभरा हो सके।

(चार) काजीपेट में इन्टीग्रल रेल कोच फैक्टरी स्थापित करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : वारंगल आंध्र प्रदेश का एक पिछड़ा जिला है। अभी तक वहां कोई उद्योग नहीं है। बहुत सालों तक संघर्ष करने के बाद कहीं केन्द्रीय सरकार ने काजीपेट में रेल के डिब्बे बनाने की फैक्टरी स्थापित करने के प्रयोजन से सर्वेक्षण के आदेश दिए थे।

रेलवे बोर्ड ने सर्वेक्षण तथा फैक्टरी के लिए स्थान का पता लगाने के लिए रेल भारत तकनीकी और आर्थिक सेवा समिति (आर० आई० टी० ई० एस०) को भेजा था। उक्त समिति ने

काजीपेट का सर्वेक्षण करने के बाद केन्द्र सरकार से वहां रेल के डिब्बे बनाने की फैक्टरी स्थापित करने की सिफारिश की थी।

आंध्र प्रदेश ने इसके लिए पूर्ण सहयोग तथा भूमि, जल, विद्युत और अन्य जरूरतें निःशुल्क उपलब्ध कराने की पेशकश की थी।

21 जनवरी, 1985 को 24 संसद सदस्यों ने माननीय प्रधान मन्त्री को ज्ञापन पेश किया था।

वारंगल जिला तेलंगाना का एक पिछड़ा क्षेत्र है तथा केन्द्रीय सरकार को वहां उद्योग स्थापित करने में रुचि लेनी चाहिए।

मामला यहां तक पहुंचा था कि प्रधान मन्त्री ने घोषणा कर दी कि रेल कोच फैक्टरी पंजाब में लगाई जाएगी।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए काजीपेट में रेल के डिब्बे बनाने की फैक्टरी स्थापित की जाए, क्योंकि बेरोजगारी के कारण ही उग्रवादी गतिविधियां दिनोंदिन बढ़ रही हैं।

(पांच) ईरान और इराक के विभिन्न नगरों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सहायता देने में भारतीय दूतावासों की असफलता

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : ईरान और इराक के बीच हाल ही में युद्ध तेज होने से दोनों देशों के नागरिकों पर हमले बढ़ गए हैं और रिहायशी क्षेत्रों की बरबादी और निरपराध व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इससे बगदाद, तेहरान और अन्य प्रमुख नगरों में रहने वाले भारतीयों में भय व्याप्त हो गया है। यह भारतीय इन दोनों देशों की सरकारों और अस्पतालों, इंजीनियरिंग समूह तथा व्यापारिक उद्यमों आदि प्राइवेट एजेन्सियों में काम करते हैं। इनमें से अधिकांश लोग वहां से छोड़कर भारत आना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के लगभग 100 डाक्टर, जो ईरान में कार्यरत हैं, इनके लिए हवाई हमले और बमबारी से तेहरान में रहना असुरक्षित है और वे भारत लौटने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन विदेश मन्त्रालय और तेहरान में राजनयिक मिशन द्वारा रुचि न लेने के कारण यह लोग वहां फंसे हुए हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य में उनके संबंधी काफी चिन्तित हैं और भारत में उनके सुरक्षित आगमन की अधीरतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बगदाद और इराक के अन्य प्रमुख नगरों में भी भारतीय कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। इन स्थानों में राजनयिक मिशन ने हमारे देशवासियों के प्रति दूरदर्शिता और कर्तव्य नहीं निभाया है। दुर्भाग्य से विदेशों में स्थित भारतीय मिशन भारतीय नागरिकों को कठिनाई के समय आवश्यक सहायता नहीं दे पाए हैं और हमारे देश में उनकी काफी आलोचना हुई है। हमें इन मिशनों का संगठन नए सिरे से करना चाहिए ताकि यह समय की चुनौती का सामना अच्छी तरह से कर सके।

भारत सरकार को इन दोनों देशों में इस असामान्य और युद्ध की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर वहां रहने वाले भारतीयों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर आवश्यक उपाय

करने चाहिए और इन प्रभावित लोगों की मदद के लिए एयर इंडिया की सेवा तथा अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(छः) अलवर से भिवंडी तक और अलवर से दिल्ली तक सडकों का निर्माण करने की तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना निधि से वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी से सौ मील के क्षेत्र में बसे हुए स्थानों का समेकित विकास करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली, अलवर शहर और राजस्थान के अलवर जिले की बहरोड़, बानसुर, तीजेरे, मंडावर किशनगढ़-बास और रायगढ़ तहसीलें आदि सम्मिलित हैं।

योजना की प्रमुख विशेषता इस क्षेत्र के शहरों को दिल्ली से सीधे सड़क द्वारा जोड़ना और इस क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

अलवर शहर जिले का मुख्यालय है और इसकी आबादी 1.5 लाख है। यह एक औद्योगिक नगर है और यहां तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है। अलवर को सड़क द्वारा दिल्ली से सीधे जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है। नगर सुधार न्यास, अलवर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना कार्यान्वयन प्राधिकरण अलवर (राजस्थान) ने अलवर से दिल्ली शहर के लिए दो महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं और इन्हें निर्माण और आवास मन्त्रालय को भेज दिया है। पहला प्रस्ताव अलवर से किशनगढ़ बास होते हुए भिवन्डी और बिलासपुर होकर भिवण्डी से दिल्ली सड़क निर्माण का है। यह काम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कोष से किया जाना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव कोट-कासिम और बुद्धि बावल होकर अलवर से दिल्ली सड़क निर्माण का प्रस्ताव है ताकि खैरथल, कोट-कासिम, बुद्धिबावल, ननोरमपुर-बास और दारुहेड़ा होते हुए अलवर शहर से दिल्ली के लिए सीधी सड़क का निर्माण किया जा सके।

अतः मैं केन्द्रीय निर्माण और आवास मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इन दोनों सड़कों की योजना को मंजूरी देकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कोष से वित्तीय सहायता मंजूर करें ताकि इसके निर्माण के कार्य को तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए।

(सात) उड़ीसा के अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए राज्य को विशेष अनुदान देने की मांग

श्री सोमनाथ रथ (आस्का)* : उड़ीसा राज्य ने तूफान, बाढ़ और सूखे जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है लेकिन उड़ीसा के अनेक भागों में इस समय जो सूखा फैल रहा है वह बड़ा भयंकर है और राज्य में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। पिछले छः महीनों से गंजम जिले में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई है। इस जिले के प्रायः सभी गांवों में पीने के पानी की भारी कमी है। लोग बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

कुछ गांवों में नलकूप लगाये गए हैं लेकिन गंजम और उड़ीसा के अन्य जिलों के गांवों में पीने के पानी की अत्यन्त समस्या है। यह बड़े दुख की बात है कि इन गांवों में पीने का पानी

*उड़िया में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सप्लाई करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। उड़ीसा सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर है और इन सब गांवों में वह पीने का पानी सप्लाई करने का कोई कार्यक्रम तुरन्त लागू करने की स्थिति में नहीं है। यदि पीने का पानी सप्लाई नहीं किया गया तो इस क्षेत्र के लोग असमय ही काल कवलित हो जाएंगे।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा राज्य में सूखे से प्रभावित गांव और गंजम में पीने के पानी की सप्लाई के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए और 10 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान मंजूर किया जाए।

(आठ) उड़ीसा के फूलबनी जिले में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की मांग

श्री राधा कान्त डिगाल (फूलबनी)* : फूलबनी उड़ीसा का आदिवासी और हरिजन आबादी वाला जिला है। इस जिले के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। दूरदर्शन सुविधा यहां नहीं है, अतः लोगों को इस जिले में कार्यान्वयनाधीन लोक कल्याण योजनाओं की जानकारी नहीं है। फूलबनी जिला समुद्र तल से तीन हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यदि इस जिले में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाए तो पड़ौस में गंजम, कोरापुट, बोलनगीर जिले के लोग भी दूरदर्शन कार्यक्रम देख सकते हैं।

इसके अतिरिक्त नया दूरदर्शन केन्द्र इस क्षेत्र के लोक संगीत और नृत्य को भी प्रोत्साहन दे सकता है। अतः मैं सूचना और प्रसारण मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि चालू वित्तीय वर्ष में फूलबनी में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए तुरन्त कदम उठाये जायें।

(नौ) भारतीय खाद्य निगम के गोरखपुर स्थित उर्वरक संयंत्र का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मदन पाण्डे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गोरखपुर के खाद कारखाने की स्थापना से इस क्षेत्र के लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है, इससे कई हजार लोगों को रोजगार सुलभ हुआ है तथा बहुमूल्य खाद द्वारा इस क्षेत्र के कृषिपरक अर्थतंत्र को उत्पादन की दृष्टि से लाभ पहुंचता है, परन्तु इस कारखाने की स्थापना से अब तक प्रौद्योगिकी तथा तकनीक बहुत आगे निकल चुकी है। अतः इसकी मशीनों का नई तकनीक के अनुसार नवीकरण तथा कारखाने का विस्तार आवश्यक हो गया है। मेरी सूचना के अनुसार विशेषज्ञों ने इस प्रकार के सुझाव भी दिए हैं। इस सम्बन्ध में तखमीने भी एफ० सी० आई० के प्रशासन द्वारा तैयार किए गए हैं, परन्तु किन्हीं कारणों से उक्त योजना पर अमल आरम्भ नहीं हो रहा है जिससे उक्त कारखाने के श्रमिक वर्ग तथा गोरखपुर की जनता में चिन्ता व्याप्त हो रही है।

अतः मैं इस सूचना द्वारा सरकार तथा एफ० सी० आई० प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब उक्त योजना पर अमल होने में जो भी बाधायें हैं, वह दूर की जायें तथा कारखाने का विस्तार किया जाए।

*उड़िया में दिये गये वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(दस) पक्षियों के टकराने से होने वाली बढ़ती हुई विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : हवाई अड्डों के परिसर में पक्षियों के उड़ने से वायुयान यातायात को भारी खतरा बना रहता है। भूतकाल में हवाई जहाजों के टकराने की हुई घटनाओं के कारणों को देखने से पता चलेगा कि अनेक मामलों में पक्षियों के विमान से टकराने के कारण दुर्घनायें हुई हैं।

हवाई अड्डे के परिसरों में चारों ओर फैंकी हुई खाद्य सामग्री से पक्षी आकर्षित होते हैं। हवाई अड्डों के पास गांवों में पशुओं का वध किया जाता है। हवाई यातायात लेन के अन्तर्गत आने वाले आवासीय क्षेत्रों के कारण भी समस्यायें उत्पन्न होती हैं। बूचड़खानों द्वारा फैंके गए तथा मांस की दुकानों के कारण भी पक्षी आकर्षित होते हैं। यह एक गम्भीर समस्या है क्योंकि इन क्षेत्रों के ऊपर हवाई जहाजों की उड़ान निचाई पर होती है।

पक्षियों के विमान से टकराने की दुर्घटनाओं से बचने के लिए निम्नलिखित कदम तत्काल उठाये जाने चाहिए :

हवाई अड्डे के 8 कि० मी० के दायरे में कोई भी बूचड़खाना और आवासीय क्षेत्र नहीं होना चाहिये।

पक्षियों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हवाई अड्डे के प्राधिकारियों को नगर निगम दिल्ली, नगर पालिका, नई दिल्ली तथा विभिन्न एयर लाइनों से सलाह लेने को कहा जाए।

हवाई अड्डा परिसरों और एयरोड्रामं के मैदानों को साफ-सुथरा रखने का विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

(ग्यारह) अयाज सामू को, जिसे पाकिस्तान सरकार ने मृत्यु दण्ड दिया था, बचाने के बारे में भारतीय लोगों की भावनाओं को, पाकिस्तान सरकार तक पहुंचाने की मांग

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह समाचार सुनकर हमें बड़ी चिन्ता हुई है कि श्रमिक नेता और पाकिस्तान में लोकतन्त्र के लिए संघर्ष करने वाले श्री अयाज सामू की हत्या के आरोप में 1 मार्च, 1985 को सेना न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्ड दिया गया है। वह 22 वर्ष का नौजवान है और उसका मूल्यवान जीवन बहुत ही अलोकतंत्रीय ढंग से नष्ट किया जा रहा है। अयाज शामू जेल में अपने अन्तिम दिन गिन रहा है। प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के होते हुए जिन्हें इस मामला का पता है, वे चुप नहीं रह सकते। मैं चाहता हूं कि भारत के लोगों की भावना से पाकिस्तान सरकार को अवगत करा दिया जाए जिससे कि इस युवक का जीवन बचाया जा सके।

1.40 म० प०

बजट (सामान्य)—अनुदानों की मांगें, 1985-86—जारी

गृह मन्त्रालय—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे। 3 घंटे और 50 मिनट, अर्थात् लगभग 4 घण्टे समाप्त हो चुके हैं। अब केवल चार घण्टे शेष रह गये हैं। इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना भाषण संक्षेप में दें और अधिक समय न लें। कल श्री के० प्रधानी बोल रहे थे। वह अपना भाषण अब जारी कर सकते हैं। उनके लिए केवल तीन मिनट का समय शेष है।

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के बारे में कह रहा था। माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि आयोग की सिफारिशों को मुख्य मन्त्री सम्मेलन में रखा जाए और देश में पुलिस के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए उनमें से अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाए।

अब मैं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का दर्जा बढ़ाने का मामला उठाता हूं। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का दर्जा बढ़ाने के लिए आठवें वित्त आयोग ने 114.88 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी। उन्होंने सिफारिश की थी कि इस राशि में से 30 करोड़ रुपया प्रतिपूर्ति भत्ते के लिए, 37.83 करोड़ रुपया कर्मचारी क्वार्टरों के लिये और 47.05 करोड़ रुपया आन्तरिक ढांचा तैयार करने के लिए दिया जाए। इसके सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं ऐसे जनजातीय जिले से आया हूं जहां चिकित्सा अधिकारियों के लगभग 50 प्रतिशत पद केवल आवासीय स्थानों की कमी के कारण रिक्त पड़े हैं। मेरा विचार है कि वित्त आयोग द्वारा 37.83 करोड़ की जो सिफारिश की गई है उस राशि को यदि जनजातीय क्षेत्रों में ढंग से खर्च किया जाय तो भविष्य में ऐसी समस्या पैदा नहीं होगी। इसलिए, माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस बात का ध्यान रखें कि कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के अलावा इस राशि को किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यय न किया जाए।

अब इसके बाद मैं जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास का मामला लेता हूं। जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास का मामला है, यह बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है और छठी योजना के दौरान अनेक परिवार लाभान्वित हुए हैं। किन्तु मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के मामले में इन जनजातियों की स्थिति दुःखद ही नहीं बल्कि करुणाजनक है। मैं यह कहना चाहूंगा कि 95 प्रतिशत छात्र प्राथमिक स्तर तक ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ने वालों की संख्या को कम करने के लिए राज्य सरकार छात्रावास निर्मित कराने तथा भोजन और आवास का प्रबन्ध करने की चेष्टा कर रही है। अत्यधिक निर्धनता के प्रमुख कारणवश जनजाति के लोग अपनी सन्तान को शिक्षा नहीं दे पाते हैं और इसलिए वे लोग ऐसा करते हैं। इसलिए माननीय गृह मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार की सहायता की जाय और छात्रावासों की इमारतों तथा बच्चों के लिये भोजन और आवास का प्रबन्ध करने

के लिए उसे अधिक राशि दी जाए जिससे कि जनजातियों के लोगों की यह दयनीय स्थिति किसी सीमा तक कम हो सके।

अब मैं दण्डकारण्य परियोजनाओं को लेता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस परियोजना की दो क्षेत्रीय इकाइयां हैं—एक है उमेरकोट में और दूसरी है मलकानागिरि में। परियोजना प्राधिकारियों का कहना है कि उन्होंने उमेरकोट जोन का पुनर्वास कार्य पूरा कर दिया है। मैंने उन अनेक गांवों का दौरा किया है जहां विस्थापित को बसाया गया है और मैंने देखा है कि वहां क्वार्टरों की कमी है। लगभग 20 से 25 वर्ष पहले बने हुए अनेक नलकूप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। खुले कुएं सूख गए हैं। सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है और पापादाहान्डी और उमेर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है तथा उस सड़क पर ढंग से बसें नहीं चल सकती हैं। मैं दण्डकारण्य परियोजना प्राधिकारियों से मिला था और उनसे इन कुंओं और सड़कों की मरम्मत कराने का अनुरोध किया था किन्तु वे लोग इस बात को सम्भवतः इसलिए टाल रहे हैं कि वे इस वर्ष इस परियोजना को बंद कर रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि उन्हें इन सड़कों और गांवों का प्रभार नहीं मिला है। इस प्रकार, यह किसी का भी क्षेत्र नहीं रह गया है। इस क्षेत्र में न तो भारत सरकार और न ही राज्य सरकार कोई भी विकास कार्य उचित ढंग से नहीं कर रही है।

अब मैं मलकानगिरि जोन के बारे में बोलना चाहूंगा। वहां पुनर्वास कार्य प्रगति पर है। मैंने इस इलाके के बहुत से गांवों का दौरा किया। इस इलाके में एक सिंचाई बांध है जिसे सती-गौडा डैम कहा जाता है। इससे बहुत से गांवों की सिंचाई होती है परन्तु समस्या यह है कि कुछ स्थानों पर नहर इतनी नीची है कि लोग इसके पानी का उपयोग नहीं कर सकते। यद्यपि यहां बसने वाले किसान बहुत मेहनती हैं और वे बहुत अच्छी खेती करते हैं तथापि नहर का जल स्तर नीचा होने के कारण वे इस बांध के पानी का उपयोग नहीं कर सकते। यहां बाली मेला पन-बिजली परियोजना भी है। इसके बहुत ही निकट एक बिजली घर भी है। फिर भी यहां के कुछ गांवों में बिजली नहीं है और न ही यहां के लोगों को सिंचाई हेतु पानी मिल सकता है। मैंने दण्डकारण्य के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे या तो सिंचाई करने के लिए इस इलाके के लोगों को बिजली दें अथवा बांध की दूसरी ओर एक नई नहर निकालने के प्रस्ताव पर विचार करें ताकि इस इलाके में समुचित सिंचाई सुविधाएं सुलभ कराई जा सकें।

अन्त में मैं केवल एक और मुद्दे का उल्लेख करूंगा। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां के बहुत से लोगों ने अपना जीवन स्वाधीनता संग्राम में होम कर दिया तथा इसके लिए बहुत से लोग जेल गए। इस क्षेत्र के लगभग दो सौ-तीन सौ लोगों को स्वतन्त्रता-सेनानी पेंशन मिल रही है। मैंने सम्बन्धित मंत्रालय को कुछ और मामले भेजे हैं। ये मामले अभी तक विचाराधीन हैं। मैंने सम्बन्धित संयुक्त सचिव से बात की है तो भी ये मामले किसी कारणवश अभी तक निपटाए नहीं गए हैं। मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे राज्य सरकार से परामर्श करके इन मामलों को शीघ्र निपटाएं। बहुत से मामलों में लगता है कुछ कागजात गुम हो गए हैं। कुछ मामलों में कतिपय कबीले सम्बन्धी प्रमाण-पत्र गुम हैं, जबकि कुछ मामलों में अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र अथवा कोई और प्रमाण-पत्र गुम है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रमाण पत्र ठीक-ठीक मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए थे, मैंने स्वयं ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे परन्तु अब मैं पाता हूं कि कोई न

कोई प्रमाण-पत्र गुम है। इसका परिणाम यह है कि जिन लोगों ने स्वतन्त्रता संघर्ष में कष्ट उठाए वे भूखे मर रहे हैं तथा उन्हें सभी प्रकार की सहायता से वंचित रखा जा रहा है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इसका ध्यान रखेंगे तथा उनके मामलों की जांच पड़ताल करके उन्हें यथाशीघ्र पारित कर देंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। सदन में इस समय एक भी कैबिनेट मन्त्री उपस्थित नहीं है। यहां सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कम से कम एक कैबिनेट मन्त्री तो अवश्य रहना चाहिए।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : प्रत्येक मन्त्री कैबिनेट मन्त्री है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह पक्के तौर पर एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या सरकार इसी तरीके से अनुदान मांगों के प्रश्न पर चर्चा करेगी ? मैं सभी कैबिनेट मन्त्रियों की उपस्थित की बात नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं जो कह रहा हूं वह यह कि इस समय सदन में एक भी कैबिनेट मन्त्री उपस्थित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में तो यह मध्याह्न भोजन का समय है। हमारी सुविधा के लिए ही इस बीच चर्चा जारी रखी गई है। इस स्थिति में भी कम से कम कुछ मन्त्री उपस्थित हैं और वे इसका ध्यान रखेंगे। तथापि, सम्बन्धित मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैंने इसे नोट कर लिया है।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : कम से कम कोई राज्य मन्त्री अथवा कैबिनेट मन्त्री तो सदन में उपस्थित होना ही चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भोजनावकाश के कारण है तथा हम भोजनावकाश को छोड़कर यहां चर्चा कर रहे हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : गृह मन्त्री, प्रधान मन्त्री से कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने में व्यस्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका इससे कोई मतलब नहीं। उनका आग्रह है कि कोई कैबिनेट मन्त्री यहां अवश्य होना चाहिए।

श्री जैनुल बशर : गृह मन्त्री को यहां होना ही चाहिए। परम्परा का तकाजा है कि गृह मन्त्री को यहां होना चाहिए। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं तथापि गृह मन्त्री को यहां होना ही चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री जैनुल बशर की बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। वह चाहते हैं कि एक कैबिनेट स्तर का मन्त्री यहां उपस्थित रहना चाहिए। मैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्य मन्त्री को कह दूंगा।

श्री जैनुल बशर : जब अनुदानों की मांगों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही हो तब गृह मन्त्री को यहीं रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही ये सब बातें उन्हें बता चुका हूं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं पहले ही कह चुकी हूं कि वे प्रधान मंत्री के साथ बातचीत करने में व्यस्त हैं।

श्री अंजुल बशर : इसमें कोई शक नहीं कि वह एक योग्य मन्त्री हैं परन्तु परम्पराओं के अनुसार गृह मन्त्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए। यदि वह कुछ समय के लिए कार्य में व्यस्त हैं तो वे बाहर रह सकते हैं परन्तु वे अक्सर सदन से बाहर ही रहते हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : कल वह पूरा समय यहां उपस्थित थे। कुछ मिनटों से ही वे यहां नहीं हैं परन्तु वे फिर आ रहे हैं।

***श्री सोडे रमैया** (भद्राचलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति, प्रशासन के गिरते हुए स्तर, हरिजनों जनजातियों, पिछले वर्गों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों, पुलिस की अकार्यकुशलता और आज देश में निरंतर हो रही जासूसी गतिविधियों की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं इन मामलों के बारे में लोगों के प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं बोल रहा हूं बल्कि मैं उनकी समस्याओं को समझता हूं इसलिए बता रहा हूं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने उनके दुःखों में साथ दिया है, मैं उन समस्याओं को एक बार फिर बता रहा हूं और सरकार के ध्यान में उनको ला रहा हूं।

महोदय, मैं अपनी आसूचना व्यवस्था को ऐसी खतरनाक गतिविधियों के लिए, जो देश में हो रही हैं, जिम्मेदार ठहराता हूं। सबसे पहले लारकिन का मामला हुआ, इसके बाद स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का मामला और अब इन जासूसी गतिविधियों का मामला। ये सभी घटनाएं बिना किसी संदेह के यह सिद्ध करती हैं कि गठित किया गया हमारी आसूचना व्यवस्था अपर्याप्त और अकुशल है। राष्ट्र विरोधी तत्व पिछले 25 वर्षों से बिना किसी डर के जासूसी गतिविधियां कर रहे हैं। दुःख की बात है कि उन्हीं लोगों की आंखों के सामने ये सारी गतिविधियां हो रही हैं जिन्होंने "काम करने वाली सरकार" को राष्ट्र को देने का वायदा किया था। इसके लिए सरकार तथा इसकी असूचना एजेन्सियों के अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है जो इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो। यह वास्तव में शर्म की बात है कि हम अपने प्रधान मन्त्री की रक्षा नहीं कर सके। सचमुच यह शर्म की बात है कि हम अपनी प्रधान मन्त्री की तथा देश की सुरक्षा सम्बन्धी गोपनीय दस्तावेजों की रक्षा नहीं कर सके। केवल यही नहीं, दिन दहाड़े हमारे मित्र देशों के राजनयिकों की हत्या कर दी गई। हत्यारों को पकड़ने की बात तो दूर रही उनका अता पता भी नहीं मिला। पिछले तीन सालों में राजनयिक कोर के चार व्यक्तियों को मार दिया गया। सरकार किसी भी मामले में अपराधियों को पकड़ने में सफल नहीं हुई। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार, हमारी आसूचना एजेन्सियां और पुलिस क्या कर रही है।

महोदय, समूचे देश में विशेषकर राजधानी में अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता हो जिस दिन किसी न किसी स्थान या घर में बैंक डकैती, चोरी, लूटमार इत्यादि की घटना न होती हो। पर्याप्त दहेज न लाने के कारण औरतों को जिंदा जलाया जा रहा है। हरिजनों को, मात्र उन पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण, धनवान जमींदारों और उच्च जाति के लोगों द्वारा मारा जा रहा है। क्या ये अत्याचार

*तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कभी समाप्त नहीं होंगे ? अन्य वायदों की तरह सरकार का अत्याचारों का अन्त करने का वायदा भी एक खोखला वायदा है। हाल ही में संसद में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 1983 के मुकाबले में 1984 में अधिक महिलाओं को जलाया गया। ये आंकड़े उन मामलों से सम्बन्धित हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ऐसे कई और भी मामले हैं जिनके बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। बलात्कार और उत्पीड़न के मामलों में भी वृद्धि हुई है। 1982 में 5026 मामले और 1983 में 5298 मामले दर्ज किए गए।

1.53 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

महोदय, हरिजनों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर किए जाने वाले अत्याचारों का अन्त ही नहीं है। ये लोग सैकड़ों की संख्या में मात्र इस कसूर के लिए निर्दयता से मारे जा रहे हैं कि वे अपने लिए न्याय मांगते हैं।

सरकार यह दावा करती है कि इससे कमजोर वर्गों के लिए काफी कुछ किया है लेकिन यह सच्चाई से परे है। काश ! उन्होंने कमजोर वर्गों के लिए जितना वह दावा करते हैं उसका अंशमात्र भी किया होता तो उनकी स्थिति काफी सुधर जाती। इन लोगों के उत्थान के लिए जो धन आबंटित किया जाता है वह उन तक नहीं पहुंचता है। इस धन को भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और अधिकारियों द्वारा हड़पा जा रहा है।

अनेक समाज कल्याण योजनाओं के लिए दिया जाने वाला धन धनी लोगों की जेबों में जा रहा है। कांग्रेस का शायद समाजवाद से यही अभिप्राय है।

महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की दशा के बारे में दो-चार शब्द कहना चाहूंगा। शायद आप जानते ही हैं कि मैं इस सभा में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं स्वयं अनुसूचित जनजाति परिवार से हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि वे लोग कितनी खराब, कितना शोचनीय जीवन बिता रहे हैं और जो कुछ मैं अपने लोगों के बारे में कह रहा हूं वह देश के अन्य भागों में रहने वाले आदिवासियों पर भी लागू होता है। आप सभ्य हैं। आपके पास टेलीविजन है, घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आप बहुत आरामदायक जीवन बिता रहे हैं, आपको सब सुख उपलब्ध हैं, किन्तु महोदय, क्या आप जानते हैं कि हमारे लाखों आदिवासी यह भी नहीं जानते कि टेलीविजन क्या है। रंगीन टेलीविजन को छोड़िए वे तो यह भी नहीं जानते कि बिजली का बल्ब क्या होता है। उन्हें एक वक्त भी भरपेट भोजन नसीब नहीं है। उनमें से अनेक कंद मूल खाकर जी रहे हैं। और कई कंद-मूल जहरीले भी होते हैं। आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि इन आदिवासियों ने कभी रेलगाड़ी तक नहीं देखी ये लोग शाम को 6 बजे सो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों ? बिजली के बल्ब की बात तो अलग रही वह मिट्टी के तेल के दिए का खर्च भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।

उनके पिछड़ेपन का क्या कारण है। उनके उत्थान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार यदा-कदा उनके विकास के लिए कतिपय कार्यक्रमों की घोषणा करती रहती है लेकिन विकास का लाभ उन तक नहीं पहुंचता है। बिचौलियों की भूमिका से सभी परिचित हैं। परम्पराओं और अन्ध विश्वासों के नाम पर स्वार्थी लोग इन भोले-भाले लोगों का शोषण करते हैं। जब लोग अपनी परम्पराओं के नाम पर अज्ञानता से घिरे रहते हैं तभी स्वार्थी उनका शोषण कर सकते हैं।

वह भोले-भाले लोग सरकारी अधिकारियों से भगवान से भी ज्यादा डरते हैं। वन अधिकारी, ठेकेदार, व्यापारी इन गिरिजनों का शोषण कर रहे हैं और उनको आतंकित करके उनका खून चूस रहे हैं।

महोदय, हमारे यहां के लोग ग्रामीण नीमहकीमों के शिकार बन रहे हैं क्योंकि वहां चिकित्सा सम्बन्धी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी अस्पताल में जाने के लिए उन्हें 25 मील का फासला पैदल तय करना पड़ता है और यदि इतना पैदल चलकर वे वहां जायें भी तो वहां न तो डॉक्टर मिलता है और न ही कोई दवाई।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल यह बताने के लिए कि इन लोगों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के मामले में भी सरकार किस तरह इनकी उपेक्षा कर रही है, मैं दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। आपको पता चलेगा कि किस तरह इन गिरिजनों की आशाओं और आकांक्षाओं की उपेक्षा की जा रही है। 1962 में आन्ध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री दामोदर संजीवैया द्वारा कोव्वडा जलाशय की आधारशिला रखी गई और तब से लेकर आज तक अर्थात् 23 वर्षों के बाद भी उस आधारशिला पर एक और ईंट तक नहीं रखी गई। पोलावरम परियोजना का भी यही हाल है। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री टी० अंजैया ने काफी अरसा पहले इस परियोजना की आधार-शिला रखी थी लेकिन निर्माण कार्य अभी शुरू होना है। ये दोनों आधारशिलाएं इन अभागे आदिवासी लोगों की आकांक्षाओं के मजार के पत्थर की तरह बनी रहेंगी।

दस वर्ष पूर्व सरकार ने के० डी० पेट में एक अल्यूमीनियम कारखाना लगाने का वायदा किया था। अब तक वह वायदा पूरा नहीं किया गया और अब यह सुनने में आया है कि यह प्रस्तावित कारखाना कहीं और लगाया जाएगा। समझ में नहीं आता सरकार गिरिजनों की ओर गम्भीरता से अब क्यों नहीं ध्यान दे रही है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कब तक हम ऐसा जीवन व्यतीत करते रहेंगे?

यदि उपरोक्त दोनों परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाए तो इन क्षेत्रों में रहने वाले गिरिजनों की दशाओं में काफी सुधार हो जाएगा। पानी और बेरोजगारी की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी।

मेरे समूचे निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है चगालु। मैं आपसे कोई नया रेलवे स्टेशन बनाने की मांग नहीं कर रहा। मेरा अनुरोध केवल यही है कि सारी गाड़ियां इस स्टेशन पर रुकें। मेरे क्षेत्र के लोग काफी अर्से से यह मांग कर रहे हैं। कृपया उनकी यह मांग तो स्वीकार कीजिए।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पोलावरम, कोव्वडा परियोजनाओं के लिए तथा अल्यूमिनियम कारखाने के लिए स्वीकृति दे तथा धनराशि आबंटित करे। साथ ही आदिवासी लोगों के विकास के लिए वह आदिवासी क्षेत्रों में और उद्योग धन्धे स्थापित करे।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें कम से कम न्यूनतम सुविधाएं तो प्रदान की जायें। हमें भी इन्सान समझिए। भगवान के लिए हमें इस देश का तीसरी श्रेणी का नागरिक न

समझें, हमारे साथ भी अन्य लोगों की तरह बर्ताव करिए और हमें भी देश के दूसरे नागरिकों की तरह रहने का अवसर दीजिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं तथा आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री चिंगवांग कोनयक (नागालैंड) : सभापति महोदय, चूंकि पहले वक्ताओं ने कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित विषयों पर विस्तार से विचार अभिव्यक्त किए हैं; अतः मैं इन विषयों को नहीं दोहराना चाहता।

जैसा कि गृह मन्त्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है, यह सच है कि कुल मिलाकर नागालैण्ड में कानून और व्यवस्था की स्थिति शान्तिपूर्ण रही है। परन्तु हमारी कुछ छुपी हुई समस्याएं हैं, जिनका हम पिछले कई वर्षों से सामना कर रहे हैं। जब तक इन चिर-स्थाई समस्याओं का अंतिम हल नहीं खोजा जाता तब तक सीमान्त क्षेत्रों में बहुत से आर्थिक विकास कार्यक्रमों को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां अक्सर शांति भंग हुई है और इसलिए कर्मचारी यहां के भीतरी इलाकों में काम करने में डरते हैं। इससे सामान्य विकास कार्यों पर असर पड़ता है।

महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान शिलांग समझौता की ओर दिलाना चाहूंगा जिस पर 1975 में भूमिगत नेताओं के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। उत्तर-पूर्वी राज्यों में, विशेष रूप से नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा में समझौते के बाद भी विद्रोह की समस्या समाप्त नहीं हुई है तथा प्रतिदिन युवकों को भर्ती किया जा रहा है तथा भूमिगत गतिविधियां बढ़ रही हैं।

2.00 म० प०

अतः मैं माननीय गृह मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या का अन्तिम हल खोजने हेतु भूमिगत नेताओं से बातचीत करने में पहल करें।

अब उत्तर-पूर्वी परिषद को लें। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित राज्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तथा इस क्षेत्र का सन्तुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए इस परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी। मुझे खुशी है कि यद्यपि इसके लिए छठी योजना में 340 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे तथापि वास्तविक खर्च 391.43 करोड़ रुपए किया गया। यह बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र है तथा बगावत की समस्या बहुत पहले ही अंग्रेजी राज के दौरान ही इस क्षेत्र की उपेक्षा करने से प्रारम्भ हुई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी, संचार और परिवहन सुविधाओं का अभाव होने की वजह से भारत सरकार भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकी। यहां के लोगों में अलगाव की भावना है तथा यह समस्या अभी भी जारी है। इसलिए अगली योजना में, इस क्षेत्र में परिवहन और संचार सुविधाओं के विकास हेतु अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सड़क परिवहन के विकास को महत्व देते हुए तेजपुर के निकट सिलू-गढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर सड़क पुल बनाने हेतु केन्द्र सरकार से असम को धन मिलना चाहिए। यह कार्य उत्तर-पूर्वी परिषद को आबंटित धनराशि से नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसे कार्य इस धनराशि से किए गए, तो अन्य राज्यों में दूसरी परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि नहीं बचेगी। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सिलूगढ़ में तेजपुर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर

सड़क पुल का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय बजट से अलग धनराशि आबंटित की जाए ।

मैं एन० ई० सी० के कार्यकरण के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरे राज्य नागालैण्ड के लोग यह महसूस करते है कि एन० ई० सी० से धन का वितरण समान रूप से नहीं किया जाता है । इसका मुख्य कारण यह है कि एन० ई० सी० के कर्मचारी अधिकतर एक या दो राज्यों से होते हैं । अत: इन राज्यों से आने वाले कर्मचारी अपने राज्यों की विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं ।

मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि एन० ई० सी० के कार्यालय में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रखा जाए । यदि यह सम्भव नहीं है तो सभी 5 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों से समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए । केवल तभी हम एन० ई० सी० से धन का समुचित रूप से आबंटन प्राप्त कर सकेंगे ।

एक दूसरा मुद्दा जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, यह है कि हमने पिछले कुछ महीनों में असम और नागालैण्ड की सीमा पर हत्याओं की घटनाएं भी देखी हैं । असम और नागालैण्ड के बीच सीमा संबंधी झगड़े के कारण निर्दोष लोग मारे गए थे अधिकांश आवश्यक वस्तुएं असम से नागालैण्ड में आती हैं । इस झगड़े के कारण नागालैण्ड और असम के कुछ जिलों के बीच लगभग 15 दिन के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं रही । कुछ जिलों से सामान खरीदने के लिए कोई भी असम नहीं जा सकता था । इस तरह की स्थिति को हम कब तक चलने देते ? इसलिए मैं माननीय गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को असम और नागालैण्ड के मुख्य मन्त्री के साथ उठाएं । हमारी अपनी दल की सरकार द्वारा इन राज्यों का शासन चलाया जा रहा है । अत. मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पुरानी समस्या को सौहार्दपूर्ण तरीके से हमेशा के लिए सुलझाने में पहल करें ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मन्त्रियों की एक समिति गठित की गई थी । कुछ सिफारिशें की गई थीं । समिति ने कोयांग हाइडल परियोजना की सिफारिश की है । मैं समझता हूं कि इस जल विद्युत परियोजना को मन्त्रिमण्डल समिति ने अनुमति नहीं दी है ।

मैं बीजापुर हवाई अड्डे का सुधार करने तथा दिल्ली के लिए उसी दिन उड़ान भरने के लिए 1981 से लगातार अनुरोध करता आ रहा हूं लेकिन इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।

मैं दीमापुर गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन मामलों को तुरन्त कार्रवाई के लिए संबंधित मन्त्रालयों के साथ उठायें । इस समय हमें कलकत्ता या गौहाटी में रात्रि को ठहरना पड़ता है, क्योंकि दीमापुर हवाई अड्डा विकसित नहीं है । तथा उसी दिन इसके लिए कोई उड़ान नहीं है । यदि दीमापुर हवाई अड्डे का विकास किया जाता और वहां से उसी दिन उड़ान शुरू की जाती है तो हम लोग उसी दिन दिल्ली वापस आ सकते हैं । यदि कोई छः या सात घण्टों में यूरोप जा सकता है तो हमें अपने राज्य में जाने के लिए लगभग 2 दिन क्यों लगते हैं ? जो इस राज्य से संबंधित कार्य देख रहे हैं उन्हें भीतरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को केन्द्र के नजदीक लाने के लिए इन सब पहलुओं पर विचार करना चाहिए । तभी भावात्मक एकता आएगी और एकता तथा अखण्डता मजबूत हो सकती है । मैं एक बार फिर गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर संबंधित मंत्रालय के साथ गम्भीरता से विचार करें ।

मैं असम राइफल्स के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात किया गया है और विशेषकर इससे पहले नागालैंड राज्य का दर्जा प्राप्त करे, असम राइफल्स ने सारा क्षेत्र अपने अन्तर्गत रखा हुआ है। जब कभी विद्रोह संबंधी समस्याएं खड़ी हुई हैं, जब कभी विद्रोह की गतिविधियां वहां हुई हैं तो असम राइफल्स ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने इन गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का कार्य किया है। असम राइफल्स के कई जवानों ने अपनी जानें गवाई हैं। लेकिन यदि आज आप उनके शिविरों में जाएं तो आप पाएंगे कि उनके रहन-सहन की स्थिति और आवास संबंधी व्यवस्था दयनीय है। गृह मन्त्रालय को असम राइफल्स के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए तथा उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। तभी वे इस देश की रक्षा करने के लिए पूरे दिल से काम कर सकने के योग्य होंगे और विद्रोही लोगों की गतिविधियों पर काबू पा सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, आपने बड़ी कृपा की क्योंकि मुझे इस महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने की इजाजत दी है। हिन्दुस्तान जैसे देश में जो साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, चाहे हैदराबाद, अहमदाबाद या भिवण्डी में हों, उनको शांत करने का एक ही तरीका है कि कोई न कोई ज्युडिशियल इन्क्वायरी बिठा देते है। गृह मंत्री जी कृपया यह बताएं कि इन रिपोर्टों के आने के बाद क्या होता है। देश में जितने साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, उनकी जांच हुई है और रिपोर्ट भी सदन की मेज़ पर रखी गई है तथा बाद में वाद-विवाद हुआ है। मैंने यह नहीं देखा कि उनमें किन-किन दोषी लोगों को सजा दी गई है। ये रपट क्यों मंगाई जाती है, इसलिए कि आपस में जो आग भड़क जाती है, उसको राष्ट्रीय एकता के लिए शांत करना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। यह कहा जाता है कि विविधता में एकता और अनेकता में एकता। आज एक गरीब आदमी जो गांव से निकलता है, वह रास्ते में मस्जिद, मन्दिर या जो भी धार्मिक स्थान पड़ता है, उसके दर्शन करता है। वह अपने धर्म को नहीं छोड़ता। वह दूसरे धर्म के प्रति भी आस्था रखता है। जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं वे सिर्फ हिन्दू या मुस्लिम नहीं पूछतीं बल्कि यह भी पूछती हैं कि कुम्हार हो या माली। संविधान कहता है कि शोषण विहीन और जाति-विहीन समाज बनाया जायेगा। चुनाव की प्रक्रिया में ये पार्टियां, जिस जाति का आदमी होता है, उसको उसी क्षेत्र का टिकट देती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कब तक कोई कोड आफ कंडक्ट बनेगा जबकि जाति के आधार पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर पाबंदी लगेगी। आज देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो केवल धर्म के आधार खड़ी हुई हैं और केवल धर्म की आड़ में अपना मत मांगती हैं। उन पार्टियों को आज के युग में क्यों नहीं रोका जाता। देश भर में दंगे, झगड़े-फसाद आदि के सम्बन्ध में अब तक जितनी रिपोर्ट पेश की गई हैं, क्या सरकार ने कभी यह जानने की कोशिश की कि उन सबके पीछे कारण क्या हैं, हमारे देश में राजनैतिक पार्टियां धर्म की आड़ लेकर क्या कुछ करवाती हैं। किसी पार्टी की ओर से शाखाएं लगाई जाती हैं तो किसी की ओर से कुछ और होता है। इन सब बातों पर कब तक बैन लगाया जाएगा ? कब तक हमारे स्कूलों में साहित्य उपलब्ध करवा दिया जाएगा जिसको पढ़कर बच्चों के दिल में ऐसी भावना पैदा हो सके कि हम सब हिन्दुस्तान के लोग हैं और हमें अपने देश पर गर्व है। हमारे संविधान में जिस जाति-विहीन, सम्प्रदाय-विहीन और अमीरी-गरीबी के अन्तर को कम करने की बात कही गई है, जिस समाज की

कल्पना की गई है, वह स्वप्न कब तक साकार हो पाएगा, हमारे अन्दर राष्ट्रीय एकता की भावना कब तक आयेगी ?

पंजाब में कई बेगुनाह लोग मारे गए, क्या गृह मन्त्री जी बतलायेंगे कि वहां उग्रपंथियों और आतंकवादियों ने जो कुछ किया, आज तक उनमें से कितने अपराधियों को, पंजाब को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने के बाद, पकड़ कर जेलों में भेजा गया या दण्डित किया गया ? आप एक भी ऐसा उदाहरण बताइये कि आपके पुलिस के कर्मचारी जिस तरह से अनेकों बार जुल्म ढाते हैं, आपने उनमें से कितने कर्मचारियों को पकड़ कर सजा दी या जेलों में भेजा।

गृह मन्त्री जी आप जिस तरह के सवाल उठाते हैं कि हम हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता में विश्वास करते हैं और यह बात सही भी है कि देश की एकता पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है, देश की अखण्डता पर ही हम प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे देश में जिस तरह से दो विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों के बीच दंगे भड़क उठते हैं, उनकी वजह से सारा देश बदनाम होता है। चाहे वे दंगे हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच हो या किन्हीं दो अन्य सम्प्रदाय के लोगों के बीच। सरकार को उनकी तह में जाकर, कारण ढूंढने चाहिए।

मैं यहां फिर अपने पिछले प्रश्न को दोहराना चाहता हूं कि आखिर हमारे देश में अपर हाउसेज की आवश्यकता क्या है। जिस देश में 35 करोड़ आदमी गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन-यापन कर रहे हों, उस देश में अपर हाउस को बनाए रखने का औचित्य क्या है ? अपर हाउस जगह-जगह कई प्रान्तों में बने हुए हैं···(व्यवधान)···राजस्थान में तो सब समझदार लोग हैं, लेकिन उनको महाराष्ट्र या किसी अन्य प्रदेश में रखने की क्यों आवश्यकता महसूस की जा रही है ? क्योंकि हमारे गृह मन्त्री जी महाराष्ट्र से आते हैं, शायद यही वजह हो, और आप भी महाराष्ट्र के हैं। इन अपर हाउसेज में काम क्या होता है, मेरी समझ के अनुसार तो सिर्फ लोअर हाउस का पिटीशन ही होता है, इस सिवाय कोई दूसरा काम उनका नहीं है। श्रीमान्, सारे देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें इनके वजूद पर विचार करना चाहिए। जिस देश में भयंकर गरीबी हो, उस देश में अपर हाउसेज की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

तीसरी बात मैं फिर वही दोहराना चाहता हूं कि ये बड़े-बड़े सफेद हाथी···

[अनुवाद]

श्री ब्रजमोहन महन्ती (पुरी) : माननीय सदस्य ने राज्य सभा के सम्बन्ध में अपमानजनक उल्लेख किए हैं। इस भाग को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री मूल चन्द डागा : मैंने तो यह बात सामान्य रूप से कही थी। यह अपमानजनक टिप्पणी नहीं है। मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं।

[हिन्दी]

मैंने एक जनरल-सी बात कही है कि ये नहीं होने चाहिए, ये कोई डैरोगेटरी रिमार्क्स नहीं कहे जा सकते। मैंने सिर्फ अपने विचार व्यक्त किए हैं कि इनकी क्या आवश्यकता है, जिस देश में इतनी अधिक गरीबी हो, वहां इन पर इतना खर्चा किया जाए, देश में जो सफेद हाथी बने हुए बैठे हैं···यह सफेद हाथी जो बैठे हैं राज्यपाल महोदय, ये लोग क्या कर रहे हैं ? इनकी जगह तो हाई कोर्ट के जजेज भी काम कर सकते हैं। इनका काम है ओथ दिलाने का और बड़े-बड़े ओकेजन्स

पर भाषण देने का। इनकी जरूरत क्या है ? करोड़ों रुपये का खर्चा जो गवर्नर साहेबान पर किया है, आज देश में आप जानते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता।

पुलिस का खर्चा 250 परसेंट बढ़ जाने के बाद भी लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन में कोई तरक्की नहीं है। इसका क्या कारण है ? खर्चा आपका बढ़ जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से उत्तर आता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि लॉ एण्ड आर्डर की प्राबलम डिटिरिओरेट होती जाएगी। पुलिस को हमने आधुनिक हथियार, मोटर वगैरह सब कुछ दे दिया लेकिन उनका रवैया ऐसा है कि अभी तक भी जनता में उन्होंने विश्वास पैदा नहीं किया। अभी तक जनता यह नहीं समझती है कि पुलिस हमारी रक्षक है। ये सेवक हैं या भक्षक हैं, लोग समझते हैं कि पुलिस द्वारा हमको न्याय नहीं मिलता है।

जेलों के सुधार के लिए भी आपने बहुत बातें कही हैं, लेकिन आप स्वयं जानते है कि जेलों की हालत क्या है। उनकी हालत इतनी गई-गुजरी है कि उसे सब अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस बारे में कमेटीज भी बैठीं और उन्होंने अपनी राय रखी, लेकिन उनका आपने आज तक इम्पलीमेंटेशन नहीं किया।

अभी हमने हिन्दुस्तान के एक उच्च-पद पर आसीन व्यक्ति का भाषण सुना है और पढ़ा है। कब तक आप अंग्रेजों की गुलामी सहते रहेंगे ? आप लोग इस बात पर गर्व करते हैं, क्योंकि आप लोगों पर हुकूमत करना चाहते हैं।

हिन्दुस्तान में मुश्किल से एक करोड़ आदमी अंग्रेजी का अखबार पढ़ पाते हैं और 68 करोड़ अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं। अपनी भाषा में बोलने में उन्हें गर्व नहीं है। बंगला में नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं। यह अंग्रेजी जो हमारी गुलामी का स्वरूप है, कब तक चलेगी ?

मैंने यहां देखा है फ्रांस के प्रधान मन्त्री यहां आये, उन्होंने अपनी भाषा में बात कही। रूस के नेता, चीन के नेता, वियतनाम के लोगों को मैंने यहां देखा है, सब लोग अपनी भाषा में बात करते हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : अपनी बात गृह मन्त्री जी मान जाएंगे, हिन्दी में भाषण सुनाएंगे।

श्री मूल चन्द डागा : आपका तो मैं स्वागत करता ही हूं, लेकिन आप कह देंगी कि स्टेट सब्जैक्ट है, लॉ एण्ड आर्डर पर वह कंट्रोल करते हैं।

आर्टिकल 243 को या तो समाप्त करना चाहिए या संविधान में परिवर्तन कर देना चाहिए और अपनी मातृभाषा में जो मां की जुबान है उसमे बात करनी चाहिए। यहां समझा जाता है कि बिना अंग्रेजी के बात नहीं होती। जब यहां अंग्रेजी बोलते हैं तो वह सैक्रेटरी लिखकर देता है, आप लोग उसी सैंटेंस को बार-बार दोहरा देते हैं। अगर हिन्दी में वह बात कहते तो 4 मिनट में कह देते, लेकिन वह अंग्रेजी में लिखते हैं। यह झूठी बात है कि आपने कमेटी बना दी और अब हिन्दी में नोट आते हैं। सभापति महोदय, आप मंत्री जी की फाइल देख लें, एक भी नोट अगर हिन्दी में हो। हिन्दी में एक भी नोट तैयार नहीं होता। सारे नोट्स अंग्रेजी में होंगे, इनके पास कागज हैं, सभापति जी चाहें तो देख लें।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : जवान मेरी हिन्दी और उर्दू है।

श्री मूल चन्द डागा : जवान जरूर हिन्दी है, लेकिन काम अंग्रेजी में ही होता है। दफ्तर में आप कहते हैं कि इतना हिन्दी का विकास करेंगे, लेकिन हम किसी पर लादना नहीं चाहते। यह देश गूंगा देश है, जिसकी अपनी भाषा नहीं है।

जिस भाषा में बोलकर हमने मत इकट्ठे किए हैं, पार्लियामेंट में आकर हम मत देने वालों को भूल जाते हैं। यहां उड़िया में नहीं बोलते हैं। गांव में महन्त जी उड़िया में वोट लेकर आये हैं, लेकिन यहां जनता को धोखा देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी भाषा की तरक्की हो और साथ ही साथ हिन्दी को लिंक लैंगुएज बनाने के लिए जिस प्रकार संविधान दिया गया है, उसी पर हमें चलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, गृह मन्त्रालय की अनुदान की मांगों पर बहस में भाग लेने और इनको समर्थन देने के लिए मुझे जो अवसर दिया गया है, उसके लिये मैं अत्यन्त आभारी हूं।

समूचे देश में उग्र राष्ट्रीयतावादी तथा पृथकतावादी गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि के कारण गृह मन्त्रालय का महत्व दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है।

इस सम्बन्ध में बजट मांगों के साथ परिचालित किए गए दस्तावेज में इस मन्त्रालय के कुछ उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। यदि राज्यों में मधुर सम्बन्धों के बारे में एक और मद इस दस्तावेज में शामिल कर ली गई होती तो दस्तावेज लेने का उद्देश्य पूरा हो जाता।

मैं गृह मन्त्री महोदय का पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नागालैंड से मेरे मित्र श्री कोनयक ने अनेक समस्याओं का उल्लेख किया है और मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं।

1972 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का पुनर्गठन कर अनेक नए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की स्थापना की थी। इसके साथ ही उस क्षेत्र में विकास सम्बन्धी गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की अन्य गतिविधियों में समन्वय के लिए एक गठन किया गया था।

अब 13 वर्ष हो गये हैं, जब उसका गठन किया गया था, किन्तु यह पूर्वोत्तर परिषद् प्रभावी भूमिका निभाने में सफल नहीं हो सकी है। पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या इस परिषद् से प्राप्त लाभ समान रूप से वितरित हुए हैं। नागालैंड से मेरे मित्र श्री कोनयक ने पूछा है कि पूर्वोत्तर परिषद के मुख्यालय में केन्द्रीय कर्मचारीवृन्दों को किन-किन राज्यों से लिया गया है। इसमें केवल एक अथवा दो राज्यो को ही पूरा प्रतिनिधित्व मिला है, जिसके कारण उनका मुख्यालय में सभी रोजगार एवं अन्य लाभों पर एकाधिकार-सा हो गया है और स्वाभाविक ही है कि अन्य राज्यों के लोगों तथा जातियों द्वारा प्रगति की दौड़ में बाधा अनुभव की जा रही है। इस मुद्दे पर आगे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं गृह मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसके बारे में जांच करें।

मन्त्री महोदय ने हाल में पूर्वोत्तर क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने स्वयं वहां की

कठिनाइयों और समस्याओं को देखा और उनका समाधान करने का भी प्रयास किया।

अब मैं यह नहीं समझ सका कि कुछ राज्य स्वयं को अपने पड़ोसी राज्यों से अलग-थलग क्यों मानते हैं। वे सोचते हैं कि उनमें और पड़ोसी राज्यों में जमीन आसमान का अन्तर है। यह बिल्कुल उचित ही है कि गृह मन्त्री महोदय ने नागालैंड के मुख्य मन्त्री को यह बता दिया कि यह बात नागालैंड सरकार के लिए बहुत गलत थी कि मणिपुर के कतिपय अधिकारियों को जो ड्यूटी पर थे और नागालैंड से गुज़र रहे थे, गिरफ्तार किया गया और उनके साथ अपराधियों-सा व्यवहार किया गया। यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस प्रकार की बातें नहीं होने देनी चाहिए। किसी राज्य को यह नहीं मानना चाहिए कि दूसरे पड़ोसी राज्य उनके लिए विदेशी हैं। गृह मन्त्री महोदय को इन राज्यों में समन्वय के प्रश्न पर सोचना चाहिए ताकि वे परस्पर मेलमिलाप से रहें और एक-दूसरे के विरुद्ध कार्य न करें और न ही एक दूसरे के क्षेत्रों पर बुरी नजर डालें। मैं एक अन्य गम्भीर बात कहना चाहता हूं। असम एवं त्रिपुरा में मणिपुर भाषा को विच्छिन्न करने का षड्यंत्र चल रहा है। मणिपुरी भाषा मणिपुर में बोली जाती है। यह राज्य की सरकारी भाषा है तथा साहित्य एकादमी ने इसे एक आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। इसे अष्टम अनुसूची में शीघ्र ही सम्मिलित किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है असम एवं त्रिपुरा सरकारों ने मामले को उलझाने तथा मणिपुरी भाषा की प्रतिष्ठा कम करने के लिए और इस प्रकार मणिपुरी जाति की प्रतिष्ठा कम करने के लिए कुछ जातियों के साथ मणिपुरी शब्दों को जोड़ कर नई जातियां बनाई हैं। असम और त्रिपुरा में विष्णुप्रिया नाम की एक जाति है जिसकी जनसंख्या इन दोनों राज्यों में मिलाकर एक अथवा दो लाख होती है। मैं यह नहीं जानता कि कैसे इन्होंने दोनों सरकारों को कहा है कि उन्हें मणिपुरी विष्णुप्रिया के रूप में मान्यता दी जाए। इस मांग के समर्थन का कोई कारण नहीं। 'मणिपुरी' शब्द को किसी भी भाषा अथवा जाति में उपसर्ग अथवा अनुलग्न के रूप में लगाना अपमानजनक बात है और मणिपुरी जाति एवं भाषा के सम्बन्ध में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। मणिपुर सरकार ने यह मामला असम सरकार के साथ उठाया है। उन्होंने यह मामला स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ भी उठाया था जिन्होंने उचित हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और असम सरकार को वस्तु-स्थिति जानने के लिए यह मामला मणिपुर सरकार को प्रेषित करना चाहिए था। अब हमें पता चला है कि त्रिपुरा सरकार भी असम सरकार की तरह ही कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? 'मणिपुर' शब्द इतना सस्ता नहीं कि उसे अन्य जातियों के नाम के साथ उपसर्ग अथवा अनुलग्नक के रूप में प्रयुक्त किया जा सके।

अब एक अन्य समाचार यह है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने कतिपय सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आयुक्त साहब कौन हैं और उनका परिचय क्या है। वे मणिपुरी भाषा के बारे में क्या जानते हैं और वे विष्णुप्रिया भाषा के बारे में क्या जानते हैं? विष्णुप्रिया एक छोटी-सी जाति है जिनकी संख्या कठिनता से लगभग दो लाख होगी। यदि वे इस जाति अथवा उसकी बोली का हितसाधन करना चाहते हैं तो ऐसा इस ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। मणिपुरी एक महान भाषा है जो एक महान जाति की भाषा है जिनका प्रदेश मणिपुर है। इस महान जाति के विरुद्ध षड्यन्त्र किया जा रहा है और यह षड्यन्त पिछले अनेक दशकों से किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह स्मरण कराना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधान मन्त्री के रूप में कार्यकाल के दौरान बंगलूर में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की

'लॉबी' में इस प्रश्न पर बहस हुई थी। असम से कुछ प्रतिनिधि जो राष्ट्रीय नेताओं को गुमराह करना चाहते थे, को कहा गया कि "असम में मणिपुरी पैदा नहीं किए जा सकते, त्रिपुरा में मणिपुरी पैदा नहीं किए जा सकते और इसका फैसला तो मणिपुर प्रदेश में बसे मणिपुरी लोग ही कर सकते हैं।" अब लगभग दो दशक बाद इस षड्यन्त्र का समर्थन कर रही शक्तियां उभर कर सामने आ गई हैं। इसलिए मैं गृह मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि वे इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें तथा मणिपुरी जनता और उसकी भाषा के साथ न्याय करें और शरारती तत्वों पर नियन्त्रण करें। मैं उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि वे भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त को भी आवश्यक चेतावनी दें और उसके विरुद्ध कार्यवाही भी करें ताकि मणिपुर की महान जनता के साथ किया गया अन्याय अविलम्ब दूर किया जा सके। मैं उनसे यह भी प्रार्थना करूंगा कि वे इस मामले को असम तथा त्रिपुरा सरकारों के साथ उठायें। मैं एक बार पुनः पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किस विधि किस नैतिक अथवा सांविधानिक विधि के अन्तर्गत मणिपुर को हानि पहुंचाई है और कुछ ऐसे अन्य समूहों को मान्यता दे दी है। जिनका वस्तुतः मणिपुर अथवा मणिपुर भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सर्वविदित तथ्य है कि मणिपुरी लोग चीन-तिब्बत समूह अथवा मंगोलिया जाति से सम्बद्ध हैं। आर्य जाति के लोगों से नहीं। यह विष्णुप्रिया समूह एक विभिन्न जाति से सम्बद्ध है और वे असमियों और बंगालियों जैसे हैं। यदि वे अपने अधिवास के साथ अपनी पहचान रखना चाहते हैं तो उन्हें या तो असमी विष्णुप्रिया अथवा त्रिपुरा विष्णुप्रिया कहा जाना चाहिए। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इस सम्बन्ध में कोई गहरा षड्यन्त्र है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ अन्य लोगों ने, जिनका मणिपुर से सम्बन्ध नहीं है, इस विषय पर निर्णय लिया है, यह निर्णय विष्णुप्रिया जाति द्वारा किए गए झूठे दावों पर लिया गया है और विष्णुप्रिया जाति उधार की रोशनी में चमकना चाहती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम एक जयेष्ठ भ्राता की भांति है और त्रिपुरा, जहां की जनता मणिपुर की संस्कृति एवं भाषा से भली-भांति परिचित है, ने इस प्रकार की गम्भीर गलती की है।

इसलिए मैं यह मांग करता हू कि इस मामले में गृह मन्त्री महोदय हस्तक्षेप करें ताकि मणिपुर की जनता को हुई निराशा को दूर किया जा सके। मणिपुर के साथ हर अन्याय से असम एवं त्रिपुरा में रह रही भोली-भाली मणिपरी जनसंख्या का मानस क्षुब्ध हो रहा है। भौगोलिक दृष्टि से भी मणिपुर को विघटित करने का एक और षड्यन्त्र किया जा रहा है। समाचार है कि रानी गैंडिलु ने, जिनका मैं बहुत आदर तथा सम्मान करता हूं, बम्बई में कुछ संवाददाताओं से यह कहा है कि वे भाषाई आधार पर राज्य चाहते हैं। उन्हीं की तरह कुछ अन्य व्यक्ति तथा वर्ग भी हैं। इसका मतलब यह है कि वे वर्तमान नागालैंड के ऊपरी भाग में एक और नागालैंड बनाया चाहेंगे।

हमारे इस छोटे से क्षेत्र में पहले से ही बहुत से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र हैं,। ऐसे राज्यों की संख्या कहां तक बढ़ाते जायेंगे, यह कैसे हो सकता है ? मिजोरम के भविष्य के बारे में चर्चा के दौरान, मणिपुर की भूमि के एक हिस्से के बारे में भी मांग की गई है। मैं नहीं समझता कि भारत सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेगी परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि किस प्राधिकार तथा नैतिक नियमों के अधीन वे मणिपुर की भूमि का एक हिस्सा या अन्य पड़ौसी राज्यों जैसे कि आसाम आदि से लेने की मांग कर सकते हैं ? यह पड़ौसी राज्यों में बहुत-सी समस्याएं उत्पन्न कर देगा। इसीलिए ये बड़ी-बड़ी बातें बनाने वालों को राजनीतिक तथा अन्य आधार पर ऐसी अनुचित

मांगें करते हैं, उनकी बातों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से, तभी पूर्वोत्तर परिषद के एककों में अन्तर राज्य सम्बन्ध ठीक रह सकेंगे।

अन्त में, मेरा कहना है कि रेलवे तथा बड़े उद्योग न होने के कारण हमारे लोगों, विशेष रूप से मणिपुर के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। हम विभिन्न मंचों से यही सुझाव दे रहे हैं कि आसाम राइफल्स तथा गृह मन्त्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए मुख्यालय, इम्फाल में पर्याप्त 'भर्ती रैलियां' होनी चाहिए ताकि अधिक संख्या में नवयुवक उनकी ओर आकर्षित हो सकें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तक कुछ प्रयास किए गए हैं परन्तु ये पर्याप्त नहीं हैं।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य में इम्फाल मुख्यालय में रैलियां करके भर्तियां की जाएं ताकि मणिपुर तथा पड़ौसी क्षेत्रों के लोग अर्ध सैन्य बलों में अधिक संख्या में आ सकें तथा उन्हें अधिक रोजगार सुविधाएं मिल सकें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री श्री चव्हाण का मैं सर्वाधिक सम्मान करता हूं जो केवल वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक अनुभवी प्रशासक भी हैं। परन्तु फिर भी मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं है कि समीक्षाधीन वर्ष में हुई घटनाओं के लिए मैं उनको न तो श्रेय ही दे सकता हूं तथा न इन्हें दोषी ठहरा सकता हूं। भारत के इतिहास में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं। पहले तो यह वर्ष तीन गृह मन्त्रियों श्री पी० सी० सेठी, श्री पी० सी० नरसिंह राव तथा श्री एस० बी० चव्हाण, का वर्ष रहा है। दूसरे, स्वतन्त्र भारत के इतिहास में यह सबसे गहरे राष्ट्रीय आघात तथा शर्मिंदगी का वर्ष जाना जाएगा। तीसरे इसके आसूचना विभाग की लगातार व्यापक असफलताओं के लिए जाना जाएगा। और चौथे यह केन्द्र में स्थित कांग्रेस (इ) की सरकार द्वारा चालू किए गए खतरनाक चाल के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू तथा काश्मीर तथा सिक्किम में अस्थिरता पैदा करके इस देश की संघीय राजनीति पर किए गए भीषण प्रहार के लिए जाना जाएगा। महोदय, भारत के माननीय प्रधान मन्त्री ने देश के विपक्षी दलों पर देशविरोधी होने के आरोप लगाए उनके लिए भी यह वर्ष स्मरणीय रहेगा। कांग्रेस (इ) ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने का लोगों को पवित्र वचन दिया है परन्तु गृह मन्त्रालय जैसा प्रमुख तथा महत्वपूर्ण विभाग सम्भालने के लिए तीन-तीन व्यक्तियों को लगाया गया है। मैं उनकी सक्षमता या योग्यता पर अंगुली नहीं उठाता। भारत के लोगों से किए गए चुनावी वायदों को कांग्रेस (इ) किस प्रकार पूरा करती है, उसका यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

इस देश में कांग्रेस (इ) ने बचाव की यह सर्वोत्तम प्रणाली निकाली है जिसमें किसी पर भी राजनीतिक जिम्मेवारी नहीं लगाई जा सकती, चाहे वह मन्त्री हो या प्रधान मन्त्री। मन्त्रियों के विभागों में इतनी जल्दी-जल्दी परिवर्तन किया जाता है कि कोई भी उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकता। प्रधान मन्त्री के मामले में कहूं तो यह माना जा सकता है कि इस देश में प्रधान मन्त्री का कार्यालय एक राजा के सिंहासन के समान कर दिया गया है तथा इस सिद्धांत का कि राजा कोई अपराध नहीं कर सकता, बखूबी से पालन किया जा रहा है।

मुझे उन आघातों तथा दुर्घटनाओं का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं जिससे हम गुजर चुके हैं। न ही मुझे उस राजनीतिक वातावरण का उल्लेख करने की आवश्यकता है जिसके कारण

ये दुर्घटनाएं हुईं। इन डरावनी घटनाओं (इन चीजों का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं) के पीछे केवल राजनीति की ही असफलता नहीं है बल्कि गुप्तचर विभाग की भारी असफलता से भी मुझे भारी धक्का लगा है। उदाहरण के लिए सेना के उन जनरलों के वक्तव्य ले लीजिए जिन्होंने 'ब्ल्यू स्टार आपरेशन' के एक भाग के रूप में स्वर्ण मन्दिर में सेना के प्रवेश का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास न था कि स्वर्ण मन्दिर में इतनी बड़ी मात्रा में सैन्य शक्ति का जमाव होगा आसूचना तन्त्र की क्या इससे भी अधिक असफलता का और कोई उदाहरण हो सकता है, सभी यह जानते थे कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के जीवन को गम्भीर खतरा था। वे अपने ही परिसर में अपने ही पहरेदारों की गोलियों का निशाना बनीं। महोदय, आसूचना विभाग की असफलता का क्या इससे भी अधिक कोई दुःखान्त सबूत और मिल सकता है ?

साथ ही मुझे श्रीमती इन्दिरा गांधी की दुखान्त हत्या के बाद हुए विध्वंस या हत्याकांड या आगजनी का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के मरने के पश्चात जिस बड़े पैमाने पर हत्याकांड या विध्वंस हुआ तथा जो बर्बरता फैलाई गई, आप कृपया विचार कीजिए कि क्या यह बिना पर्याप्त तैयारी के हो सकता था। क्या भारत सरकार को इसके बारे में तनिक भी अनुमान नहीं था कि इसके बाद क्या हो सकता है ? क्या आसूचना विभाग की असफलता का इससे भी बड़ा कोई और उदाहरण हो सकता है ?

आसूचना विभाग की असफलताओं के इन सनसनीखेज मामलों के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं परन्तु एक गुप्तचर गिरोह की याद आती है जो वर्षों से देश के इतने संवेदनशील तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानों पर बिना किसी रोक-टोक के कार्य कर रहा था। परन्तु इससे अधिक दुःखद बात तो यह है कि हमारी सरकार का परम पावन मन्दिर अर्थात् प्रधान मन्त्री का कार्यालय, गुप्तचरी की गतिविधियों का अड्डा बना हुआ था।

मुझे विश्वसनीय सूत्रों से मालूम हुआ है कि हमारी सरकार को इस जासूसी का पहली बार पता लगा जब व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने किस तरह से पाकिस्तान में परमाणु संयत्र लगाने के बारे में की गई जांच का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से किया था ! स्वर्गीय प्रधान मन्त्री द्वारा अपने ही केवल एक व्यक्ति के कार्यालय में की गई इस विवेकशील जांच को एक मूल्यवान राष्ट्रीय गोपनीय दस्तावेज की तरह सुरक्षित नहीं रखा जा सकता।

मैं यह भी कह सकता हूं कि भारत सरकार को जासूसी गिरोह दल की इन गतिविधियों का लोक सभा मतदान के बहुत पहले से पता था। इसको देश में गोपनीय रखा गया क्योंकि कांग्रेस (आई) को डर था कि इस रहस्य के भण्डाफोड़ होने से इसको मिलने वाले मतों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब, प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री दोनों ही अपनी सुविधानुसार जासूसी गतिविधियों सम्बन्धी सारी जानकारी अथवा किस प्रकार इसका पता लगा, को इस आधार पर कि इससे राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, को छिपाने की कोशिश में हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्यों उन मामलों को, जो पहले ही उनमें रुचि रखने वाले सभी देशों को पता लग चुका है, भारत के लोगों से छिपाना चाहिए। मेरे विचार से केवल अपने आपको बचाने तथा भारी अयोग्यता, जिससे यह सरकार प्रभावित है, को छिपाने के लिए ये तथ्य लोगों के सामने नहीं रखे जा रहे हैं।

मैं उन भ्रष्ट तरीकों जिससे सरकार की सभी शक्तियां प्रधानमंत्री के कार्यालय में पिछले

15 वर्षों में वास्तव में केन्द्रिम तथा एकत्रित हो गई का हवाला देना चाहूंगा। जब सारी शक्तियां एक ही कार्यालय में केन्द्रित हों, जब हमारे देश के सभी रहस्य एक ही कार्यालय में हों, वह कार्यालय अजेय तथा अभेदी नहीं रह सकता। यही कारण था कि जासूस प्रधान मंत्री के कार्यालय तक पहुंचे हैं। मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि दोनों दीर्घावधि तथा अल्पावधि की राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए वह किसी प्रकार की गुप्तचर मशीनरी बना पाये हैं तथा किस प्रकार से उनको दी गई सूचना का मूल्यांकन तथा विश्लेषण किया जाता है।

इस बारे में यद्यपि यह समीक्षा वाले वर्ष में नहीं हुआ, मैं गुप्तचर विभाग की उस असफलता का जिक्र किये बगैर नहीं रह सकता जब असम में नरसंहार हुआ। आज तक इस गलती के लिए कौन जिम्मेदार है, यह रहस्य बना हुआ है। गुप्तचर मशीनरी क्यों बहुत ही अप्रभावी तथा अक्षम हो गई इसका एक कारण यह है कि बेधड़क होकर इसका इस्तेमाल स्वार्थी कार्यों के लिए किया गया है। मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सत्ता पक्ष की संभावना को दृष्टि में रखकर प्रत्येक चुनाव से पहले, उनके दलों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव के लिए और सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों का चुनाव करने हेतु लोगों के रुख का आकलन करने के लिए गुप्तचर मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। जब गुप्तचर मशीनरी की सीमित शक्ति का अन्यत्र तथा गलत इस्तेमाल किया जायेगा तो किस तरह से यह मशीनरी हमारे देश के लिए लाभप्रद हो सकती है? अतः मैं गृह मंत्री से अपील करूंगा कि वह गन्दगी के स्रोत, गुप्तचर शाखा, से ही गन्दगी की सफाई शुरू करें। लेकिन कोई यह प्रश्न कर सकता है क्या श्री चव्हाण, आज के युग के वास्तव में हरक्यूलिस है। अगर वह वास्तव में अपने कठोर बाजूओं का फैलाव शुरू करें तो मैं नहीं जानता कि उनका पद कब तक सुरक्षित रहेगा। वास्तव में मेरी इच्छा है कि वह अपने भूतपूर्व मंत्रियों की अपेक्षा अधिक समय तक गृह मंत्री बने रहे। पंजाब की घटना से हमारे देश का राजनीतिक क्षितिज पूरी तरह से इतना काला हो गया है कि हमारे देश में असम समस्या लगभग भुला दी गयी है।

2.51 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हम वास्तव में समस्याओं को हल नहीं करते हैं। हम एक मात्र तरीका समस्या को हल करने के लिए यह निकालते हैं कि एक और बड़ी समस्या पैदा की जाये ताकि पहली समस्या बड़ी समस्या से ढक जाये। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे गृह मंत्री को असम की याद है। वास्तव में इन छुट्टियों में उन्होंने गोहाटी का दौरा करने की मेहरबानी की है। लेकिन उन्होंने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में इस आन्दोलन तथा इस मामले की गंभीरता को कम दर्शाने की कोशिश की। मेरे लिए यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई भी आंदोलन असम आन्दोलन की तुलना में इतने समय तक इतनी गंभीरता के साथ निरन्तर जारी नहीं रहा। लेकिन हमारे गृह मंत्री अपने प्रतिवेदन में सहज ही कहते हैं कि साइकिया की सरकार असम में स्थिति को सामान्य करने में सफल रही है। अगर असम की स्थिति सामान्य हो गई है तो आपने लोक सभा चुनाव वहां क्यों नहीं कराये। मेरे विचार से साइकिया की सरकार को यह श्रेय देना असम के लोगों की भावनाओं का निरादर करना है। क्या साइकिया सरकार से भी अधिक और कोई प्रतिनिधित्वरहित सरकार हो सकती है? असम में किस प्रकार से दर्दनाक तथा हास्यास्पद नाटकीय ढंग से चुनाव हुए थे, का उल्लेख करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार जो

मतदान असम में हुआ था, वास्तव में वह बहुत ही कम था। कम-से-कम एक बारह चुनाव क्षेत्रों में मतदान 5 प्रतिशत से कम था; कम-से-कम 6 चुनाव क्षेत्रों में मतदान 10 प्रतिशत से कम था। एक कांग्रेस (आई) उम्मीदवार को 64000 मतों में से केवल 440 मत प्राप्त हुए हैं; और अब वह असम राज्य में माननीय मंत्री बने हुए हैं। जब गृह मंत्री ऐसी सरकार को श्रेय देना चाहेंगे तो मुझे नहीं मालूम कि वह असम समस्या का समाधान करने के लिए कितने गंभीर हैं।

गृह मंत्री ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय का हवाला दिया है जिसमें असम में हुए मतदान के औचत्य को सही ठहराया गया है। वह निर्णय केवल तकनीकी गुण-दोषों पर आधारित था। असम की मतदाता सूची 1979 में तैयार की गई थी और स्वयं भारत सरकार ने 1971 को कटौती के लिए आधार वर्ष मानने का प्रस्ताव किया था। इससे केवल यही पता चलता है कि असम समस्या के लिए भारत सरकार द्वारा रखा गया प्रस्ताव वास्तव में बहुत सही नहीं है। अतः मेरे विचार से इस सरकार को सबसे पहले जो काम करना चाहिए वह है कि असम विधान सभा को तुरंत भंग करे तथा साइकिया की सरकार को बर्खास्त करे। इस सरकार को एक पल भी वहां रहने का हक नहीं है।

आपने 1983 के अवैध देशान्तरवास अधिनियम का जिक्र किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी विदेशियों, जो 1971 से पहले वहां आये, को नागरिक बनाया गया था। इस अधिनियम के सभी खण्ड ऐसे हैं जिनसे इस अधिनियम का मूल प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। इस अधिनियम के खण्ड ऐसे हैं कि वे किसी भी संभव शिकायतकर्ता को अयोग्य बना सकती हैं। खण्डों को अयोग्यताओं से लाद दिया गया है।

अब गृह मन्त्री कांटेदार तार की बाड़ लगाने की बात कर रहे थे। मैं उनके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि वास्तव में इस कांटेदार तार की बाड़ लगाने का काम कभी शुरू ही नहीं हुआ। इस मन्त्रालय के प्रतिवेदन में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि जम्मू तथा कश्मीर सरकार को कितनी कठोरता के साथ भंग किया गया। मुझे समझ नहीं आता। इसका बिल्कुल भी हवाला क्यों नहीं दिया गया है। क्या इसका तात्पर्य यह है कि हम सब कुछ भूल जाएं? सिक्किम में जो कुछ हुआ उसका उल्लेख अवश्य इसमें किया गया है परन्तु इसमें उस भ्रष्ट तरीके का उल्लेख नहीं है जिससे सिक्किम की सरकार को बर्खास्त करने और सिक्किम विधान सभा को भंग करने के लिए संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया।

मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि लोक सभा के साथ-साथ सिक्किम विधान सभा के मतदान न कराने का क्या कारण था। अगर तमिलनाडु में विधान सभा तथा लोक सभा के लिए मतदान एक साथ हो सकता है तो सिक्किम में साथ-साथ मतदान क्यों नहीं करवाए गए? मैं उस नाटक का जिक्र नहीं करना चाहता जो उन्होंने आंध्र प्रदेश में किया था। वास्तव में अब हम उनके आभारी हैं क्योंकि वहां पर प्रत्येक व्यक्ति ने सचाई को देखा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अब मैं पांडिचेरी के बारे में उल्लेख करूंगा। पांडिचेरी में विधान सभा को जून, 1983 में भंग किया गया था। विधान सभा को किस तरीके से भंग किया गया मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। पांडिचेरी में 19 माह की लम्बी अवधि में मतदान क्यों नहीं कराया गया? पांडिचेरी में लोक सभा के मतदान के साथ चुनाव क्यों नहीं कराए गए? क्या

यह मामला पूर्णतया सत्तारूढ़ दल की सुविधा का है ? मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री इस प्रश्न पर प्रकाश डालें ।

अभी हाल के विधान सभा चुनावों में हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने एक खतरनाक सिद्धांत का सूत्रपात किया है । इस सिद्धांत के अनुसार एक ही दल का दोनों, केन्द्र तथा राज्यों में शासन होना चाहिए । यह खुशी की बात है कि इस सिद्धांत को देश के कुछ भागों के लोगों ने ठुकरा दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे यह सरल नहीं आता कि प्रधान मन्त्री चुनाव खत्म होने के बाद भी—लोक सभा तथा विधान सभा चुनावों के खत्म होने के बाद भी—विरोध पक्ष पर हर समय बिल्कुल ही अमान्य प्रहार करने का अभियान क्यों जारी रखे हुए हैं ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । हमारे प्रधान मन्त्री ने कभी भी विरोध पक्ष पर प्रहार नहीं किया है । वह शुरू से ही राष्ट्रीय मामलों पर विरोध पक्ष का समर्थन मांगते रहे हैं । अतः वह सदन को गुमराह कर रहे हैं । आप इनको इस प्रकार बोलने से रोकिए ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे खुशी होगी यदि वह सदस्य अपने प्रधान मन्त्री को विरोधी दलों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सलाह दें । मेरे विचार से उनके इस कथन के पीछे यही मंशा थी । प्रधान मन्त्री ने अहमदाबाद में एक स्तब्ध करने वाली बात कही थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब भाषण खत्म करिये । आपने दस मिनट अधिक ले लिए हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने बयान दिया था कि विरोधी दलों ने न केवल केन्द्र के विरुद्ध अभियान छेड़ा हुआ है बल्कि···(**व्यवधान**) मैं प्रधानमन्त्री की नीतियों की आलोचना कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण अब समाप्त कीजिए ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने बयान दिया था कि विरोधी दलों ने न केवल केन्द्र के विरुद्ध अभियान छेड़ा हुआ है बल्कि···(**व्यवधान**) संघीय राज्य व्यवस्था के प्रति किसी भी आलोचना को राष्ट्रविरोधी दृष्टिकोण बताकर गलत अर्थ लगाया जा रहा है । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या अनुभवी गृह मन्त्री ठीक तरह से प्रधानमन्त्री का मार्गदर्शन कर रहे हैं या नहीं । मेरे विचार से वह भविष्य में अच्छी प्रकार से मार्गदर्शन कर सकेंगे और जो सहयोग से विरोधी दलों से चाहते हैं उस सम्बन्ध में वह दुहरी नीति अपना रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें ।

3.00 म० प०

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरे विचार से प्रधानमन्त्री ने देश में बहु-दलीय लोकतन्त्र के

विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। इस बजट ने यह प्रमाणित कर दिया है कि प्रधानमन्त्री देश में बहु-दलीय लोकतन्त्र के विरुद्ध हैं, परन्तु बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के पक्ष में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमारे प्रधानमन्त्री राजनीति में स्वच्छता लाने का वायदा करते रहे हैं। मेरा विचार यह है कि अगर प्रधानमन्त्री वास्तव में राजनीति में स्वच्छता लाने के लिए इच्छुक हैं तो उन्हें सदन के समक्ष लोकपाल विधेयक लाना चाहिए और प्रधानमन्त्री पद को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाना चाहिए।

कम्पनियों द्वारा दान देने की अनुमति देने के संबंध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) इतने महंगे तथा खर्चीले प्रचार अभियान को बिना कम्पनी दान के कैसे वहन कर सकी। अब, वास्तव में, उन्होंने इसे अनुमति प्रदान कर दी है। हमने प्रश्न उठाए थे कि कांग्रेस (आई) कैसे 12 करोड़ रुपए सिर्फ समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर खर्च कर सकी, इसके अलावा उन कई करोड़ रुपयों की बात को छोड़ दीजिए जो चुनाव मशीनरी पर खर्च किए गए। अतः अगर प्रधानमन्त्री इस क्षुद्र विषय को बन्द करना चाहते हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन अगर वह अपनी स्वच्छ राजनीति का एक नया अध्याय खोलना चाहते हैं तो उन्हें लोकपाल विधेयक सदन में लाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रालय द्वारा 1985-86 की जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए पुकारा है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लोक सभा और हमारा संविधान देश के एक बहुत ही पवित्र धरोहर हैं। लोक सभा और संविधान की मर्यादा और उसकी गरिमा को रखते हुए हमें इस राष्ट्र को आगे ले जाना है। कुछ लोगों ने लोक सभा और संविधान की गरिमा को नहीं समझा है। जब तक इस देश के हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों का आर्थिक, राजनैतिक या शैक्षणिक दृष्टि से उद्धार नहीं होता तब तक हम कभी यह दावा नहीं कर सकते कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इन गरीब तबकों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए देश के बड़े-बड़े नेताओं ने कुर्बानी दी, कार्य किया, उनमें हमारे राष्ट्रपिता और डा० अम्बेडकर जैसे नेता शामिल हैं। उन्होंने जिस तरह से गरीबों की सेवा के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य किया, वह भारत के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा। उन नेताओं के अथक परिश्रम के परिणामस्वरूप जब हमें आजादी मिली और हमारे देश का संविधान बना, वह संविधान हमारे देश की सब से बड़ी धरोहर है, उसमें हमारे नेताओं ने ऐसे प्रावधान किए कि जब तक देश के गरीब हरिजन, आदिवासी और पिछड़े लोगों का विकास नहीं होगा तब तक हम दुनिया के सामने सिर ऊंचा उठा कर यह नहीं कह सकते कि हमारा देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कांग्रेस की हकूमत में हमारे देश ने जो प्रगति की, देश में आजादी के बाद जो परिवर्तन हुए, उसके आधार पर दावे के साथ यह बात कही जा सकती है कि हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान हुआ है और उस सबका श्रेय हमारी कांग्रेस सरकार को जाता है। संविधान में हमारे लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, हमने संविधान में अपने राष्ट्र को कल्याणकारी राष्ट्र घोषित किया है और उन सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को कार्य रूप देने के लिए, कांग्रेस के नेतृत्व में, बीकर

सैक्शन्स के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद बीस सूत्री कार्यक्रम बना और लागू किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम बना और लागू हुआ और उसी के तहत करीब हरिजनों और भूमिहीनों के लिए भूमि की व्यवस्था हुई। जो गृहविहीन थे, उनके लिए गृह की व्यवस्था की गई, उनके लिए होम स्टेट टेनेन्सी ऐक्ट बना और भूमि की व्यवस्था की गई। इसके साथ-साथ जिन गांवों में पेयजल की कमी थी, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था की गई। इस सबका श्रेय हमारी कांग्रेस के नेतृत्व को जाता है। जितने हमारे यहां लैंडलैस लेबरर्स थे, उनके लिए मिनिमम वेजेज ऐक्ट बनाया गया और कई दूसरे कार्य किए गए। जो लोग पूंजीपतियों और भूमिपतियों चंगुल में रहकर अपना जीवन गुजारते थे, उनको पूंजीपतियों और भूमिपतियों के चंगुल से छुड़वाने के लिए कार्य किए गए। अब न्यूनतम मजदूरी कानून बन जाने के बाद यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि खेतिहर मजदूरों, खेतों में काम करने वाले लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है। यदि आप औद्योगिक क्षेत्र की ओर नजर दौड़ाएं, लेबर फील्ड की ओर देखें, तो जहां हमारी सरकार ने विभिन्न माइन्स और मिनरल्स फील्ड में काम करने वाले गरीब, हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को मिनिमम वेज दिलाने का प्रबन्ध कराया, वहीं न्यूनतम मजदूरी नियत की, वहीं कल-कारखानों, खानों, खदानों में काम करने वाले छोटे तबके के लोगों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की। ये सारे कार्य कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश में हुए।

मैं यहां आदरणीय गृह मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां अभी हमारे लिए बहुत कुछ करना बाकी है, वहीं हमारे बीच में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व पैदा हो गए हैं जो हमारे रास्ते में कांटे पैदा कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस सरकार गरीब, हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो कुछ करना चाहती है, हमारे लोगों के लिए संविधान में जिस तरह से प्रावधान किए गए हैं, यदि आप रिजर्वेशन-इन सर्विसेज की फीगर्स देखें तो उससे यही पता चलेगा कि अभी बहुत कम लोगों को आरक्षण मिल पाया है। सर्विसेज में हमें 10 प्रतिशत के हिसाब से जो आरक्षण मिलना चाहिए, उस सरकार को नीति का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी लोगों के दिल में यह भावना उठी है कि कांग्रेस की हुकूमत जो हमारे लिए कर रही है, वह इतना अधिक कर चुकी है कि इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप गांव में जाकर देखिए कि गरीब हरिजनों और गरीब मजदूर वर्ग के लोगों की क्या स्थिति है। अभी बहुत थोड़ा हुआ है। ऐसे तत्व जो देश की प्रगति को नहीं देखना चाहते, जो गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए सक्रिय नहीं रहते हैं, आज उनके दिल में इस बात की भावनाएं हैं कि उन्हें और नहीं बढ़ना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द जी का एक उद्धरण देना चाहूंगा—

[अनुवाद]

"जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञान हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा जो उनके बल पर शिक्षित होने के बाद उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते।"

[हिन्दी]

ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जिन लोगों के कारण हमारे देश ने प्रगति की है, इन मजदूरों के लिए क्या हुआ है, देश में विकास हुआ है, चाहे कल-कारखाने में काम करने वाले हों, खेतिहर मजदूर हों, शहरों में काम करने वाले हों, ऐसे ही लोगों ने आज देश में निर्माण और

विकास का कार्य किया है। ऐसे लोगों के लिए अगर हमारी सरकार प्रगति और कल्याणकारी काम करती है, उनके लिए आरक्षण की बात करती है तो स्वामी विवेकानन्द के उन शब्दों में ऐसे असामाजिक तत्वों को, जो इसका विरोध करते हैं, क्यों नहीं ट्रेटर समझा जाए जो कि देश के विकास और प्रगति में बाधा बनते हैं।

यहां हम यह कहना चाहेंगे कि अब तक कांस्टीट्यूशनल प्रावीजन्स के तहत जो कुछ आपने दिया है, उसमें और भी देने की आवश्यकता है।

गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां कहीं भी लोग कुछ आन्दोलन कर रहे हैं आरक्षण के विरुद्ध, मैं समझता हूं कि जिस आरक्षण की नीति का वह विरोध कर रहे हैं वह अधिक हरिजन और आदिवासियों के कांस्टीट्यूशनल प्रावीजन के खिलाफ नहीं है, वह चाहते हैं कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण को बदल दें। हम गृह मन्त्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो भी शिड्यूल्ड कास्ट्स की सूची तैयार हुई है, उसमें उन्हें देखना होगा कि ऐसे बहुत से शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं जो हिन्दू काल से अछूत माने जाते हैं, लेकिन वह उस सूची में नहीं हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है। सभी राज्यों में कुछ लोग शिड्यूल्ड कास्ट नहीं माने जाते हैं। बहुत जगह मछुआ शिड्यूल्ड कास्ट में नहीं हैं और बहुत जगह हैं। बहुत जगह धोबी जाति के लोग शिड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में नहीं आते हैं, लेकिन अधिकतर जगहों में हैं।

इसी तरह हमारे पासी, दुषाद काफी जगह शिड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में हैं, लेकिन बहुत जगह उनको नहीं रखा जाता है। ऐसे लोगों की लिस्ट को विभाजित करके गृहमन्त्रालय को देखना चाहिए। जो एजीटेशन करते हैं और जिसके करने को राज्य सरकार और भारत सरकार कटिबद्ध है, वह धन्यवाद के पात्र हैं।

जहां तक मिनिमम वेजेज की बात है, बिहार में ऐसे लोग हैं, जो अभी भी भूमिपति हैं, वह नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। गरीब जो खेत-खलिहानों में काम करते हैं, उनको वह भूल जाते हैं। गरीब तबके के लोग, जो खेतों-खलिहानों में काम करते हैं, अगर वह न रहें तो अन्न पैदा नहीं होगा। अगर गरीब तबके के लोग न हों तो बड़े-बड़े आलीशान मकानों में रहने वाले लोग कैसे रहेंगे? गरीब आदमी बालू और ईंटें जोड़कर आलीशान मकान बनाते हैं और वे लोग खुद झोंपड़ी में रहते हैं। बड़े-बड़े कल कारखानों में काम करने वाले वही मजदूर लोग हैं जिनको भुलाया जाता है, जिनकी कास्ट पर आज देश में नव-निर्माण का काम होता है। उसके लिए हमारी सरकार जो कार्य कर रही है, उसके विरोध में जो लोग नारा लगाते हैं, हमारी सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। सभी पांच मिनट ले रहे हैं और आपको आठ मिनट से अधिक हो गए हैं।

श्री राम रतन राम : बहुत से माननीय सदस्यों ने पन्द्रह से बीस मिनट भी लिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में मैं बहुत समयनिष्ठ हूं क्योंकि मुझे बहुत से माननीय सदस्यों को अवसर देना है। इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री राम रतन राम : ठीक है, कृपया मुझे दो मिनट और दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, आप दो मिनट और ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम रतन राम : मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हम मिनिमम वेजिस की डिमांड करते हैं, वह पूरी की जायें।

बिहार की कई जगहों में भूमि सेना का निर्माण हुआ है। आज भूमि-सेना के द्वारा भूमिपति लोग कहते हैं कि तुम्हें इतना पैसा नहीं देंगे। अगर वह काम करना चाहते हैं तो जबर्दस्ती की जाती है। पैसा मांगने पर पूरा पैसा भी नहीं दिया जाता है। अतः ऐसे लोग जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा और निवेदन करूंगा कि जो सरकार की नीति के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें।

महोदय, हमारा जो 26 सूत्री कार्यक्रम है, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का काम हुआ है, उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। स्पैशल कम्पीनेंट और सेंट्रल असिस्टेंट के द्वारा जो हमारे राज्यों को भातर सरकार के द्वारा योजना के अन्तर्गत कल्याणकारी कार्यों के लिए जो पैसा मिलता है, वह सही रूप से इन गरीब तबके के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए हमारे गृह मंत्री जी इस ओर आवश्य ध्यान दें कि उस पैसे का सही रूप से उपयोग करें।

पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हमारा विकास का कार्य हुआ है। हमारी जो पंचवर्षीय योजना बनने वाली है, उसमें हमारे गृह मंत्री जी कल्याणकारी कार्यों की ओर विशेष ध्यान दें।

अभी हमारे उस पक्ष के लोग बहुतसी बातें कर रहे थे, जिनका सम्बन्ध वैस्ट बंगाल के इलेक्शन और असम के इलेक्शन से था। ···(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे स्वयं समय का ध्यान रखें। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर कैसे दे सकूंगा। अन्यथा मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे उत्तर दे दें और अन्य सभी सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिए 8 घंटे नियत किए हैं। अब आपके पास केवल एक घंटा बचा है। आपको सहयोग देना होगा। मेरा माननीय सदस्यों से यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री राम रतन राम : इन्हीं शब्दों के साथ हमारे मंत्री जी के द्वारा जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, मैं उनका हार्दिक समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य के लिए केवल सात मिनट नियत किए गए हैं। पांच मिनट बीतने के बाद मैं घंटी बजाऊंगा और उसके दो मिनट बाद मैं अंतिम घंटी बजाऊंगा। उसके

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बाद अगर आप बोलते रहे तो कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि आपने सारा वक्त खत्म कर दिया । अब हर सदस्य को केवल सात मिनट मिलेंगे ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : सदन चर्चा का समय बढ़ा सकता है अगर इतने सारे सदस्यों को अभी बोलना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बोलने का क्रम इस प्रकार होगा । इस ओर के दो सदस्य और उस ओर का एक सदस्य प्रत्येक सदस्य को केवल सात मिनट दिए जाएंगे ।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : केवल सात मिनट ? मेरे दल के लिए जितना समय नियत किया गया है मैं उसमें से समय ले लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं दूंगा । मैं सात मिनट से अधिक की अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री फ्रैंक एन्थनी : इस पक्ष को आप कितना समय देने जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : सभी को केवल सात मिनट दिए जाएंगे ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मुझे सूचित किया गया था कि मुझे दस मिनट दिए जाएंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आएगी जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आप मुझसे पूछना । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आएगी, उस समय आप पूछ सकते हैं । अब मैं श्री बृज मोहन महन्ती को बोलने के लिए कह चुका हूं ।

श्री बृज मोहन महन्ती (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । लेकिन गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बहुत निराशाजनक है । मेरे विचार से गृह मंत्रालय के सलाहकार गत एक या दो सालों में उत्पन्न हुई नयी परिस्थितियों तथा परिवर्तनों से परिचित नहीं हैं । देश को किस प्रकार जटिल स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है इसका इस रिपोर्ट में कहीं उल्लेख नहीं है ।

आरम्भ में मैं भूमिका बताऊंगा । हाल ही में एक बहुत दुःखदायी घटना घटी थी । हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री की हत्या कर दी गई । हमें मालूम हुआ कि हमारे चारों ओर जासूसों का घेरा है । इन सबका पता लगा । लेकिन इतना सब ही काफी नहीं है । रोज समाचार मिलते हैं कि राष्ट्रविरोधी तथा अलगाववादी तत्व सक्रिय हैं । इतना सब होने के बावजूद अगर आप गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें इस सबका कहीं उल्लेख नहीं है । मालूम नहीं गृह मंत्रालय के लिए इतनी खराब रिपोर्ट का प्रारूप किसने तैयार किया है ।

मैं एक एक करके कुछ मुद्दे आपके सामने रखता हूं । अब नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केन्द्र बनती जा रही है । हाल ही में एक सोवियत राजनयिक की हत्या कर दी गई । दूसरा

राजनियक या तो चाक गया या गुम हो गया अथवा कहीं शरण ले ली। यह छुटपुट मामला नहीं है। 1982 से 1985 तक राजनयिकों से संबंधित इस तरह की बहुत-सी घटनाएं घटी हैं—बम्बई जा रहे एक राजनयिक की हत्या कर दी गई और एक राजनयिक की आते समय हत्या कर दी गई। अतः समस्या यह है कि दिल्ली स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और झगड़े का केन्द्र बनती जा रही है। यह रिपोर्ट प्रशंसनीय नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की क्या नीति तथा योजना है ?

राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने इस आतंक से निपटने के लिए बहुत-सी सिफारिशें की थीं लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। जापान तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे विदेशी राष्ट्रों में सन्देहशील अपराधियों के अंगुलियों के निशान ले लिए जाते हैं तथा कोई भी घटना घटने से पहले मामला तैयार कर लिया जाता है अर्थात जांच से सम्बन्धित बुनियादी तथ्य तैयार कर लिए जाते हैं। स्वभावतः अपराध होते ही अपराधी का तत्काल पता चल जाता है। लेकिन हमारे यहां अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है। मेरा निवेदन है कि गृह मंत्रालय इस पर जरूर विचार करे। वह राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को अवश्य कार्यान्वित करे।

अन्य पहलू जिस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा वह है इस देश में अलगाववादी गतिविधियों से कैसे निपटा जाए। मैं पहले कश्मीर की बात करूंगा। वहां अनेक राष्ट्रविरोधी तत्व हैं जो बहुत सक्रिय हैं। पाकिस्तानी समर्थक तत्व सक्रिय हैं। इस बारे में सभी जानते हैं। हम रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि पंजाब से बहुत से लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, उन्हें वहां प्रशिक्षण देकर विघटनकारी गतिविधियों के लिए वापस भेजा जा रहा है। मैं 20 जुलाई के हिन्दुस्तान टाइम्स का उल्लेख कर रहा हूं। जब फारुख अब्दुल्ला को हटाया गया था तो वहां किस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी, मैं इसके एक ही पैरा को उद्धृत कर रहा हूं :

> "हैरानी की बात है कि जब डा० अब्दुल्ला भीड़ को सम्बोधित कर रहे थे तो पाकिस्तान समर्थक नारे सुनाई दिए। पुलिस ने 5 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया जो टैक्सी में जा रहे थे और पाकिस्तान समर्थक नारे लगा रहे थे।"

यह रिपोर्ट 20 जुलाई को प्रकाशित हुई है। मैंने 1984 में मार्च महीने में गृह मंत्री से प्रश्न पूछा था और उन्होंने बताया कि सरकार बहुत सतर्क है। मैं उसे भी उद्धृत कर रहा हूं। यह दिनांक 7-3-1984 का अतारांकित प्रश्न सं० 1711 था।

> "गतिविधियों में अलगाववादी गतिविधियां भारत विरोधी प्रदर्शन, हिंसा की प्रथा आदि शामिल हैं। भारत सरकार ऐसे मामलों में राज्य सरकार के साथ लगातार पत्र-व्यवहार करती रहती है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में हाल में राष्ट्र विरोधी संगठनों कुछ सदस्यों/क्रियावादियों और कुछ अन्य विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करना आरंभ कर दिया है। भारत सरकार स्थिति पर निकट से निगरानी रखे हुए है।"

राज्य सरकार मार्च के महीने में स्थिति पर निगरानी रख रही थी और 28 जुलाई को प्रदर्शन हुआ, इतना ही नहीं। कुछ विपक्षी नेताओं की क्या भूमिका है ? कुछ विपक्षी नेताओं का व्यक्तियों से नहीं बल्कि विघटन तथा अव्यवस्था फैलाने से अपवित्र गठबंधन है। मैं उद्धृत कर रहा हूं कि श्री जार्ज फर्नांडीस की भूमिका क्या है। वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हमें कोई आपत्ति नहीं है । आप उद्धृत करें।

श्री बृज मोहन महन्ती : वस्तुतः यह मामला चर्चा के अन्तर्गत की गई मांग के लिए बहुत प्रासंगिक है । मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

"जनता पार्टी के सूत्रों के अनुसार श्री फर्नांडीस को कल जम्मू से वापस जाना था किन्तु डा० फारुख अब्दुल्ला की बर्खास्तगी पर जनता पार्टी की श्रीनगर यूनिट में हुए मतभेदों के कारण उन्हें स्थानीय नेताओं से विचार-विमर्श के लिए श्रीनगर लौटाना पड़ा।"

प्रो० मधु दंडवते : तो क्या हुआ ?

श्री बृज मोहन महन्ती : जनता पार्टी की कश्मीर यूनिट ने बर्खास्तगी का समर्थन किया था । वह वहां धारा 144 का उल्लंघन करने गए थे । लेकिन दुर्भाग्य से उनके वहां पहुंचने तक स्थिति सामान्य हो गई । कुछ विपक्षी नेता इस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं । इतने सालों के दौरान विपक्षी नेता तरह का व्यवहार कर रहे हैं । जम्मू तथा कश्मीर की यह स्थिति है ।

जहां तक अनुच्छेद 370 का सम्बन्ध है क्या इस बात की जांच की जा रही है कि यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की भारत के प्रति निष्ठा में सहायक हो रहा है या इसके विपरीत ? क्या इस पहलू की जांच की गई है ।

मैं भारत सरकार को अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की सलाह नहीं दूंगा । परंतु मेरा निवेदन यह है कि जम्मू तथा काश्मीर में जितनी भी देशभक्त शक्तियां हैं वे इकट्ठी हो जाएं तथा इस पर विचार करें तथा अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए एक वातावरण तैयार करें । आज की आवश्यकता यही है । यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, मेरे दल का विचार नहीं है । जब तक अनुच्छेद 370 रहेगा, एकीकरण की प्रक्रिया में दिक्कतें आती रहेंगी ।

अन्त में, राजनीतिक दलों के लिए आचरण संहिता बनाने के बारे में इस प्रतिवेदन में किसी बात का उल्लेख नहीं है । एक बार की बात है कि मैंने गृह मन्त्री से प्रश्न पूछा तथा उन्होंने जवाब दिया कि राष्ट्रीय एकता परिषद की तीसरी बैठक में कुछ सहमति हुई थी तथा मानने को राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों को भेजा गया था तथा उनकी राय अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । जिसको हमें याद रखना चाहिए, वह है भारी जनादेश जो कि कांग्रेस दल को मिला । इस भारी जनादेश का मतलब क्या है ? यह एक स्पष्ट जनादेश है कि भारत के लोग देश की एकता तथा अखण्डता बनाए रखने के लिए एक है । उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए श्री राजीव गांधी में अपना मत तथा पूरा विश्वास प्रकट किया है । आप जानते हैं कि कितने कम दिनों में एक दल से दूसरा दल बदलने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है। इसीलिए राजनीतिक दलों के लिए आचरण संहिता बनाने के मामले में गंभीरता से विचार किया जा सकता था ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस मन्त्रालय की मांगों के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसकी विश्वसनीयता आज कम हो गई है ।

इस तथ्य से कि पिछले एक वर्ष के दौरान पंजाब तथा दूसरे राज्यों में उपद्रवों पर काबू पाने के लिए कई बार अर्ध-सैन्य बलों तथा सेना को बुलाना पड़ा इस बात का पता चलता है कि इस मन्त्रालय का कार्य कितने निम्न स्तर का रहा है।

इस दल ने, जिसकी आजकल सरकार है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पंजाब की स्थिति को और बिगड़ने दिया। लोक सभा चुनावो के दौरान इसका काफी सबूत मिला है।

हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार प्रधान मन्त्री ने स्वयं प्रचार में विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने आनन्दपुर साहिब का समर्थन किया है, जो कि हमने सदन के अन्दर या बाहर कभी नहीं किया है। प्रधान मन्त्री अपने शब्दों से मुकर गए हैं और यह कहते हैं कि एक या दो खण्डों या पहलुओं को छोड़कर आनन्दपुर साहिब संकल्प में ऐसी कोई गलत बात नहीं है।

पंजाब तथा हमारे देश के अन्य भागों में जिस स्थिति का आजकल हमें सामना करना पड़ रहा है उसे पैदा करने के लिए यह सरकार जिम्मेदार है, जिससे हमारे देश की अखण्डता तथा सुरक्षा को खतरा है।

पंजाब में 'आपरेशन ब्ल्यू स्टार' के बाद तथा श्रीमती गांधी की हत्या के बाद राजधानी में जो भी दुःखद घटनाएं हुई हैं वे विशेषकर युवा सिक्खों के लिए कटु स्मृतियां छोड़ गई हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पंजाब की समस्या सुलझाने के लिए गम्भीरता से विचार कर रही है ?

सरकार को पंजाब की समस्या से दो तरीके से निपटना चाहिए। मैं 30 वर्ष से कम उम्र के युवा सिखों तथा विदेशों में रहने वाले सिखों जो अधिक सख्त हैं, उनमें तथा दूसरे सिख समुदाय में जो या तो व्यापारी हैं, या किसान हैं या जो पंजाब से बाहर रहते हैं, उनमें अन्तर स्पष्ट करना चाहूंगा। 30 वर्ष से कम उम्र के सिख नवयुवक, जो हाल ही में उनके समुदाय के विरुद्ध जो कुछ हुआ उसका अब बदला लेना चाहते हैं, एक भिन्न श्रेणी में आते हैं। विदेशों में रहने वाले सिख इस मामले पर अपना सख्त रवैया अपना रहे हैं। सरकार को सिखों के उस वर्ग, जो राष्ट्र में मुख्य धारा के एक अंग के रूप में रहना चाहते हैं, के साथ बातचीत करके समस्या का कोई मैत्रीपूर्ण हल निकालने का प्रयास करना चाहिए।

इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पंजाब संकट के दौरान अनेक संख्या में सिख सेना छोड़कर आ गए थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कट्टर हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी सिख हैं, जो भावावेश में आकर गुप्त रूप से कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल गए जो सेना से भागे थे। जहां तक इन सिखों का संबंध है, उनके विरुद्ध सेना द्वारा संक्षिप्त मुकदमा चलाया जा रहा है। उनमें से 10,000 हैं, तथा मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कम-से-कम उनके साथ जो भावोवेश में आकर उन लोगों के साथ मिल गए उसी तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि जैसा कि इन लोगों के साथ, जो ऐसा रुख अपनाने वाले लोगों को भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं। जहां तक हमारे देश के राजनीतिक इतिहास का प्रश्न है, सिख बहादुर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान लड़ाई लड़ी। सिख भारत से अलग नहीं हैं। वे राष्ट्रीय मुख्य धारा का एक अंग रहे हैं।

मुझे पूरी आशा है कि सरकार उन सिखों के साथ, जो अभी भी अपने आप को इस राष्ट्रीय मुख्यधारा के एक अंग के रूप में रहना चाहते हैं तथा देश के विकास सम्बन्धी कार्यों में ये सहायक बनना चाहते हैं, समझौता करने का गंभीर प्रयास करेगी।

सन् 1979 से आसाम में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वह अभी भी जारी है। आसाम की समस्या शुरू हुए 5-6 वर्ष हो गए हैं। लेकिन अभी तक स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। वहां बन्दूक की नोक पर चुनाव कराए गए। विधान सभा तथा लोकसभा के सदस्य बहुत कम वोटों से चुने गए। कम-से-कम अब स्थिति ठीक है तथा समय पर समाधान किया जा सकता है। परन्तु ऐसा करने से पहले आपको विधान सभा भंग करनी चाहिए तथा इस सरकार को हटाना चाहिए जो अलोकतन्त्रीय, असंवैधानिक तथा गैर कानूनी ढंग से बनायी गई है। यह सरकार आसाम के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है या जब तक यह सरकार रहती है तब तक मेरे विचार से आसाम की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। मैं गृह मन्त्री से अपील करूंगा कि वह शीघ्र ऐसे आवश्यक उपाय करें तथा कदम उठाएं कि आसाम में निष्पक्ष चुनाव हो सकें तथा वर्तमान सरकार को यथाशीघ्र हटाया जा सके।

यह दुर्भाग्य की बात है कि हाल ही में प्रधान मंत्री ने सभी राष्ट्रीय विपक्षी दलों तथा विपक्षी नेताओं पर राष्ट्रविरोधी होने का आरोप लगाया है। अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए हमें प्रधान मन्त्री या किसी और के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस सदन के सभी सदस्य देशभक्त हैं तथा यह सच है जिस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि इस तरह का रवैया सहायक नहीं होगा। आप विपक्ष को राष्ट्रविरोधी नहीं कह सकते या यह नहीं कह सकते कि विपक्ष जो भी करता है उससे देश की अखण्डता तथा सुरक्षा को खतरा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब यह सरकार सत्ता में थी तब इसने इस तरह की स्थिति पैदा की तथा इसी स्थिति से आज देश की अखण्डता तथा सुरक्षा को खतरा है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं, तथा यदि इसका मुकाबला ठीक तरह से नहीं किया गया तो हमें अलगाववादी शक्तियों का पहले से भी अधिक कड़ाई के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। उस स्थिति के आने से पहले हमें शीघ्र ही आवश्यक उपाय करने चाहिए, ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके।

पिछले एक वर्ष के दौरान हमने यह देखा है कि केन्द्रीय सरकार हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धान्तों को पूरी तरह से कुचलने का प्रयास कर रही है। जम्मू तथा काश्मीर में दल-बदल कराया गया। अब दल-बदल विरोधी विधेयक पारित कर दिया गया है। इस दल-बदल विरोधी विधेयक का यदि यह सरकार कोई महत्व समझती है तो इसे जम्मू तथा कश्मीर की सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए तथा विधान सभा को भंग करके चुनाव कराने चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में जिस तरीके से एन० टी० रामाराव की वैध रूप से बनी सरकार को गिराने के लिए जो घृणित तमाशा हुआ था उसे दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं है। फिर जो घटना कर्नाटक में घटी उसके बारे में भी सदन को पता है तथा इस पर पिछली लोक सभा में चर्चा भी हुई थी—मेरा मतलब 'मोइले टेप' घटना आदि से है। इससे बुरी स्थिति सिक्किम की थी जहां वैध रूप से बनी सरकार, जो कांग्रेस (इ) का प्रतिनिधित्व करती थी, इसलिए गिराई गई, क्योंकि वह केन्द्रीय सरकार के इशारे पर नहीं चल रही थी। ये ही विभिन्न पहलू हैं जो हमने देखे हैं। सरकार अपनी सुविधा तथा स्वार्थ के मुताबिक विभिन्न दृष्टिकोण अपनाती रही है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा कि यदि इसने यह क्रम जारी रखा तो उन्हें एक अपरिहार्य स्थिति का सामना बहुत समय के बाद नहीं, बल्कि शीघ्र ही करना पड़ेगा।

इस सरकार की असफलता, जहां तक इसकी आसूचना सेवाओं का सम्बन्ध है, इस बात से

स्पष्ट हो जाती है कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री की हत्या अपने ही निवास स्थान पर किस प्रकार से की गई। यह तथ्य कि केन्द्र में सबसे बड़े कार्यालय, जहां से देश के सम्पूर्ण प्रशासन पर नियन्त्रण रखा जाता है, में जासूसी गतिविधियां चल रही हैं, इस बात का पूरा सबूत है कि यह देश 'इस सरकार या पिछली सरकार जैसा भी हो, के हाथों में कितना सुरक्षित है।

एक दूसरा तथ्य, जो देश के अन्य भागों से आए सदस्यों को क्षुब्ध कर रहा है—कुछ राज्यों जैसे बिहार तथा उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने का तरीका है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में चुनाव के दौरान 200 से 300 तक लोग मारे गए। यदि यह सरकारी रिपोर्ट है तो कोई भी यह कल्पना कर सकता है कि बिहार में चुनाव के दौरान कितनी मौतें हुई होंगी। यह प्रक्रिया बजाय इसके कि इसे रोका जाए या इस पर नियंत्रण रखा जाए और फैल रही है। यदि यह क्रम जारी रहा या बढ़ता गया तो मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र का कोई मतलब या अर्थ नहीं होगा और यदि चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े गए कि कोई कितनी मतपेटियों या मतदान केन्द्रों पर कब्जा करता है तो हमें लोकतन्त्रीय शासन के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। यही अवसर है जबकि कुछ चुनाव सम्बन्धी सुधार किए जाएं। चुनाव सम्बन्धी सुधारों पर बात करते हुए, मैं यह जानता हूं कि यह प्रत्येक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि वे चुनावों को सुचारू रूप से कराने में सहयोग करें, हाथ बटाएं, परन्तु मेरे विचार से इस दिशा में सत्तारूढ़ दल को पहल करनी चाहिए।

देश के सभी भागों में अशान्ति तथा हिंसा का वातावरण धीरे-धीरे पनपता जा रहा है। असम से लेकर पंजाब तक सभी जगह गड़बड़ी और अशांति का वातावरण है। गृह मंत्रालय ने स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए सीमा सुरक्षा बल अथवा केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल या फौज की सेवाओं को लेकर या अधिक हुआ तो मुख्य मन्त्री को बदलकर या किसी राजनीतिज्ञ अथवा नौकरशाह को बलि का बकरा बनाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। परिस्थिति का लाभ उठाकर आप उन लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते जिन्हें आप पसंद नहीं करते। सरकार यही कर रही है मैं हृदय से और पूरी निष्ठा से चाहता हूं कि श्री चह्वाण, जिन्होंने गृह मन्त्रालय का कार्य सम्हाला है, हमारे देश में इन समस्याओं की गम्भीरता को अनुभव करेंगे और हमें उचित दिशा निर्देश देंगे तथा पिछले कुछ वर्षों में जो नीति अपनाई जा रही है उससे कुछ हटकर कार्य कर दिखायेंगे।

*श्री एल० बलरामन (वन्डावासी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे इस वाद-विवाद में और गृह मन्त्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं संक्षेप में बोलूंगा और इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करूंगा।

हमारे देश में असम की अव्यवस्थित स्थिति, पूर्वोत्तर भागों में उग्रवादियों की गतिविधियां, श्रीलंका में जातीय उपद्रवों के कारण शरणार्थियों की बढ़ती हुई संख्या, साम्प्रदायिक दंगे, विद्यार्थी असंतोष आदि अनेक समस्याएं हैं। हमारे गृह मन्त्री पर यह दायित्व है कि वह इन समस्याओं से निपटें जिनसे राष्ट्रीय अखण्डता को खतरा पैदा होता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गृह मन्त्री में नेतृत्व के अनेक अन्तर्जात गुण विद्यमान हैं और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

इन समस्याओं के बारे में गृह मन्त्री के दृष्टिकोण की देश में समाचार पत्रों ने प्रशंसा की है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि श्री चह्वाण देश को सब राजनैतिक और सामाजिक बुराइयों से मुक्त कर देंगे।

हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रीय एकता के लिए जीवन की कुर्बानी दे दी। इस महान नेता द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्यों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। उनके शासन काल में विपक्षी दलों का 'इन्दिरा हटाओ' ही एकमात्र राजनैतिक मुद्दा था। यह भाग्य की विडम्बना ही है कि आज वह एकदम से हमारे बीच में से उठ गई हैं। मैं विपक्षी पार्टी के नेताओं से अपील करता हूं कि उन्हें संकीर्ण राजनैतिक दृष्टिकोण छोड़ देना चाहिए। देश के भविष्य का निर्माण ही उनकी चिन्ता का विषय होना चाहिए। दलीय राजनीति से वे राष्ट्रीय समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं जिनका मैंने शुरू में उल्लेख किया है। मैं विपक्षी दलों से प्रार्थना करता हूं कि वे राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण और उचित दृष्टिकोण अपनाएं अन्यथा राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता।

अपने इतने थोड़े समय के कार्यकाल में ही हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने राष्ट्र की समस्याओं को हल करने के लिए अद्भुत प्रतिभा और यथार्थता का परिचय दिया है। जनसाधारण के प्रति उनके मन में जो चिन्ता है उससे वे सारे राष्ट्र में लोकप्रिय हो गये हैं। राष्ट्र के हित में हम सबको उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। हमारे देश में विश्व के समक्ष विविधता में एकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमें विविधता में एकता की इस भावना को राजनीति में भी समावेश करना चाहिए। हमारे विपक्षी दलों को इन समस्याओं को हल करने में राष्ट्रीय सहमति पैदा कर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये।

इस समय श्रीलंका में लगातार जातीय हिंसा के कारण तमिलनाडु में शरणार्थियों की समस्या पैदा हो गई है इससे श्रीलंका से आये लोगों के पुनर्वास की समस्या काफी विषम हो गई है। जब ये लोग रामेश्वरम् में आते हैं तो उन्हें नए वातावरण का सामना करना पड़ता है। यहां उन्हें नया जीवन शुरू करना पड़ता है। तमिलनाडु में चाय बागान और कॉफी बागान में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। हम तुरन्त नए चाय बागान नहीं लगा सकते हैं। इसमें समय लगता है किन्तु इन लोगों को रोजगार का साधन तुरन्त चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि तमिलनाडु के वित्तीय साधन बहुत कम हैं। तमिलनाडु सरकार इन लोगों के पुनर्वास पर भारी रकम खर्च करने की स्थिति में नहीं है। तीस नवम्बर, 1984 तक 94,116 परिवारों को बसाया जा चुका है। अब तक 80,551 परिवार तमिलनाडु में बसाये गये हैं और शेष 4,565 परिवार कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, पांडिचेरी तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बसाये गए हैं। तमिलनाडु, पांडिचेरी और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह के अतिरिक्त पुनर्वास की ये परियोजनाएं अन्य राज्यों में सफल नहीं हुई हैं। श्रीलंका से लौटने वाले लोग यहां अनुकूल सामाजिक वातावरण और जलवायु का अभाव अनुभव करते हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में केवल 64 परिवार बसाए गए हैं। इन लोगों के पुनर्वास के लिए अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह सर्वथा उपयुक्त है। गृह मन्त्री को प्रयत्न करना चाहिए कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में अधिक लोग बसाए जा सकें।

अभी मैंने निवेदन किया कि तमिलनाडु में शरणार्थी समस्या ने विशाल रूप धारण कर लिया

है। इनमें हमें उन लोगों की संख्या को भी मिलाना है जिन्होंने शिविरों में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है और जो तमिलनाडु में अपने सम्बन्धियों के यहां चले गए हैं।

अतः यह आवश्यक है कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में अधिक लोग बसाए जाएं। भारत में इन लोगों के प्रवेश के पश्चात् इन्हें भिखारी बनने से बचाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है।

रामेश्वरम् में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा इन्हें परेशान करने की भी बड़ी समस्या है। वे सब शरणार्थियों को तस्कर समझते हैं, इनकी सख्ती से जांच की जाती है और अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। गृह मन्त्री को यह देखना चाहिए कि सीमा-शुल्क अधिकारी इन लोगों के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाएं। इन असहाय व्यक्तियों के प्रति उदारता का व्यवहार किया जाना चाहिए।

मेरा यह भी सुझाव है कि तमिलनाडु में केन्द्रीय विद्यालयों में श्रीलंका से लौटकर आने वाले व्यक्तियों के बच्चों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित करने चाहिये। इनमें जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए पृथक् रोजगार कार्यालय स्थापित करने का भी मेरा सुझाव है।

गृह मन्त्री जी इस बात से सहमत होंगे कि लोकतन्त्र का एक प्रमुख सिद्धान्त समता है। हमारे यहां सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें हैं किन्तु दुर्भाग्य है कि जनता द्वारा निर्वाचित विधान सभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत के संविधान में समुचित संशोधन करके इस असमानता को दूर किया जाये। मुझे विश्वास है कि गृह मन्त्री जी इस पर व्यक्तिगत रूप में ध्यान देंगे और देश में लोकतांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ करने में सहायता करेंगे।

राष्ट्र की स्वतंत्रता और प्रभुता की रक्षा का दायित्व थल सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौ सेना पर है। इसी प्रकार देश की भीतरी अखण्डता का उत्तरदायित्व पुलिस पर है। लेकिन यह दुःख की बात है कि पुलिस कर्मचारियों को सैनिकों के समान वेतन भत्ते आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। पुलिस कर्मचारियों को सब बुनियादी सुविधायें देकर उन्हें सन्तुष्ट रखना चाहिए। जब तक पुलिस देश में कानून और व्यवस्था बनाये नही रखती तब तक देश की एकता को खतरा हो सकता है। माननीय गृह मन्त्री को पुलिस बल की जरूरतों की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए।

मुझे मालूम हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से मन्त्रालय में एक लाख ग्यारह हजार अर्जियां प्राप्त हुई हैं, और इनमें से अब तक 36,000 अर्जियों का ही निपटान किया गया है। मैं चाहता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर करने सम्बन्धी शीघ्र कार्यवाही की जाए।

राजभाषा अधिनियम 1963 में अधिनियमित किया गया था; इसमें 1967 में संशोधन किया गया। 1976 में एक राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अभी तक सरकार को रिपोर्ट पेश नहीं की है। यह काम शीघ्र होना चाहिए। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि मनीआर्डर के फार्म और रोजमर्रा में काम आने वाले दूसरे फार्मों में केवल हिन्दी और अंग्रेजी में ही लिखा रहता है। जो लोग हिन्दी भाषी क्षेत्र में नहीं रहते हैं उन्हें बड़ी कठिनाई होती है, अतः डाक-तार विभाग को इस प्रकार के दैनिक प्रयोग के फार्म राज्यों की

भाषा में भी छापने चाहिए। मैं गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव 39 इस प्रकार है :

"आरक्षण नीतियों की अखिल भारतीय स्तर पर पुनः जांच करने की आवश्यकता।"

आप हमारे देश में दुर्भाग्य से अन्तरजातीय गृह युद्ध फिर उभरता दिखाई दे रहा है। इसका मूल कारण यह है कि हमने इस विषय को निर्लज्जतापूर्वक राजनैतिक स्वरूप दे दिया है। प्रत्येक ग्रुप और प्रत्येक दल में अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है। अत्यधिक संख्या में आरक्षण देने के लिए विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को अधिकाधिक आरक्षण देने के लिए राजनैतिक स्तर पर बहुत कुछ किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय का न केवल व्यवसायिक तौर पर अपितु अपने समुदाय के मान्य राजनीतिक नेता की हैसियत से भी इस समस्या का अध्ययन किया है। कुछ समय पहले मैंने अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ की ओर से उच्च न्यायालय में पैरवी की थी। मैं प्रमुख अधिवक्ता था; अन्य अधिवक्ता भी उसमें थे। यह रेलवे कर्मचारियों की एक शक्तिशाली यूनियन का मामला था। इसका निर्णय 1981 एस० सी० 274 में दर्ज है। मैंने मुकदमा इस शर्त पर लिया था वे चाहते थे मैं आरक्षण का पूर्ण रूप से विरोध करूं। मैंने कहा कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं; मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का विरोध नहीं करूंगा। संविधान सभा के सदस्य के रूप में यह निर्णय लेने में मैं भागीदार हूं। मैंने उनसे कहा कि आप भले ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध न रखते हों परन्तु इस कथन में कोई अपराध नहीं है कि शताब्दियों से यह लोग हिन्दू धर्म द्वारा शोषित किए गए हैं और इतनी शताब्दी तक किए गए अपने पापों का अब हिन्दुओं को प्रायश्चित करना चाहिए। मैं तो पदोन्नति के समय आरक्षण लागू किए जाने का विरोध करूंगा। और हुआ क्या— हमने पांच न्यायाधीशों की एक बैंच के लिए कहा था। दुर्भाग्य से इस निर्णायक विषय पर न्यायाधीशों में हमेशा मतभेद रहा है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने कभी भी एकमत से अपना निर्णय नहीं दिया। यह दुर्भाग्य है। मैंने, वकीलों ने तथा अन्य लोगों ने भी कहा है कि मामले को पांच न्यायाधीशों को सौंपा जाए। हम पीठासीन न्यायाधीश के पूर्वाग्रहों को जानते हैं। मुझे कहते हुए खेद है कि उन्होंने इसे नहीं माना। तत्पश्चात दो अन्य न्यायधीशों ने पदोन्नति की पुष्टि की। एक न्यायाधीश ने मेरे तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि पदोन्नति संविधान के अनुच्छेद 335 की भावना के विरुद्ध है तथा आरक्षण के कारण सेवाओं में कुशलता का ह्रास करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस पर अपना निर्णय देते समय पीठासीन न्यायाधीश ने रंगाचारी मामला सं० 1962 एस० सी० का अवलम्बन लिया। परन्तु इस मामले में पांच न्यायाधीशों में से दो न्यायाधीशों ने अत्यन्त विस्तार से कारण बताते हुए विसहमति प्रकट की। उच्चतम न्यायालय में योग्यतम न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति वाञ्चू के निर्णय में से मैं दो पैरे उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा कि :—

"वैध हितों का नुकसान करने के लिए आरक्षण को अवैध तरीके से प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पदोन्नति के मामलों में भी

आरक्षण बनाए रखने में निश्चित रूप से कार्य कुशलता में कमी होगी।"

बालासुब्रह्मण्यम मामले में पीठासीन न्यायाधीश स्वयं अपने ही निर्णय को भूल गए। मैं इस सदन से उसकी सराहना करता हूं—उन्होंने मामला संख्या 1980 एस० सी० 482 में जो कहा मैं उसे पढ़ देता हूं—

"जब अनेक लोग अथवा व्यक्ति एक ही सेवा के सदस्य बन जाते हैं तब वे सब बराबर हैं। जब वे एक सेवा में आ जाते हैं अब उन्हें असमान नहीं माना जा सकता।"

और यह उनके तर्क का निर्णायक भाग था :—

"एक बार एक सेवा में प्रविष्ट हो जाने के पश्चात् समान स्तर वालों के साथ असमान व्यवहार करना जातीय पृथकता का सबसे घिनौना रूप है।"

और आजकल यही सब हो रहा है—इन पदोन्नति संवर्ग बनाने के कारण जातीय पृथकता का घिनौना रूप सामने आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा एक न्यायाधीश ने मेरे तर्कों को स्वीकार किया तथा उन्होंने कहा, नहीं, पदोन्नति के मामलों में आरक्षण नहीं होना चाहिए। परन्तु सबसे बुरी बात यह हुई कि केवल मैं ही एक ऐसा आदमी था जिसे इस बात का पता था। मैं संविधान सभा का सदस्य था। मेरा विशेष कोटा था लेकिन अनुसूचित जातियों से कुछ भिन्न किस्म का था परन्तु एंग्लो-इंडियन्स के लिए आरक्षण कोटा था। सरदार पटेल जैसी हैसियत के व्यक्ति ने ही संविधान की एक मात्र उचित व्याख्या की है। संविधान की यह उचित व्याख्या सरदार पटेल ने 13-9-1950 के उस संकल्प में की (सरदार पटेल द्वारा हस्ताक्षरित भारत सरकार का संकल्प)। "विभिन्न जातियों (यथा एंग्लो-इंडियन, अनुसूचित जाति आदि जातियों) के पक्ष में रिक्तियों के आरक्षण सम्बन्धी आदेश उन पदोन्नति द्वारा की जाने वाली भर्तियों के विषय में लागू नहीं होंगे जो इसके पश्चात बिना किसी जातीय आधार पर तदा वरीयता और/अथवा योग्यता जैसा भी मामला हो, के आधार पर की जाएंगी।" उन्होंने इस संकल्प को भी उद्धृत नहीं किया जो कि पहला और उचित संकल्प था। तब से लेकर आज तक ऐसे लोग इस संकल्प की गलत व्याख्या करते रहे हैं जिन्हें अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करना था। मैंने न्यायाधीशों से कहा तथा यहां भी कह रहा हूं, "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके आरक्षित पद दो—मैं समझता हूं अनुसूचित जातियों के लिए यह लगभग 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए लगभग 7½ प्रतिशत है। उन्हें डिग्री स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दो परन्तु पदोन्नति के मामले में भगवान के लिए यदि आप इस देश में धर्मनिरपेक्षता के आभास मात्र को भी नष्ट करना नहीं चाहते तो जाति को ही एकमात्र मानदण्ड मत बनाओ।" मैंने अनेकानेक मामले प्रस्तुत किए हैं तथा मैं आपको एक अनुसूचित जाति तथा एक गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का विलक्षण उदाहरण देता हूं। मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान है। मेरी जाति का रेलवे से बड़ा वास्ता है। एक फायरमैन के रूप में नौकरी प्रारम्भ करने के पश्चात ए-ग्रेड मेल ड्राइवर के पद तक पहुंचने में औसतन 20 से 25 वर्ष लगते हैं। परन्तु रेलवे में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने फायरमैन के रूप में नौकरी प्रारम्भ की तथा पांच ही वर्षों में वह स्पेशल ए-ग्रेड मेल ड्राइवर बन गया। मैंने न्यायालय में क्या कहा? यदि आप इसकी पुष्टि करते हैं तो क्या आप पक्षपात की पुष्टि नहीं करते? इस तरह क्या आप पक्षपात की पुष्टि नहीं करते? क्या आप घोर अपराधिता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं? एक व्यक्ति पांच वर्षों में स्पेशल

ए-ग्रेड मेल ड्राइवर कैसे बन सकता है ? आप ऐसे व्यक्ति को सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जिन्दगियां सौंप रहे हैं जो कि एकदम कनिष्ठ एकदम अनुभव शून्य है। परन्तु हुआ कुछ नहीं है। यह सब चलता रहा है। परन्तु हम देखते हैं आज क्या हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इसके पीछे पड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति पिछड़े वर्ग में छलांग लगा रहा है, पिछड़ी जाति की बन्द गाड़ी में टोलियों में शामिल होना चाहता है। वे इस तरह सोचते दिखाई देते हैं जैसे कि पिछड़ी जाति का होना गौरव की बात हो। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मेरे पास कुछ पिछले आंकड़े हैं। इनकी संख्या 1930 और 1950 के बीच दुगनी होकर 130 हो गई है। मण्डल आयोग ने एक छत्र तान दिया, जिसके नीचे समाज का निम्न वर्ग लगभग 3743 तथाकपित पिछड़ी जातियों का ढेर लग गया। उन्होंने कहा कि इस निम्न वर्गों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त राष्ट्र का 52 प्रतिशत समाज आ जाता है। वे आरक्षण का कोटा लगभग 75% करना चाहते थे। आप बाकी राष्ट्र के साथ क्या करेंगे। आप उन्हें दूसरी तरह से अछूत बना देंगे। आजकल यह सब हो रहा है। कुछ राज्य इस दिशा में अन्धे होकर दौड़ रहे हैं क्योंकि अत्यन्त दुर्भाग्य से उनका शासन तथाकथित पिछड़े वर्ग के लोगों के हाथ में है। और ये लोग आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से अत्यधिक शक्ति सम्पन्न लोगों में से हैं। तमिलनाडु में वे 68% तक पहुंच गए हैं। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने यह कहा। मेरी जाति के सम्बन्ध में क्या हुआ, मैं वह बताता हूं। मैं इसे स्वयं के पक्ष में मानता हूं। परन्तु मैं उनका विरोध करता हूं। कुछ लोगों के हितों पर केरल के 'पारांगी' जाति के लोगों के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा। वे ईसाइयों की एक पिछड़ी जाति के हैं। वे खिचड़ी पकाना भी चाहते हैं और खाना भी चाहते हैं। वे विधान मंडल में एंग्लो-इंडियन वर्ग का स्थान हथियाना चाहते हैं। परन्तु वे अपने को पिछड़ी जाति भी मानते हैं। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के पास एक प्रतिनिधिमंडल लेकर गया और कहा, "मैडम आप हमारा अपमान नहीं करेंगी; आप मेरी जाति पर पिछड़ी जाति का ठप्पा नहीं लगायेंगी। यहां प्रत्येक जाति कमजोर है परन्तु आप हमारी पूरी जाति पर पिछड़ी जाति का ठप्पा नहीं लगायेंगी।" तथा श्रीमती गांधी ने उस ऐसोसिएशन, जिसका मैं भी एक निर्वाचित सदस्य हूं, के शताब्दी समारोह को सम्बोधित करते हुए अक्तूबर, 1976 में कहा था कि 'एंग्लो-इंडियन समुदाय द्वारा पिछड़े वर्ग जैसे किसी लेबल की मांग न करना प्रशंसनीय है और राजनीति-भता है। 'पिछड़ा वर्ग' एक ऐसा शब्द है जिसे मैं सामाजिक स्थितियों के शब्दकोष से हटा देना चाहूंगी।" मेरी भी ऐसी ही उत्कट भावना है। ऐसा काफी पहले हो जाना चाहिए था।

4.00 म० प०

संविधान के अनुच्छेद 46 में विशेष रूप से भारत के कमजोर वर्गों के लिए उपबन्ध है। यदि आपको धर्म निरपेक्षता और प्रजातन्त्र का तनिक भी लिहाज है तो शब्द "कमजोर वर्ग" ही होना चाहिए। प्रत्येक जाति में 'कमजोर वर्ग' होता है, वह चाहे ब्राह्मण जाति हो अथवा एंग्लो-इंडियन। आप क्या कर रहे हैं ? आप उनको इससे अलग रख कर अन्य जातियों के ऐसे लोगों को, जो तथाकथित कमजोर वर्ग में नहीं आते हैं जो इतने स्वाभिमानी हैं कि अपने को घटिया दर्जा नहीं देते परन्तु वे आर्थिक और वित्तीय पिछड़ेपन में और धकेल रहे हैं, इससे बुरा क्या होगा ? मैं इसका भी खुलासा करना चाहूंगा क्योंकि मैं लगातार ऐसे मामले देखता आ रहा हूं।

मैंने हजारों रुपए दान में दिए हैं तथा एक बहुत बड़े शैक्षिक ट्रस्ट का निर्माण कराया जिसकी बदौलत बहुत से एंग्लो-इंडियन उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वे 80 अथवा 85% अंक प्राप्त

करके भी व्यवसायिक अथवा इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश नहीं पा सकते तथा उन्हें सड़कों पर घूमना पड़ता है जबकि वे देखते हैं कि 30-33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को भी इन कालेजों में प्रवेश मिल रहा है। आप क्या समझते हैं, उन्हें कैसा लगता होगा ? जो माता-पिता खर्च वहन कर सकते हैं वे उन्हें विदेश भेज देते हैं बाकी को इसलिए सड़कों को धूल फांकनी पड़ती है क्योंकि वे आरक्षित समुदाय से सम्बन्ध नहीं रखते। जो विदेश जाते हैं वे अत्यधिक विकसित देशों की कतार में पहले नम्बर पर आते हैं।

मुझे कहने दीजिए कि आज क्या हो रहा है। आज आप देश को पीछे ले जा रहे हैं। आप सेवाओं में पिछड़ापन ला रहे हैं। ये क्या हो रहा है। आज सेवाओं में कौन-सी सामान्य बात दिखाई पड़ती है।

सेवाओं में समानता है अकुशल लोगों की, जिनका प्रतिशत 35 प्रतिशत तक है। क्योंकि ये 35 प्रतिशत में हैं और वे भाग्यवान हैं क्योंकि उन पर पिछड़े वर्ग का ठप्पा लगा है, इसलिए सर्वोच्च पदों पर भी उनका वर्चस्व है, मैं इसे स्तर में गिरावट ही कहूंगा अतः यह अदक्षता सभी जगह शीर्षस्थ पदों पर भी परिलक्षित होती है।

मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह कि जो इंदिरा गांधी ने कहा उसे हमें अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 'पिछड़े' शब्द को ही हटा दो, आधे राष्ट्र के विरुद्ध पार्थक्यवाद को मिटा दो। आधा राष्ट्र पिछड़े वर्ग के लिए इस दुर्भाग्यपूर्ण आरक्षण के अन्तर्गत नहीं आता। आप कमजोर वर्ग को दलबदल में फेंककर उसे नष्ट करना चाहते हो। इन जातियों में सबसे योग्य व्यक्तियों को है कि उन्हें दल-दल में फेंका जा रहा है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण रखो परन्तु पदोन्नति के स्तर पर आरक्षण मत दो क्योंकि ऐसा करके आप कुशलता को नष्ट करते हैं तथा पार्थक्यवाद की स्थापना करते हैं। इन्दिरा जी ने जो कहा था कम से कम उसे तो अपनाओ। उन्होंने कहा था, "पिछड़े शब्द से मुक्ति प्राप्त करो और आर्थिक स्थिति की कसौटी पर सभी जातियों के कमजोर वर्गों को सहायता दो।"

श्री कुमर लाल बैठा (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रालय की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस सिलसिले में मैं यह बताना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय के कार्यकलाप इतने व्यापक हैं कि सम्भवतः कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो कि इसके कार्यकलाप से बचा हुआ है। अगर देश में शांति चाहें, सुव्यवस्था चाहें तो गृह मन्त्रालय की ओर देखना है और बिना इसके कोई प्रगति, कोई विकास देश में नहीं हो सकता है।

महोदय, आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मिला है, उसमें विधि व्यवस्था के अलावा संघ राज्य का विकास, पूर्वी उत्तरी कौंसिल के जरिए उत्तर पूर्व राज्यों का विकास, अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास का काम, केन्द्र राज्य संबंध का विकास का काम, स्वतन्त्रता सेनानी आदि जितने भी काम हैं, यह सब इस विभाग के जिम्मे हैं। इस दृष्टि से मैं यह कहूंगा कि इस विभाग को बहुत तत्परता से काम करना होगा क्योंकि देश के सारे विकास का काम इस विभाग के कार्य कलाप पर निर्भर करता है।

सबसे पहले विधि व्यवस्था की बात लें। इस प्रतिवेदन में यहीं नहीं बताया गया है कि प्रति सैंकड़े कितनी पुलिस की व्यवस्था हमारे देश में है। तरह तरह की पुलिस की व्यवस्था है। लेकिन प्रति सैंकड़ा कितनी है, इसका आंकड़ा नहीं दिया गया है। मगर हम लोगों का जहां तक

अनुभव है उसके अनुसार दुनिया के जितने देश हैं उनके यहां विधि व्यवस्था के लिए जितनी पुलिस की व्यवस्था है, हमारे हिन्दुस्तान में उसकी तुलना में बहुत कम है जबकि हमारा यह देश विकासशील देश है। किसी भी विकासशील देश में समस्याएं पैदा होती हैं और होती रहेंगी। हम जो विकास का काम अपने देश में करते हैं, मान लीजिए जैसे हम भूमिहीनों को भूमि देने का काम करते हैं, उसके लिए हमने भूमि हदबन्दी का कानून पास किया, हम जमीन लेते हैं जमीन वालों से और भूमिहीनों को उस जमीन का बन्दोबस्त करते हैं। बस, वहीं पर विधि व्यवस्था की बात आ जाती है। जिनकी जमीन ली गई है उनके मन में आक्रोश पैदा होता है, उनको लगता है कि इन गरीबों को देने के लिए हमारी जमीन सरकार ने छीनी है। उनके साथ वर्ग-संघर्ष की बात आ जाती है और गृह मन्त्रालय का काम वहां आ जाता है। विधि-व्यवस्था की बात आ जाती है। श्रमिक क्षेत्र पर लीजिए, छात्र असन्तोष का आन्दोलन लीजिए, प्रतिवादियों का आन्दोलन लीजिए, निर्वाचन की बात लीजिए और यहां तक कि जो गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की बात है, वह लीजिए, आप जानते हैं कि बिजली के तार जो फैलाए जाते हैं, उसकी भी चोरी होती है, ऊर्जा की चोरी अलग होती है। मैं जानना चाहता हूं, गृह मन्त्रालय से कि यह तरह-तरह के अपराध करने वाले विशेषज्ञ जो आ गए हैं, विशेष ढंग से अपराध जो होते हैं उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? क्या आपके पास कोई यन्त्र या इस तरह का हथियार या यन्त्र इसके लिए प्रयोग करने की व्यवस्था है? क्या इस तरह की कोई बात आपने सोची है? उसी पुलिस पर यह सारी जवाबदेही देते हैं जो गांव में चोरी हो तब भी वही देखे, बिजली के तारों की या ऊर्जा की चोरी हो तो उसको भी देखे, साम्प्रदायिक दंगे हों उसको भी देखे, छात्र आन्दोलन हो तो भी वही देखे। आखिर ये तरह-तरह के अपराध जो हैं उसके लिए क्या आपने अपने पुलिस विभाग को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया है और क्या आपके पास इस तरह के विशेषज्ञ हैं? फिर मैं यह भी जानना चाहूंगा कि नगर क्षेत्र में जो अपराध होते हैं और देहाती क्षेत्र में जो अपराध होते है दोनों अलग-अलग प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है?

इसलिए पहले तो आप यह करें कि जो आपका पुलिस बल है उस पुलिस बल को आधुनिकतम यन्त्रों से लैस करें और उनको प्रशिक्षण दें। हम जानते हैं कि आपने रेलवे में जी० आर० पी० की व्यवस्था की है। एक डिब्बे में घटना होती रहती है, जी० आर० पी० का कोई आदमी कहीं किसी डिब्बे में होता है, वह उसको कैसे नियन्त्रित कर सकता है? हम यहां दिन रात बात करते हैं, पुलिस विभाग की शिकायत करते हैं मगर उनकी जो कठिनाइयां और दिक्कतें हैं उनको नजर अन्दाज करने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को देखना होगा कि समुचित ढंग से वह काम कर सकें उसके लिए वह जो यन्त्र है, उनकी जो ताकत है पुलिस बल की, वह जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से हमारे पास नहीं है। हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस उनकी रक्षा करे। हरिजनों और आदिवासियों के गांव जंगल में किनारे पर होते हैं। वहां संचार का कोई साधन नहीं है, कोई सड़क नहीं है। हमने विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ की है, हम आदिवासियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं कि वे विकास करें वे उन पर अत्याचार करते हैं। आज यदि वे समुचित मजदूरी की मांग भी करते है तो उस पर भी संघर्ष होता है। तो इसको रोकने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है। आपने उनके गांवों तक पहुचने के लिए यातायात एवं संचार के साधन का विकास नहीं किया है, रास्ते ही नहीं बनाए हैं। फिर भी यह उम्मीद की जाती है कि पुलिस के आदमी वहां पर मौजूद रहें और उनकी रक्षा करें लेकिन वह किस प्रकार संभव होगा। मेरा निवेदन है कि इन सारी चीजों को सर्वांगीण रूप में देखना होगा

तभी यह काम हो सकता है अन्यथा नहीं । इसके लिए केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि यह राज्य सरकार का विषय है । आपको इसे अपने हाथ में लेना चाहिए ।

अभी हमारे पूर्ववक्ता ने जैसा बताया है, आजकल आरक्षण के खिलाफ बहुत आन्दोलन किया जा रहा है । लेकिन जो लोग इस आन्दोलन में हैं क्या वे आरक्षण की पृष्ठभूमि को जानते हैं कि क्या इसका इतिहास है, पूना पैक्ट कैसे हुआ और कैसे आरक्षण आया लेकिन इसको खत्म करने की आज कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । हमारे लोग ही आज इसका विरोध कर रहे हैं । एक साहब ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए लेकिन मैं उनका विरोध करता हूं । प्रोन्नति में भी आरक्षण इसलिए होना चाहिए कि आज वहां पर प्रोन्नति देने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं उनके भीतर दिमागी दुराग्रह हैं । वे दिमागी तौर पर अभी ऊपर नहीं उठ सके हैं । मैं आपको इस संबंध में सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां पर पूर्ण रूप से सक्षम होने के बाद भी उन लोगों को प्रोन्नति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि प्रोन्नति देने वालों के दिमाग में दुराग्रह था । इसलिए यह सरकार का कर्तव्य है कि उनके लिए प्रोन्नति की भी व्यवस्था करे । भारत के प्राचीन समाज में तो तरह-तरह का आरक्षण था, प्रत्येक जाति के लिए आरक्षण था । एक क्षत्री का काम वैश्य नहीं कर सकता था और एक वैश्य का काम कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता था । इस तरह से प्राचीन समय में तो पहले से ही आरक्षण चल रहा था । अब परिस्थितियां बदल गई हैं । लोगों के दिमाग में जो वहम है वह साफ होना चाहिए । इसके लिए सरकार ने बहुत कोशिश की है और हरिजनों की काफी प्रगति हुई है लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं । हम गृह राज्य मन्त्री जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस संबंध में काफी दिलचस्पी से काम किया है उन्होंने बराबर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों की बैठकें बुलाई हैं और उनकी राय ली है कि किस प्रकार विकास कार्य को चलाया जाए । विशेष अंगीभूत योजना, विशेष मान्यता देने की व्यवस्था की गई है । मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि आरक्षण को समाप्त करना हो तो उसके लिए आवश्यक होगा कि यहां पर जाति प्रथा को समाप्त किया जाए जिसके लिए कोई कोशिश नहीं की गई है । जाति के नाम पर आज भी दंगे होते रहते हैं । अन्तरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने की मांग की गई थी लेकिन उसके लिए कोई योजना नहीं बनी । केवल आर्थिक दृष्टि से देखने से काम नहीं चलेगा ।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानी को सम्मान पेंशन दी है लेकिन आज स्थिति यह है कि स्वतन्त्रता सेनानी को अपनी पेंशन के लिए जगह-जगह ठोकरें खानी पड़ती हैं । जिन लोगों ने देश को स्वतन्त्र कराने के लिए अपने जीवन की बाजी लगाई उनको जगह-जगह ठोकरें खानी पड़ें, यह उचित नहीं । इसके लिए सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए । आप इनको 300 रु० देते हैं, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है । मैं चाहूंगा कि आप उधर ध्यान दें ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से बहुत-सी याचिकाएं प्राप्त हुई हैं । उन्हें बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।

[हिन्दी]

श्री कुंवर लाल बैठा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं । बीस सूत्री कार्य-

कम चलाए जा रहे हैं। आप विकास के अन्य काम जितने भी कर रहे हैं, उन सबकी इकाई पंचायत है। पंचायत में इलैक्शन हुए, काफी दिन हो गए हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आपने जिस तरह से राज्यों के निर्वाचन लोक सभा के निर्वाचन के बाद करवाए, उसी प्रकार पंचायतों के भी निर्वाचन करवा दीजिए। पंचायत निर्वाचन के बाद जिला परिषद् बनेगी। मैं चाहूंगा कि आप इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें।

अन्त में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे विरोधी दलों के लोगों ने कहा कि बोफियागीरी की घटना केवल इसीलिए हुई, क्योंकि प्रधानमन्त्री के हाथों में सारी शक्ति केन्द्रित है। मैं कहूंगा कि शक्ति जहां केन्द्रित होनी चाहिए वह है, लेकिन यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है और इसमें जो भी लोग पकड़े गए हैं, उनके साथ विरोधी दल के लोगों की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, न कि उनके पक्ष में बातें करनी चाहिए। प्रधान मन्त्री जी चाहते हैं कि राजनीति से गन्दगी दूर हो, राजनीतिक जीवन स्वच्छ हो और इस दिशा में उन्होंने जो कदम उठाए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रालय को पुनर्गठित करने का सुझाव देने का साहस कर रहा हूं। इस समय गृह मन्त्रालय में अनेक अमेल विषयों का मिश्रण हो गया है। उसकी छवि विश्वरूप जैसी हो गई है और यह विश्वरूप बड़ा विस्मयकारी भी है। मैंने पुनर्गठन करने का सुझाव इसलिए दिया है जिससे कि गृह मन्त्रालय का अपना पूरा ध्यान कानून और व्यवस्था, भारत की अखण्डता और एकता और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने और उच्च कोटि के उन आपराधिक मामलों को निपटाने के कार्यों की तरफ लगाए जिनके कारण राज्यों, सरकारी उपक्रमों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं को भारी वित्तीय हानि होती है।

राजभाषा कार्यान्वयन और जनगणना से संबंधित विषय शिक्षा मन्त्रालय को दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार, संभवतः दिल्ली को छोड़कर शेष संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का कार्य भी किसी प्रथक् मन्त्रालय को सौंपा जा सकता है। शरणार्थियों और प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवकृत आपदाओं के शिकार लोगों के पुनर्वास का कार्य तथा हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने का कार्य किसी दूसरे मन्त्रालय को सौंपा जा सकता है। इसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अल्प संख्यकों से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित करने का मामला किसी प्रथक मन्त्रालय को सौंपा जा सकता है, जो उसे अधिक अच्छी तरह कर सकेगा।

मेरा नम्र निवेदन है कि गत दशक के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। बहुत ही ऊंचे स्तर के अपराध, जिसका पता नहीं चल पा रहा है, से संबंधित जटिल और घनीभूत समस्या से निपटने के लिए भी गृह मन्त्रालय को अलग से ध्यान देने की आवश्यकता है। कल ही हम लोग सेठिया के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसे अनेक सेठिया हैं जो छिपे पड़े हैं और जिनका पता नहीं चल पाया है। वास्तव में, गृह मंत्रालय तथा विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को यदि देखा जाय तो पता चलेगा कि कितना अधिक घाटा हुआ है, और हमें यह भी पता चलेगा कि कितने करोड़ रुपए का दुर्विनियो-

ज्ञन, दुरुपयोग और अपकरण किया गया है, जिसका पता नहीं चल रहा है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि यही एक ऐसा उचित समय है जबकि गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों को विभिन्न मंत्रालयों में विभक्त किया जा सकता है और कानून और व्यवस्था, अपराध और अपराध नीति से संबंधित विषयों को गृह मन्त्रालय को सौंपा जा सकता है।

जहां तक कानून और व्यवस्था बनाए रखने का संबंध है, मैं कह सकता हूं इसमें हम पूर्णतः असफल रहे हैं और वास्तविकता तो यह है कि राजधानी में, श्रीमती इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई, उसका कारण ही सुरक्षा उपायों की कमियां थीं अथवा यों कहा जाय कि सुरक्षा कर्मचारियों की वफादारी में कमी थी और उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसके पश्चात्, राजधानी में जो अराजकता रही, जिसके कारण अनेक निर्दोष व्यक्ति मारे गए, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। दुर्भाग्यवश, सभा में प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मुझे नहीं पता कि उसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं कहा गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गृह मन्त्रालय की पुलिस प्रणाली की प्रमाणित अकुशलता के कारण जो भी दुखान्त घटनाएं हुई हैं, उसके प्रति कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

किन्तु उससे भी अधिक दुःख की बात है कि इस प्रतिवेदन में सच्चाई पर किस तरह पर्दा डाला गया है और तथ्यों को जिस प्रकार तोड़ा-मरोड़ा गया है, वह नितान्त आश्चर्यजनक है।

मैं इसे पढ़ता हूं जिससे सभा को पता चल सके कि तथ्यों को किस प्रकार गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जो कुछ कहा गया है वह निम्नलिखित है :—

> "भूतपूर्व प्रधान मन्त्री की हत्या के बाद जो उपद्रव हुए तथा जो भयानक अफवाहें फैलीं, उसके कारण अनेक सिख परिवार विभिन्न स्थानों से पंजाब चले गए। इस देशान्तर गमन को हतोत्साहित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को सिखों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई।"

इसके पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि केवल अफवाहों के कारण सिख राजधानी और अन्य स्थानों से भाग गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस तथ्य का उल्लेख तक नहीं किया गया है कि उन पर विवेकहीन आक्रमण किया गया और उनकी हत्याएं की गईं।

यह बड़े दुःख की बात है कि गृह मन्त्रालय न तो सच्चाई का सामना कर सकता है और न उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस है। अन्य देशों में, कम से कम उच्चस्थ व्यक्ति अपना नैतिक उत्तरदायित्व तो निभाते हैं, किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि सुरक्षा के प्रति बरती गई इस भारी कमी का उत्तरदायित्व किसी भी व्यक्ति ने नहीं उठाया। न तो किसी व्यक्ति ने त्याग-पत्र दिया और न किसी व्यक्ति ने अपने को उत्तरदायी ठहराया। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को इसका लक्ष्य बनाना चाहता हूं किन्तु यह सच्चाई है कि जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति इस प्रत्यक्ष हादसे के बारे में कोई उत्तर नहीं देना चाहता है, वह आश्चर्यजनक है। यदि गृह मंत्रालय के उच्चतम अधिकारियों की ईमानदारी का यही मानदण्ड है तो इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जिस स्थिति में हमें उन लोगों की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के प्रति चिन्तित होना चाहिए, जो मंत्रालय और पुलिस बलों का संचालन कर रहे हैं।

इस बात का उल्लेख किया गया है कि विभिन्न राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। पंजाब में उग्रवादियों की गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है। पिछले वर्ष ही इस सभा ने आतंकवादी क्षेत्र विशेष अधिनियमन का नाम का एक विशेष अधिनियम पारित किया है जो 1984 में प्रभावी हुआ था। दुर्भाग्यवश इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन कितने व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और उसके क्या परिणाम निकले। मेरा सुझाव है कि इस अधिनियम को उन क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिए जहां चिरकाल से साम्प्रदायिक अशान्ति बनी हुई है।

सातवीं लोक सभा ने अपना अधिकांश समय असम और पंजाब पर चर्चा करते हुए बताया था। उन्हीं समस्याओं की चर्चा अब भी जारी है। मुझे आशा है कि ये दो राज्य गृह मन्त्रालय के लिए न ठीक होने वाली तथा दीर्घकालीन बीमारी नहीं बनेंगे। मुझे आशा है कि असम और पंजाब की समस्याएं सुलझ जाएंगी और प्रधान मन्त्री का इन समस्याओं को सुलझाने के प्रयास भी कुछ फल निकलेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वह अपने हर प्रयत्न में सफल होंगे। हमें आशा है कि कम से कम अगले बजट सत्र तक ऐसा अवसर नहीं आएगा कि हमें पंजाब और असम समस्या पर फिर से चर्चा करनी पड़े।

राज्य सरकार और सरकारी संस्थानों की निधियों का दुरुपयोग और दुर्विनियोजन से संबद्ध अपराधों के बारे में कहते हुए, यह उल्लेखनीय है कि वहां प्रगति और समृद्धि के साथ-साथ अपराधों में भी भारी वृद्धि हुई है। इस समस्या से कड़ाई के साथ निपटना होगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ही एक ऐसा साधन है जो इस प्रकार के अपराधों की छानबीन करता है। यह अपराध अब एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला बन गया है और इसमें विदेशी भी भाग ले रहे हैं। दवाइयों में हेराफेरी करना, तस्करी करना और ये सब बातें अब ऊंचे स्तर पर हो रही हैं और इन अपराधों में जिन व्यक्तियों का हाथ है, वे बहुत ही सभ्य और सफेदपोश व्यक्ति हैं। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास इस समस्या से निपटने के उपकरण और विशेषज्ञता नहीं है। मुझे खेद है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई भी प्रशंसनीय कार्य नहीं नहीं किया है। यदि कोई किया है तो मुझे आशा है कि मन्त्री जी मुझे उसके बारे में बताएंगे। मैं एक साधारण नागरिक के नाते नहीं, अपितु एक वकील के नाते यह बात कर रहा हूं जो गत 35 वर्षों से आपराधिक मामलों का वकील रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए अनेक मामलों के सिलसिले में मैं स्वयं उपस्थित हुआ था। अधिकांश मामले न्यायालय में निरर्थक सिद्ध हुए। वास्तविकता यह है कि उनमें से अधिकांश मामलों में व्यक्ति छूट गए। मुझे प्रसन्नता होगी, यदि वे प्रमुख व्यक्तियों के ऐसे मामलों की सूची प्रस्तुत करें जिनमें सजा हुई हो। इस सम्बन्ध पर मैं केवल श्री एन० एस० सक्सेना द्वारा लिखित लेख का एक पैरा उद्धरित करना चाहूंगा जो आज ही टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ है :—

"बाहरी दुनिया का विचार है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक प्रतिष्ठित अभिकरण है जिसमें भारत भर के पुलिस कर्मी काम करने को लालायित रहते हैं। वास्तविकता यह है कि अनेक वर्षों से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को ऐसे अधिकारी नहीं मिल पाये हैं जो इसके साथ काम करने के इच्छुक हों और अनेक पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं। ऐसी स्थिति में, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को प्रायः दूसरे स्तर के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त होते हैं और कम योग्य व्यक्तियों के साथ-साथ केन्द्रीय जांच

ब्यूरो और राज्यों के गुप्तचर विभागों से संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों को भी रख लिया। इन सभी बातों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन पदों को ईमानदार जांच अधिकारियों के योग्य बनाया जाय जिससे कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अध्यक्ष तथा राज्यों के गुप्तचर विभागों के अध्यक्ष अपना जाल व्यापक रूप से फैला सकें।"

मैं इस लेखक की टिप्पणियों से पूर्णतः सहमत हूं और मुझे सुझाव है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ-साथ गृह मंत्रालय स्तर पर एक अभियोग निदेशालय होना चाहिए, जिसके अध्यक्ष ऐसे न्यायविद हों, जो आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ हों क्योंकि ऐसा होने पर ही यह विश्वास पैदा होगा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध बदले की भावना पूरी करने के लिए एक राजनैतिक उपकरण के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।

अब मैं केन्द्र-राज्य संबंध के सरल मुद्दे के बारे में कहता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए यद्यपि सरकारिया आयोग है किन्तु इस समस्या का तत्काल समाधान होना चाहिए। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था और जब सूची एक और दो लागू की गई थीं, तब भारत की स्थिति और थी। उस समय यह देश एक खेतिहर देश था। उस समय कोई उद्योग नहीं था। उस समय कोई वाणिज्य नहीं था। किन्तु इन तीन दशकों के दौरान अनेक परिवर्तन हुए हैं और सूची एक दो में उल्लिखित मदों से संबद्ध मानदण्डों में आमूल-चूल पविर्तन हो गया है और सभी राज्य निश्चित रूप से यह महसूस करते हैं कि वे इतने कमजोर हो गए हैं कि संविधान के परिच्छेद IV के अन्तर्गत उल्लिखित अपने कर्तव्यों, अर्थात नीति निदेशक सिद्धांतों को पूरा करने में वे असमर्थ हैं। वे किसी भी नीति निदेशक सिद्धांत को कार्यान्वित करने में असमर्थ हैं। इसके बारे में मेरा एक सुझाव है। राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में बहुत आलोचना होती रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मुख्य मंत्री के पद से हटाये गये व्यक्तियों को और हारे हुए संसद सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त न किया जाय। माननीय व्यक्तियों, लेखकों और महान कलाकारों को भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिससे कि राज्य के लोग यह महसूस कर सकें कि बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है और वे लोग उससे प्रेरणा ले सकेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन है कि इस मामले में अमरीका का उदाहरण अपनाया जाय। यहां तक कि विपक्षी दलों के साहसी और श्रद्धेय नेता को भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वह इस पद को स्वीकार करें। इससे भारत के संघीय स्वरूप को बल मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी 15 माननीय सदस्यों को और बोलना है। मंत्री जी 6 बजे उत्तर देना चाहते हैं। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि सदस्य समय सीमा का ध्यान रखें अर्थात प्रत्येक सदस्य 5 और 6 मिनट तक का समय लें, इससे अधिक नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास (अम्बाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, होम मिनिस्ट्री की जो डिमाण्ड्स हाऊस में रखी गई है, मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं डिमाण्ड्स में काफी परिवर्तन किए गए हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। यहां पर मैम्बर साहेबान ने पंजाब समस्या के मुतालिक काफी चर्चा की। मैं भी कुछ आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं।

मेरा क्षेत्र अम्बाला पंजाब के साथ मिला हुआ है। पंजाब की समस्या अच्छी तरह से समझता हूं और जानता हूं कि वहां क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। यहां पर हमारे कई सदस्यों ने अकाली नेताओं से अपील की है कि वे समझौता कर लें और पंजाब की हालत को सुधारें। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन अकालियों के दिमाग के अन्दर उस समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। *.....पिछले दिनों हमारी सरकार ने जितने उग्रवादी लीडर जेलों में बंद थे, उनको रिहा कर दिया इसलिए कि शायद पंजाब का वातावरण सुधर जाए। लेकिन, हुआ क्या। "मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की" जैसे ही अकाली जेल से बाहर आए, उन्होंने वैसी ही बोली बोलनी शुरू कर दी जैसा कि पहले बोलते थे। इसलिए उन लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाए जब वे किसी बात पर ध्यान नहीं देते, अपील पर कोई ध्यान नहीं देते। जब भी हमारी सरकार की तरफ से या हमारे किसी मैम्बर साहबान की तरफ से या हिन्दुस्तान के लीडर की तरफ से उनसे कोई अपील की जा रही है या बातचीत का प्रस्ताव किया जाता है, तभी एक-न-एक कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है या गोली चल जाती है।

इत्तफाक से यहां हमारे प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि इनके साथ किसी प्रकार की नर्मी का बर्ताव न किया जाए, इनके सामने कोई अपील न की जाए बल्कि जो कुछ आपने निर्णय लिया है, उसके अनुसार आप चलिए और पंजाब के अन्दर इलैक्शन्स करवाइये। मैं समझता हूं कि यह हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है कि हमें इस मजबूत और युवा प्रधानमंत्री मिला है जिससे हमें काफी उम्मीदें हैं और पक्का विश्वास है कि हमारा देश प्रगति करेगा, लोगों के जीवन में सुधार आयेगा और हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी चोरियां, बेईमानी और करप्शन होता है, वह सब खत्म हो जाएगा। मुझे पता है जिस वक्त हमारे युवा प्रधान मंत्री ने देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी, उस वक्त मुल्क की क्या हालत थी। जिन जालिमों ने हमारी नेता इन्दिरा जी की हत्या की थी, उसके बाद क्या हुआ था, सारे देश में हिंसा और अराजकता का वातावरण फैल गया था, अफरातफरी फैल गई थी। एक ओर उनकी मां की लाश कोठी के अन्दर पड़ी हुई थी, दूसरी ओर सारी दिल्ली में आग की लपटें लगी हुई थीं। उस वक्त उन्होंने जिस सूझ-बूझ और व्यक्तित्व का परिचय देते हुए सारी हालत को काबू में किया, वह सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मिसाल बन गया है। उस समय एक नये प्रधान मंत्री के सामने इतने बड़े मुल्क की अमनो-अमान का प्रश्न उपस्थित हो गया था और दो दिनों के अन्दर उन्होंने जिस तरह से हालत को सुधारा, उसका कहीं दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। उसके बाद उन्होंने एलान किया कि हिन्दुस्तान से गुरबत को हटाया जाएगा, करप्शन, चोरी, बेईमानी, डकैती, ब्लैकमार्केटिंग और जुल्म को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। तमाम मुल्क ने इनकी बात को माना इनको अपने सिर-माथे पर बिठाया। लेकिन यहां मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस का राज यहां आज से नहीं, कई वर्षों से है और कांग्रेस राज में ही गरीब हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए योजनाएं बनाई गईं, स्कीमें बनीं और कार्य हुआ। इसके साथ-साथ हम यह भी देख रहे हैं कि जहां हमारी सरकार इनके उत्थान के लिए, इनको सहायता पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है, इनके लिए योजनाएं तो बन जाती हैं हमारे प्लानिंग मिनिस्टर, हमारी कैबिनेट और

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

हमारे योग्य प्रधान मंत्री जी बहुत-सी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन इम्पीमैंटेशन स्तर पर आते-आते उनकी हमारे आफिसर लागू नहीं होने देते। मंत्रालयों में हमारे यहां जितने सैक्रेटरीज या दूसरे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, इनके दिमाग में गरीबों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। यही वजह है कि दुनिया भर की योजनाएं बनाए जाने के बावजूद, दुनिया भर का पैसा खर्च किए जाने के बावजूद, दुनिया भर का दिमाग लगाने के बावजूद, इन लोगों को वह लाभ अब तक नहीं मिल सका, जो लाभ हमारी सरकार देना चाहती है। उनमें से कोई भी योजना सिरे नहीं चढ़ती। उसका सबसे बड़ा कारण हमारी ब्यूरोक्रेसी का ठीक ढंग से काम न करना है। अभी भी हमारे गरीब लोग, हरिजन और आदिवासी दुख तकलीफें सह रहे हैं, सड़ रहे हैं।

जहां तक हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को सहूलियतें देने का प्रश्न है, हमारी कई साथियों ने यहां आरक्षण की चर्चा करते हुए कहा कि उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज से 70 या 80 साल पहले इस मुल्क में हरिजनों की क्या हालत थी। उनको पशुओं से भी बदतर समझा जाता था, उनसे पशुओं का-सा व्यवहार किया जाता था। लोग एक कुत्ते को तो प्यार करते थे लेकिन एक शूद्र से, एक हरिजन से नफरत करते थे। उनके ऊपर सदियों से इतना जुल्म होता रहा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि स्वतंत्र भारत में उनको अब थोड़ी-बहुत रियायतें मिल गई, रिजर्वेशन मिल गया जो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है, आप स्वयं देख लीजिए कितने हरिजन सर्विस में चले गये हैं, कितने लोग अफसर बन गए और कितने लोगों को कोई दूसरा लाभ मिल गया। वह लगभग कुछ भी नहीं, आटे में नमक के बराबर है। सर्विसेज में आरक्षण के मामले में आज भी बैकलौग आपको हर कैडर में मिलेगा। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि कितने हरिजन आज आई० ए० एस० या आई० पी० एस० की सर्विस में हैं, मेरे ख्याल में हाउंडली टू टू थ्री परसैंट लोग भी नहीं होंगे। इससे ज्यादा नहीं होंगे। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रिजर्वेशन दिए जाने हेतु ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि कोई उन नियमों का उल्लंघन न कर सके, आप उसको चैक करें कि किस डिपार्टमैंट में कौन-सा आफिसर ऐसा है जो हरिजनों को रिजर्वेशन नहीं देता या उनको प्रोमोशन नहीं देता। आप ऐसे अफसरों को सजा दीजिए। जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे करप्ट, बेईमान, चोर किस्म के लोगों को सजा नहीं देंगे, तब तक आपकी योजनाएं पूरी तरह से इम्पलीमैंट नहीं हो सकतीं और आप जिस उद्देश्य से उन्हें बनाते हैं, आप उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मैं हरियाणा में होम मिनिस्टर था, जब मैंने देखा कि हरियाणा में करप्शन ज्यादा होने लगा, चोरियां, डकैतियां, बेईमानी होने लगी तो मैंने वहां के चार पांच डी० एस० पीज० को सस्पैंड कर दिया, 10-15 थानेदारों को सस्पैंड कर दिया। इसलिए कोई चिन्ता की बात नहीं, आपको भी कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। जब तक आप ऐसे कदम नहीं उठाएंगे, तब तक काम नहीं चलेगा।

मैं थोड़ी-सी बात गरीब मजारों, टेनेन्ट्स के मुताल्लिक कहना चाहता हूं जो मजारे 50-50 साल से किसी जमीन पर काश्त करते हैं उनका रोजगार यही है, उनको उजाड़ा जा रहा है। इसमें बड़े लोगों के अलावा असफर भी शामिल हैं। वहां के अफसर पैसा लेकर, रिश्वत लेकर उन गरीबों को बेदखल कर देते हैं जो अपने खून पसीने से मेहनत करके काम करते हैं। उनकी एक मिनट में ही जमीन छीन ली जाती है, उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया जाता है। वह लोग रोते फिरते हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में जो उन लोगों के खिलाफ बोलता है, उसको हिट-लिस्ट में रख दिया जाता है। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री और मुझे दोनों को हिट लिस्ट में लिया हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस मामले में आपको देखना चाहिए और इसका कोई प्रबन्ध करना चाहिए।

इतनी बात कहकर मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए पुकारा। माननीय गृह-मंत्री जी ने जो रिपोर्ट पेश की है और गृह-मंत्रालय की जिन मांगों को उठाया है, उनका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं गृह मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसलिए भारत के विशाल भाग में जो शांति और व्यवस्था के लिए कार्य किये हैं, वे काफी सराहनीय हैं।

पंजाब, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की समस्याएं बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने नियंत्रण की हैं, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मैं देश के कृषि मंत्री सरदार बूटा सिंह को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अकाली साम्प्रदायिकता के सामने झुकने से इनकार कर दिया और राष्ट्रीयता को वरीयता दी। ग्रन्थियों के बुलावे पर उन्होंने जाना स्वीकार नहीं किया, यह एक तरह से राष्ट्रीयता का ही प्रदर्शन है। देश के बड़े व्यक्ति और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से इसी बात की उम्मीद की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा और अकाली किसी सिख को गुरुद्वारे में, हिन्दू को किसी मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में और एंग्लो इंडियन गिरजे में इसी तरह बुलाते जाएं और राष्ट्रीयता को ठुकराते जायें तो इस तरह का अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए। हमारे देश में श्री राजीव गांधी के महान नेतृत्व में राष्ट्रीयता की जो यह धारा शुरू हुई है, यह आगे बढ़े और हमारी राष्ट्रीयता दिनोंदिन पुष्पित और पल्लवित हो, इस प्रकार की साम्प्रदायिकता का क्षरण हो, यह हम चाहते हैं।

हमारे मित्रों ने और सब बातें कह दी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रश्न भाषा का भी गृह मन्त्रालय से सम्बन्ध रखता है। गृह मन्त्रालय के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए इतना बड़ा काम किया जाता है, भाषा का सम्बन्ध भी राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ है। सब लोग यह जानते हैं कि भाषा के बिना न साहित्य संभव है, न शिक्षा संभव है और न संस्कृति संभव है। यह सारे काम जिस देश में नहीं होंगे, वह देश विकसित होने का दावा नहीं कर सकता है।

हमारे देश का संविधान जब सन् 1950 में लागू हुआ उस समय देश की राजभाषा, सरकार की राजभाषा हिन्दी घोषित हुई। हिन्दी का काम निरन्तर आगे बढ़ना चाहिए था। उसके लिए कई प्रावधान किए गए थे, लेकिन उनमें से एक ही आयोग बना, उसके बाद कोई आयोग नहीं बन सका। संविधान में विभिन्न संशोधन होकर काम और उलट गया। 15 वर्ष का समय संविधान में इसलिए दिया गया था कि जो लोग बरसों से अंग्रेजी में काम करते आए हैं, उन्हें हिन्दी का मुहावरा नहीं है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत न हो। सन् 1950 से 1965 हो गया, 1965 से 1980 और 1980 से 1985 आज हो गया, हमारे इस 35 साल के कार्य में राष्ट्रभाषा का सवाल, सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं का सवाल उलटता गया है। मुझे यह कहने में बहुत कष्ट हो

रहा है कि हिन्दी का काम जो बढ़ना चाहिए था, सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं को विकसित होकर सम्पूर्ण देश में अपने देश की वाणी को मुखर करने का काम संभाला लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी वह काम नहीं हुआ है। आज भी संविधान में मुख्य भाषा हिन्दी है, अंग्रेजी गौण भाषा है लेकिन व्यवहार में उसके बिल्कुल उलट बात दिखाई देती है। आज भी अंग्रेजी मुख्य भाषा है। अंग्रेजी मुख्य भाषा है और हिन्दी सह भाषा के पद पर भी दिखाई नहीं देती है। आखिरकार यह काम कब बदलेगा। इस उल्टी गति को ठीक करना चाहिए।

मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जितना भी हिन्दी के सम्बन्ध में काम आपके मंत्रालय में होता है, उनकी कोई भी चीजें जो उनकी रिपोर्टें आती हैं, उनमें जो सुझाव आते हैं, उनका कोई कार्यान्वयन नहीं होता।

केन्द्रीय हिन्दी परिषद जिसके कि अध्यक्ष हमारे प्रधान मन्त्री जी होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट आती है, सुझाव आते हैं उनका भी कार्यान्वयन नहीं होता। विधि मन्त्रालय में हिन्दी में अनुवाद होकर किताबें 3-3, 4-4, 5-5 वर्ष बाद वह छपती हैं। सच बात तो यह है कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं के विकास में तब तक काम नहीं होगा जब तक आप उसको अनुवाद की भाषा बनाए रखेंगे। अनुवाद की भाषा जब बनती है तो यांत्रिक हो जाती है, उसमें स्वाभाविक भाषा का प्रवाह नहीं आता है।

आज कम्प्यूटर युग आ गया है। कम्प्यूटर की कोई भाषा नहीं होती। हम आधुनिक दृष्टि से देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग टाइपराइटर की दिक्कत करके, कभी स्टैनो की दिक्कत करके भाषा को रोके रहते हैं। इसलिए अगर आप हिन्दी के काम को विकसित नहीं करेंगे तो अंग्रेजी के माध्यम से काम होगा। हर क्षेत्र में हम कम्प्यूटर को ले जा रहे हैं, सम्भवतः हिन्दी का काम और पिछड़ जाएगा और अंग्रेजी का काम आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कम्प्यूटर की भाषा में इस प्रकार का सुधार होना चाहिए और सच बात यह है कि कम्प्यूटर का आधुनिकीकरण करना चाहिए। आधुनिकता यही होगी कि हिन्दी और सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं में उसका विकास हो।

हमारी संसदीय समिति, संसदीय दल जिसमें हिन्दी का काम कैसे हो रहा है यह प्रश्न पीछे रह गया, विदेशों में हिन्दी का विकास कैसे हो रहा है, इसके लिए यहां से एक प्रतिनिधिमंडल गया था, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसके सुझाव क्या है, आज तक किसी को पता नहीं चला होगा। सुझाव रिपोर्ट आई हो तो उस सुझाव में हमारी सरकार ने क्या कहा, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका पता चलना चाहिए। विदेशों में हिन्दी की क्या स्थिति है हमारे दूतावासों में और मैं तो कहता हूं कि विदेश की चिन्ता कम करें। सबसे पहले स्वदेश की चिन्ता करें क्योंकि भारतीय भाषाओं का विकास होगा तो अच्छा होगा। हमारी प्रादेशिक भाषाओं का प्रदेश में केन्द्रीय भाषा का केन्द्र में आकर प्रयोग नहीं होता तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। भाषा के मामले में कैसी उल्टी गति चल रही है, मैं इस बारे में थोड़ा और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नया निर्णय दे दिया है कि जितने भी रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनके लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है, उनके लिए अंग्रेजी अनिवार्य है। मैं जानना चाहता हूं कि जब हिन्दुस्तान की 80-90 विश्वविद्यालयों में हिन्दी और प्रादेशिक भाषायें बना दी गई हैं, जो हिन्दी में एम० ए० करके आए हैं, उनसे आज पी० एच० डी० और डी० लिट

के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता की मांग करना यह उल्टी दिशा में काम करना है। इस प्रकार का उल्टा कार्य करने का क्या मतलब होता है। कुछ काम विश्वविद्यालय आयोग कर दे, कुछ काम कम्प्यूटर कर दे, कुछ काम हमारे यहां की ब्यूरोक्रेसी कर दे, कुछ जिनकी इच्छा नहीं होती है स्वदेश में काम करने की, वह कर दें तो यह सम्पूर्ण देश का वातावरण कैसे बदला जाएगा, कैसे इस काम में हम सफलता प्राप्त करेंगे। मैं गृह मन्त्री जी से कहूंगा कि वह भाषा के मामले में सावधानी बरतें। यह बात समझ लें कि गांधी जी ने कहा था कि वह राष्ट्र गूंगा है, जिसकी भाषा सुस्थिरित नहीं है।

इक बात और है, जिसको सारी दुनिया के लोगों ने कहा है अगर हम अपनी भाषा को विकसित नहीं करते, अपनी भाषा की एकता सुरक्षित नहीं रखते तो सम्पूर्ण देश की एकता को सुरक्षित रखना असम्भव काम है। इस असम्भव काम को न होने दें, इसको संभव कीजिए, भारतीय भाषा को बढ़ाकर और हिन्दी को केंद्रीय भाषा बनाकर।

4.50 म० प०

(श्री शरद डिघे पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

*श्री मतिलाल हंसदा (झाड़ग्राम) : महोदय, सभा में गृह मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा की जा रही है। इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं अपनी बात आदिवासियों और जनजातियों की समस्याओं तथा सरकार द्वारा उनके कल्याण तथा उत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं तक ही सीमित रखूंगा।

महोदय, यह बहुत दुःख की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 37 वर्षों बाद भी आदिवासी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, हर दृष्टि से अपेक्षित और बहुत पिछड़े हुए रहे हैं। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न विकासीय योजनाएं तथा अन्य स्कीम बनाई हैं, तथापि 20वीं शताब्दी में भी अधिकांश आदिवासी अशिक्षित तथा सभ्यता के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। यहां तक कि आज भी उनके शोषण और उन पर अत्याचार की घटनाएं रुकने के स्थान पर बढ़ रही हैं। हमारे देश के कई राज्यों में आदिवासी स्त्रियों के साथ बर्बरतापूर्ण बलात्कार किया जाता है।

महोदय, अधिकांश जनजातियों और आदिवासियो के पास अपनी भूमि नहीं होती। वे अपनी जीविका कमाने के लिए दूसरे लोगों की भूमि अथवा गैर सरकारी फैक्टरियों आदि में काम करके वे जीविका कमाते हैं।

आय का एकमात्र स्रोत कठिन शारीरिक परिश्रम करना है। उनकी कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर मालिक उन्हें न्यायोचित मजदूरी से भी वंचित रखते हैं। पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने कई प्रतिकूल टिप्पणियां दी हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में वहां की वामपंथी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं कि उन राज्यों में आदिवासियों को न्यायोचित मजदूरी मिले। उन पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं तथा सभी समुदायो के लोग वहां शांति और

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

सौहार्द से रह रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अन्य राज्यों में इन निर्धनों को न्यायोचित मजदूरी मिलना तो दूर, अपने जीवन-यापन के लिए न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। इन निर्धन अशिक्षित लोगों का पहले जिस थोड़ी बहुत भूमि पर कब्जा था, साहूकारों ने अवैध तरीकों और धोखे से उन्हें उससे भी वंचित कर दिया है। आज भी ऋणदाता उन्हें धोखा दे रहे हैं। इस तरह आदिवासी लोग एक भूमिहीन वर्ग होते जा रहे हैं। इन आदिवासियों को भूमि देने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। अधिकतम सीमा से अधिक भूमि जिसे 'खास भूमि' कहते हैं, उसे आदिवासियों में वितरित करने संबंधी योजना असफल रही है और उसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से नहीं हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल तथा अन्य स्थानों में, जहां वामपंथी सरकार सत्तारूढ़ है, भूमि आदिवासियों में बांट दी गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें धोखा देकर उस भूमि से बेदखल न कर पाए। उन्हें न केवल भूमि ही दे दी गई है बल्कि अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं ताकि वे अपनी भूमि पर उपयुक्त खेती कर सकें। अन्य राज्यों में जहां भी आदिवासियों से अवैध रूप से ली गई जमीन पर आदिवासियों ने पुनःकल्याण करने अथवा 'खास भूमि' पर कब्जा करने का प्रयत्न किया, उन पर अत्यधिक अत्याचार किए गए। आज भी उनके घर-परिवार जलाए जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं बिहार, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी हुई हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देखे कि ऐसी घटनाएं और न हों।

महोदय, आप जानते हैं कि आदिवासी अपनी जीविका अर्जन के लिए विभिन्न वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं। चूंकि अधिकांश वन आज काटे जा रहे हैं इसलिए आदिवासियों को बहुत कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वनों के इस विनाश का दोष आदिवासियों पर लगाया जा रहा है। इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन इसका एकमात्र कारण यही नहीं है। इसके और भी कई कारण हैं। यदि सरकार ने उनकी जीविका के अन्य स्रोत उपलब्ध कराए होते तो आदिवासी पूर्णतः वनों पर ही निर्भर नहीं रहते।

महोदय, सरकार ने 'लैम्प' परियोजना आरम्भ की थी लेकिन इस परियोजना के लिए समय पर धन उपलब्ध नहीं कराया गया। यह परियोजना आदिवासियों द्वारा उत्पादित माल को उचित मूल्य पर खरीदने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लेकिन चूंकि 'लैम्प' परियोजना के अंतर्गत उत्पाद खरीदने के लिए टाइम पर धन उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिसके कारण आदिवासी साहूकारों और व्यापारियों के चंगुल में फंस कर अपने उत्पाद बहुत ही कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस तरह उनसे धोखा किया जाता है।

महोदय, सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए आई० टी० डी० पी० योजना आरंभ की है। इसके अन्तर्गत सभी आदिवासी नहीं आते, और परिणामस्वरूप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। केवल उन क्षेत्रों के लोगों को ही, जिन्हें उस योजना में शामिल किया गया है, इस योजना का लाभ मिल पाता है। अन्य क्षेत्रों के आदिवासी इस लाभ से वंचित हैं। इसके परिणाम-स्वरूप, उनमें असंतोष बढ़ रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देखे कि समूचे देश में सभी आदिवासियों को विकास के पर्याप्त अवसर मिलें।

अब मैं उनकी शिक्षा पर आता हूं। मेरा निवेदन है कि आज आदिवासियों की संख्या हमारी कुल जनसंख्या का 7.5% है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारी जनसंख्या के इस बड़े वर्ग में कितने लोग शिक्षित हैं? यह संख्या बहुत नगण्य है। आप इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे

हैं किंतु उन्हें पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। आदिवासियों के शिक्षित न होने का मुख्य कारण उनकी भाषा की समस्या है। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने आदिवासियों की भाषा को मान्यता दे दी है। महोदय, हमारी या कहें आदिवासियों की समस्या यह है कि हम अपनी ही भाषा में पढ़ाई नहीं कर सकते। आदिवासी बच्चे बचपन में अपनी मातृ-भाषा में ही बात करते हैं। जब वह स्कूल जाते हैं, उसे एकदम ऐसी भाषा में पढ़ना पड़ता है जिस से वे बिलकुल अनभिज्ञ हैं। उस कारण वह बालक हतोत्साहित होता है और स्कूल से भाग खड़ा होता है, इसी कारण शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि यदि वह आदिवासियों के कल्याण के लिए थोड़े भी उच्छुक और चिंतित हैं तो उन्हें आदिवासियों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। मैं यह मांग भी करता हूं कि नेपाली भाषा को हमारे संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, अब मैं सरकार की आरक्षण नीति के बारे में कुछ बातें कहूंगा। आदिवासी लड़कों की विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों में उनके लिए आरक्षित कोटे के अनुसार नौकरी के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। उन्हें इस आधार पर नौकरी से वंचित कर दिया जाता है कि वे उपयुक्त और सक्षम उम्मीदवार नहीं हैं। यह बिलकुल गलत धारणा है। आदिवासियों में कई सक्षम और योग्य उम्मीदवार हैं। कई विभागों में आदिवासियों के लिए आरक्षित कोटा नहीं भरा गया तथा उनके अनेक पदों पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया जाता है। कौन कहता है कि आदिवासी सक्षम और योग्य नहीं हैं ? श्रेणी तीन और श्रेणी चार की सेवाओं में कई योग्य आदिवासी व्यक्ति हैं। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह देखें कि आदिवासियों को इस तरह से उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा कि आदिवासियों में श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हैं।

अन्त में मैं कहूंगा कि इस साल के बजट में आदिवासियों के उत्थान और कल्याण के संबंध में नया कुछ भी नहीं किया गया है। पिछले वर्षों में उनके लिए जो कुछ किया गया है, इस वर्ष उससे कुछ अधिक नहीं सोचा गया और न ही कोई नई योजना तैयार की गई है तथा न इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त आबंटन ही किया गया है। इस बजट के पारित होने के बाद, मैं नहीं मानता कि आदिवासियों की स्थिति में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार किया जाएगा। अतः मैं इस बजट का समर्थन नहीं करता, जैसा कि कांग्रेस सदस्यों से किया है। मैं गृह मंत्रालय की इन मांगों का विरोध करता हूं।

महोदय, धन्यवाद।

3.00 म० प०

[हिन्दी]

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करोलबाग) : सभापति महोदय, मैं दिल्ली के ऐसे क्षेत्र से चुनकर आई हूं जहां पर गरीब महिलायें या गरीब लोग रहते हैं। मैं इसीलिए उतावली थी कि कुछ दिल्ली के बारे में इस सदन में अपने विचार व्यक्त करूं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, लेकिन फिर भी यहां पर काफी अत्याचार हो रहे हैं, जिनके बारे में मैं इस सदन में गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

सन् 1977 और 1978 से पहले यहां पर बहुत अच्छा वातावरण था, पुलिस का भी, लोगों का भी और डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। सन् 1977 में जनता पार्टी का शासन कायम हुआ और मैं मैट्रोपोलिटिन के चुनाव में चुनी गई। उस वक्त जनता पार्टी वालों ने एक पुलिस आयोग का गठन किया था। हमने उसका विरोध किया, लेकिन जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से उन्होंने उस सुझाव को पास कर दिया। तब से यह वातावरण खराब हुआ और बढ़ते-बढ़ते इतने जघन्य अपराध होने शुरू हो गए हैं, जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देना चाहती हूं। मैं उन महिलाओं के बारे में कहना चाहती हूं, जिनको जलाया भी जाता है, मार भी दिया जाता है और उन नन्हीं कलियों को कुचलकर फैंक दिया जाता है। ऐसी घटनायें दिल्ली जैसी राजधानी के अन्दर आए दिन घट रही हैं। दिल्ली के अन्दर सब तरह के लोग रहते हैं, सब तरह के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, प्रान्त-प्रान्त के लोग यहां पर आते हैं, विदेशी पर्यटक भी यहां पर आते हैं, इसलिए दिल्ली का महत्व काफी महत्वपूर्ण है। यदि इस प्रकार की घटनायें आए दिन दिल्ली में घटेंगी, तो क्या कहा जा सकता है। इसलिए मैं आपके सामने अपनी बात को जल्दी से कहूंगी। मैं दिल्ली से एक महिला बोल रही हूं और मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप मेरे साथ सहानुभूति दिखायेंगे। जब भी आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगी।

कुछ वर्ष पूर्व तक दिल्ली को कानून और व्यवस्था के मामले में भारत के अन्य प्रमुख नगरों के मुकाबले में अच्छा समझा जाता था किन्तु कुछ वर्षों से दिल्ली की स्थिति भी अन्य नगरों जैसी ही नहीं बल्कि उससे भी बदतर होती जा रही है। दिन-प्रति-दिन चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि की घटनाएं हो रही हैं। शायद कोई दिन ऐसा जाता होगा जबकि कोई-न-कोई जघन्य अपराध जबकि ये घटनाएं न होती हों। आजकल महिलाओं के गलों से या कानों से जेवर छीन कर भाग जाना तो साधारण-सी घटना बन गई है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी महिला घर से बाहर सोने का जेवर पहन कर जाने में हिचकिचाती है।

बलात्कार की घटनाएं भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अभी चन्द रोज पहले ही स्कूल जाने वाली एक छोटी-सी बालिका के साथ मन्दिर के पुजारी कहलाने वाले व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया। आज भी 'हिन्दुस्तान' अखबार में दो वर्ष की एक बालिका के साथ बलात्कार की घटना छपी है। मोतियाखान के रहने वाले एक आदमी, जिसका कि नाम नरपत है, ने अपनी पत्नी को कह कर बालिका को फुसलाकर बुलाया और फिर उसके साथ घृणापूर्वक कार्य किया। वह आदमी पकड़ा गया और उसको कचहरी में पेश किया गया। कचहरी ने उसका एक हजार रुपये जुर्माने, जुर्माना न देने की सूरत में छः महीने की सजा दी। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कहनी चाहूंगी कि यह छः महीने की सजा या एक हजार रुपये का जुर्माना उस बालिका के साथ न्याय नहीं है। वह अपराध तो छूट जाएगा लेकिन उस बालिका का क्या होगा जिसके साथ यह जघन्य अपराध हुआ है?

आये दिन जो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं उनके बारे में सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। मैं तो यह कहना चाहूंगी कि जो भी ऐसे अपराधी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे यहां फांसी की सजा दी जाती है लेकिन उसमें तो एक-दो मिनट लगते हैं जिसमें कि आदमी खत्म हो जाता है। मैं चाहती हूं कि ऐसे अपराधियों को सड़क पर खड़ा करके

कोड़े मारे जाएं, या अन्दर उनको ऐसी कोई सजा दी जाए जिससे वे न मरें, न जियें। इस प्रकार की सजाओं से लोगों की आंखें खुलेंगी और लोगों के मन में ऐसा काम करने के लिए दहशत पैदा होगी।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, डकैतियों के विषय में कहना चाहूंगी। पिछले दिनों एक फार्म हाउस पर दूसरी बार डाका पड़ा किन्तु उसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। करोलबाग क्षेत्र में चार-पांच साल पहले सिण्डीकेट बैंक में डाका पड़ा था। जिसमें चार युवक जीप में बैठ कर आये थे। दो युवक जीप में बैठे रहे और दो युवक बैंक में घुस कर रुपया लूट ले गये। उसका भी आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। अभी 13 मार्च, 1985 को ग्रेटर कैलाश में तीन जवान चार लाख रुपये का डाका डाल कर चले गये। उनका भी आज तक सुराग नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि ये डकैत कार में आते हैं, मोटर साइकिलों पर आते हैं और गोलियां चलाते हुए सामान लूट कर भाग जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जबकि सारी दिल्ली में इतना प्रबंध है, चाहे सी० आई० डी० का हो, चाहे पुलिस का हो फिर भी ये लोग सड़क से बाहर निकल जाते हैं और दिल्ली की सीमा के पार भाग जाते हैं। इनका कुछ नहीं होता। सड़कों पर चलने वाले लोग इन्हें देखते हैं लेकिन कोई उनका पता नहीं बताता कि वे किधर गये। उन्हें डर रहता है कि कहीं उन्हें गोली न मार दी जाए।

हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी के साथ जो घटना हुई, मैं पूछना चाहती हूं कि जब 10-15 सिक्योरिटी वाले उनके साथ रहते थे तो फिर इतनी गोलियां चलने पर उनमें से किसी का यह फर्ज नहीं बनता था कि वे एक-दो गोलियों की आवाज सुनने पर ही उनकी जान बचाने को सामने आते? जब उनके ऊपर गोलियां चलीं और गोलियों की आवाज उन्होंने सुनी, तो क्या उनका फर्ज नहीं था कि वे उनके ऊपर जाकर अपने आपको कुर्बान कर देते और प्रधानमन्त्री को बचा लेते, यह उनका फर्ज होता है। लेकिन वे डर गए कि गोलियों की बौछार में क्यों जाएं। मैं नहीं जानती कि क्या रहस्य है। तो मैं कहती हूं कि जो सीमा के ऊपर हमारे नौजवान हैं, वे हमेशा अपनी जान को खतरे में लेकर और बन्दूक कन्धे पर लटका कर हमेशा लड़ने-मरने के लिए तैयार रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। वे चाहते हैं कि हमारा देश है और हमारे देश को वे सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में जो अफसर लोग बैठे हैं, जो रक्षा करने वाले बैठे हैं, वे जी चुराते हैं, पीछे हटते हैं, गोलियों के सामने कोई नहीं आता। अगर यही हालत रही, यही वातावरण यहां पर रहा तो मैं यही कहूंगी कि यहां पर हालत नहीं सुधरेगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो भी अपराध हो रहे हैं, उनके बारे में सभी प्रांतों से आए हुए माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी जगह की सारी बातें यहां बताई हैं कि किस तरह से हरिजनों को मारते हैं, किस तरह से रास्ते चलते लोगों को मारते हैं। अभी पिछले दिनों जब पंजाब में काण्ड हुए, बसों में से लोगों को उतार-उतार कर गोलियां मार दीं सामने खड़ा करके, क्या उनका कुसूर था। क्यों नहीं हमारी सरकार इनके लिए कुछ ठोस कदम उठाती? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसके लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारी इतनी आमदनी नहीं है या भत्ते नहीं दिए जा रहे या तनख्वाह नहीं दी जा रही तो मैं कहूंगी कि उनके लिए भी सोचिए। अगर पुलिस में जवानों की कमी है तो उसको भी पूरा कीजिए। मैं यह नहीं कहती कि सभी ऐसे हैं, ऐसे भी हैं जो अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपना फर्ज नहीं निभाते। इसलिए आप देश की सुरक्षा को देखें, नागरिकों की सुरक्षा को देखें और उनकी जीवन सुरक्षा की

सुनें। कानून व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाएं और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा के कदम उठाएं। धन्यवाद।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (अहानाबाद) : सभापति जी, मैं आपका इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। गृह मंत्रालय पर जो दो दिन से बहस चल रही है उस बहस से एक नतीजा निकलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि गृह मन्त्रालय जो है वह हर मंत्रालय की एक धुरी का काम करती है, इसमें वह पूर्णत: असफल रहा है और इसकी असफलता से हमारे जितने भी मंत्रालय हैं, सभी के सभी पर असर पड़ता है। सिर्फ असफलता बताना ही काफी नहीं है, मैं विरोधी बैंच से बोल रहा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि सुझाव न दूं। इस असफलता के कई कारण हैं जिनको मन्त्री महोदय को कुबूल करना चाहिए। जो घटनाएं हुई हैं, उनको हम देखें। चाहे स्वर्ण मन्दिर की बात आ जाए, चाहे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री की हत्या की बात हो, ये सारी चीजें जो हुई हैं और उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई, जिसमें जन-संहार हुए, ये सारी चीजें जो हुई हैं ये इस असफलता का पूर्णत: सुबूत हैं। अब इसको कोई माने या न माने, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि बहुत सफल हुए हैं तो वह बात अलग है। मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपने तर्क दिए हैं। मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। आज जो हालत है, आम जनता में जो हालत हो रही है, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको आपके सामने बताना चाहता हूं। उससे मुझे भी यह सबक देखने-सुनने को मिलता है, मेरे जैसे आदमी जो सदन के सदस्य हैं। इस सदन में इस बात की सूचना दी गई है, बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा कि ये दो तारीख को इनको नालन्दा जिला, बिहार के नालन्दा जिला और इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के तिलहाड़ा ग्राम में इनको बूथ पर कब्जा करते हुए पकड़ा है और इनको बहुत से सामान के साथ हमने गिरफ्तार किया है और ये जीप में भाग रहे थे। यह जो सारी की सारी चीज हैं यह हमने देखी और सुनी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह सारी मनगढ़न्त चीज है मैं, यहां पर सफाई नहीं दे रहा हूं। आप सभी संसद् सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, अगर ईमानदार हैं तो इस सदन के सदस्य रहने लायक नहीं हो सकते। भले ही दिलेरी से यह कहा जाए कि हम अच्छे हैं मैं तो चुनौती दे रहा हूं। आप हमारी मदद करें। इस जांच में सच्चाई आ जायेगी तो जांच कैसे होगी। हमें पकड़ने वाले एस० पी० रैंक के हैं। हमारे बैठे हुए ही पकड़ा है। हमारे साथ बिहार सरकार के दो सरकारी सिक्योरिटी वाले भी थे। सभी लोग पकड़े गए। उन्होंने केस बनाया कि जीप में सामान लेकर भाग रहे थे। उसमें इनका एक भी नाजायज सामान नहीं निकला, जैसी लिस्ट कोर्ट में गई है। अध्यक्ष महोदय को भी मैंने लिखकर दिया है कि इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवाई जाए। अगर मेरे खिलाफ जांच साबित होती है तो ईमानदारी के साथ कहता हूं कि सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे इस बात की तकलीफ है कि इस तरह से पुलिस द्वारा जुर्म किया गया है। आज बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और आपको अखबारों से भी मालूम हुआ होगा कि क्या आपकी पुलिस इस तरह से भ्रष्ट नहीं है। अखबार में यह भी देखने को मिला है कि राजस्थान में पुलिस अधिकारी महिला के साथ क्या कर रहे थे। वहां के मुख्य मंत्री ने केस करने की बात की है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है। गृह मन्त्री जी से मेरा आग्रह है कि इसकी जांच कराएं। आपकी कांग्रेस के एक व्यक्ति हैं जिनको ** कहा जाता है। वह अपने आपको प्रधान मन्त्री के

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बहुत नजदीकी मानते हैं। अधिकारियों पर वह इस तरह से धौंस जमाते हैं जिससे अधिकारी समझते हैं कि वे सममुच उनके नजदीकी हैं। लोक सभा चुनाव में वह हार गए थे। आठ दिनों के बाद उनको ** में ले लिया गया। इससे यह छाप पड़ती है कि वह जरूर उनके नजदीकी हैं और उनकी जबर्दस्त सांठ-गांठ हैं। इस तरह से अधिकारियों पर धौंस जमाई और मुझे गिरफ्तार करवा दिया। मेरी हत्या की साजिश की गई। मैं कुछ प्रमाण दे रहा हूं। जो रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है :

[अनुवाद]

"श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह संसद् सदस्य को 2 मार्च, 1985 को न्यायिक मजिस्ट्रेट हिलसा न्यायालय, जिला नालंदा, की अदालत में हिरासत में लिया गया।"

[हिन्दी]

यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। मुझे तीन तारीख को दिन में तीन बजे न्यायालय में भेजा गया जबकि रिपोर्ट में यह लिखा है कि दो तारीख को मुझे भेजा गया। मेरे पास सब प्रमाण मौजूद हैं। अधिकारी ने लिखा हुआ है कि तीन बजे हमारे सामने उपस्थित किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए।··· (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : बोगस रिपोर्ट है।···(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अगर बोगल रिपोर्ट है तो मैं आपको चुनौती देता हूं आप लोगों को जितने भी सेंट-पर सेंट वोट मिले हैं, वे सब बूथ पर कब्जा करके ही मिले हैं।····· (व्यवधान) मैं एक सदस्य हूं और आपका भी यह हक है कि मेरी मदद करें।·····(व्यवधान)

श्री राम भगत पासवान (जेसेरा) : यहां गृह मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है। जो माननीय सदस्य इस हाउस में उपस्थित नहीं हैं, उनके बारे में व्यक्तिगत चर्चा करना बिल्कुल नाजायज है। हमारा आग्रह है कि इसको कार्यवाही से हटा दिया जाए।···(व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यक्तिगत चर्चा यहां नहीं होनी चाहिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : गृह मन्त्री जी जवाब के समय बताएं कि जांच होगी या नहीं ?

श्रीमती कृष्णा शाही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, इस प्वाइंट ऑफ आर्डर पर आपने क्या रूलिंग दी, जिस माननीय सदस्य के सम्बन्ध में यहां चर्चा की गई, वे अपनी सफाई में पेश नहीं हो सकते हैं। जब उनके ऊपर आक्षेप किया जा रहा है और हम लोगों की ओर से प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया गया है तो आपकी इस मामले में क्या रूलिंग है, वह हम जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं वाद-विवाद देखूंगा और फिर इस मामले के सम्बन्ध में निर्णय लूंगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : सभापति जी, मैं इस सदन के सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से हमारे भारतवर्ष में विषम परिस्थितियां बनी हुई

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं, खास तौर से उत्तरी भारतवर्ष कुछ गैर-मामूली हालात से गुजर रहा है। इसमें राजस्थान, काश्मीर, पंजाब आदि इलाका शामिल है। सबसे पहले तो मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस शांति के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस नम्रता के साथ इन मामलात को सुलझाने का प्रयत्न किया और कर रहे हैं, यह तारीफ के योग्य बात है और उसके लिए इनकी तारीफ करनी चाहिए। चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं डिटेल्स में न जाकर कुछ खास प्वाइन्ट्स की तरफ ही मन्त्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं।

हमारे जम्मू-काश्मीर में लद्दाख का इलाका और कारगिल का इलाका ऐसा है, जिसको शैड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिए जाने का मामला काफी समय से पैंडिंग है। मुझे मालूम हुआ है कि वहां की स्टेट गवर्नमैंट ने इस सम्बन्ध में पूरी रिकमैंडेशन्स करके, जो आर्टिकल एप्लाई करना था, उसके साथ मामला आपके पास भेजा है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि उसको जल्दी से स्वीकृति मिल जानी चाहिए ताकि जल्दी ही वह इलाका शैड्यूल्ड ट्राइब्स घोषित किया जा सके और उन लोगों को भी वे तमाम सहूलियतें मिल सकें जो कि उनके साथ लगते इलाके के लोगों को मिल रही हैं, जो सहूलियतें ईस्टर्न स्टेट से लेकर हिमाचल तक के लोगों को मिल रही हैं और उन सब इलाकों को पहले ही शैड्यूल्ड ट्राइब बना दिया गया है परन्तु लद्दाख और कारगिल के लोगों को अभी तक वह दर्जा नहीं मिल पाया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जितनी पैरा-मिलिटरी फोर्सेज हैं, जैसे बी० एस० एफ० है, सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उनमें भर्ती के लिए हमारे जम्मू के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि हमारे लोगों में बेकारी है, उनके पास काम नहीं है। हमारे जम्मू निर्वाचन क्षेत्र में दो कांस्टीट्एंसीज हैं और दोनों में ही ड्राउट की स्थिति विद्यमान है। वहां सैंट-परसैंट फसल तबाह हो गई है और लोगों के पास खाने को नहीं है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन फोर्सेज में रिक्रूटमैंट में हमारे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जाना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में समाज से अनटचैबिलिटी को दूर करना चाहते हैं तो उसका इलाज लैंड-रिफार्म्स के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिन-जिन इलाकों में लैंड-रिफार्म्स किया जा चुका है, हमारा तजुर्बा यह है कि वहां-वहां अनटचैबिलिटी नहीं रही। इसके साथ मेरा निवेदन है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स की डैवलपमैंट के लिए आप इस वक्त जो ग्रान्ट दे रहे हैं, वह बहुत कम है और उसको बढ़ाने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

एक बात मैं यहां हिन्दी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक हिन्दी को विकसित करने का प्रश्न है, उसके प्रचार-प्रसार का सवाल है, मैं चाहता हूं कि इसकी ग्रान्ट को बढ़ाने की कोशिश की जाए ताकि देश में हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार हो सके और लोग इसे सीखें इसकी तरफ आकृष्ट हों। इससे हमें नेशनल इन्टीग्रेशन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। खास तौर से काश्मीर वैली और मुस्लिम एरिया में इसकी खास जरूरत है। यदि ज्यादा लोग इसको सीखेंगे, पढ़ने की ओर आकृष्ट होंगे तो उससे सारे देश का फायदा होगा।

एक निवेदन मैं अपने इलाके के गरीब तबके के लोगों, किसानों खासकर के टेनैंट्स की इजैक्टमैंट के बारे में करना चाहूंगा। उनको आज बेदखल किया जा रहा है और इसको रोकना बहुत जरूरी है। वैसे तो आपका इस विषय से सीधा वास्ता नहीं है, मगर आप वहां की स्टेट गवर्नमैंट

को लिख सकते हैं, उनके ध्यान में यह बात ला सकते हैं कि यदि आप वहां अमन कायम रखना चाहती हैं तो इवीक्शमैंट को रोकना होगा। क्योंकि इस वक्त वहां जैसे हालात हैं, फसलें फेल हो चुकी हैं, खाने को उनके पास कुछ नहीं है, ऐसे में वहां बदअमनी फैलाने का अंदेशा है। इसलिए उन गरीब टेनैंट्स, मुजारों की बेदखली को तुरन्त रोका जाए, यह बहुत जरूरी है।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर डाला जाए कि वे अस्पतालों में, मैडिकल कालेजों और इंजीनियरिंग कालेजों में नौकरी देते समय गरीब तबके के लोगों और बैकवर्ड एरियाज के लोगों को, वीकर सैक्शन्स के लोगों को सही प्रतिनिधित्व दें, उनके साथ इन्साफ करें।

असम और पंजाब की नीति बहुत अच्छी है। हमारे एक असमी दोस्त कह रहे थे, हमने भी पिछले साल लोक-सभा में देखा है कि वहां किस तरह से उपद्रव हो रहे थे। आज असम नार्मल नजर आता है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, लेकिन जो छोटी-मोटी बातें और हों, उनको हल करना चाहिए।

पंजाब का जहां तक ताल्लुक है, वहां बहुत अधिक गड़बड़ थी। जैसी पहले वहां नार्मलेसी थी, उस किस्म की नार्मलेसी मैं समझता हूं कि आ नहीं सकती। लेकिन जो कंट्रोल आप कर रहे हैं, जो आपकी एप्रोच है, वह काबिले-तारीफ है। लेकिन एक बात है, जब तक आप वहां इलैक्शन नहीं करायेंगे, इस तरह की टैंशन वहां बनी रहेगी। अगर इलैक्शन आप करा पाए, चाहे पालिया-मैंट के हों या स्टेट लैजिस्लेचर के हों तो वहां नार्मलेसी आ जायेगी। बगैर उसके नार्मलेसी मुमकिन नहीं है।

औरतों और कमजोर तबकों पर जो जुल्म होते हैं, एक बात तो यह है कि जुल्म ज्यादा नहीं हो रहे हैं। लोगों में एक किस्म की जागृति आ गई है, लोग आज प्रोटेस्ट करते हैं। पहले भी जुल्म होते थे लेकिन थानों में रिपोर्ट नहीं होती थीं, परसैंटेज कम बताई जाती थी, लोगों को दबाया जाता था। आज भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां गरीबों को दबाया जाता है, मारा-पीटा जाता है, मगर अक्सर पहले से हालत बेहतर है। यह नहीं कि इस किस्म की बातें बन्द हो गई हैं, लेकिन शोर ज्यादा हो गया है, मैं नहीं समझता कि जुल्म ज्यादा हो गया है। बेजारी गरीब तबके और औरतों में पैदा होना एक अच्छी बात है, उनकी मदद करनी चाहिए ताकि इस तरह के जरायम बन्द हो जाएं।

फसादात कभी-कभी हो जाते हैं, उसमें कौन जिम्मेदार है? कुछ हमारे दोस्त कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने अपोजीशन के मुताल्लिक कह दिया। अपोजीशन अक्सर कोशिश करती है। दिल्ली रायट्स किस बुरी तरह से हुए, बहुत गैर-मामूली हालात में पैदा हुए। इन रायट्स को जिस तरह से दबाया गया, उसकी हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती है लेकिन किसी अपोजीशन वाले ने इसकी तारीफ नहीं की कि किस तरह से इनको दबाया गया है। वह इन्क्वायरी इसलिए करवाना चाहते हैं, अगर उनकी भावनाएं ठीक हों तो हम इन्क्वायरी के खिलाफ नहीं हैं, जिसने यह किया किया हो उसे पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन वह झूठी शहादतें किसी कमीशन के सामने देकर हमारी पार्टी इन्वाल्व करवाना चाहते हैं। इस तरह से हालात और भड़केंगे और हम कंट्रोल नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गरीबों की रक्षा करता है, गरीबों के साथ चलता है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

रायट्स के मामले में हमारे प्राइम मिनिस्टर अहमदाबाद तशरीफ ले गए। जहां खराबी होती है, वह जाते हैं और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपोजीशन से अपील करता हूं कि वह हमारे साथ को-आपरेट करें वरना देश खराब हो जाएगा। उधर से आप इल्जाम लगाना चाहते हैं। यह तो वही हुआ कि किसी चीज को सीधा करके रखें और फिर टेढ़ी हो जाए। इस तरह की जहनियत से काम नहीं चलेगा।

मैं अपोजीशन से अपील करता हूं कि वह को-आपरेट करे। यह देश सांझा है अगर इसको आप अपना समझते हैं तो आपको गवर्नमैंट के साथ को-आपरेट करना होगा और होम मिनिस्ट्री के साथ पूरा सहयोग देना पड़ेगा तभी यह हो सकेगा। अगर आप को-आपरेट करने में किसी किस्म की मदद नहीं देते तो मामले बढ़ते जायेंगे और उसमें देर नहीं लगेगी। हल तो फिर भी हो जाएंगे।

इसलिए इन चन्द बातों के साथ मैं इसकी ताईद करता हूं जो जरे-मुतालबा है, उसके बारे में मैं तवक्को रखता हूं कि हाउस इनको यूनैनिमसली पास करेगा।

श्री सी० अंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय सभापति जी, इससे पहले जो हमारी बहिन बातचीत करते हुए कह रही थीं कि 1977 में दिल्ली में लॉ एण्ड आर्डर बिगड़ गया था, उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त शासन कर रही थी। उनको यह नहीं मालूम कि जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्या अन्तर है। जनता पार्टी के रूल में कितने दंगे हुए, कितने मर्डर हुए, कितनी डकैतियां हुईं, एक बार अगर इनकी संख्या आप देख लें तो आपको नजर आ जाएगा कि दो साल में काफी कुछ अच्छा हो गया था, लॉ एण्ड आर्डर ठीक था। (व्यवधान)

आपको नजर नहीं आता है, इसलिए दूसरों को बोलते हैं।

अभी डोगरा साहब कह रहे थे कि विरोधी पक्ष को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम तो हमेशा साथ दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि विरोधी दलों को विश्वास में लिया जाए।

मैं गृह मन्त्री जी से कहूंगा कि जितने भी दंगे-फसाद हुए हैं, उनमें न्याय नहीं हुआ है। आपके प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी मामले को हल करने की बजाय उस मामले में और तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ विरोधी दलों का नाम देना कि इन्होंने दंगे करवाये हैं, समस्या हल होने वाली नहीं है। जो अच्छा काम होता है, जो भलाई होती है, उसमें कह देना कि यहां से होता है और जो बुरा होता है तो कह देना कि विरोधी पक्ष से होता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्या यही कांग्रेस की नीति है ?

(व्यवधान)

हमारी पार्टी बुरा काम करने वालों को बाहर निकाल देती है, अपनी पार्टी में नहीं रखती है। आप अपने को आन्ध्र प्रदेश की तेलगू देशम के खिलाफ लड़ने के लिए बुला रहे हैं, समझौता कर रहे हैं।

कश्मीर की हालत देखिए। आप कश्मीर की समस्या को टालते जा रहे हैं। इसी प्रकार असम की समस्या को टालते जा रहे हैं। उसको हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपने

कांग्रेस को मुख्य मन्त्री बनाने के लिए आप वहां चुनाव कराएं। एक एम० एल० ए० 16 वोटों से जीता, लोगों ने बहिष्कार कर दिया, चुनाव में भाग लेने से इन्कार कर दिया तो 16 लोगों को, अपने परिवार वालों को चुनाव में ले गए। फिर मुख्य मन्त्री बन गए, लोक सभा के चुनाव नहीं करा सके। रिपोर्ट में आप बताते हैं कि असम ठीक है, पंजाब की समस्या हल होने वाली है। मैं बताना चाहता हूं कि दक्षिण में लॉ एण्ड आर्डर की समस्या ठीक नहीं है। वारंगल में रीजनल इंजीनियरिंग कालेज है। वह बन्द पड़ा है। कारण लॉ एण्ड आर्डर ठीक नहीं है। बिहार में विद्यार्थी मर गए। उत्तर भारत में मां-बाप अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी है, वारंगल में बेरोजगारी है। 6-7 साल से अकाल पड़ा हुआ है, पीने को पानी नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके कारण पढ़े लिखे आदमी भड़का रहे हैं। उस भड़कावे में उग्रवादी आग ले रहे हैं। इस बारे में आपने नहीं सोचा कि क्या कारण है। बेरोजगारी के कारण वहां ऐसा हो रहा है। हम वहां इंडस्ट्री चाहते हैं। आप 35 साल के शासन के बाद इंडस्ट्री खोल नहीं पाए। एक इंडस्ट्री आने वाली थी रेलवे कोच फैक्ट्री। जो वैज्ञानिक समिति आयी थी उन्होंने रिकमेंड किया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।

पंजाब के जो उग्रवादी हैं, वह उग्रवादी सत्ता नहीं चाहते हैं, वह अलग देश चाहते हैं। एटॉनमस बाडी चाहते हैं। एक डाक्टर है, बुखार से मर रहा है, उसको पेट की दवा दे रहे हैं। इस तरह से इस मामले को सुलझाने में, पंजाब और आन्ध्र प्रदेश की एक्सट्रीमिस्ट ऐक्टिविटीज को सुलझाने में यह सरकार विफल हो रही है। इस रिपोर्ट में बताया है, नम्बर तीन पर उन्होंने खुद दिया है :

[अनुवाद]

"अधिकांश घटनाएं आंध्र प्रदेश और बिहार में हुईं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी उग्रवादियों द्वारा हिंसा फैलाने की कई घटनाएं हुईं।"

[हिन्दी]

इस तरह से इन्होंने आंध्र प्रदेश के बारे में खुला बताया है। इसको सुलझाने के लिए हम चाहते हैं और हम अनुरोध करते हैं प्रधान मन्त्री से कि वहां के अनएम्पलायमेंट को, वहां की बेरोजगारी को मिटाने के लिए उपाय करें। एक्सट्रीमिस्ट ऐक्टिविटीज को खत्म करने के लिए वहां के अनएम्पलायमेंट को मिटाने की आवश्यकता है। मगर पुलिस की भर्ती की जा रही है, करोड़ों रुपए आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में सरकार खर्च कर रही है। इस पैसे को अगर बेरोजगारी खत्म करने के लिए उसको दबाने के लिए खर्च करें तो यह समस्या हल हो सकती है। इस बारे में यही मेरा निवेदन है।···(व्यवधान)···मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे पांच मिनट और दें।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। पांच मिनट हर एक मैम्बर को मिले हैं, बस, पांच मिनट या छः मिनट। आपके छः मिनट हो चुके हैं।

श्री सी० गंगा रेड्डी : आपका अपना बाबू का राज चल रहा है। हमारे यहां निजाम की सरकार की सौ बीवियां होती थीं···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप पहले ही 6 मिनट ले चुके हैं। अब आपको केवल एक मिनट ही और दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : देखिए मुझे चिट्ठी मिली है आपके लोक सभा सेक्रेटैरिएट की। उसमें लिखा है कि आपको 12 मिनट टाइम दिया गया है, किस विभाग पर आप बोलना चाहते हैं? तो मैंने बताया कि होम मिनिस्ट्री पर मैं बात करूंगा। तो मुझे तीन मिनट और दीजिए।

निजाम सरकार की सौ बीवियां होती थीं, वह किसी बीवी को खुश नहीं कर पाता था। इसी प्रकार से हमारी होम मिनिस्ट्री की कई शाखायें हैं। डेवलपमेंट शाखा है, केन्द्र शासित प्रान्तों की शाखा है। इस पुस्तिका को मैंने पढ़कर देखा तो मालूम हुआ कि होम मिनिस्ट्री के अन्तर्गत बहुत-सी शाखायें हैं—सब-प्लान है, ट्राइबल प्लान है, हरिजन डेवलपमेंट है, चुनाव इत्यादि कितने ही सब्जैक्ट्स हैं। मैं समझता था कि गृह मन्त्रालय है, इसमें लॉ एण्ड आर्डर की प्राबलम ही होगा, मगर घर जाकर देखा तो इतनी शाखायें इसकी हैं। निजाम सरकार की जितनी बीवियां थीं उससे बढ़कर हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, जैसा कि रेड्डी साहब ने कहा इस विभाग को पुनर्गठित करना चाहिए।

दिल्ली में केन्द्र सरकार का शासन है, चंडीगढ़ एक मामूली टाउन है। उसको अगर पहले पंजाब को दे देते तो अच्छा था। अब वह लड़ रहे हैं तो देने के लिए तैयार हो गए। बच्चा लड़ता है तो मां भोजन देती है, इसी प्रकार केन्द्र के साथ जो लड़ता है, जो रेल रोकता है, जो आदमियों को मारता है, उसकी बात वह सुनती है और तब आग बुझाने की कोशिश करती है। यह अच्छा नहीं है। जिस काम को जिस वक्त आपको करना चाहिए उसी वक्त कर देना चाहिए। जो जिसको चाहिए उसको दे देना चाहिए। इसी प्रकार केन्द्र सरकार के पास नौ प्रान्त हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं।

काकीनाडा के पास बाजू में उससे 15 मील यानाम है जिसमें तेलगू लोग रहते हैं। पांडिचेरी वाले आकर उसका पालत करते हैं। पांडिचेरी कहां है—मद्रास के बाहर वहां से यहां 600 किलोमीटर है। वहां पर शराब खूब पी सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी नहीं है। तो पांडिचेरी से शराब आती है जबकि काकीनाडा से आन्ध्र से जाना चाहिए। लेकिन आन्ध्र से यानाम जाने के बजाय जिसमें कि 15 मील जाकर जितनी चाहे उतनी शराब पी सकते हैं, पांडिचेरी से आती है। मैं कहता हूं यानाम को आंध्र में मिला दें, इसमें क्या आपत्ति है केन्द्र को, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन नहीं, पांडिचेरी से, 600 किलोमीटर से आकर वहां पालन करते हैं। ऐसे नियमों की वजह से लॉ एण्ड आर्डर प्राबलम बढ़ती जा रही है। यानाम से 15 मील पर काकीनाडा है लेकिन यहां 600 किलोमीटर से आते हैं जिसमें 400 किलोमीटर आन्ध्र में होकर जाते हैं। आन्ध्र से 15 किलोमीटर समुद्र में जाते हैं। तो उसको आन्ध्र में मिला दें वह ज्यादा अच्छा है। इसी तरह अण्डमान को भी किसी प्रान्त में मिला दिया जाय, उसको भी किसी राज्य में मिलाकर वहां का शासन चलाएं। क्यों आप अपना चलाते हैं? मुझे तो यह लगता है कि यहां जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी बाबू लोग अपना शासन चलाना चाहते हैं। मैंने बताया केन्द्रीय मन्त्री तो यह सब कुछ

नहीं देख सकता । सरकारी बाबू लोग अपना दबाव रखने के लिए बड़े अफसर वहां भेजते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां राज करते हैं। (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं चाहे वह मेघालय हो या अण्डमान हो, वहां दिल्ली में जो बाबू लोग रहते हैं या जो आई० ए० एस० अफसर हैं वे कभी-कभी मजा करने के लिए वहां पर जाते हैं, अपने टूर बना लेते हैं। आपने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया है, फिर जैसे यह दिल्ली है जो कि केन्द्रीय शासन के अधीन है उसको आप क्यों नहीं बगल के राज्यों में मिला देते हैं ? इसमें आपको क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए प्लान और सब-प्लान बनाए हैं उसी प्रकार से शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी सब-प्लान बनाएं।

फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन की जहां तक बात है, आन्ध्र प्रदेश में तो इसकी एक इण्डस्ट्री ही बन गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री के सिग्नेचर्स को भी फोर्ज किया जा रहा है। जब नरसिंह राव जी विदेश मंत्री थे तब उनके नाम से फोर्ज्ड सर्टिफिकेट दिए जाते थे। उन्होंने उन दस्तावेजों को डेनाई भी किया था लेकिन इस काल तक भी उन मामलों में कोई केसेज नहीं चलाए गए हैं। नरसिंह राव जी ने तो पब्लिक मीटिंग में भी बताया कि मेरे नाम से फोर्ज्ड दस्तखत करके फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से ली जा रही है, वह गलत है, मैंने कोई सिग्नेचर्स नहीं किए हैं लेकिन फिर भी केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन लोगों के खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए जिन लोगों ने भी गलत सर्टिफिकेट देकर फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन ली है उनके खिलाफ सी० बी० आई० के द्वारा जांच होनी चाहिए और उन पर केस दायर होने चाहिए तथा क्रिमिनल ऐक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जो पैसा लिया हो वह भी वापिस करना चाहिए। जैसा मैंने कहा है, आन्ध्र में कांग्रेस के लोगों का यह एक उद्योग बन गया है। जो लोग हार गए हैं वे लोग 500 रुपया लेकर गलत सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मेरा निवेदन है इसको जल्द से जल्द बन्द करना चाहिए।

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : सभापति जी, मैं माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान लॉ एण्ड आर्डर की तरफ दिलाना चाहूंगा। दिल्ली भारत की राजधानी है और जहां पर लॉ एण्ड आर्डर की हालत ठीक होनी चाहिए। 1977-78 और 1978-79 में दिल्ली में लॉ एण्ड आर्डर की हालत इतनी खराब थी कि महिलाएं बाजार जाकर सब्जी और दूध भी नहीं ला सकती थीं और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। चेनों की छीना-झपटी के कितने ही मामले होते रहते थे परन्तु आज वह बात दिल्ली में नहीं है। लॉ एण्ड आर्डर में काफी सुधार दिल्ली में हुआ है। और जिस दिन से हमारे राजीव गांधी जी ने शासन की बागडोर सम्हाली है सरकारी अफसरों में काफी सुधार आया है। चाहे पुलिस के अफसर हों या दूसरे, यह सुधार नीचे की तरफ भी बढ़ना चाहिए। जो पुलिस अफसर हैं या पुलिस कर्मचारी हैं उनको पब्लिक से ठीक व्यवहार करना चाहिये और जब पब्लिक की समझ में यह आ जाए कि पुलिस हमारी सेवा करती है, दुःख में हमारी मदद करती है, तब मैं समझूंगा लॉ एण्ड आर्डर ठीक हो गया है।

देहातों में आप जानते हैं कि बिजली के तार चोरी हो जाते हैं या उसके स्टारटर चोरी हो जाते हैं, मोटरें चोरी हो जाती हैं न वहां पर टेलीफोन हैं और न कोई और खबर देने की व्यवस्था है। यदि गांवों में टेलीफोन की व्यवस्था हो जाए तो हम जल्दी से पुलिस को इत्तिला कर सकते हैं, जिससे अपराध कम हों। दूसरी ओर पुलिस के पास वाहनों की भी कमी है, उनके पास जीपों या

मोटर साइकिलों की भी व्यवस्था होनी चाहिये और वायरलैस के जरिए भी किसी न किसी तरह से गांवों को जोड़ना चाहिए, ताकि देहाती में चोरियां कम हों और किसानों का भला हो सके।

यहां इस सदन में फ्रीडम फाइटर के बारे से भी चर्चा की गई है। ऐसे लोग जो भारत को आजादी दिलाने के लिए जेल गए और तरह-तरह की यातनाएं सहीं, अपने बच्चों को छोड़ा, लेकिन आज उनके खिलाफ सदन में बातें कही जा रही हैं, जो कि नहीं कही जानी चाहिए। मैं तो कहूंगा यदि उनकी साठ साल की उमर है, तो जल्दी ही दो महीने के अन्दर उनको मंजूरी मिल जानी चाहिए। पहले इनकी 200 रु० की पेंशन थी, अब आपने उसको बढ़ा कर 300 रुपए कर दी है, जो कि मेरी दृष्टि में थोड़ी है इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। आज हमें उनके त्याग और उनकी मेहनत से आजादी मिली है। हमें पकी-पकाई मिल रही है। मेरे कहने का मतलब है कि उनको ज्यादा परेशानी हुई थी इसलिए उनकी पेंशन को बढ़ाने की ओर सरकार को विचार करना चाहिए।

अनुसूचित जातियों के लिए पहले आपने 5,267 करोड़ रुपया मंजूर किया था, जिसको बढ़ाकर अब 1984-85 में 18,382 करोड़ रुपया कर दिया है। मैं चाहूंगा कि यह रुपया ठीक तरह से इस्तेमाल हो, जिससे गरीब आदमी को फायदा हो सके।

अभी आपने देखा होगा कि दो-तीन सूबों को छोड़कर सारे भारतवर्ष में चुनाव हुए। हर जगह पुलिस का इन्तजाम अच्छा था। दिल्ली में भी हर तरह का इन्तजाम था। अभी मैंने सुना है कि गोविन्दपुरी और झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 25 गज के प्लाट देने की व्यवस्था की जा रही है। यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। जहां तक जम्मू-काश्मीर का सवाल है, जम्मू-काश्मीर में हमारा दोष नहीं था। हमारी पार्टी का दोष नहीं था। उनकी आपस में लड़ाई थी, वे मुख्य मन्त्री बनना चाहते थे। विरोधी दल के लोग इस प्रकार की बातें लेकर आते हैं, जिनसे कुछ न कुछ अड़चनें पैदा हों। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से श्री राजीव गांधी प्रधान मन्त्री बने हैं, हर तरह से हर काम में तरक्की हुई है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर गरीब से गरीब लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है। जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भूमि देने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इन लोगों में लैफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा छोटे-छोटे प्लाट तकसीम किए जा रहे हैं। हर काम में हर तरह से सुधार हो रहा है।

आपने मुझे गृह मन्त्रालय की मांगों पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। गृह मन्त्रालय की मांगों का मैं समर्थन करता हूं और माननीय गृह मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए कुछ शब्द मैं आपके माध्यम से रखने की कोशिश करूंगा।

माननीय सभापति महोदय क्या कारण है कि श्री सरदार पटेल के बाद इस देश में किसी भी गृह मन्त्री को इतिहास में वह स्थान नहीं मिल सका, जो उसको मिलना चाहिए था। हम जब इसके बारे में बातें करते हैं, बड़े-बड़े इन्टरव्यू में पूछताछ होती है, तो गृह मन्त्री की जब चर्चा होती है और सरदार पटेल का नाम आता है, तो लगता है कि इतिहास झटक गया है। मेरा

मतलब यह नहीं है कि उसके बाद लोग इस पद पर योग्य लोग नहीं आए, लेकिन इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया । सम्भव है समस्याओं के रेखांकित करने में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई हो, लेकिन गृह मन्त्री जी की उपस्थिति में मैं एक बात कहना चाहूंगा—जहां तक समस्याओं का सवाल है, शक्ति का सवाल है सर्वोपरि समर्थन का सवाल है, किसी भी हालत में, इस देश की जनभावना आज आपकी पीठ पर है । समस्याएं उस वक्त हो सकती थीं जब देश को जोड़ने की बात थी, लेकिन आज उससे बड़ी चुनौती है—देश को तोड़ने की । ऐसे समय में मैं गृह मन्त्री जी से किन्हीं मांगों की बातें नहीं करना चाहता हूं, केवल दो-तीन बातें ही रखना चाहता हूं । आज सबसे बड़ा सवाल है जनता और सरकार के बीच की दूरी का । ऐसा लगता है कि आप जनता से वार्तालाप तो करते हैं, लेकिन आत्मालाप नहीं कर रहे हैं । आपकी भाषा आत्मालाप की भाषा नहीं है । चुनावों के समय जब हम वोट मांगने जाते हैं तो गुजराती, मराठी, तेलगु, असमिया तथा देश की विभिन्न भाषाओं में वोट मांगते हैं, लेकिन जब सरकारें बनती हैं तो सब तरफ अंग्रेजी शुरू हो जाती है । तब जनता को महसूस होता है कि आप कोई दूसरे हैं और हम दूसरे हैं । वार्ता होती है लेकिन आत्मालाप नहीं है । इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी भाषा को ठीक मुकाम पर लाने की कोशिश करें ।

सभापति महोदय, मैं ऐसा कहकर हिन्दी की हिमायत नहीं कर रहा हूं । हिन्दी किसी सरकार या मन्त्री की मोहताज नहीं है । वह याचक बनकर नहीं रह रही है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं—आप हिन्दी के प्रति अपने विचार बदलें या न बदलें, लेकिन व्यवहार जरूर बदल दें ।

समय कम है इसलिए एक बहुत सीधी-सी बात अर्ज कर रहा हूं—आपने हिन्दी की जो कुछ सेवा की है उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं । लेकिन आप अंग्रेजी की जो सेवा करते हैं क्या उसको ऐसे ही करते रहना चाहते हैं । 38 साल तक आपके इस व्यवहार के कारण अंग्रेजी इतनी कमजोर हुई है कि बच्चे न अंग्रेजी ठीक से लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं और न बोल सकते हैं । यह आपकी कृपा का प्रसाद है । अगर वह अपना नाम सही लिखते हैं, तो बाप का नाम गलत लिखते हैं, अंग्रेजी को 38 सालों में इतना कमजोर किया है । मुझे विश्वास है, एक दिन माननीया एलिजाबेथ, मार्गरेट थैचर और शेक्सपीयर तीनों मिलकर आपके पास एक डैपुटेशन लायेंगे और कहेंगे—आप दया करो, हमारी अंग्रेजी को छोड़ दो । जब वह कहेंगे तब हम अवश्य उसे छोड़ेंगे ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : शेक्सपीयर कहां से आयेंगे ।

श्री बालकवि बैरागी : भाषा को छुड़ाने के लिए कोई कवि या सन्त ही आयेगा, राजनेता नहीं आयेगा ।

आज अपराधियों को नये-नये साधन मिल गए हैं, लेकिन पुलिस के साधन कम हो गए हैं । अपराधी साइन्टिफिक हो गए हैं, लेकिन आप ट्रेडीशनल ही बने हुए हैं । आपकी पुलिस कैसे अपराधियों से लड़ सकेगी, उसका थोड़ा आधुनिकीकरण कीजिए ।

चुनावों के बाद आप हिम्मत करके जिस तरह से दल-बदल के विरुद्ध कानून लाये, उसी तरह से चुनाव सुधारों के कानून भी लाइये, देश की जनता आपकी जय-जयकार बोलने के लिए तैयार बैठी है ।

हमारे जयपाल भाई ने हम पर बहुत सारे इल्जाम लगाये। चुनावों में ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। इस समय वह हमारी तरफ ही बैठे हुए हैं। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता हूं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि आन्ध्र में, कर्णाटक में या बंगाल में क्या होता है, मैं केवल चार पंक्तियां कहना चाहता हूं, हो सके तो अपनी डायरी में लिख लें—

शीशे का बदन लेकर निकलो नहीं राहों में,
होते हैं छिपे पत्थर लोगों की निगाहों में।

आप हमारे अग्रज की गोद में बैठकर सुन रहे हैं, इसलिए अर्ज कर रहा हूं।

नासेह की साजिश से आगाह रहो जानां,
बेहतर है सिमट जाओ हमराज की बांहों में।

मैं शंकरराव चह्वाण साहब से भी एक वाक्य निवेदन करना चाहता हूं। आपने हम पर जहां बहुत विशेष कृपा की वहां एक और कृपा कीजिए। मेरा अपना क्षेत्र नीमच मंदसौर-जावरा है। जहां पर नीमच में सी० आर० पी० का सबसे बड़ा बेस है। वहां पर प्रत्येक 31 अक्तूबर को सी० आर० पी० की परेड हुआ करती है। अब उस दिन श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के कारण वह दिन मनहूस हो गया है और अब उस दिन वहां परेड नहीं हुआ करेगी क्योंकि आपके मंत्रालय के प्लास्टर पर बदबू आ गई है। वहां पर पहले ही कई वर्षों से एक अन्धविश्वास घर कर गया था कि जो भी मन्त्री वहां सलामी लेने जाएगा वह वहां से वापस झंडी वाली गाड़ी में नहीं आएगा, उसका मन्त्री पद चल जाएगा। इसलिए आपने हमारा सी० आर० पी० डे छीन लिया है। अब वह तो हमको मिलेगा नहीं अगर हो सके, और आप हम पर एहसान कर सकें तो हमको एक नवम्बर का दिन दे दीजिए जो कि मध्य प्रदेश निर्माण दिवस है। उस दिन मध्य प्रदेश बना था। सी० आर० पी० दिवस के बहाने इस दिन नीमच में कुछ काम हो जाते थे। अगर आप यह दिन दे देंगे तो आगे भी नीमच में काम होते रहेंगे।

अन्त में मैं एक वाक्य और कहना चाहता हूं। आप इस विशाल गुम्बज के नीचे बैठे हैं। ईश्वर आपको इतना यश प्रदान करे कि पंजाब और असम की समस्याओं के सदर्भ में लोग आपका नाम सरदार पटेल के बाद लेना शुरू कर दें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामभगत पासवान (रोसेरा) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं गृह मंत्रालय की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति जी, भारत सरकार की सफल नीति के कारण देश में हरिजनों को काफी सुरक्षा प्राप्त हुई है। जनता पार्टी के कुशासन में हरिजनों पर जो अत्याचार किए गए या विधि-व्यवस्था को नष्ट किया गया, वह सब केवल ढाई साल के शासन में हुआ। अब सरकार ने उस सबको ठीक करके जो हरिजनों को सुरक्षा प्रदान की है उसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

जहां तक पंजाब और असम की समस्याओं को हल करने का सवाल है, उनको हल करने के लिए सरकार की नीति जो है वह बहुत ही सराहनीय है। सरकार चाहती है कि भाई-चारे के

आधार पर, मैत्री के आधार पर और अहिंसा के आधार पर उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए।

लेकिन देश में कुछ ऐसे हिंसक तत्व हैं जिनके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है। ये शक्तियां हमारी विधि-व्यवस्था को खराब करना चाहती हैं और हमारे देश को खंडित करना चाहती हैं। इन्हीं शक्तियों के इशारे पर ये तत्व देश में तहलका मचाए हुए हैं। इनके साथ किसी प्रकार का भी समझौता नहीं होना चाहिए। बल्कि इनका जो मनोबल बढ़ गया है उसको काफी सख्ती के साथ तोड़ देना चाहिए।

सभापति जी, समाज की सुरक्षा का बहुत बड़ा भाग पुलिस पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी पुलिस व्यवस्था बहुत पुरानी है, हमारा पुलिस अधिनियम बहुत पुराना है। यानी वही पुलिस व्यवस्था चली आ रही है जो आजादी के पहले चल रही थी। आज समाज आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रगतिशील समाज में पुलिस की व्यवस्था सहयोग न करके अड़ंगा सिद्ध हो रही है।

अक्सर मैं देखता हूं कि जब कभी भी अमीर और गरीब की लड़ाई होती है तो कभी भी पुलिस गरीबों के पक्ष में अपना प्रतिवेदन नहीं देती। यह देखा गया है कि पुलिस का पक्ष हमेशा अमीरों की ओर ही रहा है। इसलिए इस पुलिस व्यवस्था को बिल्कुल सुधारने की जरूरत है।

6.00 प० प०

जहां तक ज्यूडिशरी है, ज्यूडिशरी में भी न्याय कोई निश्चित नहीं है, इसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है और यह बहुत ही कास्टली है। बेचारा गरीब, बेचारी विधवा, जिसका पति मर जाता है, (व्यवधान) उसके लिए न्याय पाना बहुत कठिन है। जनता पार्टी के राज के बेलछी में बहुत से हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया है, उनकी विधवाएं रह गई हैं, अनाथ बच्चे रह गए हैं जो न्याय पाना चाहते हैं। जिसका पति मारा गया और जो विधवा है, उनके लिए न्याय प्राप्त करना बहुत कठिन हो रहा है। आज सरकार ने लीगल एड की व्यवस्था की है, उससे उनकी बहुत सुरक्षा की गई है, लेकिन वह भी गरीब आदमी को नहीं मिलती। हम देखते हैं कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केन्द्र स्तर पर इसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन जिला स्तर पर न्यायाधीश के पास इतना समय नहीं है कि वह लीगल एड का बंटवारा करे। राज्यों में और केन्द्र में भी यही स्थिति है। इसलिए यह लीगल एड की व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है। अमाउंट भी बहुत कम है, नाममात्र है और वह भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए आपने जो लीगल एड की व्यवस्था की है, वह अधिक से अधिक दी जाए, मुकदमे का खर्च दिया जाए। यह भी क्लीयर नहीं है कि किस रूप में लीगल एड देंगे। वकील फी देंगे या अमाउंट देंगे या गवाहों का खर्च देंगे, यह सब बतलाया जाए। यह लीगल एड किस रूप में हैं, यह मुझे भी पता नहीं है। इसलिए हरिजनों पर जो अत्याचार आजकल हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार ने काफी व्यवस्था की है, बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन उनका जो विकास हो रहा है, समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उससे खुश नहीं है। भूमि हदबंदी कानून के अन्तर्गत जो जमीन ली गई है, उसमें उनको पर्चा दे दिया है, पर्चा मिल गया है, लेकिन उनको कब्जा नहीं मिलता। जहां कब्जा मिल गया है, वहां जोतने जाते हैं तो

नक्सलाइट कह करके पुलिस की सहायता से चालान करवा देते हैं। आप बिहार में खासकर इस बात का पता लगाइए कि नक्सलाइट कह कर जो चालान हो रहे हैं, उसकी तह में जाइए कि किस कारण ये हो रहे हैं। जिनको पुलिस हिरासत में लेती है, उनकी जानकारी करवाइए। मैं अपनी कांस्टीट्वेंसी के बारे में बताना चाहता हूं। बसंतपुर, भरतपुर, मदनपुर, मधुबन, इन स्थानों पर गरीबों को पर्चा मिला हुआ है, लेकिन कब्जा नहीं मिला है। मैंने मुख्य मंत्री को लिखा, गृह-मंत्रालय को लिखा कि जिस जमीन पर पर्चा दिया है, उस पर बहुत आदमियों को नक्सलाइट कह कर चालान किए जाते हैं और जेल में भेज दिया जाता है। पर्चे अभी भी उनके पास हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जिला-अधिकारी को निर्देश दीजिए कि 10 दिन के अन्दर बिहार में जिन लोगों को जमीन का पर्चा मिला हुआ है, उनको अविलंब कब्जा दिलवाया जाए।

जहां तक मिनिमम वेज का सवाल है, इसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है। गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ था, वृद्धावस्था पेंशन जो कि निःसहाय, बूढ़े, गरीब और अपग लोगों को 30 रुपए बिहार में मिलती थी, लेकिन वह अब दो प्रतिशत हो गई है, जिससे गरीबों में बहुत आक्रोश है। मैं गृह मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से पोलिटिकल पेंशन दे रहे हैं, उसी तरह से वृद्धावस्था पेंशन भी दें। आजादी के बाद गरीबों के लिए वह बहुत बड़ा काम हुआ था। (व्यवधान) पोलिटिकल पेंशन के बारे में भी मैं कह देना चाहता हूं कि ऐसे भी फ्रीडम फाइटर हैं; जिन्होंने लड़ाई में अपने आपको स्वाहा कर दिया, उसकी धन-संपत्तियां लूट ली गई, जिनके पुत्र मारे गए, जो स्वयं भुक्तभोगी हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है। उनको पेंशन मिलनी चाहिए। (व्यवधान) महिलाओं पर जो डाउरी और बलात्कार आदि के अत्याचार होते हैं, उनकी सुनवाई के लिए महिला जजों की नियुक्ति की जानी चाहिए। नियुक्तियों और प्रमोशन में रिजर्वेशन को कायम रखना चाहिए, इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामभगत पासवान : इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० गोलम याजदानी (रायगंज) : महोदय, मैं गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

इस संबंध में मैं माननीय मन्त्री का ध्यान उन लोगों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनकी अब तक उपेक्षा की जाती रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बंगालदेश और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे हुए लोगों की दशा दयनीय है, बंगला-देश और पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्र काफी लम्बा है। मैं आपको एक बहुत ही छोटे क्षेत्र, पश्चिम दिनाजपुर के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहूंगा। मेरा मतलब है पश्चिम दिनाजपुर—बंगलादेश

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सीमा जो चोपरा से लेकर हिली तक है जिसमें गोलपुकुर, करनदिगी, रायगंज, अहमदाबाद, कालियागंज, कुमारगंज और तपन शामिल हैं। यदि आप इस सीमा के पास बसे इन लोगों की दशा को जानने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि भारत की ओर के लोग कितनी कठिनाई में हैं और कोई भी इनकी कठिनाइयां सुनने वाला नहीं है। मैंने कई बार इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहा पर हर बार वही घिसा-पिटा उत्तर दे दिया जाता है कि सीमा के पास कुछ ठीक है लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। बंगालदेश के लोग अंधेरी रात में जब चांद नहीं होता है, भारतीय भूमि पर सीमा पारकर अन्दर दो-तीन मील तक चले आते हैं। ये लोग 50, 60, 70 या 100 की तादाद में सीमा के अन्दर आते हैं। हो सकता है इसमें इस या उस ओर के सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों की भी कुछ मिलीभगत हो। वे भारतीय क्षेत्र में आकर डकैती डालते हैं और एक बार में 50 अथवा 100 पशुओं को उठाकर ले जाते हैं। अगर आप जांच करें तो आप पायेंगे कि वहां लोग कितने दुःखी हैं। और कोई उनकी बात नहीं सुनता। वह डर के मारे सारी रात सोते नहीं हैं। मैं उनकी दयनीय दशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उन क्षेत्रों का दौरा किया है जहां सीमा सुरक्षा बल के कैम्प एक-दूसरे से 8-9 मील की दूरी पर हैं और वे दोनों तरफ गश्त नहीं लगा सकते। सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है, इसलिए अंधेरी रात में वह अच्छी तरह गश्त नहीं लगा सकते। बंगालदेश के लोग जहां से मौका लगता है सीमा पार कर अन्दर घुस आते हैं और अन्दर भारतीय एजेंट उनका मार्ग-दर्शन करते हैं। इसका एकमात्र उपाय यह है कि सीमा पार गश्त अधिक सावधानी और कुशलता से लगाई जाए और अगर आप चाहते हैं कि गश्त अच्छी तरह लगाई जाए तो आपको सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की संख्या भी बढ़ानी होगी और सीमा सुरक्षा बल के कैम्पों के बीच सी० आर० पी० के भी कैम्प लगाने होंगे। कुछ समय पहले सीमा सुरक्षा बल के कैम्पों के बीच सी० आर० पी० बल के लोगों को नियुक्त किया गया था। इससे स्थिति में काफी सुधार हुआ था। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सीमा से सम्बन्धित मामले की जांच कराई जाए तथा सीमा सुरक्षा बल के कैम्पों के बीच सी० आर० पी० के कैम्प लगवा कर लोगों को मदद पहुंचाई जाए। वैकल्पिक तौर पर वहां एक महीने के लिए फौज तैनात कीजिए और देखिए कि क्या परिणाम होता है। यदि आप इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वे दुख झेलते रहेंगे। ओ० सी० अधिकारी वहां हैं लेकिन वे उन लोगों की मदद के लिए नहीं आ सकते। अतः केन्द्र करकार की यह जिम्मेदारी है कि इस संबंध में कुछ करे, क्योंकि बंगलादेश भारत की ही देन है। सीमा के इस ओर रहने वाले भारतीयों का कोई कसूर नहीं है, अतः वह विभाजन के दुष्परिणामों को क्यों भुगते। आप उनकी मदद कीजिए लेकिन आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। समूचे सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करी जारी है। बिन्दोल से लेकर हिली सीमा तक सभी सीमा सुरक्षा बल की चौकियां और थाने प्रभावित हैं, तस्करी जोरों पर है, डकैतियां पड़ रही हैं। पशु उठाए जा रहे हैं। एक बार केन्द्र सरकार ने जांच का निदेश दिया था और राज्य सरकार ने एक जांच करवाई थी। इससे रायगंज में यह जानने के लिए कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं एक डी० एस० पी० भेजा था और उसे इस बात का भी पता लगाना था कि बिन्दोल सीमा पर वास्तव में तस्करी अथवा डकैती की घटनाएं हो रही हैं। डी० एस० पी० ने रायगंज का दौरा किया और उसने दो पुलिस निरीक्षकों को स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा और उन दो इंसपैक्टरों ने उन्हीं लोगों से सम्पर्क किया जो वास्तव में तस्करी करते थे और उन्हीं लोगों को डी० एस० पी० के समक्ष लाये और यह कहा कि वहां स्थिति सामान्य है सब कुछ ठीक है, इसी-

लिए मेरे प्रश्न के उत्तर में भी कहा गया कि "हमने सारे मामले की जांच की है और एक डी० एस० पी० वहां गया था और वहां स्थिति सामान्य है, सब कुछ ठीक है।" अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करें। आप ऐसा इसलिए न करें क्योंकि मैं कह रहा हूं। आप अपनी ओर से जांच करवाइए ताकि पश्चिम बंगाल के अफसरों से, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने जांच किस प्रकार करवाई। आप अपने अफसरों से जांच करवाइए, मौके पर जाइए और वास्तविक स्थिति का पता लगाइए, तभी आप वहां के लोगों की मदद कर सकते हैं।

सीमा के दूसरे भाग के लोगों की अपनी परेशानियां हैं। अतः आपको सीमा पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभपति महोदय, मैं गृह मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गृह मन्त्रालय के द्वारा समय-समय पर निकाली गई रिपोर्ट्स को जब मैंने बारीकी से देखने का प्रयत्न किया, तो उसमें मुझे एक बात स्पष्ट दिखाई दी कि शरणार्थियों के पुनर्वास पर काफी पैसा खर्च किया गया है और गृह मन्त्रालय की आधे से अधिक रिपोर्टें इस बात की साक्षी हैं। जहां मैं इस बात के लिए गृह मन्त्रालय को धन्यवाद देता हूं, वहीं मुझे इस बात की भी चिन्ता है कि जिस तरह से आज हमारे देश की सीमाओं पर चारों ओर बौर्डर इलाकों में, इधर श्रीलंका उधर बंगलादेश, तीसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ऊपर चीन की हरकतें बढ़ती जा रही हैं, कहीं आगे चलकर एक दिन ऐसा न आ जाए कि हमारा मन्त्रालय शरणार्थी ही न बन जाए। इसलिए हमें बौर्डर के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, यह मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

जैसी यहां चर्चा हुई, हमने गरीबों के उत्थान और उनके जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए जितने ट्राइबल सब-प्लान और कम्पोनैंट प्लान बनाए हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया, उन सबके कारण बहुत से लोगों को काम मिला वहीं मैं मन्त्री जी से एक प्रार्थना यह करना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों को जिस तरह से शिक्षित करना चाहिए, उस तरह से उनको शिक्षित नहीं कराया गया है। गृह मन्त्रालय की बहुत-सी रिपोर्टों में आंकड़े भी दिए गए हैं परन्तु मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं उसमें न जाकर, मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश में ऐसे स्कूल खोलें जहां लड़कों के रहने की व्यवस्था हो, उन आश्रमों में वे रह कर पढ़ाई लिखाई करें और ऐसे आश्रमों की व्यवस्था हर पंचायत स्तर पर की जाए। यदि ऐसे आश्रमों में आदिवासी लोग पढ़ेंगे और लिखेंगे तो निश्चित तौर पर प्रगति कर सकेंगे और देश के दूसरे लोगों के समकक्ष आ सकेंगे।

अब मैं कुछ निवेदन आरक्षण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यहां हमारे आदरणीय एंथनी साहब ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। सभापति महोदय, आपको याद होगा कि जिस समय हम लोगों ने प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ी थी, उस वक्त हमारा नारा होता था कि हम इस देश में समाजवाद लायेंगे, सबको बराबर के अधिकार देंगे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास इस बात का साक्षी है और और कांग्रेस के बहुत से नेता इस बात की साक्ष्य दे सकते हैं। दूसरी तरफ यदि आज आप हरिजनों और आदिवासियों के आंकड़े देखें कि कितने लोगों को सर्विस

मिल पाई है, कितने बैकवर्ड लोगों को ट्राइबल क्लास के लोगों को लाभ पहुंचा है, तो वह संख्या बहुत ही नगण्य है। यदि ये लोग इस योग्य हो जाएंगे कि दूसरों के समकक्ष आ सकें, उनके बराबर प्रगति कर लें तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग स्वयं आपसे आकर कहेंगे कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आप आरक्षण की नीति को समाप्त कर दो। लेकिन आप वस्तुस्थिति को देखें तो आज भी ये लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, आज भी उनको दोनों टाइम का खाना नहीं मिलता है। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० आदि सर्विसेस में इन लोगों को जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आज उसमें भारी बैकलोग विद्यमान हैं। आजादी के 37 सालों के बाद भी यदि आज इन लोगों का प्रतिशत देखा जाए तो वह 4 या 5 परसेन्ट से ज्यादा नहीं है। जितनी पापूलेशन उनकी रिजर्वेशन की है, वह भी हम पूर्ति नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि आप ऐसा कानून बनाइए, सख्ती लाइए, उन लोगों को पढ़ाइए-लिखाइए और आगे बढ़ाकर उनको ले लाइए। जब यह होगा तो हम यह मांग करेंगे कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हम आपके बराबर आ गए हैं।

हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चन्द्रचूड़ ने भी कहा है कि जब तक बैकवर्ड क्लासेज बराबर न हों, उनको बराबर प्रिविलेजेज देने चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में बहुत-सी बातें कहना चाहता था, लेकिन हाउस का ज्यादा वक्त न लेते हुए होम मिनिस्ट्री की डिमांड्ज का मैं समर्थन करते हुए आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप कहीं घंटी न बजा दें।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इसे चर्चा में भाग लिया तथा न केवल देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में अपितु अन्य अनेक क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मैं शायद माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ऐसा सम्भव नहीं है।

सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि पुलिस एक राज्य का विषय है। कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ घटनाओं का जिक्र किया। ये मामले राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं और मैं नहीं जानता कि क्या मैं इन मामलों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी भी दे पाऊंगा अथवा नहीं। सामान्यतः हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें अर्ध सैनिक बलों, चाहे वे सीमा सुरक्षा बल की बटालियन हों अथवा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स अथवा आसाम राइफल्स हो, जिसकी समूचे देश से निरन्तर मांग की जा रही है, की भूमिका के बारे में सारा दायित्व संभालेगी। प्रत्येक राज्य सरकार केन्द्र से यह मांग करती रही है कि कुछ और सीमा सुरक्षा बल की बटालियनों अथवा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता उन्हें प्रदान की जाए। मैं समूचे मामले पर विचार कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि क्या राज्य सरकारों का यह अधिकार है कि वे अर्ध सैनिक बलों की नियुक्ति स्थायी आधार पर करते रहने की मांग प्राप्त करती रहें। यह तो आखिर एक अस्थायी सहायता है जो अस्थायी तौर पर उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों को दी जाती है।

मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई है कि कुछ क्षेत्रों में यह प्रायः अर्ध स्थायी तौर पर तैनात हैं। वह वहां पिछले तीन-चार या पांच सालों से है। ऐसे क्षेत्रों में जहां स्थिति सामान्य नहीं है अथवा जो क्षेत्र विक्षुब्ध हैं उनके द्वारा जो केन्द्रीय सरकार से इन अर्ध सैनिक बलों की मांग की बात तो समझ में आती है लेकिन सभी राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार की मांग करने और वह भी उन विशेष कठिनाइयों के आधार पर जिन्हें जान-बूझकर उत्पन्न किया जा रहा है, की बात समझ में नहीं आती है।

मुझे इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ साम्प्रदायिक तनाव है और स्थानीय पुलिस अपनी भरसक कोशिश के बावजूद स्थिति पर नियन्त्रण नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति में अगर अर्ध सैनिक बल या सैनिक हस्तक्षेप की मांग की जाती है तो वह उचित है और यह बात समझ में आती है और इस मामले पर विचार किया जा सकता है। मुझे सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करना होगा। यदि राज्य सरकार के पास उपलब्ध वे पुलिस बल पर्याप्त नहीं है तो निस्सन्देह यह सुनिश्चित करना उनका प्राथमिक दायित्व है कि पुलिस बल में उस हद तक वृद्धि करें ताकि अपने राज्य की किसी भी समस्या से निपटने में वह सक्षम हो।

मैं उन माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करता हूं जो कि ठीक ही इस बात पर बल दे रहे हैं कि लोकतांत्रिक ढांचे में पुलिस का रवैया, पुलिस और जनता के बीच सम्बन्ध उस किस्म के नहीं होने चाहिए जैसे कि अब तक रहे हैं। मैं भी इसे महसूस करता हूं और इसीलिए एक विशेष समिति, कोर समिति की नियुक्ति की गई। इसने कुछ सिफारिशें की हैं। हमने सभी राज्य सरकारों को वे सिफारिशें क्रियान्वित करने हेतु भेजी हैं। कुछ राज्यों ने अपने कार्यकारी दल बनाए हैं और वे इसकी विस्तार से जांच कर रहे हैं तथा यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस हद तक वे इस समिति सिफारिशों को क्रियान्वित कर सकते हैं। हमारे यहां पुलिस प्रशिक्षण अकादमी और राष्ट्रीय अकादमी भी है। राज्य सरकारों की अन्य अकादमियां भी हैं। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वे विशेष रूप से यह सुनिश्चित करें कि पुलिस कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वह जनता से बेहतर तरीके से पेश आएं न कि उस तरीके से जैसाकि वे अब तक पेश आते रहे हैं। इतना ही नहीं वे जनता में विश्वास पैदा करें। दुर्भाग्यवश अब एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें लोग यह सोचते हैं कि पुलिस कार्मिक समस्या हल नहीं कर सकेंगे और जब तक अर्ध सैनिक अथवा सैनिक दस्तों को नहीं बुलाया जाएगा स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकता। यह बहुत गम्भीर स्थिति है और हम ऐसी स्थिति को ज्यादा अर्से तक बने नहीं रहने दे सकते, हमें उन्हें उचित प्रशिक्षण देना होगा। हमें उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदान करने होंगे, हमें उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी और अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके वेतन के सम्बन्ध में भी यदि वह आशाओं के अनुरूप नहीं है, तो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इन मामलों पर हम निश्चय ही ध्यान देंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पुलिस कार्मिक सन्तुष्ट रहें। उनके आवास की व्यवस्था हेतु काफी हद तक केन्द्रीय सहायता दी जाये। यह मुझे कहते हुए दुःख होता है कि आधुनिकीकरण के मामलों में भी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान तो दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारें समय पर और पूर्ण रूप से इस अवसर का लाभ उठा सकी हैं। वास्तव में आवास की व्यवस्था करना राज्य सरकार की भी प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन वित्त आयोगों की कुछ सिफारिशों के कारण हमने राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों को पूरा करने का भार अपने ऊपर ले लिया है।

मैं सभी राज्य सरकारों से केवल यह अपील करता हूं कि वे पुलिस में किसी प्रकार का रोष पैदा न होने दें। उनके लिए आवास की सुविधा की व्यवस्था करना अत्यावश्यक है इसके लिए एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए और यह कार्यक्रम चलता रहना चाहिए ताकि उन्हें आवास दिए जा सकें। मुझे बहुत दुःख होता है जब कभी भी मैं इन सिपाहियों को गैर-सरकारी आवासों में रहते हुए देखता हूं तथा अनेक बार उन्हें समाज-विरोधी तत्वों के साथ भी रहना पड़ता है। यदि कोई सिपाही अथवा हेड कांस्टेबल किसी झुग्गी में रहता है—समाज विरोधी तत्वों के साथ रहता है आप कल्पना कर सकते हैं कि ये समाज-विरोधी तत्व उन लोगों के मानस को कैसे प्रभावित कर लेते होंगे जिन्हें विधि एवं व्यवस्था की समस्याओं से निपटना पड़ता है। अतः यह अत्यावश्यक है कि सभी राज्य सरकारों को न केवल उन्हें आवासीय सुविधाएं देनी चाहिए बल्कि उन्हें आवश्यक संचार सुविधाएं, अच्छे वाहन तथा अन्य उपकरण भी देने चाहिए। यदि अपराध की प्रकृति में परिवर्तन आ गया है और यदि समाज विरोधी तत्वों, तस्करों तथा अन्य लोगों के पास अत्याधुनिक उपकरण हैं तो निश्चय ही अब ऐसा समय आ गया है कि जबकि हमें इस बात पर विचार करना होगा कि उनके पास जो परम्परागत उपकरण हैं क्या स्थिति से निपटने के लिए वे पर्याप्त होंगे। इस मामले पर विभिन्न मन्त्रालयों के साथ कुछ पत्राचार चल रहा है और मैं उनके साथ इस मामले को उठाऊंगा। किन्तु मैं यह सूचना नहीं दूंगा कि कौन-सा मन्त्रालय किस मन्त्रालय के साथ पत्राचार कर रहा है। किन्तु मैं यह मामला उनके साथ उठाऊंगा। किन्तु इस दिशा में मेरा प्रयास यह होगा कि उन्हें आवश्यक उपकरण दिए जाएं ताकि वे उस समस्या से निपट सकें जिससे उन्हें निपटना होता है। उसके लिए यदि परम्परागत उपकरण आशा के अनुरूप स्थिति से निपटने हेतु पूरे नहीं उतरते तो उन्हें नये उपकरण देने होंगे, हो सकता है सभी क्षेत्रों में इन उपकरणों को उपलब्ध न किया जा सके किन्तु कम से कम उन क्षेत्रों में दिए जाएं जहां उन्हें इस प्रकार की स्थिति से निपटना होता है।

कतिपय माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की स्थिति के बारे में विचार किए जाने पर बहुत जोर दिया है। कतिपय माननीय सदस्यों ने तो एक कृत्रिम सीमा का उल्लेख किया है जिसके कारण नदी की एक तरफ की अनुसूचित जनजाति को मान्यता दी गई होती है जबकि नदी की दूसरी ओर रहने वाली जनजाति को मान्यता नहीं दी जाती है। मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को भली भांति समझ सकता हूं कि अनुसूचित जनजातियों के प्रश्न पर पुनः दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सुझाव आमन्त्रित किए हैं। एक विस्तृत सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद इस सभा के सामने एक संशोधनकारी विधेयक लाया जाएगा। केवल संविधान में ही संशोधन कर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं।

अधिकांश सदस्यों ने इस सम्बन्ध में भी बड़ी चिन्ता व्यक्त की है कि क्या उपलब्ध की गई शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का अनुसूचित जनजातियों ने पूरा लाभ उठाया है अथवा उनकी साक्षरता के स्तर में कोई अन्तर नहीं आया है। मैं आपको वर्ष 1982 के आंकड़े दे सकता हूं। मैं इस तथ्य से भली भांति परिचित हूं कि जब यह योजना आरम्भ की गई थी तब विभिन्न कक्षाओं मे शिष्यों की संख्या कुछ सौ थी किन्तु अब आंकड़ों की स्थिति इस प्रकार है। यह आम लोगों की तुलना में अनुसूचित जातियों, जनजतियों के सम्बन्ध में आंकड़े हैं। ये आंकड़े लाखों में दिए गए हैं। प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा प्रथम से कक्षा पांचवी तक आम 737, अनुसूचित जातियां 113, अनुसूचित जनजातियां 49; मिडिल कक्षाओं में अर्थात् कक्षा छः से आठ तक आम 211, अनुसूचित जातियां 25,

अनुसूचित जनजातियों के 8, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में आम 115, अनुसूचित जाति 12 तथा अनुसूचित जनजातियां 4, मेट्रिकोत्तर के लिए आंकड़े अनुसूचित जतियों एवं अनुसूचित जनजातियों को मिला कर लगभग 9 लाख बनते हैं। मैं इस बात को भलीभांति समझ सकता हूं कि अनुसूचित जनजातियां ही अत्यधिक पिछड़ रही हैं और उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं पूरी तरह यह बात स्वीकार करता हूं और मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि सही ढंग से नाम दर्ज किए जायें तथा प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था की जाए ताकि वे व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश पाने में सफल हो सकें। इस समय लगभग 65 अथवा 69 प्रशिक्षण कक्षाएं लगाई जाती हैं। आप इस बात को समझेंगे कि स्तर को घटाना, अर्थात न्यूनतम अंक कम करना देश के हित में नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध में समझौते करते हैं। अतः इस सम्बन्ध में सर्वोत्तम उपाय यह होगा कि आप और अधिक प्रशिक्षण कक्षा लगाएं और उन्हें न केवल अन्तिम स्तर पर बल्कि पहले भी समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। उनके लिए यह कार्य कुछ पहले ही आरम्भ कर देना चाहिए, यह कार्य आठवीं कक्षा से आरम्भ किया जा सकता है, यदि वे आठवीं कक्षा से आरम्भ करेंगे तो जिन छात्रों को व्यावसायिक महाविद्यालयों में अथवा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेना है, तो मेरे विचार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजति के अनेक छात्र इन व्यावसायिक संस्थानों में निश्चित ही प्रवेश पा सकेंगे। ऐसा जन्मजात कुछ नहीं है कि कोई लड़का जन्म से ही प्रतिभावान है या क्योंकि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति परिवार में पैदा हुआ, इसलिए वह लड़का पीछे रहेगा ही। इस बारे में जन्मजात अथवा वंसानुक्रम की कोई बात नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे यहां जिन सामाजिक परिस्थितियों में उनका पालन पोषण होता है वे ऐसी हैं कि वे पिछड़ जाते हैं। वे भी प्रतिभावन छात्र हैं बशर्ते कि हम उन्हें भी आवश्यक वातावरण, आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध करें, उन्हें समुचित प्रशिक्षण दें, और सभी सुविधाएं दें हम देखेंगे कि यह प्रतिभावान छात्र भी इन किन्हीं न किन्हीं व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने में सफल होंगे।

यह कहा गया है और कुछ माननीय सदस्यों ने तो यहां तक कह दिया है कि वे प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में उनकी कम संख्या की बात को तो समझ सकते हैं किन्तु चतुर्थ श्रेणी में उनकी कम संख्या को नहीं समझ सकते क्योंकि उस सेवा में भर्ती के लिए किसी विशेषता अथवा आधारभूत योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। जब चपरासी के पद का विज्ञापन दिया जाता है और प्रत्याशियों का साक्षात्कार लिया जाता है तो सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और अब तो वे निश्चय ही इस स्थिति में हैं कि उन्हें श्रेणी तीन अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर लिया जा सकता है मेरे पास इन लोगों की संख्या के बारे में ताजा आंकड़े हैं। 1-1-83 को समूह क में प्रथम श्रेणी में कुल 52,683 कर्मचारी थे जिनमें से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 3,536 थी। यह 6.71 प्रतिशत बनती है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 741 थी और उनका प्रतिशत 1.41 था। अतः इस सम्बन्ध में अन्तर बहुत ही अधिक है। अनुसूचित जाति के लोग तो फिर भी प्रगति कर रहे हैं किन्तु अनुसूचित जनजाति के लोग इस सम्बन्ध में बहुत पिछड़ रहे हैं। उनका प्रतिशत 1.41 है। मैं इन आंकड़ों से सन्तुष्ट नहीं हूं। निश्चय ही हमें इस बारे में और कार्य कर यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें समूह क प्रथम श्रेणी-सेवा में उचित हिस्सा मिले। समूह ख में कुल कर्मचारियों की संख्या 62,485 है जिनमें से अनुसूचित जातियों के लोग 6,351 हैं और

उनका 10.16 प्रतिशत बनता है। उनमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या 915 और 10.46 % है। इसमें भी वे काफी पिछड़े हुए हैं। तृतीय श्रेणी में कुल कर्मचारी 21,28,650 है जिनमें अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या 3,10,949 और प्रतिशत 14.61 है (यह प्रतिशत लगभग इतना हो गया है) और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की भी संख्या 88,149 है और प्रतिशत 4.14 है। द्वितीय श्रेणी से यह स्थिति कुछ बेहतर है। चतुर्थ श्रेणी में कुल कर्मचारियों की संख्या-13,02,534 है जिनमें से अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या 2,55,094 और यह प्रतिशत 19.58 है। और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 71,812 तथा 5.51 प्रतिशत है। अतः इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस सम्बन्ध में कुछ सुधार हुआ है। इसमें कतई सन्देह नहीं है। किन्तु साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि अनुसूचित जनजातियों के लोग भी आगे बढ़ें और उन्हें भी उनका उचित हिस्सा मिले। हम यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रत्यन कर रहे हैं कि उनके लिये जितनी प्रतिशतता का निर्णय लिया गया है, उतना उन्हें मिले। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के भिन्न-भिन्न आंकड़े हैं, अतः उस सम्बन्ध में उस क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार ही प्रतिशतता में अंतर होगा।

कतिपय माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण योजनाओं के बारे में कहा है और एक यह शिकायत की गई है कि यद्यपि सरकार उनके कल्याण के लिए विपुल धनराशि खर्च कर रही है किन्तु उन योजनाओं का लाभ वास्तव में उन लोगों को नहीं मिलता है। उन्होंने जानना चाहा है कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की निगरानी रखी जा रही है। वास्तव में मैं जब योजना आयोग में था तो हमने मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर निगरानी कक्ष स्थापित करें और उन्हें पहचान पत्र जारी कर दें और उन्हें अद्यतन कर दें ताकि जब भी कोई अधिकारी दल वहां अचानक वास्तविक जांच के लिए जाये तो उस पहचान पत्र से वे यह जान सकें कि उस व्यक्ति विशेष को क्या दिया गया है और जो दिया गया है क्या वास्तव में वह उसके पास है। यदि इसे उसी प्रकार और उसी भावना से लागू किया जाये जिसमें सभी राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं तो कम से कम इस बारे में यह पता लगाने में मुझे कोई कठिनाई नजर नहीं आती कि निर्धन जनता के लाभ के लिए आरम्भ की गई योजनाओं का लाभ उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। हमने सभी गरीबी हटाओ योजनाओं में यह मानदण्ड तैयार किया है कि प्रत्येक खण्ड में से गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को यह लाभ मिलना चाहिए।

महोदय, इन योजनाओं में एक प्रकार का लचीलापन भी रखा गया है। यह कोई रूढ़िबद्ध कार्यक्रम नहीं है बल्कि क्षेत्र सम्बद्ध कार्यक्रम हैं, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचे। मैं जानता हूं कि अनेक बिचौलिये एवं समाज विरोधी तत्व उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे कुछ बैंक अधिकारी भी हैं जो वित्त मन्त्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के होते हुए भी उनका गलत अर्थान्वयन कर रहे हैं और इन गरीब लोगों को लाभ नहीं दे रहे है। उन्हें 5,000 रुपये का ऋण देने के लिए किसी प्रकार की गारन्टी की जरूरत नहीं है। मैंने अपने जिले में स्थानीय बैंक अधिकारियों की एक बैठक की थी और सौभाग्य से मैं भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर को भी साथ ले गया था, जब हमने चर्चा आरम्भ की तो कई हास्यास्पद बातें मेरे

ध्यान में लाई गई । एक अधिकारी ने कहा कि यद्यपि इस सम्बन्ध में निदेश तो हैं फिर भी हमें व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी ठहराया जायेगा । मैंने कहा कि यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब भारतीय रिजर्व बैंक ने आपको मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं तो आप उन्हें लागू क्यों नहीं कर रहे हैं । आप गरीब लोगों में से चुने हुए लोगों को ही ऋण क्यों देते हैं ? निहित स्वार्थों वाले लोगों द्वारा लाये जा रहे मामलों को जल्दी निपटाया जा रहा है जबकि जो अधिकारी मामलों को नेमी (रूटीन) तौर पर या नियमित रूप से भेज रहे हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है । डिप्टी गवर्नर ने इस बात को नोट किया और उन्हें बताया कि इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत दायित्व का प्रश्न ही नहीं है । आपके व्यक्तिगत विचार जो भी हों, यह निदेश भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के हैं । आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, आपको वैसा व्यवहार नहीं करना है । आपको इन रियायतों को उन गरीब लोगों को देना है जिनके लिये वह दी गई हैं और सरकार इस सम्बन्ध में दायित्व और खतरे को स्वयं देख लेगी । आपको तो निर्णयों को कार्यान्वित करना है और आप अपने दायित्व से यथासम्भव बचे नहीं । आपको उन्हें उन योजनाओं का लाभ देना है ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : क्या हम जहां भी जायें हमें भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को अपने साथ ले जाना होगा ?

श्री एस० बी० चह्वाण : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने यह मुद्दा उठाया है । वित्त मन्त्रालय, ग्रामीण विकास मन्त्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये सभी परिपत्रों को एक छोटी-सी पुस्तिका में शामिल कर दिया गया है और इन पुस्तिकाओं को सभी माननीय सदस्यों में परिचालित किया जा सकता है ।

मैं ग्रामीण विकास मन्त्रालय में अपने सहयोगियों से अनुरोध करूंगा कि वे इनकी प्रतियां उपलब्ध करायें । यह एक सार संग्रह के रूप में है और यदि कोई नये परिपत्र होंगे तो उन्हें इसमें जोड़ा जा सकता है । यह अच्छा रहेगा यदि उन्हें स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में अनूदित किया जाए ताकि सभी यह समझ सकें कि वास्तव में निदेश क्या है ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : यदि कोई बैंक कर्मचारी इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसे किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जा रहा है ।

श्री एस० बी० चह्वाण : मेरे विचार से आपको यह प्रश्न वित्त मन्त्रालय से पूछना चाहिए । मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत प्रकाशित किये गये हैं । इसकी प्रतियां राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही हैं कि वे इन पुस्तिकाओं का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करवायें तथा इन क्षेत्रों की जनता के प्रतिनिधियों जैसे विधान सभा सदस्य, संसद सदस्य, जिला परिषद के सदस्यों तथा सार्वजनिक प्रतिनिधियों को ये पुस्तिकाएं उपलब्ध कराएं । अगर उनके पास इस प्रकार की प्रति होगी तो मुझे विश्वास है कि वे बैंक अधिकारियों को यह प्रति दिखा सकते हैं और इस प्रकार उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी ।

एक आम बात यह पता चली है कि कुछ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आदमियों की बेदखली के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है । भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत इन लोगों को कुछ भूमि दी गई है । इस सम्बन्ध में पहले वाले / अधिनियम

में यह उपलब्ध था कि अनुसूचित जातियों की भूमि को बेचा नहीं जा सकता। इस सम्बन्ध में निश्चित कानून हैं और आदिवासी लोग उस भूमि को वापस लेने के पात्र हैं जो उन्होंने हस्तांतरित कर दी हो। किन्तु हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थितियां हैं। कुछ राज्य सरकारें उनका कार्यान्वयन नहीं कर रही हैं। मेरे विचार से केरल तथा एक अन्य राज्य में इस प्रकार का सरकारी संकल्प पारित किया गया था। इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय का निर्णय था कि जिस अधिनियम को स्वयं विधायिका ने पारित किया हो उसके विरुद्ध आप कोई कार्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकते और उनसे जिस भूमि को ले लिया गया था अब उसका उन्हें कब्जा वापस दिलाना सम्भव है।

कतिपय माननीय सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रम तैयार करने की बात कर रहे थे।। मेरे विचार से वित्त मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बात कही है कि इन सभी योजनाओं के लिए अभी तक राज्य सरकार की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। यदि मुझे इस योजना के लिए कुछ आबंटन बढ़ाना होगा तो जब तक राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार का उपबन्ध नहीं किया जाएगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। अतः इस वर्ष के दौरान ज्यों ही राज्य सरकारों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाएगा, यदि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इसके लिए अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है तो निश्चय ही हम अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए अपेक्षाकृत अधिक धनराशि की व्यवस्था करने में नहीं हिचकिचाएंगे।

माननीय सदस्य श्री स्वैल ने पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कतिपय बातों तथा उस क्षेत्र में कतिपय सीमा विवादों के बारे में कुछ कहा है। मैं वहां विशेष रूप से गया था। यह ठीक है कि वहां मुझे एक अन्य समारोह में भी भाग लेना था किन्तु मैंने कतिपय सम्बद्ध मुख्य मन्त्रियों से इस मामले पर चर्चा करने के लिए पहल की। मैंने वहां दोनों राज्यपालों से इस विषय पर चर्चा के लिए वहां आने को कहा। अतः मैंने उन दोनों के साथ इस विषय पर चर्चा की थी। मैं यह महसूस करता हूं कि मुख्य मन्त्रियों की सद्भावना एवं राज्यपालों द्वारा पहल करने से इन मामलों पर मैत्री भाव से समझौता सम्भव हो सकता है। अतः इस मामले को किसी स्थायी निकाय को प्रेषित करने की सम्भावना नहीं है। मैंने कुछ राज्यों में यह बात देखी है। आयोगों की नियुक्ति होने पर भी यदि आयोग के निर्णय का सामान नहीं किया जाता तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। अतः अच्छा यह होगा कि दोनों पार्टियों को बातचीत के लिए एक स्थान पर लाया जाये और बहस के द्वारा इन मामलों में 'आदान-प्रदान' की भावना से प्रेरित हो सद्भावनापूर्ण मामले को सुलझाया जाए।

मेरे विचार से पूर्वोत्तर परिषद के कार्मिकों तथा पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रों में 1985-86 के लिए किये गए कुल आबंटनों के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य इस आबंटन को जिसमें राज्यवार क्षेत्रीय आबंटन किया जाता है, किस आधार पर परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये कार्मिक एक अथवा लिए गए दो राज्यों से ही हैं जो पूर्वोत्तर परिषद को किए गए आबंटन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। कतिपय माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की भावना को अभिव्यक्त किया है। मेरे विचार से इसमें कोई हानि नहीं यदि किसी प्रकार के पुनः समायोजन की संभावना हो ताकि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का उसमें समावेश किया जा सके। इससे आवश्यक विश्वास पैदा होगा। यदि हम इस संगठन में विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्ति

लेने का प्रयास करें तो इस भावना को कम से कम दूर किया जा सकता है ताकि उनको यह महसूस न हो कि अधिकारी एक ही राज्य विशेष से हैं और इसी कारण से किसी योजना विशेष का लाभ केवल उसी राज्य विशेष को मिल रहा है। हमें इस प्रकार की स्थिति से यथासम्भव बचना चाहिए।

मेरे विचार से किसी माननीय सदस्य के लिए यह कहना सही नहीं होगा कि क्योंकि अधिकारी क्षेत्र विशेष के हैं इसलिए योजना चाहे वह पन बिजली योजना है अथवा सिंचाई योजना को वहां शुरू किया गया है। मैंने मेघालय में पुलिस के लिए एक योजना आरम्भ करने के लिए आधारशिला रखी है। यह इस प्रकार की योजनाएं हैं जिनका अधिकारियों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वे अपनी सिफारिशें देते हैं परन्तु राज्यों के मुख्य मन्त्री भी तो पूर्वोत्तर परिषद में हैं। वे हर बात का ध्यान रखते हैं और यथासम्भव हर क्षेत्र में संस्थान स्थापित करने का प्रयास करते हैं और मेरे विचार से इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि केवल एक अथवा दो राज्यों को ही पूर्वोत्तर परिषद के गठन का लाभ मिला है। मेरे विचार से ऐसा कहना सही नहीं है। मैं इस बात पर और विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा। मैं इस प्रकार का ब्यौरा दे सकता हूं जिससे सामान्यतः यह सिद्ध होता है कि सभी राज्यों को लाभ हुआ है। किन्तु यह निश्चित बात है कि यदि योजना अपेक्षाकृत बड़ी है तो लाभ अपेक्षाकृत अधिक होगा। किन्तु योजनाओं को विभिन्न राज्यों में स्थापित किया गया है। अतः इस कारण चिन्ता की कोई बात नहीं है।

अब आरक्षण-विरोधी आन्दोलन के बारे में कुछ बातें कही गई हैं और इस सन्दर्भ में प्रधान मन्त्री के एक वक्तव्य का उल्लेख करते हुए बिल्कुल गलत कहा गया है कि हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने वह वक्तव्य दिया है जिसमें लगता है कि उन्होंने इस मामले पर सबकी सहमति लेने की आवश्यकता है। जब उन्होंने यह बात कही थी तो उन्होंने अहमदाबाद में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के सन्दर्भ में इसे कहा था। अतः जब उन्होंने सहमति बनाने की बात कहीं थी तो उन्होंने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में नहीं कहा था। मैं इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। यह नितान्त गलत एवं झूठ है कि इस प्रकार का वक्तव्य माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा दिया गया। अतः जिसको भी इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह है उन्हें इस बात को नोट करना चाहिए कि सहमति के बारे में जो बात कही गई है वे अन्य पिछड़े वर्गों के तथा गुजरात एवं मध्य प्रदेश में चल रहे आन्दोलन के सन्दर्भ में कही गई है, मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि दोनों राज्य सरकारों ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिये बढ़ाये गये आरक्षण के कार्यान्वयन को रोका है। अतः जो आन्दोलन अभी चल रहे हैं उनका कोई औचित्य नहीं है और कई बार लोगों को यह कहना पड़ता है इसके पीछे और कोई उद्देश्य है और इसीलिये निहित स्वार्थों द्वारा आन्दोलन जारी रखे जा रहे हैं।

महोदय, मेरे पास बहुत ही कम समय है। किन्तु मैं एक या दो महत्वपूर्ण मामलों के बारे में कुछ थोड़ा-सा कहना चाहता हूं। एक तो केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में है जिसका माननीय सदस्यों ने यहां उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अनेक विधेयक, जिनके लिए पुनः-स्थापना स्तर पर भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है अथवा अन्य कतिपय मामलों में, जहां वहां के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे जाते हैं, उन्हें अनुमोदित करने में काफी विलम्ब किया जाता है। मैंने स्वयं इस मामले पर ध्यान दिया है और मैं अभी भी इन मामलों पर प्रशासनिक मन्त्रालय से चर्चा कर रहा हूं और

अन्ततः यह विधेयक गृह मन्त्रालय में केवल निपटान के लिए आते हैं। जब कभी भी कोई विधेयक गृह मन्त्रालय में आता है तो उसे प्रशासनिक मन्त्रालय को प्रेषित किया जाता है। हमें उनकी टिप्पणियां लेनी होती हैं और यदि सम्बद्ध राज्य सरकार तथा प्रशासनिक मन्त्रालय में कोई मतभेद होता है तो हमें राज्य सरकार को उस बारे में पुनः लिखना पड़ता है और यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि मतैक्य बने। किन्तु मैं इस मामले की जांच करूंगा। मेरा विचार यह है कि हमने इस सम्बन्ध में लगने वाले समय को बहुत कम कर दिया है और इसके लिये तीन या चार महीने की अवधि से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। अनुमति के लिये भेजे जा रहे विधेयक, चाहे वह पुरःस्थापन स्तर पर अथवा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजे जाते हैं, उनमें अधिक समय नहीं लगता है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि ऐसी अनेक राज्य सरकारें हैं जो अन्धाधुंध अध्यादेश जारी कर रही हैं। एक अध्यादेश जारी किया जाता है, उस अध्यादेश के स्थान पर एक नियमित विधेयक नहीं लाया जाता, अपितु वे एक और अध्यादेश जारी कर देते हैं; और उसके पश्चात् तीसरा अध्यादेश जारी कर देते हैं और उनके स्थान पर नियमित विधेयक पारित नहीं करते। यदि ऐसे मामलों में विलम्ब होता है तो मेरे विचार से आप इस बात को समझेंगे कि इस प्रकार का घोर संवैधानिक उल्लंघन कभी प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। मैं सम्बद्ध राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस प्रकार की गतिविधि पर अकुंश लगाना चाहिए और यदि वे अध्यादेशों को नियमित रूप से विधेयकों का रूप दें तो केन्द्र सरकार के लिए उन बातों पर विचार करना कठिन नहीं होगा जो वे इस सम्बन्ध में कहना चाहते हैं।

साथ ही हम उन क्षेत्रीय परिषदों की उपयोगिता और लाभप्रदता पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं जिनमें सम्बद्ध क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों को विशेष रूप से बुलाया जाता है। उनमें अन्तर्राज्यमामलों पर चर्चा होती है; इन परिषदों में क्षेत्रीय महत्व की बातों पर भी चर्चा होती है। इस सम्बन्ध में कार्यसूची इस प्रकार तैयार की जाती है कि विभिन्न राज्यों में किसी प्रकार की दुर्भावना पैदा करने वाले सभी मुद्दों पर शीघ्र ही बहस हो सके और यदि सभी में सद्भावना हो तो विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के वातावरण, कटुता एवं संघर्ष का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। हम क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे और यदि वे मामलों के गहन अध्ययन में रुचि रखते होंगे तो उप समितियों का भी गठन किया जाएगा और उसके पश्चात् हम अन्तिम निर्णय ले सकेंगे, और हमें यह पूर्ण आशा है कि सभी राज्य सरकारें उन निर्णयों को उसी भावना एवं निष्ठा के साथ लागू करेंगी जिनके साथ वे निर्णय लिये गये थे। इसके अतिरिक्त सरकारिया आयोग का गठन किया गया है और उन्होंने 109 प्रश्नों की एक लम्बी चौड़ी प्रश्नावली परिचालित की है। उन्हें केवल 7-8 राज्यों से ही उत्तर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने वहां जाकर उनके साथ मामलों पर विचार-विमर्श किया है और वे अभी अन्य राज्यों का भी दौरा करेंगे। उन्हें लगभग 242 पार्टियों से प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं; वे मामले पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम यथासम्भव कम से कम समय में प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दें देंगे। गम्भीर प्रकृति के मामलों पर तथा कतिपय हलकों में जहां अनावश्यक विवाद खड़े हो गये हैं, मैं आशा है कि वे उनके बारे में निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम होंगे और जैसे कि अन्य राज्य सरकारें केन्द्र राज्य सम्बन्धों के मामले सरकारिया आयोग को प्रेषित कर रहे हैं, पंजाब में हमारे मित्र, जो आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का राग अलाप रहे हैं, भी इस तरह का रवैया अपनाएंगे

वे बात-बात पर आनन्दपुर साहिब संकल्प के बारे में कहते आ रहे हैं। मैंने पंजाब से प्रकाशित एक समाचार-पत्र में सन्त लोंगोवाल का साक्षात्कार देखा है। मैंने उनका साक्षात्कार दो पत्रिकाओं में संडे मेगेजीन और एक अन्य पत्रिका में भी देखा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोंगोवाल के स्तर का व्यक्ति ऐसे वातावरण में इस प्रकार का साक्षात्कार देता है जबकि हम इस अत्यन्त जटिल और उलझनभरी समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। कम से कम मैं यह महसूस करता हूं कि हमें उन्हें और मौका देना चाहिए, मैं इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालूंगा कि अब कहीं कोई आशा नहीं। मैं उन्हें और समय देना चाहूंगा ताकि वे स्थिति का स्वयं ही सापेक्ष मूल्यांकन करें और यह देखें कि वे जिस त्रिकोणात्मक स्थिति में उलझे हैं उससे किस भांति निकल सकते हैं। मेरे विचार से उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हम उनके साथ बातचीत करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर, राष्ट्रीय एकता के मामलों पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

मेरे विचार में श्री जयपाल रेड्डी ने अथवा किसी अन्य माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री आनन्दपुर साहिब संकल्प के बिल्कुल विरुद्ध थे लेकिन अब उन्होंने अपना रुख बदल दिया है और अब वह कह रहे हैं कि यह केवल इसके प्रथकतावादी भाग के विरुद्ध हैं और बाकी अगर मामला केन्द्र-राज्य संबंधों का है तो उसे सरकारिया आयोग को सौंपा जा सकता है। मेरे विचार में इसमें कोई गलत बात नहीं है और हमारा संगत रुख ही रहा है। जैसाकि अन्य राज्य कर रहे हैं, यदि आनन्दपुर साहिब संकल्प में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से संबंधित मामले हैं तो उन्हें सरकारिया आयोग के समक्ष रखा जाएगा तथा जो फैसला आयोग दे उसका पालन किया जाये।

मैं इस अवसर पर सभा के सभी माननीय सदस्यों से विशेषकर विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करता हूं, कि हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें हम दलगत सम्बद्धता से ऊपर उठ जाएं। यह कोई दल का मामला नहीं है। कुछ लोगों द्वारा राष्ट्र की एकता को चुनौती दी जा रही है अगर हम ऐसी स्थिति से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करें तो मेरे विचार में यह उचित नहीं होगा।

(व्यवधान)

इसीलिए मैंने विपक्ष के कई सदस्यों से विचार-विमर्श किया और उनकी प्रतिक्रिया काफी अनुकूल रही है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने अकाली मित्रों पर अपने प्रभाव का प्रयोग करें, क्योंकि अकाली मित्र कुछ समय से उनके साथ हैं। मैं कोई बुरी भावना से ऐसा नहीं कह रहा। आपसे मेरी अपील है कि हठधर्मी का रवैया अपनाने की बजाय बेहतर यह होगा यदि हम मिलजुल कर उन्हें हिंसा का मार्ग छोड़ने तथा बातचीत द्वारा मसले को हल करने के लिए राजी कर लें। यदि वे कुछ मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे द्वार सदा के लिए खुले हैं और यदि वे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आप उनमें से कुछ और लोगों को रिहा कीजिए और हमें उनके साथ बातचीत का मौका दीजिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : शायद आपने यह मामला उठाया है। मैं यह भी बता चुका हूं

कि हम कुछ अन्य नजरबन्दी लोगों के मामले की जांच कर रहे हैं। यदि सरकार इस नतीजे पर पहुंचती है कि इन लोगों में से किसी के विरुद्ध कोई गंभीर आपराधिक मामले नहीं हैं तो हम उन्हें रिहा करने की कोशिश करेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं श्री हरभजन सिंह के मामले का जिक्र करना चाहता हूं। श्री सिंह जनता पार्टी के नेता हैं तथा समाजवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं। महोदय, क्या आप उनके मामले पर विचार करेंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : प्रो० मधु दण्डवते ने भी इस मामले के बारे में उल्लेख किया है। मैंने जानकारी मंगाई है और जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त होगी मैं आपको सूचित करूंगा। जिस तरह से हम मामलों की जांच करेंगे उसकी मोटी रूपरेखा मैंने आपको बता दी है। यदि उनके विरुद्ध कोई गम्भीर आपराधिक अथवा आपराधिक मामला नहीं है तो उनके मामलों पर निश्चय ही विचार किया जा सकता है।

अब मैं आसाम के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। हाल ही में मैं मेघालय गया था और वहां काफी छात्र प्रतिनिधि मुझसे मिलने आए। मैंने किसी को नहीं बुलाया था। मैं वहां राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित समारोह में भाग लेने गया था। कुछ प्रतिनिधि मेरे पास आकर मुझसे मिले थे। आसाम सरकार के कुछ मन्त्री भी मुझसे मिले। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मसला अब हल होने की स्थिति में पहुंच गया है लेकिन अभी कितना अरसा और लगेगा इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं आशा करता हूं कि यदि ऐसी सदभावना तथा आदान-प्रदान की भावना बनी रही तो निश्चय ही आसाम समस्या का सौहार्दपूर्ण हल ढूंढ़ लिया जाएगा। मैं एक दो बातें और कहूंगा और फिर समाप्त करूंगा।

श्री ए० के० पंजा (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : शरणार्थियों के पुनर्वास पट्टे का अधिकार और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन इन सब मामलों के बारे में आपके क्या विचार है ?

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : शरणार्थियों के पुनर्वास कार्य और विभाग तथा स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन इन सबके बारे में क्या हुआ ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने पांडेचेरी के बारे में पूछा था।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या का संबंध है माननीय सदस्या शायद कलकत्ते के मामले का उल्लेख कर रही हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : कलकत्ता नहीं, पश्चिमी बंगाल।

श्री एस० बी० चव्हाण : माफ कीजिएगा। प्रश्न कृषि भूमि पर पूर्ण स्वामित्व के अधिकार और जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पट्टे पर भूमि देने के अधिकार के बारे में था। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इस बारे में हमारा काफी पत्राचार हुआ है, लेकिन अभी भी मेरी समझ में नहीं आया कि इनका विचार क्या है। यदि 99 वर्ष की पट्टेदारी है और शहरी क्षेत्र की भूमि के काफी महंगे होने के कारण यदि वह अहस्तान्तरणीय हो जाए तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह उन्हें पूर्ण स्वामित्व का अधिकार क्यों देना चाहते हैं। इसका क्या उद्देश्य है ? (व्यवधान) इसीलिए अपने पश्चिम बंगाल के मित्रों से मैं यह अनुरोध करता हूं कि वे इसे समझने की कोशिश

करें। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि गृह मन्त्रालय पश्चिम बंगाल का आशय समझ नहीं पाया है तो मैं उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रथमदृष्ट्या मैं इस बात से आश्वस्त नहीं कि पश्चिम बंगाल की राय ठीक है।

सामान्यतः यदि शरणार्थियों को जो जमीन मकान बनाने के लिए दी जाती है, वे उसे ऊंचे दाम पर बेच देते हैं। वे फिर बेघर हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार अभी तक अपनाए जा रहे अपने रुख पर दुबारा विचार करे और उन्हें पूर्ण स्वामित्व का अधिकार देने की बात पर बल न दे। मेरे विचार में जमीन को पट्टे पर देने का अधिकार होना चाहिए ताकि जमीन अहस्तांतरणीय रहे और वे लोग उसका फायदा उठा सकें। स्वतंत्रता सेनानियों के मामले के पक्ष में माननीय सदस्या ने काफी कुछ कहा है और यहां तक कि यह भी कहा कि कुछ स्वतन्त्रता सेनानी ऐसे भी हैं जो वृद्धावस्था के कारण अथवा माली हालत अच्छी न होने के कारण बहुत परेशानी का जीवन बिता रहे हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यह विषय हमने कार्मिक विभाग को सौंप दिया है। फिर भी हमने उसे वे कागजात अभी तक नहीं दिए हैं। मैंने अपने अधिकारियों से निवेदन किया है कि वे अत्यधिक वृद्ध लोगों के मामलों को अलग से देखें। जिन लोगों के मामले काफी अरसे से लम्बित पड़े हैं उनके मामलों को भी बाकी मामलों से अलग रखा जाए और तब सामान्य कार्यकरण जारी रह सकता है, लेकिन वयोवृद्ध लोगों के मामले में विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकता है।...

एक माननीय सदस्य : दण्डकारण्य के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री एस० बी० चह्वाण : जासूसी गतिविधियों के सम्बन्ध में सरकार की जानकारी के बारे में श्री जयपाल रेड्डी ने जो एक मुद्दा उठाया है, यदि मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा तो मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाऊंगा। उन्होंने पूछा है कि क्या केवल राजनीतिक कारणों से सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी ? मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। मैंने संबंधित अधिकारियों से इस बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जानकारी प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। उचित संपर्क स्थापित करने हेतु उचित जांच करनी होगी। कुछ पदों पर आसीन व्यक्तियों को पकड़ा जाएगा। उनके कब्जे में जो दस्तावेज हैं उन्हें जब्त करना होगा। जब हम उस स्थिति में पहुंच गए तो आसूचना ब्यूरो ने उस पर कार्रवाई की। सरकार की ओर से भी विलम्ब नहीं हुआ। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। हमने उन्हें पूरी आजादी दी। यह बहुत खुशी की बात है कि वह एक इतने बड़े जासूसी कांड का पर्दाफाश करने में सफल हुई। इस मामले में अच्छा काम करने के लिए वह बधाई की पात्र है।

मेरे विचार में अधिकांशतः यही कुछ मुद्दे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं। मैं उन सभी अन्य माननीय सदस्यों को, जिन्होंने ऐसे मामले नहीं उठाए हैं जो राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं अथवा नीति संबंधी मामलों पर व्यक्तिगत मामले हैं, नहीं उठाए हैं आश्वस्त करता हूं कि यदि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया हूं तो मैं उन्हें लिखकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दूंगा ताकि वे यह महसूस करें कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : नारी जाति पर आजकल जो अत्याचार हो रहे हैं

उनके लिए आप क्या कर रहे हैं ताकि उनको सामाजिक सम्मान मिल सके।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चह्वाण : माननीय महिला सदस्यों ने महिलाओं के प्रति किए जा रहे अत्याचारों, जैसे दहेज वधुओं का जलाया जाना, महिलाओं तथा नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मैंने इन सब मामलों को नोट कर लिया है और मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम निश्चय ही इन मामलों की छानबीन कराएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अन्ततः ये मामले ऐसे हैं जो राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। मैं मात्र उनको लिख सकता हूं, अनुरोध कर सकता हूं और, अगर इससे बढ़कर मैं कुछ करूंगा तो मेरे विपक्षी मित्र केन्द्र-राज्य संबंधों का मामला उठा देंगे और कहेंगे कि आप राज्य सरकारों के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस स्थिति से बचते हुए जहां तक हो सकेगा हम इस मामले में कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय : अब जब तक कि कोई माननीय सदस्य यह न चाहे कि उसका कोई भी कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाए, मैं गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए एक साथ रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं गृह मन्त्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं। प्रश्न यह है :

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई गृह मन्त्रालयों से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 46 से 56 के संबंध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत गृह मन्त्रालय संबंधी अनुदानों की मांगें—बजट (सामान्य) 1985-86

मांग सं०	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	गृह मन्त्रालय				
46.	गृह मन्त्रालय	1,25,85,000		6,29,28,000	
47.	मन्त्रिमण्डल	1,23,54,000		6,17,71,000	
48.	पुलिस	97,45,71,000	6,40,32,000	4,87,28,60,000	32,01,63,000
49.	अन्य प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाएं	46,65,97,000	6,99,91,000	2,33,29,85,000	33,99,59,000
50.	पुनर्वास	25,30,56,000	1,29,33,000	1,26,52,84,000	6,46,66,000
51.	गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय	65,66,39,000	36,69,76,000	3,05,09,95,000	1,50,28,78,000
52.	दिल्ली	67,67,51,000	45,82,19,000	3,38,37,58,000	2,29,10,99,000
53.	चण्डीगढ़	11,19,44,000	6,24,58,000	55,97,24,000	17,64,59,000
54.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	10,63,06,000	6,18,60,000	53,15,34,000	30,93,02,000
55.	दादरा और नगर हवेली	1,37,62,000	98,33,000	6,88,13,000	4,91,65,000
56.	लक्षद्वीप	3,14,81,000	55,52,000	15,74,05,000	2,77,59,000

सभापति महोदय : सभा सोमवार, 8 अप्रैल, 1985 को 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

7.09 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 8 अप्रैल, 1985 / 18 चैत्र, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

नरेन्द्र प्रिंटिंग प्रैस, 20, मॉडल बस्ती,
रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-110005